Thursday, 09 May, 1968

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

चौथा सत्र
Fourth Session

Preservation 17-7-92
Fumigated On 16.1.84
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 17 में अंक 51 से 61 तक हैं
Vol. XVII contains Nos. 51 to 61]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य: एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 60—बृहस्पतिवार, 9 मई, 1968/19 वैशाख, 1890 (शक)

No. 60—Thursday, May 9, 1968 Vaisaka 19, 1890 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos. विषय	SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
1737 किसानों को ऋण देने के लिये कृषि बैंक	Agricultural Bank for Credit to Farmers	1327-29
1738 सहकारी बैंक तथा ऋण समितियां	Co-operative Banks and Loan Societies	1329-34
1739 गोरक्षा समिति	Committee on Cow Protection	1335-40
1740 अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षित निर्वाचन-क्षेत्रों से गैर-अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों का निर्वाचन	Election of Non-Scheduled Tribes Members from Scheduled Tribes Constituencies	1340-43
अल्प सूचना प्र० सं० S.N.Q. No.	SHORT NOTICE QUESTION	
34 दिल्ली उच्च न्यायालय में वकीलों का कमरा (बार रूम)	Delhi High Court Bar Room	1343-44
प्रश्नों के लिखत उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
1741 नर्मदा नदी-क्षेत्र की भूमि में खेती	Cultivation of Land in Narmada Basin	1344-45
1742 मध्यावधि चुनाव	Mid-term Elections	1345
1743 राजहारा लौह अयस्क खानें	Rajhara Iron Ore Mines	1345
1744 उत्तर प्रदेश में भूमि	Land in U.P.	1345-46
1745 खरीफ और रबी की उपज	Kharif and Rabi Production	1346
1746 एपीजे शिपिंग कम्पनी	Apeejay Shipping Company	1346-47

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The Sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

अ० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1747	सघन कृषि जिला कार्यक्रम के क्षेत्रों में उत्पादन	Production in intensive Agricultural District Programme Areas	1348
1748	मुरादाबाद में तार तथा टेलीफोन के तारों का काटा जाना	Disruption of Telegraph and Telephonic Wires in Moradabad	1348
1749	खाद्यान्न वसूली के लक्ष्य	Food Procurement Targets	1349
1750	खाद्यान्नों के भाव निश्चित करना	Standardising the Rates of Foodgrains	1349-50
1751	बिहार में खाद्यान्नों का उत्पादन	Food Production in Bihar	1350
1752	स्थानीय लोगों के लिये रोजगार	Jobs for "Sons of the Soil"	1350
1753	केन्द्रीय कार्मिक संघों के संगठनों की बैठक	Meeting of Central Trade Union Organisations	1351
1754	ट्रैक्टरों का वितरण	Distribution of Tractors	1351
1755	श्रमिकों में साम्प्रदायिक मेलजोल	Communal Harmony Among Labour Class	1351
1756	चीनी के अधिकतम मूल्य के बारे में भारतीय होटल तथा हलवाई महासंघ की मांग	Demand of Hotels and Halwais Federation *re* Ceiling price of Sugar	1351-52
1757	संसद् सदस्यों को सुविधाएं	Facilities to Members of Parliament	1352
1758	हरियाणा में गेहूं और चावल की खरीद	Purchase of Wheat and Rice in Haryana	1352-53
1759	खाद्य तथा कृषि संगठन का पुनर्गठन	Reorganisation of F.A.O.	1353
1760	राष्ट्रीय खाद्य नीति	National Food Policy	1353-54
1761	मध्य प्रदेश में खेती का जोरदार कार्यक्रम	Crash Programme for Cultivation in M.P.	1354
1762	संसद् सदस्यों की टेलीफोन लाइन काटी जाना	Disconnection of Telephone Lines of M. Ps.	1354
1762-क	खेतिहर श्रमिकों सम्बन्धी अध्ययन दल	Study Team on Agricultural Labour	1355
1763	खाद्यान्नों के लाने-ले जाने पर प्रतिबन्ध	Restrictions on Movement of Foodgrains	1355
1764	केरल में राशन का कोटा	Ration Quota in Kerala	
1765	चीनी का वितरण	Release of Sugar	1355-56

अ० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
10164	मध्य प्रदेश में कोयला खानें	Coal Mines in M.P.	1356
10165	दक्षिण पटेल नगर के प्लाटों के अलाटियों को आश्वासन	Assurances given to allottees of Plots of South Patel Nagar	1356-57
10166	इण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज़, बंगलौर में ईसाई	Christians in Indian Telephone Industries, Bangalore	1357
10167	औद्योगिक विवाद	Industrial Disputes	1357-58
10168	कृषि उत्पादन	Agricultural Production	1358-59
10169	मुर्गीपालन और दुग्धशाला प्रक्षेत्र	Poultry and Dairy Farms	1359
10171	गंगापुर नगर टेलीफोन केन्द्र में बुक की गई ट्रंक काल	Trunk Calls booked in Gangapur City Exchange	1359-60
10172	टेलीफोन को हटा कर अन्यत्र लगाना	Shifting of a Telephone	1360
10173	केन्द्रीय यंत्रीकृत फार्म, सूरतगढ़	Central Mechanised Farm, Suratgarh	1361
10174	राजस्थान में पंचायत मुख्यालयों में डाकघर	Post Offices in Panchayat Headquarters in Rajasthan	1361-62
10175	टेलीफोन केन्द्र, गंगापुर नगर	Telephone Exchange, Gangapur City	1362
10176	गंगापुर नगर टेलीफोन केन्द्र के स्टाफ आपरेटर तथा लाइनमेन	Staff Operators and Linemen in Gangapur City Telephone Exchange	1362-63
10177	गंगापुर टेलीफोन केन्द्र में 200 टेलीफोनों के बोर्ड का लगाया जाना	Installation of Board of 200 Telephones in Gangapur City Telephone Exchange	1363
10178	कोयला उपकर	Coal Cess	1363-64
10179	महाराष्ट्र में चीनी का कारखाना	Sugar Factory in Maharashtra	1364
10180	केरल में बेरोजगार व्यक्ति	Unemployed Persons in Kerala	1364-65
10181	केरल में उर्वरकों की उपलब्धता	Availability of Fertilizers in Kerala	1365-66
10182	केरल में कृषकों की प्रति व्यक्ति आय	*Per Capita* Income of Agriculturists in Kerala	1366-67

अ० प्र० संख्या U. S .Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ट/ PAGES
10183	गहरे समुद्र में मछली पकड़ना	Deep Sea Fishing	1367-68
10184	नरेला होकर उत्तर प्रदेश से दिल्ली में चीनी का चोरी-छिपे लाया जाना	Smuggling of Sugar from U.P. to Delhi *Via* Narela	1368
10185	दिल्ली में राशन में अपमिश्रित वस्तुओं की सप्लाई	Supply of Adulterated Commodities in Ration in Delhi	1368
10186	बीज भण्डार	Seed Godowns	1368-69
10187	चीनी का निर्यात	Sugar Export	1369
10188	खानों में विस्फोटक गैस से बचने का उपाय	Device against Explosive Gas in Mines	1369-70
10189	उड़ीसा में टेलीफोन कनेक्शन	Telephone Connections in Orissa	1370
10190	कोयला खानों में श्रम सम्बन्धी कानून	Labour Laws in Coal Mines	1370
10191	बिहार में कोयला खानें	Coal Mines in Bihar	1370-71
10192	कृत्रिम वर्षा	Artificial Rain	1371
10193	टेलीप्रिंटरों का निर्यात	Export of Teleprinters	1371-72
10194	चुकन्दर से चीनी का उत्पादन	Production of Beet Sugar	1372
10195	उत्तर प्रदेश में चीनी निगम	Sugar Corporation in U.P.	1372-73
10196	पूर्वी बंगाल से आये शरणार्थी	East Bengal Refugees	1373
10197	खाद्यान्नों का मूल्य स्तर	Price Level of Foodgrains	1373-74
10198	सामुदायिक विकास परियोजनाएं	Community Development Projects	1374
10199	उत्तर प्रदेश में भूमि सेना सक्रिय-कब्जा करो सप्ताह	Bhoomi Sena Sakriya Kabja Karo Week in U.P.	1374
10200	उत्तर प्रदेश में अनाज के गोदामों पर छापे	Raid on Foodgrains Stocks in U.P.	1375
10201	चीनी का उत्पादन	Sugar Production	1375
10202	बिहार में बेरोज़गार व्यक्ति	Unemployed Persons in Bihar	1376
10203	मुंगेर में दूर-संचार व्यवस्था	Tele-Communication System in Monghyr	1376-77
10204	एपीजे शिपिंग कम्पनी	Apeejay Shipping Co.	1377-78

अ० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
10205	मंत्रियों में काम का बंटवारा	Division of Work Among Ministers	1378-79
10206	एपीजे शिपिंग लाइन्स	Apeejay Shipping Lines	1379-80
10207	गेहूं म मिलावट	Adulteration in wheat	1380
10208	स्वर्गीय श्रीमती अहिल्याबाई होल्कर की स्मृति में डाक टिकट	Ahilyabai Holkar Commemorative Stamp	1380-81
10209	खाद्य, कृषि तथा सिंचाई विभागों में समन्वय	Co-ordination between Departments of Food Agriculture and Irrigation	1381
10210	बिहार में पूसा में अनुसंधान प्रयोगशाला	Research Laboratory at Pusa, Bihar	1381-82
10211	दुर्गापुर में सरकारी प्रक्षेत्र में बढ़िया किस्म का गेहूं	Improved Quality of Wheat at Durgapur Government Farm	1382
10212	उत्तर प्रदेश में कोटोजम घी का मूल्य	Price of Kotogem Ghee in U.P.	1382-83
10213	बुलन्दशहर की सहकारी समितियों के विरुद्ध शिकायतें	Complaint against Co-operative Societies of Bulandshahr	1383
10214	बुलन्दशहर ज़िले में वन-भूमि का दिया जाना	Release of Forest Land in in Bulandshahr District	1383-84
10215	बुलन्दशहर में सहकारी समितियां	Co-operative Societies in Bulandshahr	1384
10216	बुलन्दशहर में सहकारी समितियों का वार्षिक लेखा	Annual Accounts of Co-operative Societies in Bulandshahr	1384-85
10217	रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली में टेलीफोनों का लगाया जाना	Shifting of Telephone in Ramakrishna Puram, New Delhi	1385
10218	पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए विस्थापित व्यक्तियों का अन्दमान में पुनर्वास	Rehabilitation of East Pakistan Displaced persons in Andaman	1385-86
10219	पाकिस्तान में भारतीयों द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ति	Property left behind by Indians in Pakistan	1386
10220	चुनाव याचिकाएं	Election Petitions	1386-87

अ० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
10221	हड़तालों आदि के कारण श्रम-दिनों की हानि	Man-days Lost due to Strikes	1387
10222	टिड्डियों का खतरा	Locust Danger	1387
10223	दिल्ली में वनस्पति के भाव में वृद्धि	Rise in Vanaspati Price in Delhi	1387-88
10224	दिल्ली दुग्ध योजना के लिये दुग्ध-चूर्ण का आयात	Import of Milk Powder for D.M.S.	1388
10225	आप्रवासियों का अन्दमान को छोड़-कर अन्य द्वीपों में बसाया जाना	Settlement of Migrants in Islands other than Andamans	1388-89
10226	दल बदलने वालों को चुनाव चिह्न देना	Allotment of Election Symbols to Defectors	1389
10227	संकर मक्का का उत्पादन	Production of Hybrid Maize	1389-90
10228	वनस्पति का मूल्य नियन्त्रण	Price Control on Vanaspati	1390
10229	परिष्कृत खाद्य उद्योग	Processed Food Industry	1390-91
10230	गैंडों की संख्या	Population of Rhinoceros	1391
10231	हिन्दी के टेलीप्रिंटर	Hindi Teleprinters	1391-92
10232	वर्ष 1968-69 में खाद्योत्पादन के लक्ष्य	Food Production Target for 1968-69	1392
10233	मध्य प्रदेश में ज्वार का समाहार	Procurement of Jowar in M.P.	1392-93
10234	पश्चिम बंगाल में औद्योगिक श्रमिकों में बेरोजगारी	Unemployment among Industrial workers in West Bengal	1393
10235	ग्वालियर जिले के गांवों में डाकघर	Post Offices in Villages of District Gwalior	1393-94
10236	महाराष्ट्र में ज्वार तथा धान खरीद मूल्य तथा बिक्री मूल्य	Purchase and sale price of Jowar and Paddy in Maharashtra	1394
10237	राजभाषा (विधायी) आयोग	Official Language Legislative Commission	1394-95
10238	आसाम तथा पश्चिम बंगाल के चाय बागान	Tea Gardens in Assam and West Bengal	1395-96
10239	डाक और तार के फार्मों की तीन भाषाओं में छपाई	Printing of P. & T. Forms Trilingually	1396
10240	बूचड़ खाने	Slaughter Houses	1396

अ० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
10241	वन्य पशु-पक्षियों के जीवन की रक्षा समिति	Committee for Preservation of Wild Life	1396
10242	केरल में भारतीय खाद्य निगम की शाखाएं	F.C.I. branches in Kerala	1397
10243	केरल में श्रमिकों में असंतोष	Labour Unrest in Kerala	1397
10244	भारत-श्रीलंका करार	Indo-Ceylon Agreement	1397-98
10245	आगरा-बम्बई सड़क पर सार्वजनिक टेलीफोन	Public Telephone on Agra-Bombay Road	1398
10246	उत्तर प्रदेश में गोवध	Cow Slaughter in U.P.	1398-99
10247	उपक्रमों में विदेशी कर्मचारी	Foreigners Working in Undertakings	1399
10248	पश्चिम बंगाल अस्पताल कर्मचारी संघ	West Bengal Hospital Workers' Union	1399-1400
10249	गेहूं की 'ट्रिपल ड्वार्फ' किस्म	Triple Dwarf Variety of Wheat	1400
10250	सिंगूर, पश्चिम बंगाल के शीतागार में आग लगना	Fire in a Cold Storage in Singur, W. Bengal	1400-01
10251	कर्मचारी भविष्य निधि के न्यासी	Trustees of Employees' Provident Fund	1401
10252	उत्तर प्रदेश में मध्यावधि चुनाव	Mid-term Elections in U.P.	1401-02
10253	उर्वरकों के मूल्य	Prices of Fertilizers	1402
10254	दल-बदल की समस्या	Problem of Defections	1402-03
10255	निर्वाह व्यय सूचकांक	Cost of Living Index	1403
10256	अखिल भारतीय समाचार पत्र कर्मचारी संघ	All India NewspaperEmployees' Federation	1403-04
10257	भारतीय श्रमिक सम्मेलन	Indian Labour Conference	1404
10258	वस्तुओं को प्रशोतित स्टोर में रखना	Refrigerated Storage	1404-05
10259	नर्मदा नदी-क्षेत्र में बहुफसली खेती	Crop intensity in Narmada Basin	1405
10260	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का उड़ीसा का दौरा	Visit of Central Government Officials to Orissa	1405
10261	रीवर स्टीम नेवीगेशन कम्पनी	River Steam Navigation Co.	1406
10262	मूंगफली के तेल निकालने के कोल्हू	Groundnut oil Expellers	1406
10263	फ्रेंकिंग (अंकन) मशीनें	Franking Machines	1406-07

अ० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
10264	भारतीय श्रमिक सम्मेलन	Indian Labour Conference	1407
10265	दिल्ली में साइकिल रिक्शा चलाने वाले	Cycle Rickshaw Pullers in Delhi	1407-08
10266	पूर्वी बंगाल से आए शरणार्थियों के कालकाजी (नई दिल्ली) में भू-खण्डों का आवंटन	Allotment of Plots to East Bengal Refugees in Kalkaji, New Delhi	1408-09
10267	पूर्वी बंगाल के विस्थापित लोगों को भू-खंडों का अलाटमेंट	Allotment of Plots of Land to East Bengal Displaced Persons	1409-10
10268	नलकूपों के लिये दिये गये धन का गबन	Misappropriation of Money meant for Tubewells	1410
10270	भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल की खरीद	Purchase of Rice by Food Corporation of India	1410-11
10271	श्रम मंत्रियों का सम्मेलन	Labour Ministers' Conference	1411
10272	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था के डा० सिरोही	Dr. Sirohi of Indian Agricultural Research Institute	1411-12
10273	राष्ट्रपति के चुनाव के लिये मतदाता	Voters for Presidential Elections	1412
10274	दिल्ली-अगरतला और कलकत्ता-अगरतला के बीच टेलीप्रिंटर सेवा	Teleprinter service between Delhi-Agartala and Calcutta-Agartala	1413
10275	त्रिपुरा में प्लाईवुड कारखाना	Plywood Factory in Tripura	1413-14
10276	सिल्चर और अगरतला के बीच टेलीफोन ट्रंक लाइनें	Telephone Trunk Lines between Silchar and Agartala	1414
10277	अगरतला टेलीफोन एक्सचेंज	Agartala Telephone Exchange	1415
10278	त्रिपुरा के लिये माइक्रो-वेव प्रणाली	Microwave System for Tripura	1415-16
10279	मध्य प्रदेश में औद्योगिक संस्थान	Industrial Establishments in M.P.	1416
10280	कर्मचारी भविष्य निधि	Employees' Provident Fund	1416
10281	मध्य प्रदेश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई	Irrigation in drought Stricken Areas in M.P.	1416-17

अ० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ट/ PAGES
10282	टेलीग्राफ मास्टरों और एल० एम० जी० टेलीग्राफ मास्टरों के कर्त्तव्य	Duties of Telegraph Masters and L.S.G. Telegraph Masters	1417
10283	केन्द्रीय तारघर, नई दिल्ली के तार बाबू	Telegraphists in Central Telegraph Office, New Delhi	1417-18
10284	नई दिल्ली में बेयर्ड रोड तथा अतुलग्रोव में तार कर्मचारियों के क्वाटर	Telegraph Quarters at Baird Road and Atulgrove, New Delhi	1418-19
10285	तार प्रशिक्षण केन्द्र	Telegraph Training Centre	1419
10286	ईस्टर्न कोर्ट, नई दिल्ली में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का पूछताछ कार्यालय	P.W.D. Enquiry Office, Eastern Court, New Delhi	1419-20
10287	सरगुजा के खान श्रमिक	Mine Workers of Sarguja	1420
10288	श्रम मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति पर अनुभाग अधिकारी	Section Officers on Deputation in Labour Ministry	1420-21
10289	गुजरात में बेकरियां	Bakeries in Gujarat	1421
10290	उत्तर प्रदेश में बुलन्दशहर में नलकूप लगाने के विभाग द्वारा खरीद संबंधी जाली प्रविष्टियां	False Entries of purchases by Tubewell Installation Department, Bulandshahr, U.P.	1421-22
10292	खाद्यान्न का उत्पादन	Food Production	1422
10293	पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित लोगों को नई दिल्ली में कालकाजी कालोनी में भूमि का आवंटन	Allotment of land to East Pak. Displaced Persons in Kalkaji Colony, New Delhi	1422-23
10294	पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों का पश्चिम दिनाजपुर ज़िले में पुनर्वास।	Rehabilitation of East Pakistani Refugees in West Dinajpur Distt.	1423-24
10295	पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्ति	East Pakistan Displaced Persons	1424-25
10296	दिल्ली में दुकानों के खुलने और बन्द होने का समय	Shop hours in Delhi	1425
10297	कोयला खानों में श्रम विधियों का उल्लंघन	Violation of Labour Laws in Collieries	1426

अ० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
10298	दिल्ली में दुकानों तथा संस्थान अधिनियम का उल्लंघन	Violation of shops and Establishments Act in Delhi	1426
10299	सरकारी हिन्दी प्रशिक्षण कालेज, तिरूवनन्तपुरम को भेजा गया लिफाफा	Envelope sent to Government Hindi Training College, Tiruvanantpuram	1426-27
10300	जम्मू तथा कश्मीर में खाद्यान्नों के मूल्य ।	Prices of Foodgrains in Jammu and Kashmir	1427
10302	सोयाबीन का आयात	Import of Soyabean	1427-28
10303	एपीजे शिपिंग कम्पनी	Apeejay Shipping Co.	1428
10304	एपीजे शिपिंग कम्पनी	Apeejay Shipping Co.	1429
10305	एपीजे शिपिंग कम्पनी	Apeejay Shipping Co.	1429-30
10306	एपीजे शिपिंग कम्पनी	Apeejay Shipping Co.	1430-31
10307	एपीजे शिपिंग कम्पनी	Apeejay Shipping Co.	1431
10308	ग्राम्य प्रायोगिक केन्द्र योजनाएं	Rural Pilot Centres Schemes	1431-32
10309	भारत-नार्वे परियोजना के जलयान	Indo-Norwegian Project Vessels	1432
10310	उर्वरकों का विपणन और वितरण	Marketing and Distribution of Fertilizers	1432-33
10311	मछली डिम खोज दलों द्वारा सर्वेक्षण	Survey by Fish Spawn Prospecting Teams	1433
10312	खाद्यान्नों की वसूली के लक्ष्य	Procurement Levy Targets	1434
10313	निष्क्रांत सम्पति अभिरक्षक, बम्बई	Custodian of Evacuee Property, Bombay	1434-35
10314	बम्बई में गोदियों में पड़े उर्वरक	Fertilizers lying in Bombay Docks	1435
10315	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था	Indian Agricultural Research Institute	1435-36
10316	छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये मद्रास सरकार को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Madras State for Minor Irrigation Schemes	1436
10317	तमिलनाड (मद्रास राज्य) में टेलीफोन एक्सचेंज	Telephone Exchange in Tamil Nadu (Madras State)	1436-37

अ० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
10318	सहकारी समितियों में उर्वरकों का आवंटन	Allotment of Fertilizers to Co-operative Societies	1437-38
10319	भारतीय बस्तियां	Indian Enclaves	1438
10320	खानों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Mines	1438
10320-क	पश्चिम बंगाल में सरकारी खास भूमि	Government Khas Land in West Bengal	1439
10320-ख	हिन्दी में मंत्रालयों के वार्षिक प्रतिवेदन	Annual Reports of Ministries in Hindi	1439-40
10320-ग	कोचीन बन्दरगाह में जहाज खड़ा करने की सुविधाएं	Berth Facilities at Cochin Port	1440
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	1440-43
	पाकिस्तान द्वारा अमरीकी इलेक्ट्रानिक अड्डे का प्रयोग भारत में जासूसी के लिये किये जाना	Use of US electronic base by Pakistan for spying on India	1440-43
	सरकार द्वारा सभा में दिये गये वक्तव्य और कच्छ मामले पर न्यायालय में दायर किये गये शपथ-पत्र में अन्तरता के प्रश्न के बारे में विनिर्णय	Ruling *Re*. Question of Discrepancy Between Government Statement in the House and Affidavit filed in Court *Re*. Kutch Award	1443-45
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	1445-47
	विशेषाधिकार के बारे में प्रश्न	*Re*. Question of Privilege	1447-48, 1450-55
	राज्य सभा से सन्देश	Messages from Rajya Sabha	1448
	सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का छठा प्रतिवेदन	Committee on Absence of Members from Sittings of the House—Sixth Report	1449
	लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति का तीसरा प्रतिवेदन	Joint Committee on Office of Profit—Third Report	1449
	विधेयक प्रस्तुत किये गये :	Bills Introduced :	
	(1) लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक, 1968	Lokpal and Lokayuktas Bill, 1968	1449
	(2) सीमा सुरक्षा बल विधेयक, 1968	Border Security Force Bill, 1968	1450

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
(3) कीटनाशी विधेयक, 1967	Insecticides Bill, 1967	1456-63
खंड 2 से 38 और 1 को संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	Clauses 2 to 38 and 1 Motion to Pass, as amended	1456-63
केन्द्रीय विधियां (जम्मू तथा कश्मीर पर विस्तारण) विधेयक, 1967	Central Laws (Extension to Jammu and Kashmir) Bill, 1967	1463-67
अनुसूची और खंड 1 को संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	The Schedule and Clause 1 Motion to Pass, as amended	1464-67
सम्पदा शुल्क (संशोधन) विधेयक, 1968	Estate Duty (Amendment) Bill, 1967	1467-77
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri Krishan Chander Pant	1467
श्री श्रीनिवास मिश्र	Shri Srinibas Misra	1468
श्री रामचन्द्र अमीन	Shri Ramchandra Amin	1468
श्री तुलसी दास जाधव	Shri Tulsidas Jadhav	1468-69
श्री वेणी शंकर शर्मा	Shri Beni Shanker Sharma	1469-70
श्री विक्रम चन्द महाजन	Shri Vikram Chand Mahajan	1470-71
श्री तेन्नेटि विश्वनाथन	Shri Tenneti Viswanatham	1472
श्री जी० विश्वनाथन	Shri G. Viswanathan	1472-73
श्री दीवान चन्द शर्मा	Shri Dewan Chand Sharma	1473
श्री कमला मिश्र मधुकर	Shri Kamla Misra Madhukar	1473-74
खंड 2 और 1 को पारित करने का प्रस्ताव	Clause 2 & 1 Motion to pass	
सदस्य के निरोध के बारे में सूचना	Detention to Member	1474-78
श्री जार्ज फरनेंडीज़	Shri George Fernandes	
प्रदीप पत्तन न्यास (बोर्ड की बैठकों में प्रक्रिया) नियमों में संशोधन के बारे में प्रस्ताव	Motion *Re.* Amendment to Paradip Port Trust (Procedure at Board Meetings) Rules	1478-82
श्री श्रीनिवास मिश्र	Shri Srinibas Misra	1478-80
श्री क० पृ० सिह देव	Shri K. P. Singh Deo	1481
श्री तेन्नेटि विश्वनाथन	Shri Tenneti Viswanatham	1481
डा० वी० के० आर० वी० राव	Dr. V.K.R.V. Rao	1481-82

लोक-सभा

LOK SABHA

वृहस्पतिवार, 9 मई, 1968/19 वैशाख, 1890 (शक)

Thursday, May 9, 1968/Vaisakha 19, 1890 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker ***in the Chair***]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

किसानों को ऋण के लिये कृषि बैंक

1737. **श्री बणी शंकर शर्मा : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देवड़ी के जस्ता पिघलाने के कारखाने में तैयार किये जा रहे सुपर-फास्फेट को खरीदने के लिये किसानों को ऋण देने के लिये एक कृषि बैंक खोलने की वांछनीयता पर विचार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

खाद्य, तथा कृषि, मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब पी० शिन्दे) (क) और (ख) कृषकों को उर्वरक व सुपर-फासफेट खरीदने के लिये प्राथमिक सहकारी समितियों द्वारा कृषि ऋण जिला सहकारी बैंक व भारतीय रिज़र्व बैंक से उधार लेकर दिया जाता है । गैर-सदस्य कृषकों को उर्वरक राज्य सरकारों द्वारा अल्प-कालीन ऋण के रूप में दिया जाता है । ये व्यवस्थाएं केन्द्रीय सरकार द्वारा बीज आदि के खरीद, जमा व वितरण के लिये अल्पकालीन ऋण के रूप में पूरी की जाती हैं,

कृषकों को तकावी देने के लिये केन्द्र द्वारा ऋण भी दिये जाते हैं। राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर की गई विशेष प्रार्थना पर इस सहायता की स्वीकृति दी जाती है। केन्द्रीय बजट में राज्यों को अल्पकालीन ऋण देने के लिये कुल 105 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जिससे कि वे उर्वरक, खाद व बीज आदि की खरीद व बिक्री कर सकें।

देश में जो फास्फेटी उर्वरक का उत्पादन हो रहा है उसे केन्द्रीय उर्वरक पूल में नहीं रखा जा रहा है और उत्पादन जैसे कि देबारी के ज़िंक स्मलटर अपने उत्पादन को बेचने के लिये स्वतंत्र है। उत्पादन केन्द्रों में जमा हुए भंडारों को देखते हुए केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को एक परिपत्र जारी करके यह सलाह दी है कि वे आने वाली खरीफ फसल के लिये फास्फेटी उर्वरक को आवश्यकता के अनुसार जमा कर लें। तब से देबारी और दूसरी जगह जमा हुए भंडार का भार कम करने के लिये इसको भेजने में तेज़ी लाई जा रही है।

इस भंडार का थोक व फुटकर व्यापार को देखते हुए यह आशा की जाती है कि सहकारिता ऋण और साथ ही साथ किसानों को दी गई विशेष ऋण की सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होंगी। इस व्यवस्था में बाधा डालने अथवा उर्वरक ऋण देने के लिये कृषि बैंक खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

Shri B. S. Sharma ; The honourable Minister in his statement says,:—

"The indigenous production of Phosphatic fertilisers is not taken ores into the Central Fertiliser Pool and producers such as the Zinc at Debari, are free to market their produce as they like. In view of the accumulation of stocks at the production centres, the Central Government advised the states in a recent circular to build up their full requirements of Phosphatic fertilisers for the ensuring Khariff season".

Now on the one side black-marketing is going on due to shortage of Fertiliser and on the other hand it is not being taken in the Central Fertiliser Pool. And he is advising the States Government to build up the additional stocks which are lying their. I would like to ask from the Hon. Minister whether, the states have build up the fertiliser. If they have build up, then on what rates it is being sold to farmers. As far as I understand there is no shortage of Fertiliser in Udipur. It is reasonable that where the manure is produced, it should be made available to the farmers. What arrangements are being made by the Hon. Minister to provide manure to farmers.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं माननीय सदस्य और सदन को सूचना देना चाहता हूं कि इस समय उर्वरकों की कोई कमी नहीं है और वे आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं। अगर माननीय सदस्य उदयपुर के लिये उर्वरक की कुछ मात्रा चाहते हैं तो हम इसको वहां भेजने को तैयार हैं। जैसा कि मैंने कहा है कि वे आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं।

Shri B. S. Sharma ; According to the news in to-day's "The Statesman", we see that our Minister for Industries Shri Fakhruddin Ali Ahmad is visiting foreign countries and inviting foreigners to set up fertilisers factory. I would like to say that where we are inviting foreigners to set up factory, there in our own country, the Copper Project which is running at Khetri in Rajasthan will produce 600 tons sulphuric Acid daily as by product, which will produce nearly two lakhs ton super Phosphate. I would like to know why them is so delay in the operation of the factory and the time by which the fertiliser factory will start functioning.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : क्या माननीय सदस्य इस प्रश्न को पैट्रोलियम व रसायन मंत्रालय से पूछेंगे ?

श्री राजशेखरन : माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि देश में उर्वरक उपलब्ध हैं और किसान उनको बिना किसी दिक्कत के प्राप्त कर सकता है। परन्तु जैसा कि आप जानते हैं कि किसानों को यह समय पर नहीं मिल पाता है। इस बात को देखते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करने को तैयार हैं जिससे कि उर्वरक ग्राम स्तर तक प्रत्येक सहकारी भंडारों में जमा किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय : यह सामान्य प्रश्न है और देबरी ज़िन स्मेलटर में सुपर फास्फेट के उत्पादन से सम्बन्ध नहीं रखता है।

श्री उमानाथ : यह प्रश्न किसानों को ऋण दिये जाने के सम्बन्ध में है जिससे कि वे ये सब चीजें खरीद सकें। जहां तक ऋण का सम्बन्ध है, अगर यह कृषकों के गरीब वर्ग तक न पहुंचा तो हमारा ध्येय असफल हो जायेगा।

रिज़र्व बैंक द्वारा किये हुए प्रथम ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण से पता चलता है कि यह पूरी योजना असफल हो गई है। तदनन्तर फसल ऋण के लिये एक मार्गदर्शी योजना बनाई गई ताकि गरीब किसान उसको खरीद·····

अध्यक्ष महोदय : वे कोई दूसरी बात पूछ रहे हैं।

श्री उमानाथ : मैं ऋण के बारे में बात कर रहा हूं। अगर ऋण दिया गया तो यह गरीब किसानों तक पहुंचना चाहिये। रिज़र्व बैंक का यह भी कहना है कि यह गरीब किसानों तक न पहुंचे और ऋण के वसूल करने में उनका सम्बन्ध केवल अमीर ज़मींदार और साहूकारों से है। मैं इस बारे में जानना चाहूंगा कि सरकार ऐसे क्या ठोस कदम उठा रही है जिससे कि उर्वरकों के खरीद के लिये दिया गया ऋण गरीब किसानों तक पहुंच सके और कोई दूसरा इसको न ले सके।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : माननीय सदस्य का प्रश्न बहुत व्यापक हो गया है।

जहां तक कारखानों से उर्वरकों को उठाने का प्रश्न है, सरकार ने राज्य सरकारों को 105 करोड़ रुपये उधार दिये हैं ताकि राज्य सरकारें उर्वरकों को उठाने में समर्थ हो सकें।

दूसरे अगर सहकारी समितियां उर्वरकों को लेती हैं तो उर्वरकों के मूल्य का 90 प्रतिशत तक एपेक्स बैंक या रिज़र्व बैंक से पैसा वापिस मिल जाता है।

जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, यथा—कि यह गरीब किसानों तक पहुंच जाये, यह बहुत न्यायसंगत है। परन्तु फसल ऋण पद्धति इस बात का ध्यान रखती है।

सहकारी बैंक तथा ऋण समितियां

*1738. **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सहकारी बैंकों तथा ऋण समितियों की संख्या काफी कम हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस स्थिति को सुधारने तथा उनकी संख्या बढ़ाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) केन्द्रीय सहकारी बैंकों तथा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की संख्या में कमी हुई है। तथापि, केन्द्रीय एवं प्राथमिक भूमि विकास/बन्धक बैंकों की संख्या में वृद्धि हुई है।

(ख) व (ग) केन्द्रीय सहकारी बैंकों तथा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की संख्या में कमी, अलाभकारी यूनिटों को मिलाकर एक जीने योग्य सहकारी ऋण ढांचे को उन्नत करने हेतु सुनिश्चित नीति के कारण हुई है। भूमि विकास/बन्धक बैंकों की संख्या में वृद्धि का कारण यह है कि कुछ वर्ष पूर्व देश के अधिकांश भाग की ज़रूरतें ऐसे बैंकों द्वारा पूरी नहीं होती थीं और इसलिये अनेक नई यूनिटों को स्थापित करना पड़ा था।

Shri Raghuvir Singh Shastri : Whether it is a fact that 44 per cent of the working capital of the Co-operative Banks and loan societies upto 30 June 1966 was taken on loans. Whether it does not show that Co-operative Society and your Banks are not popular among people as no money has been recovered after such a long years.

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : ये आंकड़े यह बताते हैं कि 1962-63 के बाद इस पूंजी में वृद्धि हुई है। ऋण के लेन-देन में भी वृद्धि हुई है।

Shri Raghuvir Singh Shastri : The working of such a society should not be assessed on the number of loans that it has been giving but the amount of recovery of loans should also be taken into consideration. Is it a fact that 18·7 percentage of the loans which was given upto 30 June, 1966 is overdue and no recovery has been made.

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : यह सच है कि कुछ राज्यों में ठीक समय पर धन अदा न करने की स्थिति संतोषप्रद नहीं रही है और यह पिछले दो सालों से लगातार सूखे की स्थिति से हुई है। परन्तु हम ऐसे कदम उठा रहे हैं कि दूसरे राज्यों में, जहां तक सम्भव हो सके, धन ठीक समय पर अदा करने की स्थिति में सुधार लाया जाये।

Shri K. N. Tiwari : I would like to know how much loan is needed for agricultural purposes in the country and how much money is given through the bank and on what percentage they take money from the money lenders.

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है परन्तु मैं इसका उत्तर दे सकता हूं। हम ग्रामीण क्षेत्रों में 35 प्रतिशत तक ऋण की आवश्यकता को पूरा कर रहे हैं।

श्री क० न० तिवारी : ऐसी सूचना है कि 87 प्रतिशत किसान अभी तक साहूकारों से ऋण लेते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि किस प्रतिशत पर सरकार ऋण दे रही है।

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : ग्रामीणों की करीब 35 प्रतिशत ऋण की आवश्यकता सहकारी समितियों द्वारा पूरी की जाती हैं। इसमें सुधार की गुंजाइश है।

श्री रंगा : यह किसको और किस सूचना से प्राप्त हुई।

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : यह सत्य है ।

श्री प० गोपालन : क्या यह सत्य है कि हाल ही में परिगणित बैंकों द्वारा अधिकृत बैंक साख के शेअरों में काफी वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप सहकारी बैंक की गतिविधियों में कमी आई है । कभी-कभी तो इन सहकारी बैंकों को परिगणित बैंक में मिलने को मजबूर होना पड़ा अगर ऐसा है तो इसके मुख्य कारण क्या हैं । क्या यह सच नहीं है कि सरकार ने परिगणित बैंकों की प्रतियोगिता का सामना करने के लिये इन सहकारी बैंकों को संरक्षण नहीं दिया है । अगर ऐसा है तो सरकार परिगणित बैंकों की प्रतियोगिता का सामना करने के लिये सहकारी बैंकों को संरक्षण देने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है ।

श्री उमानाथ : यह सम्बन्धित है । माननीय सदस्य ने सहकारी समितियों और ऋण समितियों की संख्या में कमी होने का कारण बताया है और पूछा है कि क्या यह सत्य है, उसको उत्तर देने दीजिये । अगर वह इसके लिये समय चाहते हैं तो उनको कहने दीजिये ।

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : सहकारी समितियों की संख्या में कमी होने का कारण सरकार की अपनाई हुई नीति रही है । हम विभिन्न सहकारी समितियों को मिलाकर सक्षम समितियां बना रहे हैं । यही कारण है जिससे इनकी संख्या में कमी हुई है । जैसा कि प्रश्न में निहित है उसका ऐसा मतलब नहीं है बल्कि ऋण का लेन-देन बढ़ा है और साथ में शेअर पूंजी में भी वृद्धि हुई है ।

श्री क० ना० तिवारी : सहकारी समितियों को सक्षम बनाने के प्रयत्न में कई सक्षम समितियों को भंग कर दिया गया है और नई समितियां बनाई गई हैं, परन्तु जहां सक्षम समितियां कार्य कर रही थीं उनके स्थान में कुछ नहीं किया गया । सहकारी समिति सक्षम है या नहीं—इसको जानने के लिये क्या मापदण्ड थे ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : हमने कसौटी का परिपत्र जारी कर दिया है जिसके आधार पर इनको इकट्ठा किया जा सके, ये चार हैं—पहला, समितियों के अपने कार्यालय होने की सक्षमता होनी चाहिये; दूसरे, उनमें पूर्ण-कालिक वैतनिक सचिव को नियुक्त करने की योग्यता होनी चाहिये; तीसरे, उन्हें निश्चित दर पर संचित निधि में अंशदान देना चाहिये; और पूंजी पर उन्हें उचित प्रतिफल देने की भी योग्यता होनी चाहिये ।

श्री समर गुह : 1957 में पश्चिमी बंगाल में स्थापित पावरलूम जांच आयोग ने चौंकाने वाली बात का रहस्योद्घाटन किया है । ऐसा कहा गया है कि केन्द्रीय सरकार ने जो 50 लाख रुपया ऋण के रूप में दिया था, उसका दुरुपयोग किया गया । कल के 'हिन्दुस्तान स्टैन्डर्ड' में यह आया है—

> "दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान स्थापित की हुई पावरलूम सहकारी समितियां बड़ा बाजार में कुछ एजेंटों द्वारा चलाई गई समितियों के कारण समाप्त होने की स्थिति में हैं । ये सहकारी समितियों के एजेंट कई सालों से लाखों रुपये करों के रूप में देने से बच रहे हैं ।

सहकारी विभाग के कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी इस कांड में सम्मिलित हैं। केन्द्रीय सरकार ने इन सौ सहकारी समितियों के लिये 50 लाख रुपये की मंजूरी दी थी।"

अध्यक्ष महोदय : क्या अब वे इसको बन्द करेंगे या मैं दूसरे सदस्य को बुलाऊं।

श्री समर गुह : यह ऋण समितियों से सम्बन्धित है।

अध्यक्ष महोदय : श्री तुलसीदास जादव।

श्री समर गुह : यह व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्नकाल है और इसमें व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

श्री समर गुह : तब यह निवेदन का प्रश्न है और मुझे निवेदन कहने का अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय : अगर वह इस तरह समाचार-पत्र पढ़ने लग जायें तो मैं क्या कर सकता हूं।

श्री समर गुह : आप मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। यह प्रश्न स्पष्ट ही सहकारी बैंकों और ऋण समितियों से सम्बन्ध रखता है, मैं पश्चिमी बंगाल में पावरलूम सहकारी समितियों की कार्य-स्थिति के सम्बन्ध में प्रश्न पूछ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : जब भी मैं माननीय सदस्य से अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिये कहता हूं तो वे अखबार या कुछ और पढ़ने लग जाते हैं। मेरा घण्टी बजाने का कुछ असर नहीं होता। अगर वे सीधा अनुपूरक प्रश्न पूछते हैं तो मुझे इसमें प्रसन्नता है परन्तु वे ऐसा नहीं करते।

श्री समर गुह : क्या मैं कोई मिसाल पैदा कर रहा हूं। आप इस मामले में दूसरे सदस्यों के प्रति सहनशील रहे हैं जबकि उन्होंने लम्बे लेख पढ़कर सुनाये हैं। मैं कोई मिसाल थोड़े ही पैदा कर रहा हूं।

क्या यह सच है कि आयोग ने अपने प्रतिवेदन में यह बताया है कि केन्द्रीय सरकार ने पश्चिमी बंगाल सहकारी ऋण समितियों को जो 50 लाख रुपये दिये थे, उनका दुरुपयोग हुआ। अगर ऐसा है तो सरकार इस मामले में क्या कदम उठा रही है?

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत अच्छा है। किसी को इस पर आपत्ति नहीं होगी।

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : मुझे इसके लिये सूचना चाहिये।

श्री जगजीवन राम : हमें यह भी जांचना है कि संयुक्त मोर्चा सरकार ने इसके लिये क्या किया।

Shri Tulsidas Jadav ; Why the farmer is taking less loans from the Society. They are overburdened with several loans such as Tacavi Burding etc. and they have to repay these loans in lumpsum in a year. Not only this due to monopoly purchase their amount of loan is reduced. He has no capacity to repay the debt. Due to this the membership of the Society has been reduced. I would like to know what arrangements you have made so that he may purchase fertiliser etc. from the Society.

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : हम इस कार्य-पद्धति में सुधार कर रहे हैं ताकि किसानों को समितियों से ऋण जल्दी मिल सके । अगर वह आंकड़ों को देखें तो पाएंगे कि हमारी ऋण देने में वृद्धि हुई है । पिछले साल तक हमने 540 करोड़ रुपये तक अल्पकालीन व मध्यकालीन ऋण दिये हैं । इस साल यह 590 करोड़ रुपये तक बढ़ जायेगा । इस प्रकार माननीय सदस्य स्वयं यह अनुभव कर सकते हैं कि किसानों को ऋण देने के लिये यह समितियां अपना पूरा भरसक प्रयत्न कर रही हैं ।

श्री सम्बन्धन : माननीय सदस्य नें कहा है कि समय पर अदा न करने की स्थिति सन्तोष-प्रद नहीं है और उन्होंने इसके कारण भी बताये हैं । क्या सरकार को मालूम है कि समय पर अदा न करने की स्थिति बनामी ऋण विशेषकर कृषि ऋण के दुरुपयोग करने से हुई है ? अगर ऐसा है तो सरकार इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या कर रही है जिससे कि यह बनामी लेन-देन न हो सके ।

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : मैंने पहले ही कह दिया है कि ऋण वसूल करने की ज़िम्मेदारी राज्य सरकारों पर है । यह सत्य है कि कई राज्यों में समय पर अदा न करने की स्थिति सन्तोषप्रद नहीं है । हम राज्य-सरकारों को इस मामले में कदम उठाने के लिये कह रहे हैं ।

श्री अ० वि० पाटिल : केन्द्रीय जिला सहकारी बैंक और भूमि विकास बैंक किसानों को ऋण देने का पूरा प्रयत्न कर रही हैं । परन्तु यह ऋण अपर्याप्त है । यहां तक कि गुजरात, मैसूर, महाराष्ट्र और आंध्र में जहां सहकारी आन्दोलन ने अच्छी प्रगति की है, वहां ऋण देने की सुविधाएं अपर्याप्त हैं । इस सत्य को देखते हुए क्या यह वांछनीय या उचित है कि अनुसूचित बैंकों को कहा जाये कि वे किसानों को अधिक ऋण दें ताकि सहकारी बैंकों पर अधिक भार न पड़े ।

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : पिछले वर्ष भूमि विकास बैंकों ने 80 करोड़ का ऋण दिया और 1968-69 के दौरान इसको बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये कर देने का प्रस्ताव है । इसके अतिरिक्त हमने ज्वाइंट स्टाक और अनुसूचित बैंकों को भी कृषि लेन-देन में भी सहायता करने को कहा है ।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : मंत्री महोदय के लिये यह कहना ही पर्याप्त नहीं है कि संग्रह की ज़िम्मेवारी राज्य सरकारों पर है । समस्त सहकारी आन्दोलन, जिसमें सहकारी बैंक भी शामिल हैं, केन्द्र द्वारा संचालित और निर्दिष्ट हैं । अतएव क्या मैं जान सकता हूं कि विलंबित ऋण के शोधन के लिये पर्याप्त जमानत की व्यवस्था की गई है और अगर की गई है तो व्यवस्था किस प्रकार की है । केन्द्रीय सरकार के इस वसूली करने के लिये ज़मानत की व्यवस्था के प्रकाश में विभिन्न राज्य सरकारें क्या कदम उठा रही हैं । केन्द्रीय सरकार के विचार में पिछले विलंबित राशि के अशोध्य ऋणों का क्या प्रतिशत है ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : मुझे माननीय महोदय की भ्रांति को दूर करना चाहिये हम सहकारी आन्दोलन को नियंत्रित या निर्दिष्ट नहीं करते । यह कहना सही नहीं है कि केन्द्र सहकारी आन्दोलन में हस्तक्षेप करती है, परन्तु हम ऋण के वसूली करने में

रुचि लेते हैं। हमने राज्य सरकारों को आदेश दिये हैं। यह राज्य सरकार की ज़िम्मेवारी है कि वह ऋण को वसूल करे। राज्य सरकारों द्वारा इसके लिये कदम उठाये जा रहे हैं। दूसरा पक्ष ज़मानत का है। निश्चय ही जब ऋण दिया जाता है, तब ज़मानत ली जाती है। हाल ही में हमने किसानों को सहायता देने का तरीका बदला है। हम कहते आये हैं कि ऋण सहायता में उदारता बरतनी चाहिये, परन्तु इसका विलंबित ऋण की स्थिति से कोई सम्बन्ध नहीं है। विलंबित ऋण की स्थिति दूसरे अन्य कारणों से है। अगर माननीय सदस्य राज्य के अधिनियमों का अध्ययन करें तो उन्हें पता चल जायेगा कि अधिनियम के अन्तर्गत विलंबित ऋण के संग्रह के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : उत्तर पूरा नहीं है। ज़मानतों की व्यवस्था के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं जिससे कि विलंबित ऋण संग्रह किया जा सके।

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : मैं राज्य-सरकारों का ध्यान इस मामले की ओर दिलाऊंगा।

श्री न० ता० दाल : अल्पकालीन और दीर्घकालीन ऋण देने की न्यूनतम राशियां क्या हैं?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : यह राशि किसानों की आवश्यकता से सम्बन्धित है और यह प्रति एकड़ फसल और उत्पादन पर आधारित है। यह भिन्न-भिन्न स्थानों में भिन्न-भिन्न है।

Shri Bhogendra Jha : May I know whether the Government have the knowledge that the loans given by the Co-operative Societies are granted only to landholders. The landless and those who have got less lands are not granted loans and the landholders after taking loans from the Co-operative Societies do money lending in the villages by taking illegal interest. If so whether the Government make it compulsory to set up different Co-cperative Societies of landless, those who have got less lands, and farm labourers in Panchayats throughout India and loans may be granted to them. I would like to inform you that the proportion of realisation of loans given to landless and farm labourers in Bihar last year is more in comparison with the landholders.

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : यह ऋण-पद्धति जो हमने चलाई है, स्वयं इसका ध्यान रखेगी। यहां तक कि किसान भी सहकारी समितियों से ऋण ले सकते हैं।

Shri Sheo Narain : When we deposit money in the bank, we get four or four and an half percent of interest but we have to given nine per cent. The Hon. Minister may clarify why there is so difference.

Shri Bhogendra Jha : Mr. Speaker, I asked about landless peasants.

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : हमने भूमिहीन किसानों को ज़मीन देने की सहकारी कृषि की योजना चलाई है। हम भूमि हीन को ज़मीन नहीं दे रहे हैं जब तक कि वे कृषक ...... (व्यवधान)

श्री जगजीवन राम : ऐसे लोगों को भी ऋण देने की व्यवस्था है जिनके पास सहकारी बैंकों में बन्धक के रूप में रखने के लिये कोई सम्पत्ति नहीं है और इनको साधारण बोल-चाल में ऋण देने योग्य नहीं समझा जाता। उन्हें ऋण तभी मिल सकता है जब सहकारी बैंक के दो सदस्य उनकी ज़मानत दें।

Committee on Cow Protection

+

*1739. **Shri Nihal Singh :**
Shri Ram Avtar Sharma :
Shri Ram Gopal Shalwala :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Jagatguru Shankaracharya, a Member of Goraksha Samiti, appointed by Government, has recently levelled a charge against Government in his speech that it has adopted an obstinate attitude on the national issue of cow-protection by ignoring the sentiments of Hindus;

(b) whether it is a fact that he has also threatened to start cow protection campaign again;

(c) whether it is also a fact that some deadlock has arisen in the working of the said Samiti; and

(d) if so, the reaction of Governement thereto ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) तथा (ख). सरकार को जगतगुरु शंकराचार्य से कोई ऐसा पत्र नहीं मिला है जिसमें यह आरोप लगाया गया हो कि गोरक्षा के प्रश्न पर सरकार ने हठधर्मी का रवैया अपनाया हुआ है। प्रेस के एक अनुभाग ने जगतगुरु शंकराचार्य का भाषण प्रकाशित किया जिसमें कुछ परिस्थितियों के अन्तर्गत आन्दोलन शुरू करना अभिप्रेत है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।

Shri Nihal Singh : Whether it is a fact that the number of Cow-slaughtering has been increased in India since first five year plan. If so, their how much.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : गायों की संख्या में वृद्धि हुई है। मैं इस प्रश्न को नहीं समझ सका हूं।

श्री बलराज मधोक : क्या वध की हुई गायों की संख्या में वृद्धि हुई है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

Shri Nihal Singh : Whether it is fa ct that the fashion of beef-eating has been increased If so, what strong measures are being taken by the Government to stop it.

The Minister of Food and Agriculture (Shri Jagjivan Ram) : These figures may be available with the Hon. member we have no such.

Shri Ram Gopal Shalwale : Before independence Gandhiji and Congress leaders had included Cow-protection in their Proclamations, but after the independence they gave assurances to ban the Cow-slaughter legally but till now this national question is being put-off. The Committee appointed by the Government, are taking evidences from such people who support the policy of Government and are in favour of continuance the cow-slaughter. Whether it is a fact that a member of the Committee Jagat guru Shankaracharya has tendered resignation and a n.n iip ing for the Anti-cow slaughter movement the month of December. Alsogaan w slaughter Committee has announced to recrui one lakh volunteers on the occasi o f Kumbh of Haridwar.

Shri Jagjivan Ram : No such information is available with us.

Shri Sheo Narain : I would like to know from the Government when they will implement complete anti-cow slaughter Act. Whether they will collect the figures after investigating the number of senior leaders who keep cows.

Mr. Speaker : Shri Ram Sewak Yadav.

Shri Ram Sewak Yadav : I want to know how many states have banned cow-slaughter and how many have not. Whether any steps have been taken in this direction in those states where non-Congress Governments were in power particularly in those states where Jan Sangh was the main party in the Coalition Government.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जहां तक वास्तविक स्थिति का प्रश्न है, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जम्मू व कश्मीर और हरियाणा ने पहिले ही गोवध पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा रखा है। आंध्र प्रदेश (तेलंगाना जिले में) आसाम, महाराष्ट्र, मद्रास और पश्चिमी बंगाल में बछड़े और उपयोगी गायों पर आंशिक प्रतिबन्ध लागू किया हुआ है। केन्द्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली, चण्डीगढ़, दादरा व नागर हवेली, अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह में पूर्ण गोवध प्रतिबंध लागू है, जबकि गोवा, केरल, पश्चिमी बंगाल और मद्रास सरकार ने गोवध पर अपने-अपने भिन्न मत दिये हैं।

श्री ब० ना० कुरील : क्या गौ-रक्षा समिति ने अपनी अंतरिम प्रतिवेदन पेश कर दी है, अगर हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : कोई अंतरिम प्रतिवेदन पेश नहीं किया गया है।

Shri Yaswant Singh Kushwah : How much time has been given to the Committee, which was formed by the Government for Cow-protection, to submit its report. How many meetings have taken place and how far the Committee has done its work.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : शुरू में निर्धारित समय 6 महीने रखा गया था। चूंकि समिति ने कुछ अधिक समय लिया है तो समय अवधि बढ़ा कर 28 जून, 1968 तक कर दी गई। परन्तु जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, हम समिति के कार्य में दखल नहीं देना चाहते। उन्हें जितना जल्दी सम्भव हो सके, अपनी रिपोर्ट पूरी करनी चाहिये और हम इसका स्वागत करेंगे।

Shri Sayyad Ali : I would like to know from the Hon. Minister how many members of Beef-eaters Community such as Muslims, Christians, some Harijans have been taken in the Cow-protection Committee. If no one has been included then why it is so and whether you want to appoint some members in the Committee.

The second question.

Shri B. N. Kureel : Mr. Speaker, I have objection Harijan does not eat beef.

Shri Sayyad Ali : Whether members of those communities who deal in leather have been included in this Committee or not. If not, do you want to include them now.

The third question—Shri Jain has written in the Lok Sabha a Marathi daily of Bombay dated 7th April 1968 that Shri Shankaracharya has indicated that if anyone proves that beef-eating was in practice during the Vedic period then I will stop this agitation. Whether the attention of Minister has been drawn towards this fact.

Shri Jagjiwan Ram : We have not included the members of the Committee by asking who is the beef-eater and who is not. If any gentleman agree with us that before inclusion the members in the Committee we may ask who is the beef-eater and who is not, then we will include them. In this twentieth centuary such thing is out of sense. We have not included members taking into consideration such attitude.

There are dissenting views on this fact whether beef was eaten in Vedic period or not. Some people think that it was eaten and was regarded delicious.

Shri Ram Gopal Shalwale : It is totally wrong.

Shri Jagjiwan Ram : Please, hear; whether it is wrong or right, I am not giving my opinion. I am giving the opinion that there are different views regarding this. Some are of the opinion that it was eaten and the flesh of calf was regarded delicious. (*Interruption*)

Shri Hardayal Devgun : It is totally wrong. (*Interruption*)

Shri Jagjiwan Ram : It was eaten.

श्री कंवर लाल गुप्त : यह आपत्तिजनक है, उनको यह वापिस ले लेना चाहिए, उनको यह वापिस लेना ही पड़ेगा।

Shri Ram Gopal Shalwale : That the beef was eaten is the opinion of people like you.

Shri Hardayal Devgun : It is wrong. We do not want to hear it.

Shri Kanwar Lal Gupta : It is objectionable. He should withdraw it.

Shri Shashibhushan Bajpai : It is written in the Vedas that people used to eat it.

Shri Ram Gopal Shalwale : Mr. Speaker, this is an attempt to insult the mother of forty crores Hindus. We do not want to hear it. (*Interruption*). You withdraw these words.

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। मैं माननीय शालवाले सहित सबको बैठ जाने को कहता हूं। मैं केवल कार्यवाही को व्यवस्थित करना चाहता हूं। मैं एक-एक करके बुलाऊंगा ताकि दस सदस्यों को खड़े होकर चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होगी।

श्री कंवर लाल गुप्त : सभापति महोदय, यह औचित्य का प्रश्न है (**व्यवधान**)।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न काल में कोई औचित्य का प्रश्न नहीं है। मैं सब सदस्यों को बैठ जाने का अनुरोध करता हूं।

Shri Bal Raj Madhok : Mr. Speaker, It is a matter of request that attempt is being made to put a communal colour on this question. It is wrong to ask such a question that who used to eat beef and who did not.

The issue of cow is an economic question of this country. It relates to the sentiments and unity of the country. As far as the Vedic period is concerned I think the minister has stated that he did not know. But some people are deliberately discussing it. I challenge that it is wrong. You can see some Vedic scholars and determine it. I want to say that it is totally wrong. (*Interruption*)

Shri Jagjiwan Ram : I can also challenge (*Interruption*)

Shri Madhu Limaye : I have a request. Shri Jagjiwan Ram and Shri Balraj Madhok may be asked to study Bhavbhuti's *Uttar Ramcharit*. They will get everything.

Shri Kanwar Lal Gupta : It is wrong. He should withdraw these words. He has misled the country and behaved like a traitor.

Mr. Speaker : Nothing is wrong.

उन्हें अपने विचार रखने का अधिकार है जैसा कि आपको है ।

श्री नी० श्रीकान्तन नायर : हम चाहें तो हमें गो मांस खाने का अधिकार है ।

Shri Shashibhushan Bajpai : It is a election stunt. It will not take place here. These people have made it a profession. They are enemies of the Hindus.

Shri Kanwar Lal Gupta : Mr. Speaker. He should withdraw these words. He has given his wrong statement.

अध्यक्ष महोदय : वापिस लेने की कोई बात नहीं है । मैंने अपना निर्णय दे दिया है, आप अपने अनुसार मुझे और मंत्री जी को चलाना चाहते हैं । मैं आपकी बात सुनने के लिये तैयार नहीं हूं । सभा में मतभेद है । वापिस लेने की कोई बात नहीं है ।

Shri Kanwar Lal Gupta : Mr. Speaker, it is the question of the sentiments of the people. The sentiments of the people cannot be ignored in this way. You cannot crush the sentiments of the people. I demand that Shri Jagjiwan Ram give resignation and fight election on this issue. ***(Interruption)***

अध्यक्ष महोदय : मैं आप सबको बैठ जाने के लिये प्रार्थना करता हूं ।

Shri Kanwar Lal Gupta : The Hon. Minister withdraw these words. It has hurt the sentiments of crores of People.

अध्यक्ष महोदय : मैं इससे सहमति के लिये तैयार नहीं हूं, क्योंकि आप किसी से यह चाहते हैं कि वे अपने शब्दों को वापिस ले ले । आपके अपने विचार हैं, परन्तु सदन में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इससे सहमत नहीं हैं **(व्यवधान)** हमें गुस्सा नहीं करना चाहिये । नहीं तो मुझे सदन स्थगित करना पड़ेगा । यह आखिरी दिन है, क्योंकि आप सहमत नहीं हैं, इसलिये सब आपका अनुकरण करें, आप मुझे यह नहीं करने को कह सकते ।

श्री बलराज मधोक : मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वे यह कहें कि इस पर भिन्न-भिन्न विचार हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस धमकी के कारण मंत्री महोदय को कुछ कहने के लिये नहीं कहूंगा । पहले वे सब बैठ जायें, केवल एक दिन बचा है और सदन इस पर विभाजित है **(व्यवधान)** । इस पर भिन्न-भिन्न विचार हैं और मैं माननीय सदस्य से उत्तेजित न होने के लिये कहूंगा । अगर प्रश्न पूछा जाता है तो मंत्री महोदय इसका उत्तर देंगे । हर एक को मौका दिया जायेगा ।

Shri Kanwar Lal Gupta : The Hon. Minister has stated at the last that beef was eaten in Vedic period. ***(Interruption)*** He said that there are two opinions, and after that he said that beef was eaten. ***(Interruption)***

I want to say to the Hon. Minister that a opinion has been formed in the country against this committee that it is not impartial and this Government want that slaughtering of cow may continue. ***(Interruption)*** I would like to ask from the Hon. Minister that taking into consideration the sentiments of the crores of people—leaving besides the Committee—the slaughtering of cow will be banned legally in the country.

Secondly that is it not the opinion of the Government that beef was eaten in Vedic period. The Hon. Minister may also clarify this.

श्री जगजीवन राम : मैं इस बात को दोहराता हूं कि यह मैंने कहा है । मेरे से प्रश्न यह पूछा गया था कि क्या वैदिक काल में गो मांस खाया जाता था, मैंने जो उत्तर दिया, उस पर मैं कायम हूं । कुछ लोगों का विचार है कि वैदिक काल में गो मांस स्वादिष्ट माना जाता था । कुछ लोगों का विचार है कि गो मांस नहीं खाया जाता था और यह वर्जित था । मैंने अपने विचार प्रकट नहीं किये हैं । मैं फिर से कहता हूं कि इस पर भिन्न-भिन्न विचार हैं । वेदों पर खोजबीन करने वाले विद्वानों के एक प्रभावशाली वर्ग का कथन है कि वैदिक काल में गो मांस खाया जाता था और इसको स्वादिष्ट समझा जाता था । मैं इस पर कायम हूं, जैसा कि मैंने कहा है कि मैंने इस विषय पर अपने विचार प्रकट नहीं किये हैं । मैं यह दावा नहीं करता कि मैं वैदिक साहित्य का विद्वान हूं जैसा कि दूसरे मित्र ऐसा होने का दावा करते हैं । **(व्यवधान)**

श्री नी० श्रीकान्तन नायर : क्या मैं जान सकता हूं कि उन हिंदुओं के हितों की सरकार द्वारा रक्षा की जायेगी जो गो मांस खाना चाहते हैं, जो यह समझते हैं कि मनुष्य का जीवन चौपाओं से अधिक मूल्यवान है और गरीब लोगों के लिये गो मांस सस्ता और पौष्टिक भोजन है ।

श्री उमानाथ : अब आप उन्हें प्रश्न करने दे रहे हैं । आपको दूसरों को भी प्रश्न करने की अनुमति देनी चाहिये, नहीं तो यह उचित नहीं होगा ।

अध्यक्ष महोदय : मैं एक-एक करके अनुमति दूंगा ।

श्री नी० श्रीकान्तन नायर : मैं अपने प्रश्न का उत्तर चाहता हूं । (व्यवधान)

श्री एस० कन्डप्पन : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार को देश के अन्य भागों में, खासकर भारत के दक्षिण भाग में व्याप्त भावना का ज्ञान है, जहां कि उत्तरी भारत में रह रहे लोगों की भांति अधिकांश हिन्दु हैं, परन्तु वे इसे अन्धश्रद्धा का सिद्धान्त नहीं बना रहे हैं । और उनमें से अधिकांश खासकर देश के मेरे भाग में, जहां अनुसूचित जाति हैं, अभी भी काफी सीमा तक पौष्टिक भोजन के लिए गाय और दूसरे जानवरों पर निर्भर हैं । मुझे भय है कि अगर इस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया गया तो लोगों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा । मैं सरकार से उत्तर चाहता हूं कि क्या वह इस मामले के महत्वपूर्ण पक्ष पर विचार कर रही है ।

श्री सी० दास : केवल अनुसूचित जाति ही क्यों । दूसरे उच्च वर्ग के लोग भी गो मांस खाते हैं ।

श्री एस० कन्डप्पन : मैं केवल तथ्य प्रस्तुत कर रहा हूं इसके पीछे मेरा कोई आशय नहीं है ।

श्री जगजीवन राम : इस वर्त्तमान समय में केवल गो मांस खाना अनुसूचित जाति का एकाधिकार नहीं है । उच्च वर्ग में भी कई लोग इसको खाते हैं । परन्तु मैं सरकार के विचार नहीं प्रकट कर रहा हूं । हमने एक उच्च-स्तरीय समिति बिठाई है, और मुझे विश्वास है कि अपनी सिफारिशों को प्रस्तुत करते समय वह इन सब बातों को देखेगी ।

श्री एस० कन्डप्पन : जो लोग गो मांस चाहते हैं उनके हितों की रक्षा का क्या होगा ?

श्री ई० के० नायनार : श्रीमान् केरल सरकार ने गो हत्या बन्द नहीं की है और भविष्य में भी इसे बन्द करने का उनका विचार नहीं है, क्योंकि हमारा राज्य धर्म पर आधारित नहीं है और यह धर्म निरपेक्ष राज्य है। 1957 में भारत सरकार ने एक समिति की रिपोर्ट को अपनाया था, यदि हम इस प्रश्न को धार्मिक दृष्टि से देखें तो हम चूहों, सांपों, बन्दरों तथा अन्य जानवरों को भी नहीं मार सकते।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय कहेंगे "सब चूहों को मार दो।"

श्री ई० के० नायनार : राष्ट्र को ध्यान में रखते हुए मैं सरकार को 1957 की खाद्यान्न जांच समिति की रिपोर्ट की याद दिलाऊंगा। श्री अशोक मेहता उस समिति के सभापति थे। उस रिपोर्ट के पेज 116 में पशुओं की समस्या के विषय में उन्होंने कहा है :—

"भारत में पशुओं की समस्या अभी भी वैसी ही अबोधगम्य है जैसी पहले थी, अनुपयोगी भटकने वाले, उपेक्षित जानवरों की संख्या भयानक दर से बढ़ती जा रही है। अनुपयोगी और अनुत्पादक पशुओं की कुल संख्या भारत में 16 मिलियन है। निसन्देह पशुओं की यह बड़ी संख्या देश के कृषि उत्पादन के लिए हानिकर है। इसके अतिरिक्त, यह भूमि कटाव सम्बन्धी समस्या को भी बढ़ावा देती है। वस्तुतः देश के कई भागों में पहले ही मनुष्यों और पशुओं के बीच कृषि की उपज से जीवन निर्वाह करने के सम्बन्ध में बड़ी प्रतियोगिता चल रही है। सरकार को समस्या की इस गंभीरता को स्वीकार करना चाहिये और ऐसे पशुओं की संख्या को घटाने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिएं।"

मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस रिपोर्ट को गम्भीरतापूर्वक लेगी और इस प्रश्न पर धार्मिक दृष्टि से विचार न कर राष्ट्रीय दृष्टि से विचार करेगी ?

श्री जगजीवन राम : माननीय सदस्य को जानना चाहिये कि इसके लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति है और यह सब मामला उसके सामने होगा। इन सब बातों पर विचार करने के उपरान्त वह समिति अपनी सिफारिशें पेश करेगी कि किस प्रकार जर्जरित तथा बूढ़े पशुओं की रक्षा की जाय।

अध्यक्ष महोदय : हम इस प्रश्न पर 40 मिनट खर्च कर चुके हैं। सभा में पहले ही उत्तेजना है और एक या दो अनुपूरक सभा के लिए सहायक नहीं होंगे। अब हमें अगले प्रश्न पर विचार करना चाहिए।

अनुसूचित जन-जातियों के लिये निर्वाचनक्षेत्रों से गैर-अनुसूचित जन-जातियों के लोगों का निर्वाचन

*1740. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि 1962 के साधारण निर्वाचनों में क्रमशः बिहार तथा पश्चिम बंगाल विधान सभाओं के लिए बेरो विधानसभाई निर्वाचन क्षेत्र से जो अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षित है एक भारतीय ईसाई तथा मदारीहाट विधानसभाई निर्वाचन क्षेत्र से जो अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षित है केरल के एक आंग्ल-भारतीय चुने गए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अनियमितताओं के इन दो मामलों की पूर्णरूपेण जांच का आदेश देने तथा सम्बन्धित पक्षों तथा उनके दलों के नेताओं के विरुद्ध कार्यवाही करने का है जिन्होंने उनका परिचय होते हुए भी उन्हें अनुसूचित जन-जातियों के लोगों के लिए आरक्षित स्थानों से निर्वाचन लड़ने के लिए टिकट दिए थे; और

(ग) क्या सरकार का विचार उन अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने का का है जिन्होंने उन्हें जन-जाति के व्यक्ति होने के प्रमाणपत्र दिए थे ?

विधि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मु० यूनस सलीम) : (क) आवश्यक जानकारी बिहार राज्य और पश्चिम बंगाल राज्य की सरकारों से मंगाई गई है।

(ख) और (ग). इस समय प्रश्न ही नहीं उठते।

श्री कार्तिक उरांव : मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सरकार की जानकारी में है कि 1911 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार जन जातियों को हिन्दुओं, मुसलमानों, बौद्धों, सिक्खों, इसाइयों तथा अन्य जातियों से पृथक मानव जाति बताया गया था; कि भारत सरकार के सन् 1935 के अधिनियम के अनुसार जन जातियों को पिछड़ी जनजाति कहा गया था और उनमें से जो परिवर्तित हो गये थे उनको जन जाति भारतीय इसाइयों के बिना अपवाद स्वरूप भारतीय इसाई कहा गया था; कि भारत सरकार के अनुसूचित जाति आदेश 1936 के अनुसार अनुसूचित जातियों में सभी प्रकार की जन-जातियां सम्मिलित हो जाती हैं केवल इस अपवाद के कि कोई भी भारतीय इसाई अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं समझा जायेगा, कि बंगाल के सम्बन्ध में कोई भी व्यक्ति जिसने बौद्ध धर्म का प्रचार किया अथवा जनजाति-धर्म का प्रचार किया है, विशेषकर जन जाति धर्म का प्रचार किया हो उसे अनुसूचित जाति का सदस्य समझा जायेगा; कि आसाम में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार इस सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं है कि भारतीय इसाई जो स्वरूप उनका था उससे कोई भिन्न स्वरूप रख रहे हैं क्योंकि इसमें कोई विशेष उल्लेख नहीं है कि भारत सरकार के अधिनियम 1935 के उपबन्ध समाप्त हो जायेंगे। इस प्रकार इससे प्रकाशित होता है कि वर्तमान संविधान भारत सरकार के अधिनियम 1935 का प्रक्षेपण है।

अध्यक्ष महोदय : हम संविधान की बात पर नहीं जाना चाहते, यदि वे अपना प्रश्न नहीं पूछते हैं तो मैं अगले प्रश्न पर चल पड़ूंगा।

श्री कार्तिक उरांव : मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या उनके पास कोई सरकारी अधिसूचना है अथवा कोई सरकारी आदेश है जिसका आशय यह सुझाव देना है कि भारतीय इसाइयों के लिए जो विशेषाधिकार हैं उनके समाप्त होने के उपरान्त वे अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जन-जातियों में मिला दिये जायेंगे, यदि नहीं, तो मैं जानना चाहता हूं कि सरकार किस प्रकार इस अतिनिन्द्य शोषण को रोकना चाहती है ?

श्री मु० यूनस सलीम : श्रीमन् इस विषय से ऐसा प्रश्न नहीं उत्पन्न होता।

श्री कार्तिक उरांव : मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या यह उनकी जानकारी में है कि जन जाति के लोग 90 प्रतिशत हैं और जन जाति से परिवर्तित हुए लोगों की संख्या जन जाति की कुल जनसंख्या का केवल 10 प्रतिशत है और ये जन जाति के इसाई लोग

मैंट्रीक्युलेशन छात्रवृत्तियां, सरकारी नौकरी, विदेशों में अध्ययन हेतु छात्रवृत्तियां आदि संविधान में गारन्टी प्राप्त सरकारी विशेषाधिकारों का जनसंख्या के प्रतिलोम अनुपात में उपयोग कर रहे हैं।

श्री मु० यूनस सलीम : यह भी असंगत प्रश्न है। प्रश्न का क्षेत्र बहुत सीमित है। मैंने कहा था कि जहां तक इस विशेष प्रश्न का सम्बन्ध है हम सम्बन्धित सरकारों से रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं और रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात् यदि आवश्यक हुआ तो कार्यवाही की जायेगी।

Shri Prakash Vir Shastri : Whether it is a fact that Government have decided to help the tribes ? The tribal people who are educationally, economically and socially backward are not being benefited by the assistance given by the Government. But it is seen that the tribal convert christians who have secured a higher status in respect of education, economically and socially are only being benefited by the assistance given by the Government. The economically backward tribes are not getting the benefits out of the assistance given by the Government. I would like to know whether Government are considering to make any difference in between these two classes so that the tribes who actually deserve this help should get this assistance given by the Government and the Tribal convert Christians should not get this facility ?

Shri M. Yunus Saleem : No such scheme has been brought before the Government, so far. If the hon. member will bring any such scheme before us......

Shri Prakash Vir Shastri : Such schemes have been brought before the House many times.

Shri M. Yunus Saleem : This question has been asked in this respect that some such persons have fought elections from the Bengal and Bihar reserved constituencies who had become Christians. The question asked by the hon. member is inconsistence with the original question. But if he wants to ask any question in this respect he should give a notice, I will reply to that.

Shri Mrityunjay Prasad : I want to know clearly that to find out whether a man is tribal or not whether male ancestors are taken into account or female ancestors because the opinion of my friend seems that their mothers were definitely tribal but fathers were perhaps not tribal ?

Shri M. Yunus Saleem : This question does not relate to Law Ministry. This comes under the perview of social welfare whether one may be included in scheduled castes or not.

श्री बलराज मधोक : जब कुछ पद और निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित किये गये थे तो विचार यह था कि समाज के वे वर्ग जो पिछड़े हुए हैं उनको उपर उठने के लिए कुछ रियायत और सुविधाएं दी जानी चाहिएं। अब उनमें से जो लोग अधिक उन्नत हैं, जो धर्म परिवर्तन करके इसाई बन गये हैं और जो अच्छी स्थिति में हैं वे उन लाभों अथवा सुविधाओं का फायदा उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं जो वास्तव में पिछड़े हुए लोगों के लिए थे। चाहे यह बात मुख्य प्रश्न से उत्पन्न हो रही है अथवा नहीं, मैं विधि मंत्रालय का मत जानना चाहता हूं कि क्या उन लोगों को जो धर्म परिवर्तन कर चुके हैं अथवा आंग्ल-भारतीय हैं अथवा जो उन्नत हैं उन विशेष सुविधाओं से लाभ उठाने देने की अनुमति देना आरक्षण कानून की भावना

के विरुद्ध नहीं है जो कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिये हैं यदि हां, तो क्या वे इसे भविष्य में रोकने का प्रयत्न करेंगे ?

श्री मु० यूनस सलीम : इस विषय पर सरकार यथोचित विचार करेगी।

Shri Shashibhushan Bajpai : I would like to know whether the social conditions of the poor people change who alter their religion ? When a Hindu converts himself to a Sikh he is given all the rights but if he converts himself to a Buddhist or Christian he is not given all these rights. I want to say that the states of the scheduled castes should remain the same after they convert themselves as they have generally.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो गया है। मुझे विश्वास है कि कल सभा स्थगित हो जायेगी।

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

Delhi High Court Bar Room

+

S.N.Q. No. 34 **Shri Kanwar Lal Gupta :**
Shri Jyotirmoy Basu :
Shri A. Srudharan :

Will the Minister of Works, Housing and Supply be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Delhi High Court Bar Room is housed in a dangerous building;

(b) whether it is also a fact that a part of the ceiling fell on the 1st May, 1968; and

(c) if so, the steps which Government propose to take in this regard ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां। 1 मई, 1968 को अपराह्न लगभग 4.30 बजे 3–4" की मोटाई का 6 वर्ग फुट का छत का प्लास्तर वकीलों के कमरे (बार रूम) में गिरा था।

(ग) जब तक ट्रावनकोर हाउस की मरम्मत नहीं हो जाती, दिल्ली उच्च न्यायालय को पटियाला हाउस में अस्थाई रूप से वास आवंटित कर दिया गया है।

Shri Kanwar Lal Gupta : Whether it is a fact that some engineers came after the ceiling fell and they declared that place dangerous. In this connection the advocates and the judges passed a resolution that they will not remain in this building because it is dangerous ? If it is so, why the Government did not take such a step before the giving away of the ceiling of the Court ?

श्री जगन्नाथ राव : श्रीमान् छत नहीं गिरी थी। यह केवल पलस्तर था जो गिरा था, सी० पी० डब्ल्यू० डी० के इंजीनियरों ने भी यह नहीं कहा कि भवन खतरनाक है। उन्होंने केवल यह कहा था कि कुछ मरम्मत करनी पड़ेगी—पलस्तर हटा दीजिये। और नया पलस्तर कीजिये। इसमें कोई विलम्ब नहीं किया गया। जब मार्च में यह प्रश्न उठाया गया था तब उस समय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के साथ मेरी

एक बैठक हुई थी और हम इस न्यायालय को स्थाई रूप से किसी उपयुक्त दूसरे भवन में ले जाने के बारे में सोच रहे थे । स्वाभाविक रूप से, इसमें कुछ समय लग गया और हमारे निर्णय लेने तक एक और पलस्तर गिर गया। इसलिये मुझे तुरन्त ही सरकार के अन्य विभागों से परामर्श करना पड़ा और हमने पटियाला हाउस उच्च न्यायालय के उपयोग के लिए दे दिया।

Shri Kanwar Lal Gupta : I would like to know where the permanent building of the High Court is being constructed, what will be its cost and when it will be completed ?

श्री जगन्नाथ राव : दिल्ली उच्च न्यायालय की नई इमारत भगवानदास रोड पर बनेगी। यह दिल्ली प्रशासन के अधिकार में है । हमने उनको लिखा है और नई इमारत के प्राक्कलन के बारे में हमने उनको याद दिलाया है। क्योंकि उनको प्राक्कलन तैयार करने हैं अतः हम उनको इसे करने के लिए कह रहे हैं । निर्माण कार्य दिल्ली प्रशासन द्वारा किया जायेगा। इसकी लागत लगभग 68 लाख रुपये है।

श्री विक्रम चन्द महाजन : क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायालय में बहुत सारे मामले बिना निपटाये पड़े हैं .....

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न उच्च न्यायालय के लिए इमारत बनाने के बारे में है।

श्री विक्रम चन्द महाजन : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह ध्वस्त इमारत इसलिये जानबूझ कर दी गयी थी कि वकीलों बिना निबटाये पड़े मामलों तथा वादकारियों से एक साथ छुटकारा मिल जाय।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

नर्मदा नदी-क्षेत्र की भूमि में खेती

1741 **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :**
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री नाथू राम अहिरवार :

क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी-क्षेत्र में कितने एकड़ भूमि पर खेती होती है

(ख) गत पन्द्रह वर्षों में मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी-क्षेत्र में कितने प्रतिशत अधिक भूमि में फसलें बोई गई हैं और,

(ग) गत पन्द्रह वर्षों में सारे देश में कितने प्रतिशत अधिक क्षेत्र में फसलें बोई गई हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खोसला समिति को उपलब्ध की गई जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी-क्षेत्र का कृषिगत क्षेत्र 82·2 लाख एकड़ था ।

(ख) वार्षिक बुवाई सम्बन्धी नदी तट का क्षेत्रवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है और

(ग) 1964-65 में समाप्त होने वाले 15 वर्षों में, जिनके बारे में भूमि उपयोग दित्ता उपलब्ध है, सारे बोये गये क्षेत्र में वार्षिक औसतन वढ़ोत्तरी 1.4 प्रतिशत है।

Mid-Term Election

***1742. Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that mid-term elections will be held in many parts of the country during this year;

(b) if so, whether the next General Elections in 1972 would also be held in the said parts at that time; and

(c) if not, whether the General Elections in the said parts would be held five years after the dates of the mid-term elections *i.e.*, in 1973 ?

The Minister of Law (Shri Govinda Menon) : (a) Mid-term election to the State Assembly of Haryana is in progress and the dates of poll have been fixed as 12th and 14th May, 1968. In addition to Haryana, election to the West Bengal Legislative Assembly, according to tentative programme, will take place either on the 3rd or on the 10th November, 1968. As regards election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly, programme of election is under consideration of the Election Commission.

(b) and (c). Under the provisions of clause (1) of article 172 of the Constitution, every Legislative Assembly of every State shall continue for five years from the date appointed for its first meeting and no longer and the expiration of the said period of five years shall operate as a dissolution of the Assembly. It is also provided in the said article that during the operation of a Proclamation of Emergency, the aforesaid period of five years may be extended by Parliament by law for a period not exceeding one year at a time and not exceeding, in any case, beyond a period of six months after the Proclamation has ceased to operate. Thus, it would be seen that the life of a Legislative Assembly, except in the contingencies referred to in article 172, is normally five years. Therefore, the holding of a general election in any State would be dependent on those contingent factors adverted to in the said article.

राजहारा लौह अयस्क खानें

***1743. श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजहारा लौह अयस्क खानों के ठेकेदार अपने कर्मचारियों को वे सुविधायें नहीं देते हैं जो श्रम विधियों के अन्तर्गत उन्हें दी जानी चाहियें; और

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है, कि उन श्रम विधियों को लागू किया जाये ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) श्रम कानूनों के अन्तर्गत दी जाने वाली सुविधाएं न दिए जाने के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं। परन्तु ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों की छंटनी किए जाने के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) केन्द्रीय औद्योगिक सम्बन्ध मशीनरी के हस्तक्षेप पर छंटनी के मामले के सम्बन्ध में एक समझौता हो गया है।

Land in U.P.

***1744. Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have received 720 acres of land in tehsil Farenda, 227 acres in Maharajganj, seven acres in Bansgaon and 38 acres in Sadar in District Gorakhpur, U.P. under the Ceiling on land Holdings Act;

(b) whether it is a fact that the District Magistrate, Gorakhpur had issued orders that the landless farmers may submit their applications in the offices of the above mentioned Tehsildar, Pargana Officer for the distribution of land; and

(c) if so, the number of applications received in the Offices of the said officials from landless farmers from October, 1967 to March, 1968 and the numbers of farmers to whom land was distributed and the acreage of land distributed to each ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Coop. (Shri Annasahib Shinde) : (a) to (c). The information is being collected from the Uttar Pradesh Government and will be placed on the Table of the Sabha when received.

†खरीफ और रबी की उपज

1745. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष (1967-68) में बिहार में खरीफ और रबी की कुल उपज का अनुमान तैयार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस वर्ष अब तक बिहार में कुल कितने अनाज की वसुली की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग) 1967-68 के लिए बिहार राज्य में खरीफ और रबी की कुल उपज के अन्तिम अनुमान अभी तक तैयार नहीं किये गये हैं, क्योंकि राज्य सरकार से खरीफ की फसलों का पूर्ण दित्ता प्राप्त नहीं हुआ है और रबी की फसलों के विषय में केवल इस मास के अन्त में दित्ता उपलब्ध होना है।

(घ) इस फसली वर्ष (अर्थात 1-11-1967 से 25-4-1968 तक) की अवधि में 18,600 मीटरी टन चावल व 20,000 मीटरी टन धान की वसूली अभी तक की गई है।

एपीजे शिपिंग कम्पनी

1746. **श्री मधु लिमये:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 7 मार्च, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 507 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यदि स्वयं सरकार की स्वीकारोक्ति के अनुसार, एपीजे के परिपत्र में 'धोखा देने के प्रयत्न का रहस्योदघाटन हुआ था', तो इस प्रयत्न को निष्फल करने के लिये की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या उस कार्यवाही में खाद्य विभाग द्वारा (1) उस फर्म से स्पष्टीकरण मांगा जाना, (2) उसे काली सूची में रखने की कार्यवाही किया जाना, (3) उस फर्म पर आपराधिक मुकदमा चलाया जाना, तथा (4) उस फर्म के साथ सब लेन देन और आयात ठेकों को रद्द किया जाना भी शामिल है ;

(ग) क्या ये कार्यवाहियां न की जाने के लिये उस फर्म द्वारा सरकार पर कोई परोक्ष अथवा अपरोक्ष प्रभाव या दबाव डाला गया था; और

(घ) यदि नहीं, तो उस फर्म द्वारा धोखा दिये जाने के इस प्रयत्न के संबंध में ये कार्यवाहियां क्यों नहीं की गईं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) जी, उस समय नहीं ।

(ग) सरकार के पास उपलब्ध किसी भी रिकार्ड में ऐसा कोई संकेत नहीं है कि इस प्रश्न के भाग (ख) में उल्लिखित पगों को न उठाने के लिए फर्म द्वारा ऐसा कोई दबाव डाला गया हो ।

(घ) भारतीय दूतावास में स्थित खाद्य अटैची ने रंगून में एपीजे शिपिंग लाइन्स के स्थानीय एजेन्टों से एपीजे रीटा जहाज पर खाली बोरे होने के बारे में स्थिति स्पष्ट करने को कहा था ।

जैसा कि सदन में पहले ही स्पष्ट किया गया है कि एपीजे के विरुद्ध अन्य कोई कार्यवाही करने के बारे में स्पष्टः 1962 में विचार नहीं किया गया था क्योंकि ऐसे किसी प्रयत्न के विफल करने के लिए कार्यवाही की गई थी और इस कारण से भी कि भारतीय दूतावास, रंगून में स्थित खाद्य अटैची ने अपने दिनांक 12 अप्रैल, 1962 के पत्र में कहा था कि ऐसी कार्यवाही करने से सूचना देने वाले के लिए परेशानी पैदा हो सकती है । जब दिनांक 7 मार्च, 1962 के गुप्त परिपत्र की एक प्रति जिसे एपीजे शिपिंग लाइन्स द्वारा अपने जहाजों के सभी कप्तानों को जारी किया गया बताया जाता है, को स्वर्गीय डा० राम मनोहर लोहिया द्वारा 2 सितम्बर, 1966 को लोक सभा के पटल पर रखा गया तब ऊपर बाद में कथित तथ्य का कोई महत्व नहीं रह गया ।

विवरण

खाद्य अटेची का 12 अप्रैल, 1962 का पत्र जिसके साथ एपीजे के दिनांक 7 मार्च, 1962 के कथित परिपत्र की प्रतिलिपि संलग्न की गई थी, खाद्य विभाग में 18 अप्रैल, 1962 को प्राप्त हुआ था । खाद्य अटेची ने 21 अप्रैल, 1962 को कोचीन में खाद्य विभाग के अधिकारी को एक तार भेजा था कि वे इस बात का ध्यान रखें कि एपीजे रीटा द्वारा माल के साथ या बतायी गई कमी के प्रति खाली बोरियां नहीं उतारी जाएं । यही तार खाद्य विभाग को भेजा गया था । खाद्य विभाग ने दिनांक 24 अप्रैल, 1962 को प्रादेशिक निदेशक (खाद्य), मद्रास को एक पत्र भेजा था जिसमें उनसे खाली बोरियां आदि की ठीक तरह से छान-बीन कर आवश्यक कार्यवाही करने के लिये कहा गया था । 3 मई 1962 को प्रादेशिक निदेशक (खाद्य), मद्रास को एक और पत्र भेजा गया था जिसमें उनसे कहा गया था कि वे कोचीन में अपना एक उपनिदेशक नियुक्त करें जोकि इस मामले की तत्काल जांच करे और अपनी जांच की विस्तृत रिपोर्ट खाद्य विभाग को भेजे । बम्बई और कलकत्ता के प्रादेशिक निदेशकों को 5 मई, 1962 के पत्र से यह सूचित किया गया कि वे एपीजे लाइन्स के अन्य जहाज़ों के बारे में सावधान रहें ताकि वे कमी सम्बन्धी सरकार के दावों से छुटकारा पाने के लिये खाली बोरियों का दुरुपयोग करने की कोशिश न कर सकें ।

सघन कृषि जिला कार्यक्रम के क्षेत्रों में उत्पादन

1747. **श्री रा० स्व० विद्यार्थी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन जिलों में, जहां सघन कृषि जिला कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है, विभिन्न फसलों की प्रति एकड़ पैदावार असंतोषजनक है ;

(ख) क्या इसके कारणों की जांच की जा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) महत्वपूर्ण फसलों की प्रति हैक्टेयर उपजों ने, सघन कृषि जिला कार्यक्रम जिलों में, 1960-61 में कार्यक्रम के प्रारम्भ से 1967-68 तथा प्रगति की प्रवृत्ति दिखाई है सिवाय 1965-66 और 1966-67 के निबल वर्षों के, जब ये जिले देश के अन्य भाग की भांति सूखा की स्थितियों के कारण मुश्किल समय में हो कर गुजरे । यह सघन कृषि जिला कार्यक्रम पर तृतीय मूल्यांकन प्रतिवेदन से स्पष्ट हो गया है । 1967-68 में, उपज सामान्य रूप से और बढ़ी है और कुछ मामलों में प्रशंसनीय रूप से, जब उनकी निबल वर्षों और उससे पूर्व की अवधि से तुलना की गई । 1967-68 में कुछ जिलों में उपज सबसे अधिक प्राप्त हुई ।

(ग) राज्य सरकारों के पास लघु सिंचाई परियोजनाओं के द्वारा, सिंचाई सुविधाओं, को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम हैं । इन सुविधाओं के साथ-साथ अन्य कार्यक्रम हैं जैसे बीजों का उत्पादन एवं वितरण, कृषकों के लिए उर्वरक तथा कर्ज़ की सुविधाओं का प्रबन्ध और जल प्रयोग तथा प्रबन्ध सम्बन्धी सलाह ।

Disruption of Telegraph and Telephone Wires in Moradabad

†*1748. **Shri Bal Raj Madhok :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a number of telegraph and telephone wires were cut off to take out tazia procession in Moradabad on the 10th April, 1968;

(b) if so, the loss sustained by Government as a result thereof; and

(c) the extent to which communications arrangements were disrupted thereby ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Yes, Sir.

(b) Approximately, rupees one thousand and five hundred.

(c) The New Delhi-Bareilly route consisting of six pairs was affected for about 10 hours.

In addition, 13 departmental trunk circuits, 4 departmental telegraph circuits, 6 Railway Speech circuits and 9 Railway telegraph circuits were affected for average duration of 12 hours 50 mts., 12 hours, 19 hours 40 mts. and 5 hrs. 50 mts. respectively.

Food Procurement Targets

*1749. **Shri O. P. Tyagi** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the latest figures of procurement of rice, wheat and other cereals, State-wise;

(b) whether it is a fact that there is apprehension that the food procurement targets fixed by Government may not be achieved;

(c) if so, the reasons therefor; and

(d) whether Government propose to modify their food procurement policy so that the fixed targets are achieved ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) A statement is placed on the table of the Sabha. (*Placed in Library. See No. LT*-1250/68).

(b) and (c). Progress of procurement of rice and other kharif cereals in some States is not up to expectations and the targets of procurement recommended by the Agricultural Prices Commission may not be achieved in these States. One reason for this is that the late start of monsoon last year led to late transplantation of paddy and consequently to delayed harvesting. The political instability and the consequent reluctance particularly of Governments composed of several parties to make an all-out effort has been another reason for slow procurement in some of the States. Some damage to crops just before harvest also resulted in procurement not reaching the earlier expectations. The procurement of wheat and other rabi cereals has just started and it is too early to say if the targets recommended by the Agricultural Prices Commission will be reached.

(d) There is no proposal for any modification of policy. However State Governments have been requested to intensify procurement of Kharif cereals. The damage to crop just before harvest in some States will make it difficult for them to achieve the high targets.

खाद्यान्नों के भाव निश्चित करना

1750. **श्री स० च० सामन्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न किस्मों के खाद्यान्नों, खाये जाने वाले तेलों तथा अन्य खाद्य पदार्थों के भाव जो एक ही नगर में दुकान पर अलग-अलग हैं, जब कि उनकी किस्म और अन्य विवरण प्राय: एक जैसे है, निश्चित करने में सरकार के मार्ग में क्या कठिनाइयां हैं, और

(ख) क्या वनस्पति तेलों, चाय, काफी और ऐसे ही अन्य पदार्थों के दामों के समान, परिवहन और अन्य प्रासंगिक व्यय के लिये गुंजायश छोड़ कर एक समान भाव निश्चित करने के लिये कोई प्रयत्न किये जा रहे हैं अथवा किये जाने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शन्दे) : (क) और (ख) जहां तक प्रश्न के भाग (ख) में उल्लिखित जिन्सों का सम्बन्ध है, जहां कहीं भी सप्लाई के स्रोत निश्चित और सीमित होते हैं और खुदरा व्यापारियों को जिन्सों की सप्लाई निर्धारित मूल्यों पर की जाती है, वहां यह सुनिश्चित करना सम्भव होता है, कि किसी एक इलाके की दुकानों में जिन्सों की बिक्री नयुनाधिक एक से मूल्यों पर की जाती है । सरकारी स्रोतों द्वारा निर्मुक्त किये गये खाद्यान्नों के

बारे में भी यही स्थिति है । परन्तु जहां तक खाद्यान्नों के सामान्य व्यापार का सम्बन्ध है, सप्लाई के स्रोत बड़े और भिन्न-भिन्न हैं, एक ही किस्मों के क्रय मूल्य न केवल प्रत्येक राज्य में भिन्न-भिन्न है वरन एक ही राज्य के एक स्थान से दूसरे स्थान में भी अन्तर है और व्यापारियों के प्रासंगिक खर्चे भी भिन्न-भिन्न होते हैं । अत: खुले बाजार में खाद्यान्नों के बिक्री मूल्यों का मानकीकरण करना और उनमें समानता लाना सम्भव नहीं है ।

Food Production in Bihar

***1751. Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that despite bright crop prospect this year, Bihar State will be deficit in food production;

(b) if so, the quantity of foodgrains which Bihar would require from the Central Government and other States to make up the deficit; and

(c) the action taken or proposed to be taken to meet the full requirements of Bihar ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) Final figures of production of foodgrains for the current year 1967-68 are not yet available for Bihar. On the basis of information available, production of foodgrains in Bihar during the current year is better than that of last year. But even in a year of normal production Bihar is deficit in foodgrains.

(b) and (c). Requirements of foodgrains depend upon a number of factors like food habits of the people, availability of subsidiary and substitute foods, material prosperity, etc. All these factors are changing. In view of this and the fact that there has been no scientific and comprehensive survey on consumption of foodgrain, it is not possible to calculate the requirements and therefore, the deficit of Bihar during the current year. However, keeping in view the availability with the Centre and the relative needs of the other deficit States, Bihar is being supplied as much foodgrains from the Central Pool as is feasible.

स्थानीय लोगों के लिये रोजगार

***1752. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के एक मंत्री ने अपने वक्तव्य में जैसा कि 15 अप्रैल 1968 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित हुआ है "स्थानीय लोगों के लिये रोजगार" के सिद्धान्त का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन किया है;

(ख) क्या मंत्री के इस वक्तव्य से विभिन्न राज्यों में समाज विरोधी लोगों को ऐसी स्थिति उत्पन्न करने में प्रोत्साहन मिलने की संभावना है जिसे अन्य राज्यों के लोगों के लिये अपना व्यवसाय जारी रखना कठिन हो जायेगा ; और

(ग) यदि हां, तो क्या मंत्री के वक्तव्य से सरकार के दृष्टिकोण का पता चलता है?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री स० चु० जमीर) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

Meeting of Central Trade Union Organisations

1753. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether an informal meeting of the representatives of various Central Trade Union Organisations was convened in Delhi on the 9th April, 1968 for formulating the labour policy during the Fourth Five Year Plan period; and

(b) if so, the subjects discussed and the outcome thereof ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) No such meeting was convened by the Department of Labour and Employment. Such a meeting, it is learnt, was convened by the Planning Commission.

(b) It is understood from the Planning Commission that labour policy and programme for the Fourth Five Year Plan, with particular reference to industrial relations, role of labour movement in the development process, labour welfare, wages and productivity, rationalisation, etc. were discussed.

Distribution of Tractors

***1754. Shri Awadesh Chandra Singh :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of Zetor 2011, tractors imported during 1967-68 and the mode and basis on which these were distributed among various States;

(b) the number of tractors sold to farmers against cash payment and on hire purchase basis respectively; and

(c) the basis for distribution of tractors ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) to (c). A statement is laid on the Table of the Sabha. (*Placed in Library. See No. LT*-1251/68).

Communal Harmony Among Labour Class

***1755. Shri Shashibhushan Bajpai :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to such Trade Unions as encourage organisation of worked on communal lines;

(b) the steps taken by Government to maintain communal harmony among the labour class ?

The Minister of Labour & Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) Government are not aware of any trade union organisations which encourage communalism.

(b) The Inter-Union Code of Conduct, adopted by the central organisations of workers in 1958, requires to unions to eschew casteism and communalism. At a meeting held by the Government in 1964, it was decided that the central trade union organisations would advise their affiliates to ensure that communal harmony among the industrial workers was maintained.

चीनी के अधिकतम मूल्य के बारे में भारतीय होटल तथा हलवाई महासंघ की मांग

1756. श्री स० कुण्डू : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय होटल तथा हलवाई महासंघ ने सरकार से प्रार्थना की है कि खुले बाजार में उपलब्ध चीनी का अधिकतम मूल्य निर्धारित किया जाये और इन लोगों को घरेलू खपत ग्रुप के अन्तर्गत रखा जाये; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) अबाध बिक्री के लिये नियुक्त की गई चीनी के लिये अधिकतम मूल्य निर्धारित करना उपयुक्त नहीं समझा जाता है । ऐसी चीनी की सीमित उपलब्धि के कारण होटलों और हलवाइयों को लेवी-चीनी सप्लाई करने सम्बन्धी महासंघ की प्रार्थना स्वीकार करना संभव नहीं हुआ है ।

संसद सदस्यों को सुविधाएं

***1757. श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या **संसद कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या संसद सदस्यों की ओर से कोई ऐसी मांग प्राप्त हुई है कि उनके परिवारों के लिये उन्हें यदाकदा रेलवे के पास दिये जायें ;

(ख) क्या यह भी मांग की गई है कि उन्हें अपने-अपने निर्वाचन-क्षेत्रों में परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध करायी जायें ; और उन्हें अपने अधिकारिक कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये निःशुल्क डाक सुविधा प्रदान की जाये ; और

(ग) यदि हाँ, तो इन मांगों को पूरा करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग) 26-4-1968 को लोक सभा द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार, संसद सदस्यों को अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने का प्रश्न, लोक सभा के अध्यक्ष एवं राज्य सभा के सभापति द्वारा नामांकित दोनों सदनों की संयुक्त समिति को जांच और प्रतिवेदन के लिए सौंपा जायेगा ।

हरियाना में गेहूं और चावल की खरीद

1758. श्री दीवीकन : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हरियाणा सरकार ने हरियाणा राज्य से गेहूं और चावल खरीदने की भारतीय खाद्य निगम की प्रार्थना अस्वीकार कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि वह उन्हें उस राज्य में गेहूं और चावल खरीदने की अनुमति देने के लिये राज्यपाल से अनुरोध करें; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) चालू रबी मौसम के आरम्भ से भारतीय खाद्य निगम को हरियाना में गेहूं और चावल की अधिप्राप्ति करने हेतु अनुमति नहीं दी गई है ।

(ख) चालू फसल वर्ष में राज्य सरकार ने गेहूं और चावल की अधिप्राप्ति हेतु अपनी ऐजेन्सी से काम लेने का निर्णय किया है ।

(ग) और (घ). केन्द्रीय सरकार ने हरियाना सरकार को अपने निर्णय पर पुनः विचार करने और गेहूं की अधिप्राप्ति हेतु भारतीय खाद्य निगम को कम से कम सहायक

एजेन्सी के रूप में कार्य करने के लिये अनुमति प्रदान करने के बारे में लिखा है । क्योंकि अब चावल के लिये अधिप्राप्ति का मौसम करीब-करीब समाप्त हो ही चुका है, अतः भारतीय खाद्य निगम को चावल की अधिप्राप्ति हेतु अनुमति देने सम्बन्धी प्रश्न पर आगामी अधिप्राप्ति मौसम के आरम्भ होने के पहले ही विचार करना होगा ।

खाद्य तथा कृषि संगठन का पुनर्गठन

1759. **श्री स० कु० तापड़िया :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्धन देशों को पर्याप्त लाभ पहुंचाने की दृष्टि से संयुक्त राष्ट्रसंघ के खाद्य तथा कृषि संगठन का पुनर्गठन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित पुनर्गठित व्यवस्था की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस से भारत को क्या लाभ होने की संभावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) खाद्य तथा कृषि के क्षेत्र में विशेषतया विकसित देशों में विश्व के लोगों के प्रति अपने बढ़ते हुए उत्तरदायित्व बेहतर तरीके से पूरा करने के लिए संगठनात्मक सुधार लाने की दृष्टि से संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य तथा कृषि संगठन ने अपने सामान्य ढांचे को पुनर्गठित करने का प्रस्ताव रखा है ।

(ख) एक तदर्थ समिति पुर्नगठन के लिए किए गए विभिन्न प्रस्तावों पर विचार कर रही है और उसकी रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद और खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा स्वीकृत किए जाने के बाद ही पुर्नगठन की मुख्य रूपरेखा के बारे में बताना सम्भव हो सकेगा ।

(ग) खाद्य तथा कृषि संगठन के पुर्नगठन सम्बन्धी प्रस्ताव अलग-अलग देशों के लाभ के लिए नहीं है । यदि ऐसा कोई पुनर्गठन हुआ तो निस्सन्देह विकसित देशों के हितों का ध्यान रक्खा जाएगा ।

राष्ट्रीय खाद्य नीति

1760. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक राष्ट्रीय खाद्य नीति बनाने की आवश्यकता तथा उसके महत्व पर अप्रैल, 1968 के दूसरे सप्ताह में नई दिल्ली में दिल्ली मलयाली एसोसियेशन, ने एक दो-दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया था जिसमें अनेक कृषकों, अर्थ शास्त्रियों योजना-निर्माताओं तथा सभी प्रकार की राजनीतिक विचारधाराओं वाले नेताओं ने भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय खाद्य नीति बनाने के बारे में सम्मेलन में क्या मुख्य टिप्पणियां की गई तथा सुझाव दिये गये और इस सम्मेलन में सुझाई गई राष्ट्रीय खाद्य नीति के मुख्य पहलू क्या थे; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) :(क) से (ग) केरल के विशेष संदर्भ में राष्ट्रीय खाद्य नीति पर विचार विमर्श करने के लिए अप्रैल, 1968 के मध्य में दिल्ली मलयाली संघ का एक सम्मेलन हुआ था । सम्मेलन द्वारा सर्वसम्मति से पारित रिपोर्ट कुछ ही दिन पहले प्राप्त हुई है और उसकी जांच की जाएगी ।

Crash Programme for Cultivation in M. P.

***1761. Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the Madhya Pradesh Government had recently drawn up a crash programme for intensive cultivation during 1968;

(b) whether it is a fact that the programme was submitted to the Central Government for examination, approval and additional financial assistance;

(c) whether any financial assistance has been granted for this programme; and

(d) if so, the advantage accrued therefrom ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b). No proposal in the nature of a crash programme for intensive cultivation has so far been received from the Government of Madhya Pradesh, apart from the normal plan schemes like the High-Yielding Varieties Programmes etc., which are received and considered from time to time.

(c) and (d). Do not arise.

संसद् सदस्यों की टेलीफोन लाइन काटी जाना

***1762. श्री समर गुह :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोक सभा तथा राज्य सभा के बहुत से सदस्यों के स्थायी पतों पर लगी टेलीफोन लाइनों को टेलीफोन के बिलों की राशि न दी जाने के कारण काट दिया गया था जब कि वे दिल्ली में संसद् के सत्रों में भाग लेने के लिए आए हुए थे;

(ख) यदि हां, तो अप्रैल, 1968 से ऐसे कितने मामले हुए हैं; और

(ग) क्या सरकार का इरादा संसद् सदस्यों द्वारा टेलीफोन बिलों की राशि के भुगतान सम्बन्धी नीति पर फिर से विचार करने का है, ताकि उन्हें असुविधा न होने पाये ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख). टेलीफोन बिलों की राशि न चुकाय जाने की स्थिति में संसद् सदस्यों को भी टेलीफोन काटे जाने की छूट नहीं है । ऐसे मामलों की संख्या जनमें गैर-अदायगी के कारण उनके टेलीफोन काट दिये गये, फिलहाल उपलब्ध नहीं है क्योंकि टेलीफोन काटे जाने सम्बन्धी आंकड़े टेलीफोन नम्बरों के अनुसार रखे जाते हैं ;

(ग) जी नहीं ।

Study Team on Agricultural Labour

***1762-A. Shri Deorao Patil** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether the Planning Commission has appointed a Committee to conduct a study about the condition and development of the agricultural labourers of the country; and

(b) if so, the recommendations made by the study team and the action taken to implement them ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) No.

(b) Does not arise.

खाद्यान्नों के लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध

1763. श्री म० ला० सोंधी : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि पंजाब और हरियाणा से दिल्ली में खाद्यान्न लाने पर लगे क्षेत्रीय प्रतिबन्धों को 28 मार्च, 1968 से हटा दिया गया था तथापि वे अभी तक लागू है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल में राशन का कोटा

1764. श्री मंगलाथुमाडोम :
श्री नायनार :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में राशन का कोटा बढ़ाने के लिये केरल सरकार की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(ख) वर्तमान कटौती कब तक बहाल की जाने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) भारत सरकार ने हाल में केरल राज्य में चावल का राशन बढाने के लिए अनुमति हेतु केरल सरकार के किसी भी अनुरोध को अस्वीकार नहीं किया है।

(ख) फिलहाल कोई निश्चित तारीख बताई नहीं जा सकती।

चीनी का वितरण

1765. श्री रवि राय : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1968 में दो लाख मीट्रिक टन चीनी के वितरण से चीनी के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ख) इसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). अप्रैल में 2 लाख मीटरी टन चीनी को निर्मुक्त कर महीने के शुरू में देखी गयी चीनी के मूल्यों में वृद्धि की प्रवृत्ति को रोका गया है । विभिन्न क्षेत्रों में थोक भाव 10 रुपये से 35 रुपये प्रति क्विंटल तक गिरे हैं ।

मध्य प्रदेश में कोयला खानें

10164. श्री गा० शं० मिश्र : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला खानों को गैस वाली अथवा गैस से रहित घोषित करने के लिये सरकार क्या माप-दण्ड अपनाती है;

(ख) झारिया में विस्फोट होने के बाद मध्यप्रदेश में कितनी कौन-कौन सी तथा कहां-कहां की कोयला खानों को गैस वाली घोषित किया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि सुरक्षा के उपायों पर भारी खर्च की व्यवस्था होने के कारण, कोयला खानों को, विशेषकर मध्य प्रदेश में, बाजार में प्रतियोगिता करने में कठिनाई हो रही है; और

(घ) मध्य प्रदेश में कोयला-खान मालिकों में पुनः विश्वास पैदा करने के लिये सरकार ने क्या नीति अपनाई है ताकि वे अपना व्यवसाय चालू रख सकें ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). 1-4-1967 से सभी कोयला खानें, जिनमें मध्य प्रदेश की खानें भी शामिल हैं, गैस वाली खानें समझी जाती हैं और उन्हें कोयला सीमों से निकलने वाली गैस के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में रखा गया है ;

(ग) और (घ). चूंकि 1-4-1967 से सभी कोयला खानें गैस वाली खानें घोषित की जा चुकी हैं, अतः मध्य प्रदेश की कोयला खानें अधिकतर स्थिति में नहीं हैं जिससे उस राज्य की खानों की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ सके । वे प्रतिकूल कारणों से अक्षम हुई कोयला खानों को दी जाने वाली सहायता की योजना के अन्तर्गत कोयला बोर्ड से विशिष्ट सहायता प्राप्त करने की हकदार हैं ।

दक्षिण पटेल नगर के प्लाटों के अलाटियों को आश्वासन

10165. श्री बाबूराव पटेल : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन विस्थापित व्यक्तियों को जिन्हें दक्षिण पटेल नगर में प्लाट दिये गये थे सभा में 28 अगस्त, 1956 को आश्वासन दिया गया था कि अलाटी अपने प्लाटों की वास्तविक लागत तथा भूमि के विकास शुल्क का भुगतान करके अपने प्लाटों के स्वामी बन सकते हैं;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार अब दक्षिण पटेल नगर के अलाटियों से चालू बाजार दरों पर भूमि का मूल्य वसूल करना चाहती है या चालू बाजार दर से पुनरीक्षित मूल्यांकन के आधार पर वार्षिक पट्टा किराया वसूल करना चाहती है; और

(ग) 12 सितम्बर, 1956 को सभा में सरकार द्वारा दिये गये इस आश्वासन के बावजूद कि सरकार अलाटियों के साथ न लाभ हानि के आधार पर लेन देन करेगी पुनर्वास नीति में यह परिवर्तन किये जाने के क्या कारण है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं । अलाटियों को केवल भूमि का वास्तविक मूल्य तथा विकास खर्च चुकाना पड़ता है और इस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । वार्षिक पट्टे के किराये की गणना के आधार में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

इण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज, बंगलौर में ईसाई

10166. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में केरल तथा अन्य निकटवर्ती स्थानों के कितने ईसाइयों को इण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज, बंगलौर में रोज़गार दिया गया;

(ख) क्या यह सच है कि संयुक्त जनरल मैनेजर केवल उन व्यक्तियों को रोज़गार देता है, जिनकी सिफारिश ईसाई चर्चों के पादरियों द्वारा की जाती है; और

(ग) पिछले पांच वर्षों में वर्षवार इण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज़ में ईसाई कर्मचारियों की संख्या कितनी-कितनी रही है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ग). भर्ती न तो प्रार्थी के धर्म के आधार पर होती है और न उस राज्य के आधार पर जिसमें उसका जन्म हुआ हो । अतः अपेक्षित सूचना सुलभ नहीं है ;

(ख) जी नहीं ।

औद्योगिक विवाद

10167. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में औद्योगिक विवादों की संख्या में वृद्धि हुई है, जिनके परिणामस्वरूप हड़तालें हुई तथा काम बन्द हुआ और यदि हां, तो राज्य-वार देश में हुई हड़तालों की संख्या कितनी है;

(ख) उन उपरोक्त अवधि में वर्ष-वार कितने जन-दिनों की हानि हुई तथा उद्योग को कितना संभावित घाटा हुआ; और

(ग) गत वर्ष सरकार ने हड़तालों तथा जन-दिनों की हानि को रोकने के लिये क्या निश्चित कार्यवाही की ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०**-1252/68] ।

(ग) औद्योगिक अशांति के मुख्य कारणों को दूर करने हेतु केन्द्रीय और राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करने के लिए कि श्रमिकों की वैध देय राशि का भुगतान शीघ्र हो जाए उनकी मजूरी दरों और उपलब्धियों में सुधार करने तथा उनकी नौकरी की सुरक्षा एवं मनमाने ढंग की अनुचित बर्खास्तगी या पदच्युति से संरक्षण की व्यवस्था करने के लिए लगातार उपाय ढूंढ़ रही हैं । जहां कहीं आवश्यक हो वहां औद्योगिक विवादों को निपटाने संबंधी समझौता और न्यायाधिकरण मशीनरी को सुदृढ़ बनाया जा रहा है ।

कृषि उत्पादन

10168. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में हमारे कृषि उत्पादन में सहायता करने के लिये किन-किन देशों ने और देशवार कितने विशेषज्ञ दल हमारे देश में भेजे हैं तथा प्रत्येक विशेषज्ञ दल ने क्या काम किया है;

(ख) इन विशेषज्ञ दलों पर, दलवार विदेशी मुद्रा तथा भारतीय मुद्रा में हमारे देश द्वारा कितनी राशि खर्च की गई; और

(ग) इन विशेषज्ञ दलों के कारण हुए कुछ लाभों का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) कृषि विभाग को अनेक विदेशी सहायता कार्यक्रमों अर्थात् संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता, कोलम्बो योजना, खाद्य एवं कृषि संगठन, भारतीय और फ्रेंच तकनीकी सहकारिता के समझौतों के अन्तर्गत विदेशी विशेषज्ञों की सेवायें प्राप्त होती रहती हैं । इसके अतिरिक्त विशेषज्ञों की सेवायें निम्न समझौतों के अन्तर्गत द्विपक्षीय आधार पर भी प्राप्त की जाती हैं:—

(1) मंडी, कांगड़ा और नीलगिरी में इंडो-जर्मन कृषि विकास परियोजनायें,

(2) इंडो-जापानीज़ कृषि प्रदर्शन फार्म,

(3) एर्नाकुलम (केरल) में इंडो-नार्वेयिन मछली परियोजनायें,

(4) मुन्नार, केरल में इंडो-स्वीज कृषि केन्द्र,

(5) हिसरघटा, मैसूर में एक इंडों-डैनिस कृषि परियोजना ।

इन विशेषज्ञों का आवश्यक ब्यौरा देते हुये एक विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-1253/68 ।**

(ख) भारत सरकार द्वारा इन विशेषज्ञों के ऊपर व्यय की जाने वाली राशि में कोई विदेशी मुद्रा सम्मिलित नहीं है । फिर भी सरकार इन विशेषज्ञों को उनके द्वारा इस देश में परिवहन के अन्तर्गत व्यय की जाने वाली राशि के बदले में दैनिक भत्ता और स्थानीय व्यय (यात्रा भत्ता सहित) प्रदान करती है । यदि सरकार निःशुल्क निवास स्थान प्रदान नहीं करती है तो कोलम्बो योजना के विशेषज्ञों के भत्ते की दर 25 रुपया है और खाद्य कृषि संगठन के विशेषज्ञों के भत्ते की दर 12·5 से 15 प्रतिशत तक है । अलग 2 देशों के

विशेषज्ञ सम्बन्धित परियोजना समझौतों के अन्तर्गत आ जाते हैं। इसके अतिरिक्त भारत सरकार इन विशेषज्ञों को सचिवालय विषयक सहायता भी देती है।

(ग) 1966 और 1967 में आने वाले विशेषज्ञों से प्राप्त लाभों का अभी कोई व्यापक मूल्यांकन नहीं किया गया है। फिर भी सरकार के तकनीकी अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किये गये मूल्यांकनों से ज्ञात होता है कि भारतीय पक्ष को इन विशेषज्ञों के संपर्क से उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्र में पर्याप्त लाभ प्राप्त हुआ है।

मुर्गीपालन और दुग्धशाला प्रक्षेत्र

10169. श्री वि० नरसिम्हा राव : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सरकारी क्षेत्र में मुर्गीपालन और दुग्धशाला के बड़े तथा छोटे प्रक्षेत्र स्थापित करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इसके लिये कौन-कौन से स्थान चुने हैं और इस कार्य पर अनुमानतः कितनी धनराशि व्यय होगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) भारत सरकार का देश में सार्वजनिक क्षेत्र में कोई मुर्गीपालन तथा डेरी के बड़े या लघु फार्म स्थापित करने का इरादा नहीं है। फिर भी, पशुओं के वैज्ञानिक प्रजनन के लिए 6 पशु प्रजनन फार्म स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

राज्य सरकारों के सम्बन्ध में जानकारी इकट्ठी की जा रही है और लोक-सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) तीन पशु प्रजनन फार्मों के लिए अब तक सूरतगढ़ (राजस्थान), चिपलिमा (उड़ीसा) तथा अंकलेश्वर (गुजरात) में स्थान चुन लिए गए हैं। प्रत्येक फार्म के लिए पांच वर्षों में अनुमानित खर्च लगभग 67 लाख रुपये होगा।

Trunk Calls Booked in Gangapur City Exchange

***10171. Shri Meetha Lall Meena:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of trunk calls booked on each day at Gangapur City Exchange (Bharatpur) during the period from the 26th March to 26th April, 1968;

(b) the number of calls from among the booked calls which were actually connected during the above period;

(c) the number of calls, from among the booked calls as were cancelled during the above period;

(d) the reasons for which the booked calls were cancelled; and

(e) the number of trunk calls received from outside on each day during the above period?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) The details of booked calls from 26th March, 1968 to 26th April, 1968 are enclosed; (*Placed in Library. See* No. LT-1254/68).

(b) out of 6,383 calls booked during the above period, 4,096 calls were actually connected;

(c) During this period 2,287 calls were cancelled;

(d) The reasons for cancellation were two fold. About 50% of the ineffective calls were cancelled due to particular person not being available, and no reply from the called number, and the remaining were ineffective due to line faults, voluntary cancellation by Callers and other reasons;

(e) The details of daily incoming calls to Gangapur are enclosed. (*Placed in Library. See* No. LT-1254/68).

टेलीफोन को हटा कर अन्यत्र लगाना

10172. **श्री वंशनारायण सिंह** : क्या संचार मंत्री 18 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न-संख्या 7569 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जांच के दौरान उनके विभाग को इस बात का पता लग गया था कि टेलीफोन सबस्क्राइबर की लड़की के निवास स्थान पर लगा हुआ था;

(ख) यदि नहीं, तो विभाग को इस बात की पहली बार जानकारी कब हुई थी;

(ग) क्या सबस्क्राइबर ने मई, 1964 में अपने आवेदनपत्र में यह अनुरोध किया था कि वह अपना निवास स्थान 3 डब्लू/5 पटेल नगर से बदल कर 8/19 वैस्टर्न एक्सटेंशन एरिया, करोलबाग चला गया है अथवा जा रहा है, अतएव टेलीफोन वहां से हटा कर करोलबाग स्थित उसके उपरोक्त निवास स्थान पर लगा दिया जाये;

(घ) यदि नहीं, तो वह सबस्क्राइबर किस आधार पर वहां से टेलीफोन हटा कर अन्यत्र लगाना चाहता था; और

(ङ) यदि उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो क्या यह सच है कि सबस्क्राइबर ने जिस आधार पर टेलीफोन अन्यत्र लगवाना चाहा तथा लगवाया, वह सच तथा वास्तविक नहीं था ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां;

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ;

(ग) टेलीफोन के स्थानान्तरण के लिए अनुरोध इस आधार पर किया गया था कि प्रयोक्ता ने अपना निवास स्थान 3/5 वेस्ट पटेल नगर से 8/19 वेस्टर्न एक्सटेंशन एरिया में बदल लिया है ;

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ;

(ङ) यह स्थानान्तरण सामान्य क्रम में किया गया था । उस समय विभाग को इसमें कोई ऐसी बात दिखाई नहीं दी जिससे यह प्रतीत होता हो कि इस स्थानान्तरण का कारण सच्चा और वास्तविक नहीं था ।

केन्द्रीय यंत्रीकृत फार्म सूरतगढ़

10173. **श्री अ० श्री कस्तूरे** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय यन्त्रीकृत फार्म सूरतगढ़ में संचालन प्रबन्धक का पद अनुसूचित जातियों अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवार के लिये आरक्षित किया गया था;

(ख) क्या इस पद के लिए विज्ञापन जारी करने से पहले विभाग ने इस आरक्षित पद के लिये गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति का उम्मीदवार नामज़द कर दिया था;

(ग) क्या इस आरक्षित पद के लिए अर्हता प्राप्त अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों का इन्टर्व्यु लिया गया था लेकिन इस विभाग ने नामज़द उम्मीदवार को नियुक्त करने की सिफारिश की थी;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) ऐसे कदाचार न होने देने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) केन्द्रीय राजकीय फार्म सूरतगढ़ में वस्तुत: संचालन प्रबंधक के दो पद हैं जिनमें से एक पद संचालन प्रबन्धक (मेकेनिकल) तथा एक पद संचालन प्रबन्धक (कृषि) का है। संचालन प्रबन्धक (मेकेनिकल) का पद आरक्षित नहीं है जबकि संचालन प्रबन्धक (कृषि) का पद अनुसूचित तथा आदिम जातियों के लिए आरक्षित है । अनुसूचित तथा आदिम जातियों के उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर पद को आरक्षित नहीं माना जाता;

(ख) केन्द्रीय लोक सेवा आयोग से पद के लिए विज्ञापन देने को कहा गया था । केन्द्रीय लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्ति न होने तक काम चलाने के लिए विभाग से प्रवर उम्मीदवार की नियुक्ति की गई थी । इस प्रकार जिस उम्मीदवार की नियुक्ति की गई थी वह अनुसूचित व आदिम जाति का न था;

(ग) और (घ). अन्ततः पद के लिए चुनाव केन्द्रीय लोक सेवा आयोग ने किया था न कि खाद्य और कृषि मन्त्रालय ने। आयोग ने 8 उम्मीदवारों का इन्टरव्यु किया था जिनमें एक उम्मीदवार अनुसूचित जाति का भी था। केंन्द्रीय लोक सेवा आयोग ने अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को योग्य नहीं समझा;

(ङ) प्रश्न ही नहीं होता ;

Post offices in Panchayat Headquarters in Rajasthan

*10174. **Shri Meetha Lal Meena:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of Post Offices likely to be opened in Panchayat Headquarters in Rajasthan under the scheme of opening Post Offices in each Panchayat office by the end of June, 1968; and

(b) the number of post offices likely to be opened thereafter?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral). (a) and (b). The matter is being examined. It is not at present possible to indicate precisely as to how many Post Offices would be opened at Panchayat headquarters by June, 1968 or thereafter.

Telephone Exchange Gangapur City

*10175. **Shri Meetha Lal Meena:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a large number of trunk calls are booked in the Telephone Exchange, Gangapur City, Bharatpur Division, Rajasthan;

(b) whether it is a fact that one direct line each between Gangapur-Agra and Ganga pur-Jaipur is inadequate to cope with the large number of trunk calls;

(c) whether two direct lines between Gangapur-Agra and Gangapur-Jaipur each are necessary in view of the position stated above;

(d) if so, the time by which the second direct line would be provided; and

(e) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) About 200 Trunk calls are daily booked at Gangapur Telephone Exchange;

(b) The daily traffic between Gangapur and Agra has very recently shown a sharp rise. The trend will be watched and if this increase of traffic is found steady, a second trunk circuit will be added;

In Gangapur-Jaipur section, one trunk circuit was provided in January 1968. For the present traffic, this is considered adequate.

(c) As already stated, two circuits between Gangapur and Agra may be necessary depending on the trend of traffic. In Gangapur-Jaipur route a second circuit is not immediately required;

(d) It is likely that the second circuit between Gangapur and Agra will be provided by 31-3-1969;

(e) Does not arise.

Staff Operators and Linemen in Gangapur City Telephone Exchange

*10176. **Shri Meetha Lal Meena:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the number of staff operators and linemen in Gangapur city (Bharatpur) Telephone Exchange is inadequate keeping in view the heavy workload there;

(b) if so, whether Government propose to provide more staff there;

(c) if so, when; and

(d) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) to (d). The justified number of posts of Telephone Operators and

Linemen for Gangapur City (Bharatpur) Telephone Exchange is 15 and 3 respectively. Accordingly 15 posts of Telephone Operators and 3 posts of Linemen have been sanctioned. Against this sanctioned strength, 9 Telephone Operators and 2 Linemen are working. Necessary action is being taken to recruit and train more candidates for appointment as Telephone Operators and Linemen.

Installation of Board of 200 Telephones in Gangapur Telephone Exchange

***10177. Shri Meetha Lal Meena:** Will the Minister of **Communications** be pleased to State:

(a) whether it is a fact that Government have approved the scheme for installing a board of 200 telephones in Gangapur City (Bharatpur) Telephone Exchange in view of the increased demand of telephones.

(b) whether it is also a fact that the board has not been supplied to Gangapur so far inspite of the approval; and

(c) if so, when Government propose to supply the board?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) Yes, Expansion of Ganganagar exchange capacity to 200 lines has been approved. However, the capacity of existing board is adequate to meet the present demand.

(b) The boards required for the replacement of the existing equipment have not yet been supplied.

(c) The boards are expected to be supplied within the current financial year.

कोयला उपकर

10178. **श्री कृ० भा० कौशिक** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खान मालिकों द्वारा निकाले गये कोयले पर उस रायल्टी के अलावा जो खान मालिक राज्य को देते हैं, प्रति टन कोई कोयला उपकर भी लगाया हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र राज्य के बान्दा जिले में (एक) बल्लारपुर (दो) शास्त्री (तीन) घुगुस (चार) महाकाली (पांच) लालपेठ हिन्दुस्तान और (छः) रैयतबाड़ी कोयलाखानों से वर्ष 1962 से 1967 तक की अवधि में इस उपकर की कितनी राशि वसूल की गई थी ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) कोयला खानों से भेजे जाने वाले कोयले/कोक पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित उपकर लगाए जाते हैं :—

(i) कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत कल्याण उपकर ।

(ii) खान अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत बचाव उपकर ।

(iii) कोयला खान (संरक्षण और सुरक्षा) अधिनियम 1952 के अन्तर्गत भरण उत्पादन शुल्क ।

(ख) इन तीनों उपकरों की 1962 से 1967 तक की उगाही इस प्रकार है :—

कोयला खानों के नाम		कल्याण उपकर सड़क द्वारा/रेल द्वारा रु०	समीपवर्ती बचाव उपकर मार्च, 1967 तक रु०	भरण उत्पादन शुल्क
बल्लारपुर	68,491	कोलियरी-वार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।	3,755	राज्य तथा कोलियरी-वार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।
शास्त्री	45,173	इन कोयला खानों से वसूल किया गया उपकर 21,98,411 रु० है	1,140	
घुगुस	108		15	
महाकाली			कुछ नहीं	
लालपेठ			2,797	
हिन्दुस्तान	1,04,432			
रयोतवारी	42,255		1,989	

महाराष्ट्र में चीनी का कारखाना

10179. **श्री अ० श्री कस्तूरे :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के बुलडाना जिले में सिन्दवे राजा स्थान पर एक चीनी का कारखाना स्थापित करने हेतू लाइसेंस प्राप्त करने के लिये जीजमात सहकारी शेतकारी समिति से सरकार को कोई आवेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) वह मामला विचाराधीन है।

केरल में बेरोजगार व्यक्ति

10180. **श्री अदिचन :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में इस समय रोजगार कार्यालयों में चालू पंजी (रजिस्टर) में कुल कितने बेरोजगार व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं और यह संख्या देश में बेरोजगार व्यक्तियों की कितनी प्रतिशत है;

(ख) केरल में रोजगार कार्यालयों में चालू पंजी में दर्ज बेरोजगार व्यक्तियों में से शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की प्रतिशतता कितनी है; और

(ग) केरल में बेरोजगार व्यक्तियों तथा शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों के वर्तमान आंकड़े तीसरी पंच वर्षीय योजना के आरम्भ और अन्त के इन्हीं आंकड़ों की तुलना में कितने कम व अधिक हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री स० चु० जमीर) : (क) राज्य के नियोजन कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में, 31 मार्च, 1968 को नियोजन अवसर चाहने वाले 1,79,885 लोगों के नाम दर्ज थे । यह देश के चालू रजिस्टरों में दर्ज उम्मीदवारों की कुल संख्या का 6.7 प्रतिशत है ।

(ख) 55.8 प्रतिशत ।

(ग) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-1255/68**] ।

केरल में उर्वरकों की उपलब्धता

10181. **श्री अदिचन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 में केरल में कृषि-योग्य भूमि के लिए प्रति एकड़ कितना उर्वरक उपलब्ध था और वह अखिल भारतीय आंकड़ों की तुलना में कितना कम अथवा अधिक था;

(ख) क्या केरल में उर्वरक उपलब्धता कम थी और यदि हां, तो उसके क्या कारण थे;

(ग) इस राज्य ने कितना उर्वरक मांगा था और उक्त वर्ष में उसको कितना उर्वरक दिया गया; और

(घ) वर्ष 1968-69 में इस राज्य की उर्वरकों की कितनी आवश्यकता है और इस समूची आवश्यकता को पूरी करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) केरल में उर्वरकों की प्रति एकड़ उपलब्धि जिसकी कि अखिल भारतीय आंकड़ों के साथ तुलना की गई है इस प्रकार है :—

उपलब्धि 1967-68 के लिए एन० पी० के०	एन०	पी०$_2$ ओ०$_5$	के०$_2$ ओ०
प्रति एकड़	किलोग्राम	किलोग्राम	किलोग्राम
समस्त भारत	2.82	1.22	0.44
केरल	5.03	2.05	3.64

(ख) जी नहीं ।

(ग) उर्वरकों की मांग का आंकन केन्द्रीय सरकार के द्वारा 50,000 मीट्रिक टन एन० पर किया गया है । इसके विपरीत, 1-4-67 पर 8000 मीट्रिक टन के कैरी ओवर स्टाक को हिसाब में लाकर सैन्ट्रल पूल में 1967-68 वर्ष के लिए 32,656 टन एन० अलाट किया । शेष फैक्टरीज अर्थात् फैक्ट रेलवे, से स्वतन्त्र बिक्री कोटा से पूरा करना । 1967-68 में केरल राज्य को 24,879 टन एन० की मात्रा सप्लाई की गई ।

(घ) केन्द्रीय सरकार ने उर्वरकों की मांग 43,972 टन एन० निर्धारित की । इसके विपरीत 20,000 टन एन० के कैरी ओवर स्टाक को हिसाब में लाकर, केन्द्रीय सरकार 1968-69 में सम्भवतः 7,000 टन एन० अलाट करने वाली है, शेष फैक्टरीज अर्थात् फैक्ट रेलवे आदि से बिक्री कोटा से पूरा किया जायेगा ।

केरल में कृषकों की प्रति व्यक्ति आय

10182. **श्री अदिचन :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में और 1966-67 एवं 1967-68 में केरल में कृषकों की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी तथा अखिल भारतीय आंकड़ों और भारत के अन्य राज्यों की तुलना में ये आंकड़े कितने कम व अधिक हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि केरल में कृषकों की प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है;

(ग) यदि हां, तो क्या विशेष कदम उठाने का विचार है जिससे वहां की प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ कर देश के अन्य भागों के समान हो जाये;

(घ) केरल में कृषि के विकास के लिये क्या केन्द्रीय सहायता दी जा रही है; और

(ङ) 1968-69 और चौथी पंच-वर्षीय योजना के अंत तक भारत में कृषकों की प्रति व्यक्ति आय कितनी हो जाने की आशा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) अखिल भारतीय स्तर पर या राज्य स्तरों पर कृषकों की प्रति व्यक्ति आय के विषय में राष्ट्रीय आय का हर वर्ष अलग हिसाब नहीं लगाया जाता। फिर भी 1960-61 के लिये चुनिन्दा राज्यों तथा संघ क्षेत्रों के विषय में कृषि मे प्राप्त होने वाली कुल आय, कार्य करने वाले व्यक्तियों तथा काम में लगे हुए प्रतिव्यक्ति की कुल आय को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है (विवरण 1) [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1256/68**] कृषि कार्य में लगे व्यक्तियों की संख्या के विषय में आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण गत वर्षों में प्रति व्यक्ति आय के अनुमान तैयार नहीं किये जा सके।

(ख) और (ग). विवरण से पता चलेगा कि कृषि कार्य में लगे हुए व्यक्तियों की कुल आय के आधार पर देश के इन राज्यों में केरल का दूसरा स्थान है।

(घ) 1966-67 तथा 1967-68 की अवधि में कृषि क्षेत्र की स्टेट प्लान के लिये जो रकम दी गई है उसको प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है (विवरण-2)। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-1256/68]**।

(ङ) भारत के कृषकों की 1968-69 तक तथा चतुर्थ योजना के अन्त तक प्रति-व्यक्ति आय कितनी हो जायेगी इसके बारे में पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं ह। फिर भी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में, जो अब पूरी की जा रही है, कृषि उत्पादन की दर में 5 प्रतिशत वृद्धि हो जाने की संभावना है।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ना

10183. श्री अदिचन : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1968-69 में केरल के तटों के साथ-साथ गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा देने की कोई योजना सरकार की मंजूरी के लिये पेश की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं तथा क्या उस योजना को मंजूरी दे दी गई है;

(ग) वर्ष 1968-69 में उक्त योजना की क्रियान्विति के कारण कितनी मछलियां पकड़ी जाने की संभावना है तथा गत दो वर्षों के आंकड़ों की तुलना में यह कम है अथवा अधिक; और

(घ) इन मछलियों से वर्ष 1968-69 में कितनी मछलियों का निर्यात किये जाने की संभावना है तथा गत दो वर्षों के आंकड़ों की तुलना में यह अधिक है अथवा कम ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). केरल सरकार ने गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली नौकाओं की उपलब्धि और मछलियों को उतारने, वितरित करने और विपरण के लिये पर्याप्त तटीय सुविधाओं की व्यवस्था के लिये एक योजना तैयार की है। इस योजना के अन्तर्गत सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में मछली पकड़ने वाले नौका समुदाय का विस्तार करना है। कुल मांग 31 ट्रालर्स की है। यद्यपि नौकायें मुख्यतया श्रिम्प ट्रालिंग के लिए बनी हैं, तथापि उनका प्रयोग केरल के समुद्रीय तट के पास वाली मछलियों को पकड़ने के लिये भी किया जायेगा। निर्यात योग्य किस्मों की निर्यात के लिए प्रक्रिया की जायेगी और निर्यात अयोग्य मछलियों को घरेलू विपरण के लिए भेज दिया जायेगा। यह योजना अप्रैल 1968 में प्राप्त की गई थी और इस पर केरल सरकार की सलाह से विचार किया जा रहा है।

(ग) इस योजना के लिये आवश्यक नौकायें $1\frac{1}{2}$ से 2 वर्ष की अवधि में वितरित की जायेंगी, अतः सन् 1968-69 के दौरान इस योजना के चालू होने से मछली उत्पादन होने की सम्भावना नहीं है फिर भी इस योजना के पूर्णतया विकसित होने पर सम्भावतः प्रतिवर्ष 10,000 टोन्ज मछलियां घरेलू बाजार के लिए

उपलब्ध हो सकेंगी । सन् 1966 तथा 1967 के दौरान केरल में समुद्री मछलियों का उत्पादन क्रमशः 3.47 लाख टोन्ज और 3.93 लाख टोन्ज था ।

(घ) जैसा कि प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में विस्तृत रूप से लिखा गया है इस योजना की क्रियान्विति के फलस्वरूप सन् 1968-69 में कोई अतिरिक्त निर्यात नहीं किया जायेगा । योजना के पूर्णतया विकसित होने पर अतिरिक्त निर्यात लगभग 1000 टोन्ज होने की सम्भावना है जो चालू निर्यात आंकड़ों से 10 प्रतिशत वृद्धि के रूप में होगा ।

Smuggling of Sugar from U.P. to Delhi via Narela

10184. Shri Nihal Singh: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Octroi officials of Narela recently detected a truck carrying sugar without paying octroi to the tune of Rs. 3,200;

(b) whether it is also a fact that sugar is smuggled from Uttar Pradesh to Delhi through this route; and

(c) if so, the number of such smuggling cases detected at Narela Octroi post during the period from November, 1967 to February, 1968 and the amount realised as octroi?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde): (a) Yes Sir, a truck carrying 50 bags of khandsari sugar was detected on 1st March, 1968 and the terminal tax on these bags works out to Rs. 235/-.

(b) and (c). This route can be used for smuggling sugar from Uttar Pradesh to Delhi but no case of smuggling was detected during the period November, 1967 to February, 1968.

Supply of Adulterated Commodities in Ration in Delhi

10185. Shri Nihal Singh: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased state:

(a) the total number of complaints received from Members of Parliament and general public in the capital from December, 1967 so far in regard to the supply of inferior and adulterated commodities in ration; and

(b) the action taken against godown owners and ration dealers and the number thereof separately?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde): (a) Since December 1967 the Delhi Administration received two specific complaints; one from a M.P. in regard to supply of inferior quality wheat and the second from a member of the public in respect of inferior quality of sugar. No complaint about supply of adulterated commodities was received.

(b) As regards wheat, the sale of the particular lot complained against was stopped and the quantity was replaced from F.C.I. godowns. As regards sugar, replacement could not be effected as the stock was sold out. No other action was taken.

Seed Godowns

10186. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the number of seed godowns of the Central Government in various parts of the country;

(b) the quantity of wheat seeds distributed by the Central Government among the State Governments during 1967; and

(c) the quantity of wheat asked for by the Madhya Pradesh Government from the Central Government for purposes of seed during the above period?

The Minister of State in The Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde): (a) As production and distribution of seeds is the responsibility of the State Governments themselves, the Central Government has no seed godowns at present, apart from any stores which Central Seed Farms/Research Institutes, etc. may have for storing their own produce.

(b) A total quantity of 24,082 tonnes of wheat seeds was arranged for various States during 1967.

(c) The Government of Madhya Pradesh first asked for 20,000 tonnes of wheat seed. Later, the State Government estimated its total demand for wheat seeds as 16,000 tonnes and wanted the Central Government to arrange 9,000 tonnes. Taking into consideration all the relevant factors, including the local availability of seeds, 4,000 tonnes of wheat seed were allocated to the State for Rabi '67 sowings.

Sugar Export

10187. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the country-wise quantity of sugar exported during the period from November, 1967 to March, 1968;

(b) the amount of foreign exchange earned by Government thereby ; and

(c) the price at which sugar was exported to foreign countries?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde): (a) to (c). The country-wise quantity of sugar exported during November, 1967 to March, 1968, foreign exchange earned and the average realisation per tonne are given below:-

Period	Country	Quantity exported (tonnes)	Average foreign exchange realisation (Rs. per tonne)	Total foreign exchange realisation (Rs. Cr.)
November, 1967 to March, 1968.	U.S.A.	23,190	1,000*	2·32*

*Estimated.

खानों में विस्फोटक गैस से बचने का उपाय

10188. **श्री मणिभाई जे० पटेल :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खानों में विस्फोटक गैस से बचने तथा बिजली के कारण जल जाने वाली गैस को आग न लगने देने का एक नया उपाय निकाला गया है और यदि हां, तो यह उपाय किसने निकाला है; और

(ख) उसकी मुख्य बातें क्या हैं तथा क्या सरकार ने इसका प्रयोग किया है और उसे अपनाया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) अभी तक बाज़ार में इस प्रकार की कोई वस्तु उपलब्ध नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

उड़ीसा में टेलीफोन कनेक्शन

10189. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :**

श्रीमती तारा सप्रे :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) उड़ीसा में टेलीफोन कनेक्शनों के लिये कितने व्यक्तियों ने आवेदन-पत्र दिये हैं किन्तु उनके नाम एक वर्ष से अधिक समय से प्रतीक्षा-सूची में पड़े हैं; और

(ख) 1967 में कितने नये टेलीफोन कनेक्शन दिये गये हैं ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) :

(क) 1,210

(ख) 1,102 ।

Labour Laws in Coal Mines

10190. Shri Ramavatar Shastri: Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that labour laws and awards of Tribunals are openly violated and are not implemented in most of the coal mines in Bihar;

(b) whether it is also a fact that there is great unrest among the coal mine labourers on account of this anti-labour policy of coal mine owners and they had already gone on strike at many places to protest against such policy; and

(c) if so, the action proposed to be taken by Government in the matter?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi): (a) Labour laws and awards of Tribunals are generally implemented in Coal Mines in Bihar. Where violations are noticed, suitable legal action is taken under the relevant provisions of the laws.

(b) No, Sir.

(c) Does not arises.

Coal Mines in Bihar

10191. Shri Ramavatar Shastri: Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a party of Legislators of Bihar under the leadership of Shri Raj Kumar Parvey recently visited many mines in order to investigate into the grievances of coal mine labourers;

(b) whether it is also a fact that the Legislator members of the said enquiry party were threatened for being killed in Simlabehal Coal mine;

(c) whether the member of the said enquiry party have submitted any report to Government; and

(d) if so, the main features thereof and the suggestions contained therein and the reaction of Government in this regard?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi): (a) Yes, the legislators visited three collieries including Simlabehal Colliery in Bihar:

(b) The Government have no information .

(c) The Government have not received any report.

(d) Does not arise.

कृत्रिम वर्षा

10192. **श्री तेन्नेटि विश्वनाथम :**
श्री मणिभाई जे० पटेल :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् तथा ऋतु विज्ञान विभाग द्वारा गत वर्ष भारत में सूखा के समय कृत्रिम वर्षा करने के सम्बन्ध में अमरीका के साथ जो बातचीत आरम्भ की थी क्या वह इस बीच पूरी हो चुकी है;

(ख) क्या भारत में इस बीच कोई प्रयोग किये गये हैं और यदि पुन: वर्षा न हो तो क्या इस प्रकार की कृत्रिम वर्षा फसलों को नष्ट होने से बचाने के लिये की जा सकेगी; और

(ग) इस योजना का अन्य विवरण क्या है तथा इस मामले में की गई प्रगति की आधुनिकतम स्थिति क्या है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ग). जैसा कि 27 जून, 1967 को लोकसभा में पूछे गये प्रश्न संख्या 761 के उत्तर में बताया गया था, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की वर्षा और बादल भौतिकी सलाहकार समिति से कृत्रिम वर्षा सम्बन्धी परियोजना की सहायता के लिये अमेरिका सरकार से वार्ता के सम्बन्ध में परामर्श किया गया था। कुछ बातों में परस्पर असहमति होने के कारण, सरकार ने इस वार्ता को समाप्त कर दिया और अपने वैज्ञानिकों से एक नवीन परियोजना बनवायी जिसके सम्बन्ध मे बाद में किसी संभावित सहायता परियोजना के अन्तर्गत सम्मिलित करने के लिये अमेरिकन वैज्ञानिकों से परामर्श किया जा सकता है। इस नवीन परियोजना पर वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की सलाहकार समिति द्वारा विचार किया जा रहा है। वायु मन्डलीय विज्ञानों और वैज्ञानिक जलविद्या की अनुसंधान समिति के रूप में इस समिति का पुनर्गठन किया गया है।

(ख) तब से प्रयोग नहीं किये गये हैं और इस विषय में निश्चित रूप से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है।

Export of Teleprinters

10193. Shri Sheopujan Shastri: Will the Minister of Communications be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 1385 on the 23rd April, 1968 and State:

(a) the amount of foreign exchange likely to be saved as a result of production of teleprinters in India;

(b) the names of firms manufacturing Hindi and English teleprinters in the country; and

(c) whether the Indian firms have proposed for the export of teleprinters and if so, the time by which they would start exporting teleprinters?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) Foreign exchange to the tune of about Rs. 2·1 crores was saved by producing teleprinters in India during the year 1967-68. The saving of foreign exchange is expected to be about Rs. 3·2 crores in the year 1968-69.

(b) Teleprinters are being manufactured in the country by the Hindustan Teleprinters Limited, Madras, a public sector undertaking. At present the Company is producing English teleprinters. However, the production of Hindi teleprinters has also been taken up by the Company and the first Hindi teleprinter is expected to be available by July, 1968.

(c) Yes. Teleprinters are expected to be exported by the Hindustan Teleprinters Limited to Ceylon during the year 1968-69.

चुकन्दर से चीनी का उत्पादन

10194. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार से सहयोग से राज्य में चुकन्दर से चीनी बनाने के लिये एक परियोजना आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो उसकी उत्पादन लागत क्या होगी और इस परियोजना के अन्तर्गत चीनी का कितना उत्पादन होगा;

(ग) इस परियोजना के लिए केन्द्र क्या सहायता देगा, और

(घ) उत्पादन कब आरम्भ होगा?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) राष्ट्रीय शर्करा संस्था, कानपुर के समन्वित अनुसंधान योजना के अन्तर्गत 1967-68 के मौसम में चुकन्दर से चीनी बनाने के लिए पाइलट प्लांट परीक्षण, गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, श्री गंगानगर जो कि राजस्थान सरकार द्वारा नियंत्रित एक अन्डरटेकिंग है, में किये जा रहे हैं।

(ख) उत्पादन का लाभालाभ तथा इस प्रकार उत्पादित चीनी की माला की जानकारी केवल परीक्षण के परिणाम जानने के बाद ही हो पायेगी।

(ग) चुकन्दर-चीनी वितरण पाइलट प्लांट उधार देने के अलावा, केन्द्रीय सरकार चीनी बनाने हेतु चुकन्दर की खेती तथा विधायन में तकनीकी सलाह प्रदान कर रही है।

(घ) परीक्षण कार्य 8 अप्रैल, 1968 से शुरू हो चुके हैं।

Sugar Corporation in U.P.

10195. Shri Molahu Prasad: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether a scheme had been formulated by the U.P. Government in 1967 to set up a Sugar Corporation for taking over the unremunerative and mismanaged sugar mills; and

(b) if so, the details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Dev. and Co-operation (Shri Annasaheb Shinde): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

पूर्वी बंगाल से आये शरणार्थी

10196. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्वी बंगाल से आये पांच सौ शरणार्थी परिवारों को अन्डमान द्वीप समूहों में बसाने का प्रस्ताव भेजा था;

(ख) क्या यह प्रस्ताव "चटर्जी समिति" की सिफारिशों पर आधारित था;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने उसे स्वीकार कर लिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) पश्चिमी बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की थी कि 200 कृषक-परिवारों को, जो कि पहले शिविरों में रहते थे, अन्दमान द्वीप समूह में बसाने का कोटा अलाट किया जाये।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) अन्दमान में परिवारों को ले जाने के लिये परिवहन की अत्यन्त सीमित सुविधाएं हैं, और बहुत संख्या में परिवार शिविरों में पुनर्वास की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिनके मामलों को प्राथमिकता दी जायेगी, इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पश्चिमी बंगाल सरकार को सूचित कर दिया गया है कि भूत-पूर्व शिविर परिवारों को अन्दमान द्वीप समूह में बसाने के प्रश्न पर इस समय विचार करना संभव नहीं है।

खाद्यान्नों का मूल्य-स्तर

10197. **श्री भोगेन्द्र झा : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जमींदारों तथा व्यापारियों ने बाद में अधिक दामों पर बेचने के लिये खाद्यान्नों का स्टाक भर लिया है जिसके परिणामस्वरूप चालू वर्ष के लिये नियत किये गये वसूली लक्ष्य पूरे नहीं हुए हैं;

(ख) क्या खाद्यान्न के वर्तमान मूल्य-स्तर को सारे वर्ष स्थिर रखने के लिये सरकार का विचार खाद्यान्न के थोक व्यापार के राष्ट्रीयकरण का है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो वर्तमान मूल्य-स्तर को सारे वर्ष स्थिर रखने के लिये क्या अन्य उपाय किये जा रहे हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे): (क) सामान्यतः यह कहना सम्भव नहीं है कि भूमिपतियों तथा व्यापारियों ने खाद्यान्नों के स्टाकों को ऊंचे मूल्यों पर बेचने हेतु भर लिया है। तथापि, अधिकांश राज्यों में जमाखोरी के विरुद्ध अभियान चल रहा है ताकि सरकारों को जमा स्टाक के अधिग्रहण में सहायता मिल सके।

(ख) फिलहाल खाद्यान्न व्यापार के राष्ट्रीयकरण के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) सरकार की इस घोषणा से कि जब कभी मूल्यों में गिरावट का रुख आएगा तो वे सभी खाद्यान्नों को खरीद लेगी। इससे मूल्यों में गिरावट के रुख को रोका जा सकेगा। बफर स्टाक बनाने और केन्द्रीय स्टाक से एक सी दरों पर खाद्यान्नों की सप्लाई करने से मूल्यों की वृद्धि को अच्छी प्रकार रोका जा सकेगा।

सामुदायिक विकास परियोजनायें

10198. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामुदायिक योजनाओं के माध्यम से खेतिहर मजदूरों तथा गरीब किसानों की सर्वतनुखी प्रगति पर विशेष जोर देने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी): (क) से (ग) सामुदायिक विकास कार्यक्रम के माध्यम से कार्यान्वित विभिन्न योजनाएं ग्रामीण समुदायों के सभी वर्गों के एकीकृत विकास में सहायता हेतु तैयार की जाती हैं। सामुदायिक विकास योजनाओं के माध्यम से खेतिहर मजदूरों तथा गरीब किसानों के सर्वांगीण विकास पर विशेष बल देना इन वर्गों के आकार और आवश्यकताओं के अनुकूल साधनों की उपलब्धि पर निर्भर करता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के वर्तमान स्तर पर विशिष्ट वर्गों के सर्वांगीण विकास पर इस प्रकार का विशेष बल देना सम्भव नहीं है और ना ही ऐसा कोई सुझाव है।

Bhoomi Sena Sakriya Kabza karo Week in U.P.

10199. Shri Molahu Prasad: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Bhoomi Sena Sakriya Kabza Karo week is being observed in almost all the Districts of U.P. as per news-item published in the daily Aaj of the 3rd April, 1968; and

(b) the District-wise number of persons arrested for occupying barren and Government jungle lands and the action taken against them?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Coop. (Shri Annasaheb Shinde): (a) and (b) The information is being collected from the Government of Uttar Pradesh and will be placed on the Table of the Sabha as early as possible.

Raid on Foodgrains Stocks in U.P.

10200. Shri Molahu Prasad : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the names of places in Uttar Pradesh where foodgrains stocks were raided during the period from April, 1967 to May, 1967 and the quantity of foodgrains recovered; and

(b) the action taken against the guilty persons and their names and addresses?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde): (a) and (b) Information in regard to the quantity of foodgrains recovered during April, 1967 to May, 1967 and the action taken against the guilty persons is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the Sabha as soon as it is received. The details in regard to the names of the places and the names and addresses of the guilty persons will be bulky and it is submitted that the time and labour spent may not be commensurate with the result sought to be achieved.

चीनी का उत्पादन

10201. श्री शिवचन्द्र झा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) बिहार के दरभंगा जिले में रयाम, सकरी तथा लोहाट स्थित चीनी कारखानों में अलग-अलग चीनी का प्रतिवर्ष कुल कितना उत्पादन होता है;

(ख) पिछले पांच वर्षों में इन कारखानों में चीनी का उत्पादन बढ़ा है अथवा घटा है;

(ग) यदि हां, तो उत्पादन बढ़ने अथवा घटने के, जैसी स्थिति हो, क्या कारण है; और

(घ) उपरोक्त वर्षों में इन कारखानों में चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) 1963–64 से 1967–68 के पांच वर्षों में बिहार के दरभंगा जिले में रयाम, सकरी तथा लोहाट कारखानों में चीनी का उत्पादन इस प्रकार है :–

(मीटरी टन में)

	रयाम	सकरी	लोहाट
1963–64	3,592	4,021	9,843
1964–65	10,234	9,589	15,705
1965–66	10,790	8,798	15,047
1966–67	4,248	2,903	6,757
1967–68	3,164	1,927	5,021

(ग) ये घट-बढ इन कारखानों के क्षेत्रों में गन्ने के उत्पादन में अन्तर तथा इसकी कितनी मात्रा गुड़ बनाने में लगी है, के कारण हैं ।

(घ) इन कारखानों के क्षेत्रों में गन्ने का उत्पादन बढ़ाने तथा उससे चीनी का उत्पादन बढ़ाने हेतु कोई भी विशेष पग नहीं उठाये गये हैं ।

बिहार में बेरोजगार व्यक्ति

10202. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में इस समय कुल कितने व्यक्ति बेरोजगार हैं;

(ख) उनमें कितने व्यक्ति मैट्रिक पास, स्नातक तथा अन्य तकनीकी डिग्री प्राप्त हैं;

(ग) उनके लिये रोजगार की व्यवस्था करने के उद्देश्य से सरकार क्या कार्यवाही कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री स० चु० जमीर) : (क) उपलब्ध जानकारी, बिहार राज्य के नियोजन कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में नियुक्ति सहायता हित नाम दर्ज करवाने वाले लोगों से ही सम्बन्धित है। 31 मार्च, 1968 को उनकी संख्या 2,27,274 थी।

(ख) *31-12-1967 को नियोजन कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में नाम दर्ज कराने वाले शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार थी :—

मैट्रिक पास	52,216
हायर सेकण्डरी (जिसमें इन्टर मीडिएट/अण्डर ग्रेजुएट भी शामिल हैं)	1,7368
ग्रेजुएट (जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट भी शामिल हैं)	
1. इंजीनियरिंग के	699
2. चिकित्सा के	132
3. अन्य सभी ग्रेजुएट	14,593

(ग) और (घ) बिहार राज्य तथा केन्द्र की योजनाओं में शामिल उद्योग, सिंचाई, बिजली, परिवहन और संचार तथा शिक्षा स्वास्थ्य और समाज कल्याण आदि सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यक्रमों द्वारा, राज्य में बढ़े हुए नियोजन अवसर प्राप्त होने की आशा है। अप्रैल, 1969 से आरम्भ होने वाली राज्य की चौथी पंचवर्षीय योजना को तैयार करते समय, नियोजन अवसरों के विस्तार के प्रश्न पर भी विचार किया जाएगा।

मुंगेर में दूर संचार व्यवस्था

10203. **श्री मधु लिमये** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मुंगेर (बिहार) में संचार व्यवस्था की ओर दिलाया गया है जो लगातार खराब रहती है;

*शैक्षिणिक योग्यता के अनुसार नियुक्ति अवसर खोजने वालों के बारे में जानकारी प्रति वर्ष दो बार 30 जून और 31 दिसम्बर को इकट्ठी की जाती है।

(ख) क्या यह सच है कि मुंगेर में टेलीफोन की लाइनें सप्ताह में तीन अथवा चार दिन खराब रहती हैं तथा पटना के साथ भी सम्पर्क स्थापित नहीं किया जा सकता।

(ग) क्या यह भी सच है कि स्थानीय टेलीफोन विभाग के कर्मचारियों के अवहेलनापूर्ण रवैये के फलस्वरूप वहां के लोगों को काफी कठिनाई उठानी पड़ती है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में कोई एहतियाती कार्यवाही करने का है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) यह सही नहीं है कि मुंगेर में दूर संचार व्यवस्था लगातार खराब रहती है।

(ख) यह भी तथ्य नहीं कि मुंगेर में टेलीफोन लाइनें सप्ताह में तीन या चार दिन खराब रहती हैं। हां, पटना और मुंगेर के बीच तांबें के तार की चोरी अधिक होने के कारण कुछ देरी हो जाती है।

(ग) हाल ही में एक मामले को छोड़ कर स्थानीय टेलीफोन विभाग के कर्मचारियों के अवहेलनापूर्ण रवैये का कोई भी मामला सामने नहीं आया।

(घ) कर्मचारियों को समुचित अनुदेश दे दिये गए हैं। मौजूदा करचल एक्सचेंज को स्वचल एक्सचेंज में बदलने के लिए भी कारवाई की जा रही है।

एपीजे शिपिंग कम्पनी

10204. **श्री मधु लिमये** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब रंगून से 1962 में खाद्य विभाग को एपीजे परिपत्र की एक प्रति प्राप्त हुई थी तो क्या रंगून स्थित हमारे दूतावास का कोई पत्र भी उनके साथ लगा हुआ था;

(ख) इस पत्र में क्या लिखा हुआ था;

(ग) क्या रंगून स्थित भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने उस पत्र तथा मार्किंग वाली खाली बोरियों के बारे में मिली जानकारी पर विचार कर लिया था जो उसको मिली थी तथा जिससे उनको सन्देह हुआ था;

(घ) क्या खाद्य राज्य मंत्री श्री गोविन्द मेनन ने 1966 के अन्त में लोक सभा में यह स्वीकार किया था कि परिपत्र से ऐसा पता चलता है कि परिपत्र में सरकार को धोका देने का प्रयास किया गया था;

(ङ) यदि हां, तो उप-सचिव निदेशक उप-मंत्री आदि ने, जिन्होंने फाइल को देखा था अथवा उन्हें ऐसा बताया गया था कि यह आवश्यक नहीं समझा कि अपीजे शिपिंग लाइंस से स्पष्टीकरण मांगा जाय अथवा सरकार के धोका देने के प्रयास के लिये उन पर मुकदमा चलाया जाये ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) उल्लिखित पत्र की एक प्रति संलग्न है।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1257/68]

(ग) खाद्य अटैची के पत्र से प्रकट होता है कि एपीजे शिपिंग लाइन्स द्वारा जारी किए गए परिपत्र ने उनके मस्तिष्क में सन्देह पैदा कर दिया था।

(घ) लोक सभा के रिकार्ड से यह प्रकट होता है कि श्री गोविन्द मेनन (तत्र राज्य मंत्री) ने 1-12-66 को लोकसभा में इस प्रकार की सूचना दी थी :—

"स्पष्टत: यह धोखा देने का एक प्रयास था। इसमें कोई सन्देह नहीं है।"

(ङ) भारतीय दूतावास में खाद्य अटैची ने रंगून में स्थित एपीजे शिपिंग लाइन्स के स्थानीय एजेन्टों से कहा था कि वे एपीजे रीटा जहाज पर खाली बोरों होने के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करें।

जैसा कि सदन में पहले ही स्पष्ट किया गया है कि एपीजे के विरूद्ध अन्य कोई कार्यवाही करने के बारे में स्पष्टत: 1962 में विचार नहीं किया गया था क्योंकि सरकार को धोखा देने के ऐसे प्रयत्न को विफल करने हेतु कार्यवाही की गई थी और इस कारण से भी कि रंगून स्थित भारतीय दूतावास में खाद्य अटैची ने अपने दिनांक 12 अप्रैल, 1962 के पत्र में कहा था कि ऐसी कार्यवाही करने से सूचना देने वाले के लिए परेशानी हो सकती है। जब दिनांक 7 मार्च, 1962 के गुप्त परिपत्र की एक प्रति जिसे एपीजे शिपिंग लाइन्स द्वारा अपने जहाजों के कप्तानों को जारी किया गया बताया जाता है, को स्वर्गीय डा० राम मनोहर लोहिया द्वारा 2 सितम्बर 1966 को लोक सभा के पटल पर रखा गया तो ऊपर बाद में कथित तथ्य का कोई महत्व ही नहीं रह गया था।

मंत्रियों में काम का बंटवारा

10205. श्री मधु लिमये : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 13 मार्च, 1968 के तारांकित **प्रश्न संख्या** 615 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में विभिन्न मंत्रियों के बीच प्रत्येक द्वारा निपटाये जाने वाले मामलों की श्रेणियों के बारे में काम के बंटवारे के सम्बन्ध में कोई आदेश जारी किये गये थे;

(ख) इन आदेशों का ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या कथित संदिग्ध गबन के मामलों का निपटारा इन आदेशों में उल्लिखित मंत्री द्वारा किया जाना था ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) मंत्रालय में विभिन्न मंत्रियों में काम का बटवारा जो खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्री ने अनुमोदित किया है संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी नहीं।

विवरण

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्री की स्वीकृति के अनुसार खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय के मंत्रियों में काम का निम्न प्रकार बंटवारा किया गया है :—

मन्त्री (खाद्य तथा कृषि) :

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय का समुचित कार्यभार। मंत्रालय की नीति व प्रशासन सम्बंधी समस्त महत्वपूर्ण मामले।

राज्य मंत्री (खाद्य) :

खाद्य विभाग तथा कृषि विभाग की नीति व प्रशासन सम्बन्धी समस्त मामले, जिनमें संसद् में पूछे जाने वाले प्रश्न भी शामिल हैं।

राज्य मन्त्री (सामुदायिक विकास तथा सहकारिता) :

सामुदायिक विकास विभाग तथा सहकारिता विभाग की नीति तथा प्रशासन सम्बन्धी समस्त मामले, जिनमें संसद् में पूछे जाने वाले प्रश्न भी शामिल हैं।

उप-मन्त्री :

मंत्रालय के ऐसे समस्त मामले जो राज्य मंत्रियों ने विशेष रूप से सौंपे हैं।

अपीजे शिपिंग लाइन्स

10206. **श्री मधु लिमये** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 7 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3228 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपीजे शिपिंग लाइंस द्वारा धोखा देने के प्रयास के मामले को निपटाने में इस फर्म से स्पष्टीकरण मांगना अथवा इस फर्म के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही करने की संभावना का पता लगाना तथा काली सूची में रखने की कार्यवाही करना शामिल है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसमें क्या शामिल है; और

(ग) क्या संदिग्ध, धोखा अथवा प्रयास के मामलों में भी, जैसा कि एपीजे शिपिंग लाइन्स के परिपत्र का मामला निदेशकों के स्तर के अधिकारियों के लिये यह लिखने की परम्परा नहीं है कि उसके द्वारा फाइल अगले उच्च अधिकारी को क्यों नहीं भेजी जा रही है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) खाद्य सहचारी का दिनांक 12 अप्रैल, 1962 का पत्र जिसके साथ दिनांक 7 मार्च, 1962 का अभिकचित परिपत्र भी संलग्न था, 18 अप्रैल, 1962 को खाद्य विभाग में प्राप्त हुआ था। खाद्य सहचारी ने 21 अप्रल 1962 को कोचीन स्थित खाद्य विभाग के अधिकारी को एक बार इस अभिप्राय से भेजा

था कि वे देखे कि ऐपोजे रोटा जहांज द्वारा माल के साथ खाली बोरों की निकासी नहीं की जाती अथवा कमो को ऐवजो में बोरे नहीं दिये जाते। उन्होंने वैसा ही तार खाद्य विभाग को भी भेजा था। 24 अप्रैल, 1962 को खाद्य विभाग ने प्रादेशिक निदेशक (खाद्य), मद्रास को एक पत्र लिखा था जिसमें यह कहा गया था कि वह खाली बोरों आदि की उचित जांच के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करें। 3 मई, 1962 को प्रादेशिक निदेशक (खाद्य) मद्रास को पुनः लिखा गया कि वह अपने एक उप-निदेशक को उस मामले की तुरन्त जांच करने के लिए कोचीन भेजे और उस जांच की विस्तृत रिपोर्ट खाद्य विभाग को भेजें। 5 मई, 1962 को बम्बई और कलकत्ता के प्रादेशिक निदेशकों को भी ऐपोजे लाइन्स के अन्य जहांजों द्वारा, सरकार के कमो के दावे से छुटकारा पाने की दृष्टि से खाली बोरों के दुरुपयोग के प्रयत्न के बारे में सतर्क किया गया था।

रंगून में स्थित भारतीय दूतावास में खाद्य सहचारी ने ऐपोजे रोटा जहाज पर खाली बोरों को मौजूदगी के बारे में ऐपोजे शिपिंग लाइन्स के स्थानीय एजेन्टों से स्पष्टीकरण मांगा था। जहाज पर बोरे कैसे आये, इस सम्बन्ध में शिपिंग लाइन्स ने अपनी अनभिज्ञता प्रकट की थी। फर्म का सापराध चालान करने अथवा उसका काली सूची में नाम लिखने सम्बन्धी कार्यवाही करने या परिपत्र के बारे में उनका स्पष्टीकरण मांगने हेतु 1962 में कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी थी।

(ग) जब अधिकारी एक फाइल का निपटान अपने स्तर पर करते हैं तब उनके लिये यह व्यावहारिक नहीं होता है कि वे यह कहें कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं और वे अगले उच्च अधिकारी के पास फाइल क्यों नहीं भेज रहे हैं। इससे यही माना जाएगा कि वे अपने अगले उच्च अधिकारी के पास फाइल भेजना आवश्यक नहीं समझते।

Adulteration in Wheat

10207. Shri Molahu Prasad: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that according to the news published in the daily Aaj of the 3rd April, 1968, 60 percent coal was found adulterated in wheat supplied in March, 1968 to the Fair price shops in Gola town area in District Gorakhpur, Uttar Pradesh;

(b) if so, the number of shopkeepers affected thereby; and

(c) the action taken so far or proposed to be taken in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde): (a) to (c) A report has been asked for from the State Government and the required information will be laid on the table of the Sabha as soon as the report is received.

Ahilyabai Holkar Commemorative Stamp

10208 Shri Y. S. Kushwah: Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a demand has been made to issue commemorative postal stamp in respect of the late Ahilyabai Holkar; and

(b) if so, the action being taken by Government in the matter?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) Yes.

(b) the proposal was placed before the Philatelic Advisory Committee at its meeting held on 17-2-68 but could not be accepted on account of the limited capacity of the Nasik Security Press.

Coordination Between Departments of Food, Agriculture and Irrigation

10209. Shri O. P. Tyagi: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether Government feel that it is difficult to solve the food problem without effective coordination between the departments of Agriculture, Food and Irrigation since these Departments are inter-linked;

(b) the steps which Government propose to take for ensuring better and effective co-ordination between these Departments; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Coop. (Shri Annasahib Shinde): (a) Yes. The Departments of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation have been integrated into one Ministry under the Minister of Food & Agriculture. In the interest of increased agricultural production, Minister of Food & Agriculture also exercises overall supervision over the work of the Ministry of Irrigation & Power in matters relating to Agriculture and Irrigation.

(b) and (c) Do not arise.

Research Laboratory At Pusa, Bihar

10210. Shri K. M. Madhukar: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a Research Laboratory for developing varieties of wheat is functioning under the control of the Central Government at Pusa, District Darbhanga, Bihar;

(b) if so, the details in regard to the progress made in the research work there;

(c) whether the said Laboratory is running at a loss or earning profit and whether Government have at any time reviewed the causes of profit or loss of the said Laboratory; and

(d) if so, the details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Coop. (Shri Annashib Shinde): (a) Yes. There is a sub-station of the I.A.R.I. at Pusa, Bihar functioning under the control of the I.C.A.R. to under take work on the genetic improvement of wheat varieties besides other crops.

(b) As a result of Plant Breeding work done at the Sub-station, a number of improved varieties of wheat and rice have been produced and released for cultivation work, more particularly in the Eastern part of the country. Amongst the wheat varieties released, particular mention may be made of NP 852 and NP 884, The State Department of Agriculture in Bihar has also officially released these varieties in their State and arranged for multiplication of seeds. Both these varieties have given very good performance in Eastern U.P. and West Bengal. Their seeds have been multiplied and distributed in these areas also.

The wheat variety NP. 852 is particularly suited for Bihar conditions as it is adapted for late sown conditions also after the floods have receded or after the harvest of the paddy crop. In more recent years extensive hybridisation programme in wheat has been

taken up at the Sub-station in which the best adapted Indian varieties have been crossed with the Dwarf fertiliser responsive Mexican varieties. A number of strains from these crosses are at present in advanced generations and are in the final stages of testing. In the case of paddy two varieties namely NP 49 and NP 114 have been bred and released in the Bihar State.

(c) and (d) The research Station at Pusa is not a production or commercial farm specialising in production and sale of seeds. The profitability of the Station can thus only be judged from the results of its researches. As explained above, a number of new varieties have been released and these have been of very great practical value to the farmers of the area. The Station has also served very useful purpose in conducting trials of varieties developed at Delhi and other placed. Thus very good collection of Cajanus Cajan (Arhar) is being tested and evaluated at the Pusa Sub-station.

Improved Quality of Wheat at Durgapur Government Farm

10211. Shri K. M. Madhukar: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact tha ta new improved variety of wheat has been developed at the Durgapur Government Farm which has been given the name of 'Lal Bahadur' and which is the most improved variety of wheat developed so far;

(b) if so, the scheme proposed to be launched by Government to make use of this variety in their 'Grow More Food 'campaign;

(c) whether this variety can be successfully sown in different regions of the country, particularly in Bihar; and

(d) whether such experiments are being conducted in Bihar also and if not the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) Yes. According to the reports received here, a new wheat variety has been developed in Rajasthan, which has been given the name of "Lal Bahadur". As the variety has not yet been tested under the All-India Coordinated Trials, no information can be furnished at this stage about its superiority over others.

(b) The variety has not been released for cultivation so far, and therefore the question of making use of it under "Grow More Food" campaign does not arise.

(c) The variety is reported to have been grown in Rajasthan and at Kanpur, Pantnagar, Delhi and Ludhiana. At Delhi, it has proved to be very highly susceptible to black and brown rusts and accordingly it is considered to be unsuitable for cultivation in well fertilized and irrigated lands. Information from other Centres are, however, awaited.

(d) No. Sufficient quantity of seed of this variety was not available for supply to Bihar.

Price of Kotogem Ghee in U.P.

10212. Shri Ram Charan: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the controlled price of a tin of Kotogem Ghee (16·500 Kg.) is Rs. 58·90; and

(b) if so, the reasons for which it is being sold for Rs. 72 in District Bulandshahr?

The Minister of State in The Ministry of Food, Agriculture, Community Dev. and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) Under the informal system of price regulation, the

current maximum retail price for a 16·5 kg. tin of vanaspati in the North Zone is Rs. 61·22, exclusive of Sales Tax and other local taxes. Inclusive of these taxes, the price in Bulandshahr would come to Rs. 66·33.

(b) The Collector of Bulandshahr has informed that there is no report about sale of a tin of kotogem at Rs. 72 in Bulandshahr.

बुलन्दशहर की सहकारी समितियों के विरुद्ध शिकायतें

10213. **श्री राम चरण** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान (31 मार्च, 1968 तक) बुलन्दशहर जिले की सहकारी समितियों के विरुद्ध कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा कितनी शिकायतों का निपटारा किया गया है।

(ख) इन समितियों द्वारा धन का गबन किये जाने के बारे में कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) प्रत्येक के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) गत दो वर्षों में (31 मार्च 1968 तक) प्राप्त 882 शिकायतों में से 589 शिकायतों का निबटान कर दिया गया था। शेष शिकायतों की जांच की जा रही है।

(ख) 275।

(ग) धन के दुरुपयोग से सम्बन्धित 275 शिकायतों में से 160 केस सालसी कार्यवाही के अन्तर्गत लिए गए जिनमें से 225 तय हो चुके हैं। शेष 15 केस पुलिस को जांच के लिए दिए गए। प्रारम्भिक जांच के फलस्वरूप सहकारिता विभाग के कुछ अधिकारियों के विरूद्ध नीचे लिखी कार्यवाही की गई है :—

1. सहकारी निरीक्षक जो प्रत्यावर्तित हुए ..	3
2. सहकारी निरीक्षक जो निलम्बित हुए ..	1
3. सहकारी पर्यवेक्षक जो निलम्बित हुए	12
4. सहकारी पर्यवेक्षक जिनके विरुद्ध निलम्बन की कार्यवाही चल रही है ..	1

बुलन्दशहर जिले में वन भूमि का दिया जाना

10214. **श्री राम चरण** : क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बुलन्दशहर जिले में सूरजपुर की वन भूमि को दिये जाने की अधिसूचना किस तारीख को तथा किस महीने में प्रकाशित की गई। अधिसूचित की गई तथा किन-किन समाचार पत्रों में;

(ख) इस भूमि के लिये कुल कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं तथा आवेदनों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या हर व्यक्ति को बोली देने का अधिकार था अथवा यह अधिकार कुछ व्यक्तियों को ही दिया गया था तथा किस तारीख को और किस स्थान पर बोली दी गई थी तथा बोली देने वाले प्राधिकार का नाम क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि बोली देने के समय श्री जे० सी० बगाई के अतिरिक्त और कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं था; और

(ङ) यदि हां, तो यह कैसे हुआ कि केवल श्री बगाई ही उपस्थित थे; और क्या सरकार का विचार इस मामले को केन्द्रीय गुप्तचर विभाग द्वारा खुली जांच कराने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ङ). पूछी गई जानकारी राज्य सरकार से इकट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

बुलन्दशहर में सहकारी समितियां

10215. श्री राम चरण : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बुलन्दशहर जिले में कितनी सहकारी समितियों ने पिछले पांच वर्षों में अपने पदाधिकारियों के लिये अभी तक वर्षवार, चुनाव नहीं कराये हैं;

(ख) क्या सरकार ने उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) बुलन्दशहर जिले में ऐसी कोई समिति नहीं है जिसने पिछले पांच वर्षों से पदाधिकारियों का निर्वाचन नहीं हुआ है।

(ख) व (ग). प्रश्न नहीं उठता।

बुलन्दशहर में सहकारी समितियों का वार्षिक लेखा

10216. श्री राम चरण :- क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बुलन्दशहर जिले की प्रत्येक तहसील में हर प्रकार की कितनी-कितनी सहकारी समितियां चल रही हैं;

(ख) कितनी सहकारी समितियों ने पिछले तीन वर्षों में अब तक अपने वार्षिक सन्तुलन पत्र प्रस्तुत नहीं किए हैं; और

(ग) क्या सरकार ने उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी): (क) एक विवरण संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1258/68]

(ख) 30 समितियां।

(ग) इन सभी समितियों को नोटिस दिए गए हैं और वैधानिक कार्यवाही चल रही है।

रामकृष्णपुरम नई दिल्ली में टेलीफोनों का लगाया जाना

10217. श्री एस० एस० सैयद : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन टेलीफोन प्रयोक्ताओं के टेलीफोन, जो दिल्ली की अन्य बस्तियों से रामकृष्णपुरम के सेक्टर आठ में आ गये हैं, अब तक नहीं लगाये गये हैं यद्यपि उन्होंने पांच महीने पहले टेलीफोन को स्थानान्तरण के लिये कहा था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) उनके निवास स्थानों में कब तक टेलीफोन लगाये जाने की संभावना है;

(घ) क्या इन लोगों को उस अवधि का टेलीफोन का किराया देना पड़ेगा जिसमें टेलीफोन के स्थानान्तरण के सिलसिले में ये टेलीफोन इतने समय तक बन्द रहे; और

(ङ) यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां।

(ख) इस क्षेत्र में केबिल युग्मों की कमी के कारण।

(ग) नये केबिल बिछाने के कार्य की मंजूरी के लिए कार्रवाई की जा रही है। इस कार्य के पूरा होते ही टेलीफोन स्थानान्तरित कर दिये जाएंगे।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए विस्थापित व्यक्तियों का अन्दमान में पुनर्वास

10218. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री समर गुह :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान द्वीपसमूह में बसाये जाने वाले पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों के व्यवसाय और पुनर्वास के बारे में पूर्व योजना बनाई गई ताकि उन प्रवासियों को वहां से वापस न आना पड़े; और

(ख) यदि हां, तो इन विस्थापित व्यक्तियों के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं और क्या उन्हें उचित रोजगार देने के लिये पर्याप्त अवसरों की व्यवस्था की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) हाल के वर्षों में, जैसे कि 1964 में तथा उसके बाद जबकि पूर्वी पाकिस्तान से भारी संख्या में

प्रव्रजक आये, लगभग 460 प्रव्रजक परिवारों को बसाने के लिय अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में भेजा गया है। यह उपयुक्त योजना बना कर तथा उनकी व्यवसायिक अभिरूचि और अनुभव और बसाने की योजनाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर किया गया था। ये प्रव्रजक मुख्य भूमि से वापस नहीं आये हैं।

(ख) बसाने के लिये प्रव्रजकों के किसी भी बेच को भेजने से पूर्व, उनके लिये आवास, खाद्य सामग्री इत्यादि की सुविधाओं, चिकित्सा तथा बच्चों की शिक्षा आदि की व्यवस्था कर दी जाती है। चूंकि ये कार्यक्रम मुख्य रूप से कृषक तथा-बागान श्रमिकों के लिये बनाये गये हैं, क्षेत्रों का चुनाव सावधानी से किया जाता है और जब उन्हें भूमि के कार्य पर लगाया जाता है, तो उन्हें पर्याप्त मजदूरी दी जाती है। जिससे उनके परिवारों का निर्वाह हो जाता है। बाद में उन्हें ऐसी वित्तीय या अन्य सहायता भी दी जाती है जो कि विशेष कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिये आवश्यक है।

पाकिस्तान में भारतीयों द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ति

10219. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 मार्च, 1968 के "नैशनल हैरल्ड" में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गई हिदायतों के स्पष्ट उल्लंघन के 2000 से अधिक ऐसे मामले प्रकाश में आये हैं जिनमें नाडिया जिले में पाकिस्तानी नागरिकों की सम्पत्ति हस्तांतरित की गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन सभी मामलों में ये हस्तांतरण पाकिस्तान में भारतीय नागरिकों की सम्पत्ति के विरुद्ध भारत में पाकिस्तानी नागरिकों की सम्पत्ति के लिये किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण): (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

निर्वाचन अर्जियां

10220. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन अर्जियों के निबटाने में अधिक देर लगने से लोकतंत्र के कार्य की भावना पर प्रभाव पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है कि न केवल लम्बित मामले ही शीघ्रता से निबटाये जायें अपितु भविष्य में ऐसे मामलों को अन्तिम रूप से निपटाने के लिए समय सीमा निर्धारित की जाये।

विधि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : (क) जी हां।

(ख) इसको दृष्टि में रखते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के सुसंगत उपबन्ध उच्च न्यायालय द्वारा निर्वाचन अर्जियों के विचारण के लिए संशोधित किए गए हैं। व्यापक तौर पर, उच्च न्यायालयों द्वारा निर्वाचन अर्जियों के निपटाने में अच्छी प्रगति की गई है। एक वर्ष के दौरान, उच्च न्यायालयों ने अपने समक्ष फाइल की गई अर्जियों में से 63 प्रतिशत से अधिक निपटा दी हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त निरन्तर, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के सम्पर्क में रहते हैं, जो अर्जियों के शीघ्रतम निपटारे के लिए कदम उठा रहे हैं।

Man-Days Lost Due to Strikes

10221. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of man-days lost as a result of strikes, lock-outs, gheraos, industrial disturbances and labour agitations from 1962 to date, year-wise; and

(b) the number of man-days out of them lost in the public sector industries and the number of those lost in the private sector industries?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi): (a) and (b). A statement is attached. [Placed in Library. *See* No. LT:1259/68].

Locust Danger

10222. Shri Raghuvir Singh Shastri: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether there is an apprehension of arrival of locusts in India this year; and

(b) if so, the preventive steps taken to save crops from this menace?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Coop. (Shri Annasahib Shinde): (a) Reports of increased locust activity in South Arabian Peninsula and some other countries have been received. The locusts migrate from one country to the other and the possibility of arrival of locusts in the coming months cannot be ruled out.

(b) The Government of India maintains a permanent Anti Locust Organisation fully equipped with insecticides, modern equipment and trained personnel in the Scheduled Desert Area which is the centre of locust activity in India. The organisation is aware of the possibility of a locust invasion and is fully prepared to meet the situation. Adequate stocks of pesticides and equipment are being maintained. The Aerial Unit of the Government of India comprising of 7 aircraft can also be pressed into service if necessary for locust control. A careful watch is being kept on the locust situation through intensive surveys and by coordinating information on the locust situation with the neighbouring countries vulnerable to locust attacks.

Rise in Vanaspati Price in Delhi

10223. Shri Shashibhushan Bajpai: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the price of Vanaspati has risen by 20 per cent in Delhi recently;

(b) whether it is mainly due to the fact that the Delhi Administration has given licences to such persons, who were inexperienced in this trade; and

(c) if so, goverment's reaction thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Dev. and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) The price of vanaspati has not risen by 20 per cent in Delhi recently.

(b) and (c). Do not arise.

Import of Milk Powder for D.M.S.

10224. Shri Shashi Bhushan Bajpai: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that milk powder is imported for the preparation of toned milk by the Delhi Milk Scheme;

(b) if so, the quantity of milk powder imported from abroad annually for this purpose;

(c) the amount of foreign exchange being spent thereon; and

(d) the percentage of such milk prepared from milk powder?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) Yes, Sir. Imported skim milk powder is utilised for preparation of Standardised, Tonned or Double Tonned Milk to make up for shortfall in availability of fresh milk particularly during summer.

(b) The quantity of skim milk powder imported during the last five years is as under:-

1963-64	660·209 tonnes
1964-65	890·123 ,,
1965-66	1706·757 ,,
1966-67	850·837 ,,
1967-68	1245·875 ,,

(c) The amount spent on foreign exchange on this account was as under:-

1963-64	Rs. 7·46 lakhs
1964-65	Rs. 13·50 lakhs
1965-66	Rs. 21·00 lakhs
1966-67	Rs. 16·13 lakhs.
1967-68	Rs. 31·35 lakhs

(d) The required information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha, in due course.

आप्रवासियों का अन्दमान को छोड़कर अन्य द्वीपों में बसाया जाना

10225. श्री दीवीकन : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को छोड़कर अन्य आप्रवासियों को विशेषकर कीनिया तथा श्रीलंका से आये व्यक्तियों को देश में अन्दमान के अलावा अन्य द्वीपों में बसाने का है;

(ख) उन्हें इन द्वीपों में किस प्रकार की सहायता दी जायेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) से (ग). बर्मा तथा श्रीलंका से लौटने वाले कुछ भारतीयों को अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में फिर से बसाने का प्रस्ताव है। बर्मा से लौटने वाले 37 परिवारों को पहले ही

रबड़ अनुसंधान स्टेशन पर रोजगार पर लगा दिया गया है। लौटने वाले लगभग 1200 परिवारों को कच्चल में रबड़ बागान में रोजगार पर लगाया जायेगा।

दल बदलने वालों को निर्वाचन प्रतीक देना

10226. श्री दीवीकन :

श्री चेंगलराया नायडू :

क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्वाचन आयोग उन दल बदलने वालों को मान्यता प्रदान करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है जिन्होंने अलग समूह बना लिए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे समूहों को पृथक निर्वाचन प्रतीक दिए जाएंगे; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक अन्तिम निर्णय किए जाने की संभावना है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : (क) से (ग). 4 मई, 1968 को निर्वाचन आयोग द्वारा बुलाए गए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के सम्मेलन में अन्य बातों के साथ-साथ इस मामले पर भी विचार-विमर्श किया गया था। आयोग के विनिश्चय की प्रतीक्षा की जा रही है।

संकर मक्का का उत्पादन

10227. श्री चेंगलराया नायडू: क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिड़ला वैज्ञानिक अनुसंधान संस्था, पंजाब द्वारा किये गये सर्वेक्षण से पता चला है कि यदि उर्वरकों के प्रयोग के बारे में आधुनिक तरीकों, उचित कृषि कार्यों तथा कीटनाशी उपायों को प्रयोग में लाया तथा ठीक तरह से पानी दिया जाये तो संकर मक्का की उपज 50 से 100 प्रतिशत तक बढ़ाई जा सकती है;

(ख) यदि हां, तो क्या पंजाब में इन उपायों पर अमल किया जा रहा है और उनसे अच्छे परिणाम निकले हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सर्वेक्षण प्रतिवेदन पर विचार किया है; और

(घ) उन पर अमल करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे: (क) जहां तक हमें ज्ञात है, बिड़ला वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान मुख्यत: बीज उत्पादन का एक फार्म है। फिर भी यह पता लगा है कि इस संस्था ने पंजाब के रोपड़ जिले में खरीफ 1967 में संकर मक्का की गंगा 101 और गंगा 3 किस्मों से किसानों के खेतों में कुछ प्रदर्शन किये। संस्था द्वारा प्रकाशित विवरणिका के आधार पर, इन प्रदर्शनों के परिणामों से प्रकट हुआ है कि मक्का की उपज में उचित कृषि कार्यों तथा कीटनाशी उपायों और समुचित जल व्यवस्था के साथ-साथ पूर्ण और सन्तुलित उर्वरकों के प्रयोग से 50--100 प्रतिशत तक की वृद्धि की जा सकती है।

(ख) से (घ) :

1965–66 और 1966–67 में देश में मक्का का उत्पादन करने वाले सभी क्षेत्रों में किये गये राष्ट्रीय प्रदर्शनों से यह निर्णायक रूप से सिद्ध हो चुका है कि संकर मक्का के उत्पादन के लिए सुधरे तरीकों के पैकेज अपनाने से उत्पादन में वृद्धि होती है । यहां यह भी स्पष्ट कर दिया जाये कि सुधरे तरीकों के पैकेज को, जो कि सामान्य कृषि के लिए इन संकर बीजों की निर्मुक्ति के साथ साथ विकसित हुआ है, सभी राज्यों में पहले ही अधिक उत्पादनशील किस्मों के कार्यक्रम के अन्तर्गत अपनाया जा रहा है।

वनस्पति का मूल्य नियंत्रण

10228. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वनस्पति उद्योग ने इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि वनस्पति की सप्लाई इसकी मांग को पूरी करने के लिये पर्याप्त है, सरकार से वनस्पति पर से मूल्य नियंत्रण हटाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि तेल-बाजार में उतार-चढ़ाव आने के कारण वनस्पति के मूल्य नियंत्रण के अन्तर्गत भी इसके मूल्य में कोई स्थिरता नहीं है, और नियंत्रण लागू करने के सम्बन्ध में किये गये सभी प्रयत्न तथा प्रशासनिक व्यय निरर्थक विफल रहे हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) और (ख). माल की उपलब्धि में सुधार होने से उद्योग ने सरकार से अनुरोध किया था कि वे वनस्पति के मूल्यों के विनियमन की अनौपचारिक प्रणाली को समाप्त कर दें। सरकार ने उद्योग की इस प्रार्थना को इसलिये अस्वीकार कर दिया था क्यों कि वे यह आश्वासन देने के लिये तैयार नहीं थे कि वे वर्तमान विधायन के स्वरूप और अन्य खर्चे आदि सम्बन्धी बातों का पालन करते रहेंगे और वनस्पति के मूल्यों में घट-बढ़ तेल के मूल्यों के उतार चढ़ाव पर ही केवल आधारित होगी।

(ग) तेल के मूल्यों में उतार चढ़ाव को देखते हुए, वनस्पति के मूल्यों में स्थिरता न आ सकी थी। तथापि वनस्पति के मूल्यों के अनौपचारिक विनियमन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि तेल की कीमतों में जिस स्तर तक वृद्धि हो उससे अधिक वनस्पति के मूल्य बढ़ने न पावें।

परिष्कृत खाद्य उद्योग

10229. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी जोन में परिषकृत खाद्य उद्योग को चीनी की कम सप्लाई किये जाने के कारण वह संकट से गुजर रहा है जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन कम हो गया है और निर्यात से आय कम हो गई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1968 के पहले 3 महीनों में इन उद्योगों को वास्तव में कितनी चीनी दी गई थी तथा उनकी वास्तविक आवश्यकता क्या थी;

(ग) इन 3 महीनों में इन उद्योगों में वास्तविक उत्पादन गत वर्ष तथा इससे पहले वर्ष की इसी अवधि में कितना कम अथवा अधिक था; और

(घ) इस उद्योग को वर्तमान संकट से निकालने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) और (ख) मौजूदा नीति के अनुसार खाद्य विधायन उद्योग जैसे थोक उपभोक्ताओं को अपनी चीनी की आवश्यकताओं की पूर्ति खुले बाजार से खरीदारी द्वारा ही करनी होती है। चीनी के आंशिक विनियंत्रण के बाद उद्योग द्वारा की गयी वास्तविक खरीदारी के सम्बन्ध में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है। क्योंकि उद्योग की निर्यात सम्बन्धी मांग की पूर्ति के लिये उन्हें चीनी नियंत्रित दरों पर उपलब्ध की जाती है, अतः इस कारण से निर्यात-अर्जन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिये।

(ग) तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) आशा है कि उद्योग अपनी चीनी की आवश्यकताओं की पूर्ति खुले बाजार से खरीदारी करके करेगा।

गैंडों की संख्या

10230. श्री हिम्मतसिंहका : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्लभ गैंडों की संख्या का अनुमान लगाने के लिये हाल ही में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कजीरंगा में तथा भारत के अन्य स्थानों में इन दुर्लभ गैंडों की अनुमानित संख्या क्या है;

(ग) इस दुर्लभ प्राणी के संरक्षण तथा इसकी संख्या बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) 1966–67 और 1967–68 में गैंडों के सींगों के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है और उनका कुल कितना निर्यात किया गया?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) से (घ) जानकारी सम्बन्धित राज्यों से इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

हिन्दी के टेलीप्रिंटर

10231. श्री हिम्मतसिंहका : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समूचे देश में स्थान-स्थान पर हिन्दी के टेलीप्रिंटर लगाने की योजना का ब्योरा क्या है; और

(ख) देश में स्थान-स्थान पर हिन्दी के टेलीप्रिंटर लगाने की सारी योजना को पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) तारघरों में हिन्दी टेलीप्रिंटर मशीनें लगाने का निश्चय किया गया है बशर्ते कि टेलीप्रिंटर सेवा चालू करने के लिये पर्याप्त परियात हो ।

(ख) 1968 की दूसरी छमाही के दौरान।

वर्ष 1968-69 में खाद्योत्पादन के लक्ष्य

10232. **श्री हिम्मतसिंहका :**

श्री क० मि० मधुकर :

श्री श्रीचन्द गोयल :

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968–69 के लिए खाद्योत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और उसके अनुसार (1) गेहूं (2) चावल की उपज कितनी होगी; और

(ख) इस वर्ष विभिन्न व्यापारिक फसलों के उत्पादन के लक्ष्य क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) 1968–69 में 70 लाख मीटरी टन अतिरिक्त खाद्यान्नों के उत्पादन का लक्ष्य है। यह उत्पादन 1967–68 के उत्पादन स्तर से लगभग 950 मीटरी टन अधिक है। चावल व गेहूं के लिए अलग वार्षिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते।

(ख) 1968–69 की अवधि के लिए महत्वपूर्ण व्यापारिक फसलों के उत्पादन के लक्ष्य निम्न प्रकार हैं :––

तिलहन	100 लाख मीटरी टन
गन्ना (गुड़)	125 लाख मीटरी टन
कपास	67 लाख गांठ
पटसन	69 लाख गांठें

Procurement of Jowar in M.P.

10233. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the quantity of jowar procured in Madhya Pradesh during 1966-67 and 1967-68 and the quantity thereof supplied outside Madhya Pradesh;

(b) The target fixed for the procurement of jowar in Madhya Pradesh during the crop season 1968-69;

(c) whether any change has been made in the procurement policy; and

(d) the amount provided by the Central Government to the Food Corporation of India for the procurement of jowar during the years 1966-67 and 1967-68?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde): (a) The quantities of jowar procured in M.P. during 1966-67 and 1967-68 are:

Year	Quantity in '000 tonnes
1966-67	95·8
1967-68 (upto 29-4-68)	47·5

As for the quantities exported outside Madhya Pradesh, the information is not available with the Centre.

(b) It is yet too early to fix a target for the crop year 1968-69.

(c) No change has been reported by the State Government so far.

(d) Central Government have provided no funds to the Food Corporation of India for the specific purpose of procurement of jowar in Madhya Pradesh.

Unemployment among Industrial workers in West Bengal

10234. Shri Ram Avtar Sharma: Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that more than 32,000 industrial workers have been rendered jobless in West Bengal as a result of strikes and lock-outs during the last year;

(b) whether it is also a fact that the number of such unemployed industrial workers is increasing in other States also; and

(c) if so, the action taken by Government to tackle the unemployment problem?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi): (a) and (b) The number of workers temporarily rendered jobless on account of strikes and lock-outs differs from time to time in each State depending upon the actual duration of each work-stoppage. In West Bengal, according to information available at present, the number of workers without work as on 31-12-1967, as a result of work-stoppages, was 23,653.

(c) The solution to the problem of temporary unemployment resulting from work stoppages on account of industrial disputes lies in removing the principal causes of industrial unrest and discord. Towards this end the Central and State Governments are continuously evolving measures to improve the wages and emoluments of workers, to ensure that their lawful dues are paid without delay, to provide them job security and protection against arbitrary or unjust discharge or dismissal, and generally to promote better industrial relations. The machinery for conciliation and adjudication of industrial disputes is also being strengthened, wherever necessary.

Post offices in Villages of District Gwalior

†10235. Shri Ram Avtar Sharma: Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the number of villages in District Gwalior, Madhya Pradesh in which new post offices were opened during the last four years;

(b) the number of applications for opening new Post offices still under consideration; and

(c) the number of villages without Post Offices so far in spite of their having a population of 3,000 or above?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) 19.

(b) Nil.

(c) None.

महाराष्ट्र में ज्वार तथा धान खरीद मूल्य तथा बिक्री मूल्य

10236. **श्री देवराव पाटिल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य में चालू मौसम में ज्वार तथा धान की प्रति क्विंटल एकाधिकार खरीद एवं वसूली मूल्य निर्धारित किया गया है ;

(ख) वसूली वाले जिले में तथा वसूली वाले जिले से बाहर राज्य के अन्य क्षेत्रों में उचित मूल्य वाली दुकानों पर बिक्री के लिये फुटकर मूल्य क्या निर्धारित किया गया है; और

(ग) एकाधिकार क्रय योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा खरीदे गये ज्वार तथा चावल की खरीद मूल्य तथा बिक्री मूल्य में भारी अन्तर होने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) महाराष्ट्र में चालू मौसम के लिये साधारण ज्वार और धान के एकाधिकार खरीद एवं अधिप्राप्ति मूल्य क्रमशः 43 रुपये और 56 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किये गये हैं ।

(ख) राज्य के बिना राशन वाले क्षेत्रों में साधारण ज्वार और धान के खुदरा निर्गम मूल्य अधिप्राप्ति जिलों और खपत वाले जिलों में क्रमशः 53.50 रुपये व 67 रुपये और 57 रुपये व 70.50 रुपये निर्धारित किये गये हैं । राशन वाले क्षेत्रों में खुदरा निर्गम मूल्य, बिना राशन वाले क्षेत्रों से अपेक्षाकृत 3 रुपये प्रति क्विंटल ऊंचे हैं ।

(ग) इन खाद्यान्नों के अधिप्राप्ति मूल्यों और विक्रय मूल्यों के बीच ये अन्तर महाराष्ट्र में शीर्ष विपणन संघ द्वारा इन खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति हेतु उचित प्रासंगिक खर्चों को और सरकार द्वारा खाद्यान्नों के वितरण सम्बन्धी प्रासंगिक खर्चों को पूरा करने हेतु आवश्यक हैं ।

राज भाषा (विधायी) आयोग

10237. **श्री मु० न० नाघनूर** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने अंग्रेजी अधिनियमों का अनुवाद कराने के लिये राज भाषा (विधायी) आयोग की नियुक्ति किस तारीख को की थी ;

(ख) प्रति वर्ष कितने अधिनियमों का अनुवाद किया गया और वे अधिनियम कौन-कौन से हैं ;

(ग) प्रति वर्ष कुल कितने पृष्ठों का अनुवाद किया गया ;

(घ) इस आयोग पर प्रति वर्ष कुल कितना व्यय हुआ है; और

(ङ) (एक) अधिनियमों के और कितने पृष्ठों का अनुवाद करना अभी बाकी है; (दो) इस कार्य में कितना समय लगने का अनुमान है; (तीन) उस पर कितना खर्च आने का अनुमान है ?

विधि मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : (क) राजभाषा (विधायी) आयोग का गठन, संविधान के अनुच्छेद 344 के खण्ड (6) के अधीन निकाले गए तारीख 27 अप्रैल, 1960 के राष्ट्रपति के आदेश को अनुसरण में 8 जून, 1961 को किया गया था।

(ख) और (ग) आयोग द्वारा प्रति वष अनूदित अधिनियमों और उनके पृष्ठों की कुल संख्या दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया लिये संख्या एल० टी० 1260/68]**

(घ) आयोग पर हुआ कुल वार्षिक व्यय इस प्रकार है ;

वर्ष	धनराशि
1961-62	1,85,535 रुपये
1962-63	5,33,003 रुपये
1963-64	6,66,559 रुपये
1964-65	9,22,924 रुपये
1965-66	9,37,509 रुपये
1966-67	8,78,500 रुपये
1967-68	16,78,500 रुपये
1968-69	13,04,000 रुपये (इस की व्यवस्था आयोग के आय-व्ययक अनुदानों में कर दी गई है।

(ङ) केन्द्रीय अधिनियमों के लगभग 11,500 पृष्ठों का अनुवाद अभी किया जाना है। इस काम में लगभग 5 वर्ष लगने की सम्भावना है। समूचे आयोग पर होने वाले व्यय सहित अनुमानित व्यय लगभग 70,00,000 रुपये होगा।

आसाम तथा पश्चिम बंगाल के चाय बागान

10238. श्री कार्तिक ओराओ : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम तथा पश्चिम बंगाल में कुल कितने तथा कौन-कौन से चाय बागान हैं ;

(ख) प्रत्येक चाय बाग में कितने मजदूर काम करते हैं ;

(ग) प्रत्येक में अनुसूचित आदिम जातियों के कितने मजदूर है; और

(घ) प्रत्येक चाय बाग के अनुसूचित आदिम जाति के लोगों में कितने ग्रेजुएट हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) आसाम और पश्चिम बंगाल की चाय एस्टेटों (लगभग 200 एकड़) की सूची चाय बोर्ड, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित 'दी डाइरैक्टरी 1966' नामक प्रकाशन के पृष्ठ 1-162 में दी गई है। यह प्रकाशन कीमत पर मिलता है।

(ख) से (ग) इस समय सूचना उपलब्ध नहीं है।

डाक और तार के फार्मों की तीन भाषाओं में छपाई

10239. **श्री कार्तिक ओराओ** : क्या संचार मंत्री 7 मार्च, 1968 के अल्प सूचना प्रश्न संख्या 4 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि फार्मों को एक साथ तीन भाषाओं में छापने में कितना अतिरिक्त व्यय होगा ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : कुछ फार्म जैसे कि मनीआर्डर फार्म पहले से ही द्विभाषी अर्थात् हिन्दी /अंग्रेजी में छापे जा रहे हैं। विभिन्न डाक-तार फार्मों को त्रिभाषी छापने का व्यौरा तैयार किया जा रहा है। त्रिभाषी, द्विभाषी या अलग-अलग भाषाओं में छापे जाने वाले विभिन्न प्रकार के फार्मों को छांटने के बाद मुद्रण तथा लेखन-सामग्री विभाग या अन्य साधनों द्वारा इनकी छपाई की व्यवस्था की जाएगी। इस प्रकार की छपाई में होने वाले खर्च का अनमान इतनी जल्दी नहीं लगाया जा सकता।

Slaughter Houses

10240. Shri Swami Bramhanandji:

Shri Onkar Lal Berwa:

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the number of registered slaughter houses in the country where bovine animals are slaughtered;

(b) the estimated number of illegal slaughter houses; and

(c) the action taken by Government against illegal slaughter houses?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) to (c) The information is being collected from State Governments and Union Territory Administrations and will be placed on the Table of the Sabha, in due course.

Committee For Preservation of Wild Life

10241. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Government of Uttar Pradesh have constituted a committee for the preservation of wild life; and

(b) if so, its composition?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) and (b) The information is being collected from the State of Uttar Pradesh and will be placed on the Table of the Sabha in due course.

केरल में भारतीय खाद्य निगम की शाखायें

10242. **श्री मंगलाथुमाडोम** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल में भारतीय खाद्य निगम की कितनी शाखाएं कार्य कर रही हैं ;

(ख) क्या केरल के कृषकों को त्रिवेन्द्रम में भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करने में कठिनाई उठानी पड़ रही है; और

(ग) यदि हां, तो दिन प्रति दिन के सम्पर्क में किसानों को अधिक सुविधा देने के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) भारतीय खाद्य निगम के त्रिवेन्द्रम में एक क्षेत्रीय कार्यालय और त्रिवेन्द्रम, कोचीन, कालीकट और पालघाट में जिला कार्यालय हैं ;

(ख) और (ग) भारतीय खाद्य निगम फिलहाल केरल में कोई अधिप्राप्ति कार्य नहीं कर रहा है। भारतीय खाद्य निगम राज्य सरकार की ओर से केवल वितरण संबंधी कार्य कर रहा है । अतः भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों से त्रिवेन्द्रम में किसानों या कृषकों के सम्पर्क स्थापित करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

केरल में श्रमिकों में असन्तोष

10243. **श्री मंगलाथुमाडोम** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में वर्तमान श्रमिक असंतोष के बारे में श्रम आयोग को अब तक कितनी शिकायतें मिली हैं ;

(ख) केरल सरकार ने कितनी श्रम प्रोत्साहन योजनाओं और प्रस्तावों का सुझाव दिया है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) :(क) और (ख) राष्ट्रीय श्रम आयोग को भेजी गई शिकायतों और सुझावों की सरकार को जानकारी नहीं है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता

भारत-श्रीलंका करार

10244. **श्री स० ला० सोंधी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब से भारतीयों के प्रत्यापर्ण के बारे में श्रीलंका की सरकार के साथ करार किया गया है तब से अब तक कितने भारतीय इस देश में आये हैं तथा उन्हें बसाने के लिये कौन-कौन सी योजना बनाई गई है ;

(ख) अफ्रीका तथा एशिया के अन्य देशों से विस्थापित हुए भारतीय लोगों को फिर से बसाने के लिये बनाई गई योजनाओं की रूपरेखा क्या है; और

(ग) इनमें से प्रत्येक योजना पर गत तीन वर्षों में कितना धन व्यय किया गया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण): (क) भारत-श्रीलंका करार के अन्तर्गत 31-1-1968 तक 4751 भारतीय श्रीलंका से भारत आये हैं।

एक विवरण जिसमें उनके बसाने की योजनाओं की रूप रेखा दी गई है अनुबन्ध के रूप में संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1261/68]

(ख) बर्मा, मोजम्बिक, एडिन और पूर्वी अफ्रीकन देशों से लौटने वाले भारतीयों को बसाने के लिये सहायता का आकार संलग्न विवरण, अनुबन्ध के रूप में दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1261/68]।

जहां तक अन्य देशों का सम्बन्ध है, कोई योजनाएं नहीं बनाई गई हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों में बर्मा तथा श्रीलंका से स्वदेश लौटने वाले भारतीयों के पुनर्वास सम्बन्धी योजनाओं पर किये गये कुल धन के व्यय का व्यौरा निम्न है :—

बर्मा से लौटे भारतीय		श्रीलंका से लौटे भारतीय	
(रुपये लाखों में)			(रुपये लाखों में)
ऋण	316	ऋण	18.72
सहायक अनुदान	76.26	सहायक अनुदान	4.00
	392.36		22.72

अन्य देशों से लौटने वाले लोगों के बारे में खर्च किये गये धन की जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा-सम्भव समय में सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

Public Telephone on Agra-Bombay Road

+**10245. Shri Shashibhushan Bajpai:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state whether there is a proposal to instal one public telephone on every tract of 15 to 25 miles on Agra-Bombay Road for transport facility ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): There is no such proposal under consideration.

Cow Slaughter in U.P.

10246. Shri Swami Brahmanand ji : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the number of cases of Cow-slaughter detected in Uttar Pradesh during the last two years;

(b) the number of cases among them in which punishment was awarded; and

(c) the reasons for which punishment was not awarded in the remaining cases ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Coop. (Shri Annasahib Shinde): (a) to (c) The information is being collected from the Government of Uttar Pradesh and will be placed on the Table of the Sabha, in due course.

उपक्रमों में विदेशी कर्मचारी

10247. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के उपकर्मों में कुल कितने विदेशी कर्मचारी हैं और तीसरी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ तथा अन्त में तत्संबंधी आंकड़ों की तुलना में यह संख्या कम है अथवा अधिक;

(ख) इनमें से कितने विभिन्न सहयोग करारों के अन्तर्गत तकनीकी पदों को संभाले हुए हैं और कितने अन्यथा नियुक्त किये गये हैं ;

(ग) क्या 1968-69 की वार्षिक योजना के अन्तर्गत इन पदों पर भारतीयों को नियुक्त करने की कोई योजना है, और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऊपर निर्दिष्ट अवधि में ऐसे पदों पर कितने विदेशी काम कर रहे थे जिन पर भारतीयों को नियुक्त किया जा सकता है और उनमें से कितने तकनीकी पद थे तथा कितने अन्य पद थे ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री स० म० जमीर): (क) से (घ) जानकारी उपलब्ध नहीं है । प्रश्न के विस्तृत क्षेत्र और इससे सम्बन्धित जानकारी को इकट्ठा करने में लगने वाले समय और धन की तुलना में उपयुक्त परिणाम नहीं निकलेंगे ।

पश्चिम बंगाल अस्पताल कर्मचारी संघ

10248. **श्री रवि राय** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 'हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड (12 अप्रैल, 1968 का कलकत्ता से निकलने वाले संस्करण) में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि नील रत्न सरकार मैडिकल कालेज अस्पताल मजदूर पंचायत तथा पश्चिम बंगाल मैडिकल कालेज अस्पताल कर्मचारी संघ ने 11 अप्रैल, को राज्यपाल को एक ज्ञापन दिया है जिसमें विस्थापित कर्मचारियों के आवास के लिये टैंटों की व्यवस्था करके या भवनों का अर्जन करके तत्काल अस्थायी प्रबन्ध करने की मांग की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है और उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) :(क) जी हां । राज्य सरकार को इस ज्ञापन में के सम्बन्ध में जानकारी है ।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार की 'गंदी बस्तियों को हटाने की योजना' के अन्तर्गत बनाए गए निवासस्थानों में विस्थापित श्रमिकों के लिए बिना किराए के आवास की व्यवस्था की गई है।

गेहूं की ट्रिपल डवार्फ किस्म

10249. **श्री रवि राय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देसी तथा मैक्सिकन गेहूं की मिली-जुली पौध से ऊटकमण्ड में एक "ट्रिपल डवार्फ" किस्म के गेहूं का विकास किया गया है और उसे खेतों में उगा कर आजमाने के लिये पूसा इंस्टीटयूट भेजा गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि विशेषज्ञों ने यह दावा किया है कि गेहूं की इस नवीनतम 'ट्रिपल डवार्फ' किस्म से अन्य बौनी किस्म की अपेक्षा कम से कम 20 प्रतिशत अधिक तथा देसी किस्म से तीन गुने अधिक उपज होगी; और

(ग) उसका व्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) ऊटकमण्ड में कोई "ट्रिपल डवार्फ" किस्म विकसित नहीं की गई है। नीलगिरी में वैलिंगटन नामक स्थान पर भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान (पूसा संस्थान) का एक गेहूं प्रजननक उपकेन्द्र है। अप्रैल के महीने में दिल्ली में उगाई गई महत्वपूर्ण प्रजननक सामग्री मई से सितम्बर तक की अवधि में बोने के लिये वैलिंगटन भेज दी जाती है और रबी मौसम में बोने के लिये बीज पुन: दिल्ली वापिस लाया जाता है। यह गेहूं के उत्पादन की प्रगति में द्रुतता लाने के लिये लिया जाता है। गेहूं की भारतीय तथा मैक्सिकन किस्मों के मध्य संकरण से चुनी हुई अनेक ट्रिपल डवार्फ किस्में इस तरह से विकसित की गई है।

(ख) और (ग) गेहूं की ट्रिपल डवार्फ किस्म वह है जो छोटी होने के लिये तीन जैब्र तक रखती है। पौधे ऊंचाई में 50 सेंटीमीटर से अधिक नहीं उगते। अत: उनमें उर्वरक अच्छे ढंग से दिया जा सकता है और अन्न विकास के बाद की अवस्थाओं में पानी को भी सहन कर सकते हैं। मार्च की पछेती वर्षा से भी पौधे नीचे नहीं गिरते। इन लक्षणों से उत्पादन में अधिक स्थापित्व लाने के लिये सहायता मिलेगी। अब तक विकसित हुई ट्रिपल डवार्फ किस्मों का विभिन्न केन्द्रों में मुल्यांकन हो रहा है। इसके बाद इन किस्मों के उत्पाद में वृद्धि के प्रतिशत को निश्चिय करना सम्भव होगा। सेन्ट्रल वैरायटीज रिलीज कमेटी आगामी रबी के मौसम के बाद इन किस्मों की विमुक्ति के प्रश्न पर विचार करेगी।

सिंगूर, पश्चिमी बंगाल के शीतागार में आग लगना

10250. **श्री वि० कु० मोडक**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्च 1968 में पश्चिमी बंगाल के हुबली जिले में सिंगूर शीतागार में बड़ी मात्रा में आग लग गई थी ;

(ख) इस आग के परिणामस्वरूप उसमें रखी हुई कितनी वस्तुओं का नुवसान हुआ था ;

(ग) इस आग के परिणामस्वरूप सामान जमा करने वाले कितने कृषक प्रभावित हुए ;

(घ) क्या इस शीतागार के मालिक ने जमाकर्ताओं को इस हानि के लिये मुआवजा दिया है, और यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है; और

(ङ) क्या इस आग के कारणों के बारे में कोई जांच की गई है, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ङ) : राज्य सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है ।

कर्मचारी भविष्य निधि के न्यासी

10251. **श्री रमानी :**
श्री चक्रपाणि :
श्री भगवान दास :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री 11 अप्रैल, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 1180 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केन्द्रीय कर्मचारी भविष्य निधि न्यासी बोर्ड ने भविष्य निधि उपायुक्त के अन्तर्गत काम करने वाले कर्मचारियों की मांगों पर अब विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) केन्द्रीय न्यासी बोर्ड ने अपने कर्मचारियों को, जहां तक उनके वेतन-मानों तथा अन्य परिलब्धियों एवं रियायतों का सम्बन्ध है, भारत सरकार के इसी प्रकार के [प्रशासनिक कार्यालयों के कर्मचारियों के तदानुरूपी वर्गों के समान समझने का फैसला किया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठ

Mid-term Elections in U.P.

+10252. **Shri Prakash Vir Shastri:** Will the Minister of Law be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a decision has been taken in regard to the mid-term elections in Uttar Pradesh;

(b) whether it is also a fact that the Chief Election Commissioner had called the Election Officers of the State for consultation in this connection;

(c) if so, the time by which mid-term elections are likely to be held in the State; and

(d) the date from which preliminary preparations would start for these mid-term elections?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri M. Yunus Saleem): (a) and (b). Yes, Sir.

(c) the exact time has not yet been decided.

(d) the initial preparation has already started.

उर्वरकों के मूल्य

10253. **श्री किरूतिनन** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में उवरकों के मूल्य अन्य देशों में उर्वरकों के विद्यमान मूल्यों से 100 प्रतिशत अधिक हैं ;

(ख) इतने अधिक मूल्य होने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उवरकों के मूल्य्र कम करने अथवा उसके लिये राज सहायता देने का सरकार का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो किस सीमा तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (घ) यह सच है कि कुछ मामलों में भारत में उर्वरकों के मूल्य कुछ अन्य देशों में उर्वरकों के विद्यमान मूल्यों से 100 प्रतिशत अधिक हैं । देशीय उत्पादन देश की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, अतः बड़ी मात्रा में उर्वरक विदेशों से आयात करना जरूरी होता है और किसानों को सप्लाई किए जाने से पहले उर्वरकों के लिए समुद्री भाड़ा, जहाज में चढ़ाई उतराई आदि पर अतिरिक्त खर्च करना होता है । आयातित उर्वरकों की अवतीर्ण लागत जिससे भारत में हमारे विक्रय मूल्यों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है निर्यात करने वाले देशों के घरेलू मूल्यों से स्वाभाविकतः अधिक होगी । इसके अतिरिक्त कुछ देश उर्वरकों की बिक्री को राज सहायता दे रहे हैं । फिर भी हमारे देश में वर्तमान अधिक मूल्यों के बावजूद भारतीय किसान हाल ही में शुरू किए गए बीजों की संकर किस्म के प्रयोग द्वारा अधिक उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से उर्वरकों के प्रयोग को लाभदायक समझता है ।

इस समय उर्वरकों के मूल्यों को घटाना सम्भव नहीं है और न कोई नई राज सहायता देना सम्भव है । कृषि मूल्य आयोग ने उर्वरकों पर राज सहायता की समाप्ति की सिफारिश की थी । कई बड़ पैमानें के उर्वरक कारखाने देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए जा रहे हैं जो उर्वरकों की उपलब्धता को बढ़ायेंगे । ऐसी सम्भावना है कि ये कारखाने कम लागत पर उर्वरक तैयार करेंगे, अतः जब कई नए कारखाने उत्पादन शुरू करेंगे तो मूल्य कम हो सकेंगे ।

दल बदल की समस्या

10254. **श्रीमती सुशीला रोहतगी** : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि मंत्रालय में दल बदल की समस्या के विधिक और संवैधानिक पहलुओं के बारे में कोई नोट तैयार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य सुझाव क्या हैं ?

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी हां :

(ख) मुख्य सुझाव नोट की प्रति में देखे जा सकते हैं जो इसके साथ संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी०**1262/68]

निर्वाह व्यय सूचकांक

10255. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के निर्वाह व्यय सूचकांक में कीमतों में वृद्धि का शत प्रतिशत निराकरण करने के बारे में विचार कर रही है ;

(ख) क्या महंगाई भत्ते को सूचकांक के साथ जोड़ने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग). निर्वाह सूचकांकों में कीमतों की वृद्धि का शत प्रतिशत निराकरण करने की मांगें समय-समय पर कम वेतन पाने वाले श्रमिकों द्वारा ही नहीं अन्य श्रमिकों द्वारा भी की जाती हैं। परन्तु हर मामले पर विचार करने का कार्य नियोजकों और वेतन-दर निर्धारक प्राधिकरणों का है, जो प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हैं, और इस बारे में विचार करते हैं कि महंगाई भत्ते का कोई अलग अवयव होना चाहिये और कब तथा कैसे मजूरी या महंगाई भत्ता निर्वाह खर्च के अनुसार परिवर्तित होना चाहिए। कुछ मजूरी निर्धारक प्राधिकरणों ने न्यूनतम वेतन पाने वाले श्रमिकों के लिये शत प्रतिशत निराकरण करने के आधार पर महंगाई भत्ते का सामयिक पुनरीक्षण करना मंजूर किया है लेकिन अधिक वेतन पाने वाले श्रमिकों के लिये केवल आंशिक निराकरण ही मंजूर किया गया है।

अखिल भारतीय समाचारपत्र कर्मचारी संघ

10256. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय समाचारपत्र कर्मचारी महासंघ ने यह कहा है कि गैर-पत्रकारों सम्बन्धी मजूरी बोर्ड की सिफारिशों पर मध्यस्थ-निर्णय का कोई भी प्रस्ताव उन्हें बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है ;

(ख) क्या मध्यस्थ निर्णय का अर्थ यह होगा कि चार वर्ष के कठिन परिश्रम के बाद निपटाये गये सभी विवादों पर नये सिरे से विचार होगा ; और

(ग) मजूरी बोर्ड के पंचाट की क्रियान्विति के सम्बन्ध में विद्यमान गतिरोध को किस प्रकार दूर करने का सरकार का विचार है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) जरूरी नहीं। यह पंच-निर्णय के विचारार्थ विषय पर निर्भर करेगा।

(ग) इस समय कोई गतिरोध नहीं है। विवादास्पद मामलों को आपसी बातचीत द्वारा तय करने के लिए सम्बन्धित पक्षों में एक समझौता हो गया है।

भारतीय श्रमिक सम्मेलन

10257. श्रीमती सुशीला रोहतगी :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1968 में नई दिल्ली में त्रिपक्षी भारतीय श्रमिक सम्मेलन की बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो मज़दूर संघों को मान्यता, मजूरी बोर्डों और स्वचालित यन्त्र लगाने, इन तीन मुख्य प्रश्नों के बारे में क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) क्या घेराव, हड़ताल और तालाबन्दी रोकने तथा अधिक उत्पादन पर ध्यान केन्द्रित करने के बार में कोई निर्णय किया गया ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां। भारतीय श्रम सम्मेलन का 25वां अधिवेशन 20-21 अप्रैल, 1968 को हुआ।

(ख) और (ग). सम्मेलन के मुख्य निष्कर्षों के विवरण की एक प्रति सभा की मेज़ पर रख दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1263]

वस्तुओं को प्रशीतित स्टोर में रखना

10258. श्री लकप्पा : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रतिवर्ष वस्तुओं को प्रशीतित स्टोर में रखने पर करोड़ों रु० व्यय कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या परियोजनाओं की जांच तथा शीघ्र विकास का ध्यान रखने के बारे में कोई केन्द्रीय संगठन है; और

(ग) यदि नहीं, तो वस्तुओं को प्रशीतित स्टोरों में रखने की व्यवस्था का शीघ्र विकास करने के लिए ऐसा संगठन स्वभावित करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां। सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में आलुओं के बीजों, मछलियों व पशु, उत्पादों आदि के लिये ठण्डे गोदामों के निर्माण की केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं व स्टेट प्लान स्कीमों के अन्तर्गत ऋण व अनुदानों के रूप में काफी सहायता दी जाती है।

(ख) और (ग). ठण्डे गोदामों का विकास राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है, अतः केन्द्र सरकार के पास इन विषयों के लिये कोई प्रथक संगठन मौजूद नहीं है।

फिर भी केन्द्रीय मन्त्रालय के तकनीकी अधिकारी योजनाओं की तैयारी व क्रियान्विति में राज्य सरकारों की सहायता करते हैं ।

नर्मदा नदी क्षेत्र में बहुफसली खेती

10259. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** **श्री अ० सिं० सहगल :**
श्री लखन लाल गुप्ता : **श्री मणिभाई जे० पटेल :**
श्री यशवन्तसिंह कुशवाह : **श्री भारत सिंह चौहान :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 27 से 31 जनवरी, 1968 तक भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् द्वारा (फसल उगाने का) तरीका के संबंध में आयोजित विचार गोष्ठी में सर्वसम्मति से की गई सिफारिश की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया था कि नर्मदा नदी क्षेत्र में बहुफसली खेती 200 प्रतिशत तक बढ़ा दी जाये ; तथा विशेष मामलों में यह 300 प्रतिशत तक बढ़ा दी जाये; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां, जनवरी, 1968 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा फसलें उगाने के तरीकों के सम्बन्ध में आयोजित विचार-गोष्ठी की कार्यवाही राज्य सरकार को भेज दी गई है ।

(ख) राज्य सरकार ने अभी तक इन सिफारिशों पर की गई कार्यवाही की सूचना नहीं दी है ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का उड़ीसा का दौरा

10260. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में सूखे के प्रभाव का अध्ययन करने और यह जानने के लिये कि केन्द्र सरकार से कितनी सहायता की आवश्यकता है, उनके मंत्रालय से अधिकारियों का एक दल हाल में उड़ीसा गया था; और

(ख) उड़ीसा की खाद्य स्थिति के बारे में उनके अध्ययन और मूल्यांकन का क्या परिणाम निकला है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

रीवर स्टीम नेवीगेशन कम्पनी

10261. **श्री मुहम्मद इस्माइल** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री 18 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7622 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (1) ब्यूरो आफ पब्लिक एन्टर-प्राइज़िज (2) एम्पलायमेंट एक्सचेंजों (3) कलकत्ता पोर्ट कमिश्नर (4) लेबर डाकयार्ड, कलकत्ता के माध्यम से भूत-पूर्व रीवर स्टीम नेविगेशन कम्पनी के कितने फालतू कर्मचारियों को रोजगार दिया गया है, और

(ख) शेष कर्मचारियों के लिये रोजगार की व्यवस्था करने के संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री स० चु० जमीर) : (क)
(1) कोई नहीं ।
(2) 41
(3) 73
(4) 6

(ख) अतिरिक्त करार दिये व्यक्तियों को उचित स्थानों पर लगाने के असम और पश्चिमी बंगाल के नियोजन कार्यालयों को आदेश दिये गए हैं ।

मूंगफली का तेल निकालने के कोल्हू

10262. **श्री जुगल मंडल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में किन-किन स्थानों पर मूंगफली का तेल निकालने के कोल्हू तथा उसको जमाने के संयंत्र लगे हुए हैं; और

(ख) प्रति वर्ष उनमें कितना वनस्पति घी बन सकता है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) दो सूची जिनमें से एक में राज्यवार मूंगफली के तेल की मिलों तथा दूसरी में उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अंतर्गत पंजीकृत अथवा लाइसेंस प्राप्त वनस्पति के कारखानों के नाम हैं, संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 1264/68]

(ख) प्रत्येक यूनिट की वनस्पति तैयार करने की क्षमता भी वनस्पति के कारखानों के नामों के साथ ही संबंधित सूची में दिखायी जाती है ।

फ्रैंकिंग (अंकन) मशीनें

10263. **श्री जुगल मंडल** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में प्रयोग में लाई जाने वाली सभी अंकन मशीनों का आयात किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मशीन पर कितनी लागत आती है;

(ग) क्या अब देसी अंकन मशीनें उपलब्ध है; और

(घ) यदि हां, तो उनका मूल्य क्या है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी नहीं ।

(ख) एक मशीन की लागत 1150 रुपये से 9500 रुपये के बीच है जो उसके नमूने के अनुसार—हस्तचालित अथवा विद्युत चालित—होने पर निर्भर करता है ।

(ग) जी हां ।

(घ) 1150 रुपये तथा 1450 रुपये प्रति मशीन ।

भारतीय श्रमिक सम्मेलन

10264. श्री म० ला० सोंधी :
श्री श्रद्धाकर सूपकर :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय श्रमिक सम्मेलन का 25वां अधिवेशन किसी ठोस समझौते पर पहुंचे बिना ही समाप्त हो गया;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार अनेक अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक अभिसमयों का अनुसमर्थन करने में संकोचशील है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या नियोजकों और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ अनौपचारिक बातचीत के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण मामलों के सम्बन्ध में किसी निर्णय पर पहुंचने के लिये प्रयत्न किये जाते रहेंगे और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं । इस सम्बन्ध में ध्यान 9 मई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10257 के उत्तर में सभा की मेज़ पर रखे गए सम्मेलन के मुख्य निष्कर्षों के विवरण की ओर दिलाया जाता है ।

(ख) इस सम्बन्ध में ध्यान ऊपर (क) में निर्दिष्ट विवरण की मद् 2(ii) की ओर दिलाया जाता है ।

(ग) सरकार हमेशा सम्बन्धित पक्षों में औपचारिक और अनौपचारिक विचार-विमर्श द्वारा मत-भेदों को निपटाने के पक्ष में है ।

दिल्ली में साइकिल रिक्शा चलाने वाले

10265. श्री शशि भूषण वाजपेयी : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय दिल्ली में कितने साइकिल रिक्शे हैं और ऐसे कितने रिक्शे हैं जिनके मालिक भारत छोड़ चले गये हैं लेकिन उनके रिक्शे अब भी यहां चल रहे हैं;

(ख) इन रिक्शा मालिकों द्वारा रिक्शा चलाने वालों से प्रति दिन कितनी किराया रकम वसूल की जाती है; और

(ग) रिक्शा चलाने वालों का इन एकाधिकार प्राप्त मालिकों के चंगुल से बचाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) . सूचना एकत्र की जा रही है और सभा की मेज़ पर रख दी जायेगी ।

पूर्वी बंगाल से आये शरणार्थियों के कालकाजी (नई दिल्ली) में भूखण्डों का आवंटन

10266. **श्री समर गुह** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कालकाजी (नई दिल्ली) में पूर्वी बंगाल से आये विस्थापित लोगों की बस्ती में भूखण्डों के आवन्टन के लिये कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए;

(ख) वैध शरणार्थी प्रमाणपत्रों वाले पूर्वी बंगाल के कितने शरणार्थी दिल्ली क्षेत्र में हैं;

(ग) इन विस्थापित व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिनके रिहायशी मकान पूर्वी बंगाल में थे किन्तु जो पहले आ गये थे और जिनके पास शरणार्थी प्रमाण पत्र न थे;

(घ) भूखण्डों के लिये कितने आवेदक पात्र पाये गये और उनको भूखण्ड दिये गये;

(ङ) कितने ऐसे आवेदक हैं, जो पात्र तो पाये गये, किन्तु जिन्हें अभी तक भूखण्ड आवंटित नहीं किये गये हैं और कितने व्यक्ति किसी भी भूखण्ड के आवंटन के लिये अपात्र घोषित किये गये हैं; और

(च) क्या उपरोक्त भागों में उल्लिखित वर्गों के आवेदकों को सम्बन्धित विभाग के अन्तिम निर्णय के बारे में सूचित कर दिया गया है और इसके कारण बतला दिये गये हैं और भूखण्डों के अलाटी तथा भूखण्डों के आकार किस आधार पर चुने गये हैं ?

श्री डी० आर० चव्हाण (उप मंत्री) :

	आवेदन-पत्र
(क) 4-1-1966 के प्रैस नोट के उत्तर में	1750
13-8-1967 के प्रैस नोट के उत्तर में	748
योग	2498

(ख) और (ग). ऐसे व्यक्तियों की जनगणना नहीं की गई थी ।

(घ) 1453 आवेदक योग्य पात्र पाये गये थे । इनमें से 1372 ने प्रारम्भिक जमा करवा दिया था; किन्तु उनमें से 7 ने अपना जमा वापिस ले लिया था । इस प्रकार 9 और 10 मार्च, 1968 को निकाली गई लाटरी में 1365 व्यक्ति शामिल किये गये थे ।

(ङ) 88 व्यक्तियों को प्लाटों की पेशकश की गई थी किन्तु उन्हें लाटरी में शामिल नहीं किया गया था क्योंकि उन्होंने प्रारम्भिक जमा नहीं करवाया था या अपनी पेशकश समर्पित कर दी थी और अपने जमा की वापसी ले ली थी। 297 आवेदकों को किसी भी प्लाट की पेशकश नहीं की गई है। कुछ मामलों में कोई निर्णय नहीं लिया गया क्योंकि आवेदकों से कुछ जानकारी मांगी गई थी जो कि उनसे प्राप्त नहीं हुई; जबकि कुछ मामलों में दिल्ली में ठहरने की शर्तों में दी गई छूट को ध्यान में रखते हुए आवेदक पात्र हो गये थे और उनके मामलों के सम्बन्ध में निर्णय 13-8-1967 के प्रैस-नोट के उत्तर में प्राप्त हुए आवेदन पत्रों के साथ ही लिया जायेगा।

(च) 88 मामलों में पेशकश पत्र जारी किये गए थे जिनमें कहा गया था कि यदि प्रारम्भिक जमा निर्धारित तिथि तक न किया गया तो पेशकश स्वतः ही रद्द हो जायेगी। 297 मामलों में अन्तिम निर्णय ले लिये जाने पर आवेदकों को सूचित कर दिया जायेगा।

पूर्वी बंगाल के विस्थापित लोगों को भू-खंडों का अलाटमेंट

10267. **श्री समर गुह** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में पूर्वी बंगाल से विस्थापित व्यक्तियों की कालकाजी बस्ती में भू-खण्डों के अलाटमेंट के लिये प्राप्त प्रत्येक प्रार्थना-पत्र की जांच करने के उद्देश्य के लिये नियुक्त तीन सदस्यीय जांच समिति के निर्देश-पद क्या है;

(ख) इस समिति को किस प्रकार का और कितना अधिकार दिया गया है;

(ग) उपरोक्त परियोजना में विभिन्न प्रकार का प्लाटों का अलाटमेंट प्रार्थियों की आय के आधार पर किस प्रकार किया गया जब कि कोई प्रार्थना पत्र ही नहीं था;

(घ) 160 वर्ग गज, 233 वर्ग गज और 320 वर्ग गज के प्लाटों के अलाटमेंट के लिये पुनर्वास विभाग द्वारा आय का क्या सार निश्चित किया गया था;

(ङ) क्या 9 और 10 मार्च, 1968 को लाटरी निकालने से पहिले प्रत्येक मामले में आय की इस कसौटी को काम में लाया गया था; और

(च) क्या इस आय का सत्यापन वेतन प्रमाणपत्रों अथवा आय कर विवरणों से किया गया था ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) 4-1-1966 को जारी किये गये प्रैस नोट में दी गई पात्रता की शर्तों के आधार पर पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की बस्ती में प्लाट अलाट करने के उद्देश्य से आवेदन पत्रों की जांच करने के लिये समिति नियुक्त की गई है।

(ख) प्लाट अलाट करने के लिये समिति ने आवेदकों की पात्रता की जांच और व्यक्तिगत आधार पर आवेदकों को दिये जाने वाले प्लाटों के आकार के सम्बन्ध में सिफारिश करनी है।

(ग) प्लाटों के आकार के बारे में निर्णय वित्तीय स्थिति के आधार पर लिया गया था जो कि फार्म में दिये गये अन्य विवरणों या विशेष रूप से आवेदकों द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर निश्चित की गई थी ।

(घ) भारत सरकार के प्रथम श्रेणी के वेतन-मान पाने वाले प्रायः सभी व्यक्तियों को 320 वर्ग गज के प्लाट पेश किये गये थे, जबकि द्वितीय श्रेणी राजपत्रित पदों के व्यक्तियों को 233 वर्ग गज से प्लाट पेश किये गये थे और अन्य को 160 वर्ग गज के प्लाट पेश किये गये थे । उन आवेदकों के मामले में जो सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, इन सभी मामलों में यथार्थ सीमांकन निर्धारित करना सरल नहीं था इसलिये ऐसे मामलों में आवेदकों द्वारा दिये गये अपनी आय सम्बन्धी तथ्यों के आधार के साथ-साथ समिति ने न्यायक समझ-बूझ का प्रयोग किया ।

(ङ) 9 और 10 मार्च, को निकाली गई लाटरी से पूर्व प्रायः प्रत्येक मामले में ऊपर दी गई कसौटी लागू की गई है ।

(च) वित्तीय स्थिति विभिन्न उपलब्ध साधनों द्वारा सत्यापित की गई थी जिनमें वेतन प्रमाणपत्र और आयकर विवरणियां भी सम्मिलित थीं जो कि या तो आवेदन-पत्रों के साथ पहिले ही प्राप्त थीं या आवेदकों से विशेष रूप में मांगी गई थीं ।

Misappropriation of money meant for Tubewells

10268. Shri Nihal Singh : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a large amount out of the funds given as assistance by the A.D.M. (Planning) in Mathura District of Uttar Pradesh, for tube-wells has been misappropriated, about which many complaints have been made by the people there to the Secretariat of Uttar Pradesh Government;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether the Central Government propose to institute or have instituted an enquiry into the matter; and

(d) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b). The information is being collected and will, on receipt, be placed on the Table of the Sabha.

(c) and (d). Do not arise at this stage.

भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल की खरीद

10270. श्री लखन लाल गुप्ता : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि रायपुर (मध्य प्रदेश) में भारत के खाद्य निगम के अधिकारी छतीस गढ़ में बोये जा रहे एम० 1 नामक सफरी चावल को उसी दर पर खरीद रहे हैं जिस पर पुशराज चावल (ओ० एफ० 3) खरीदा जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके फलस्वरूप निगम के अधिकारी तथा स्थानीय व्यापारी अनुचित लाभ उठा रहे हैं और केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार को तथा उन लोगों को जिनको कि बढ़िया चावल के स्थान पर यह चावल भेजा जाता है, हानि पहुंचा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) यह कहना सही नहीं है कि भारतीय खाद्य निगम सफरी चावल, दुवराज चावल के दर पर ही खरीद रहा है । सफरी चावल को मध्यम 1 के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जबकि दुवराज चावल को बढ़िया 2/आकार, कुकिंग क्वालिटी आदि के नाते इन दोनों किस्मों के विशेष लक्षण हैं। इसके अलावा, दुवराज किस्म के चावल में एक विशेष सुगंध होती है जो अन्य किस्मों में नहीं पायी जाती है । अत: सफरी चावल को दुवराज चावल के रूप में भूल से भी खरीदने का अवसर नहीं है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

श्रम मन्त्रियों का सम्मेलन

10271. **श्री अंबजेजियान** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्यों के श्रम मंत्रियों का हाल में नई दिल्ली में सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय श्रम मंत्री ने अनुरोध किया है कि श्रम सम्बन्धों के बारे में केन्द्रीय सरकार को पूरी शक्तियां सौंपी जानी चाहिये; और

(ग) सम्मेलन में अन्य किन विषयों पर चर्चा हुई और क्या निर्णय किये गये ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां। श्रम मंत्रियों के सम्मेलन का 19वां अधिवेशन 19 अप्रैल, 1968 को नई दिल्ली में हुआ ।

(ख) और (ग). सम्मेलन के मुख्य निष्कर्षों के विवरण की एक प्रति सभा की मेज पर रख दी गई है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1265/68**।]

भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था के डा० सिरोही

10272. **श्री सुरेन्द्र रड्डी** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था नई दिल्ली के डा० सिरोही प्रथम भारतीय नागरिक हैं जो दक्षिण ध्रुव गये हैं और वहां उन्होंने अत्यधिक महत्व के विज्ञान सम्बन्धी प्रयोग किये हैं;

(ख) क्या यह सच है कि भौगोलिक नामों सम्बन्धी अमरीकी बोर्ड ने डा० सिरोही के विशिष्ट वैज्ञानिक प्रयोगों को अत्यधिक मान्यता दी है और उनके सम्मान में दक्षिण ध्रुव के पास एक स्थान का नाम सिरोही केन्द्र रखा है;

(ग) क्या उनके कार्य की प्रशंसा में सरकार ने डा० सिरोही को सम्मानित किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उनके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). डा० सिरोही पहले भारतीय वैज्ञानिक हैं जो 1960-61 की अवधि में लासऐंजल्स स्थित केलिफोर्निया विश्वविद्यालय में वैज्ञानिक दल के एक सदस्य के रूप में दक्षिण ध्रुव गये थे । वे इस समय उस विश्वविद्यालय में अनुसन्धान वैज्ञानिक के रूप में काम कर रहे थे । इस अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि क्या भूमि की परिक्रिया के सम्बन्धित कोई ऐसा कारण है जो पौधों और पशुओं के जीवी क्लाक को नियमित करता है । यू० एस० बोर्ड, आफ जियोग्रफिक नेम्स ने अभियान दल के एक सदस्य नाते उनके सम्मान में दक्षिण ध्रुव के पास के एक स्थान का नाम "सिरोही" केन्द्र रखा है।

(ग) और (घ). 1963 में डा० जी० एस० सिरोही को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में 700–50–1250 रुपये के वेतनक्रम में नियुक्त किया गया था । उसके बाद उन्हें 1100–50–1400 रुपये के वेतन क्रम में सीनियर प्लान्ट फिजियोलौजिस्ट के पद पर नियुक्त किया गया । निःसन्देह ये चुनाव करते समय चुनाव समितियों ने कृषि विज्ञान के क्षेत्र सम्बन्धी इन समस्त उपलब्धियों को ध्यान में रखा था।

राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए मतदाता

10273. श्री मेघचन्द्र : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मणिपुर के न्यायिक आयुक्त के न्यायालय द्वारा दिये गये उस निर्णय तथा आदेश में उठाई गई बातों पर विचार किया है, जो मणिपुर के 15 निवासियों द्वारा उक्त न्यायलय में दायर की गई निर्वाचन लेख याचिका के सम्बन्ध में 15 अप्रैल, 1968 को सुनाया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन आयोग को संघ राज्य क्षेत्रों के विधान मंडलों के सदस्यों को मतदाताओं के रूप में सूचीबद्ध करना होगा; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). निर्वाचन आयोग यह समझता है कि न्यायिक आयुक्त, मणिपुर द्वारा दिया गया आदेश संविधान के अनुच्छेद 54 के अधीन अनुध्यात निर्वाचक गण के गठन से कोई सम्बन्ध नहीं रखता है।

दिल्ली-अगरतला और कलकत्ता-अगरतला के बीच टेलीप्रिंटर सेवा

10274. श्री माणिक्य बहादुर : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967 और 1968 में अब तक दिल्ली-अगरतला और कलकत्ता-अगरतला के बीच टेलीप्रिंटर सेवा कितनी बार तथा कितने-कितने समय तक बन्द रही;

(ख) इस सेवा के बार-बार रुक जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) टेलीप्रिंटर सेवा को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) दिल्ली और अगरतला के बीच कोई सीधा टेलीप्रिंटर परिपथ नहीं है, किन्तु तार आम तौर पर कलकत्ता के मार्ग से भेजे जाते हैं। 1967 के दौरान और 1968 में 30 अप्रैल, 1968 तक कलकत्ता और अगरतला के बीच तार सेवा में गड़बड़ी के मौकों की संख्या और अवधि इस प्रकार है :—

वर्ष	सेवा में गड़बड़ी के मौकों की संख्या	गड़बड़ी की अवधि
		घंटे
1967	41	194
1968 (30 अप्रैल, 1968 तक)	14	62

(ख) तार सेवा में गड़बड़ी के कारण निम्न है :—

(1) अगरतला को लगातार विद्युत सप्लाई न होना;

(2) बतार कार्य पर विपरीत प्रभाव डालने वाला मौसम ।

(ग) सेवा में सुधार करने के लिए अल्पकालिक उपाय के बतौर अगरतला में आपाती विद्युत् संयंत्र लगाने के लिये आदेश दे दिये गये हैं। दीर्घकालिक उपाय के बतौर दूरसंचार के उद्देश्य से अगरतला को कलकत्ता से जोड़ने के लिए सूक्ष्मतरंग सम्बन्ध की योजना बनाई गई है ।

त्रिपुरा में प्लाईवुड कारखाना

10275. श्री माणिक्य बहादुर : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में एक प्लाईवुड कारखाना स्थापित करने के सम्बन्ध में त्रिपुरा-सरकार तथा मैसर्स जयश्री टी० रोड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड कलकत्ता के बीच किये जाने वाले करार का प्रारूप केन्द्रीय सरकार को उसकी मंजूरी के लिए दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसे कब दिया गया था और इस करार के प्रारूप पर अन्तिम निर्णय लेने के सम्बन्ध में आवश्यक स्वीकृति देने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) इसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) मसौदा-करार केन्द्रीय सरकार को 18-1-1966 को प्राप्त हुआ था । मसौदा-करार पर विचार किया गया और वह पुन: लिखे जाने योग्य समझा गया । अत: त्रिपुरा प्रशासन से प्रार्थना की गई कि वे एक नया मसौदा तैयार करें, जिसके लिए कुछ मार्गदर्शक रूपरेखाएं सुझाई गई थीं । संशोधित मसौदा की त्रिपुरा प्रशासन से अभी प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ग) संक्षेप में मूल मसौदा-करार के अन्तर्गत त्रिपुरा संघ क्षेत्र के उदयपुर, बैलोनिया तथा सैबरूम सिविल उप-प्रभागों के सरकारी वनों से 31 वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष, कुछ न्यूनतम परिधि सीमाओं को छोड़कर कुछ चुनी हुई 16 इमारती लकड़ी की किस्मों के 14,150 घन मीटर पर्तदार-लट्ठों के हटाने के अधिकार का पट्टा देना था । विभिन्न श्रेणियों की इमारती लकड़ी के लिए विभिन्न स्वामित्व-दर प्रस्तावित किए गए थे और व्यवस्था की गई थी कि यदि पट्टाकर्त्ता चाहे तो इन दरों में हर पाँच वर्ष बाद संशोधन किया जा सकता है, किन्तु प्रत्येक समय 15 प्रतिशत से अधिक नहीं । प्रस्तावित पट्टे की 31 वर्ष की अवधि को भी पट्टाकर्त्ता की इच्छानुसार और आगे की अवधि के लिए पुन: बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए पट्टाधारी को प्रार्थना करनी होगी और पट्टाकर्त्ता की राय में मूल करार की शर्तों पर सन्तोषजनक रूप से पालन किया हो ।

सिल्चर और अगरतला के बीच टेलीफोन ट्रंक लाइनें

10276. श्री माणिक्य बहादुर : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 8 चैनल कैरियर सिस्टम स्थापित करने के लिये सिल्चर और अगरतला के बीच टेलीफोन ट्रंक लाइनों को इस बीच सुदृढ़ किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह कार्य पूरा हो चुका है और यदि नहीं, तो कब तक इसके पूरा होने की सम्भावना है; और

(ग) अगरतला और शिलांग के बीच सीधे सर्किट की व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है और इस पर कितनी लागत आयेगी ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल)

(क) जी हां ।

(ख) यह कार्य पूरा हो चुका है ।

(ग) अगरतला-सिल्चर मार्ग के लिए एक आठ सरणि वाहक प्रणाली के लिए आर्डर दे दिया गया है और इसे देने में प्राथमिकता बरती गई है । इस प्रणाली की स्थापना से जिसके लिए 95,000 रुपये की लागत की मंजूरी दी गई है, अगरतला और शिलांग के बीच सीधे परिपथ की व्यवस्था हो जायेगी । इस कार्य के मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान पूरा हो जाने की संभावना है ।

अगरतला टेलीफोन एक्सचेंज

10277. श्री माणिक्य बहादुर : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि अगरतला टेलीफोन एक्सचेंज (त्रिपुरा) को स्वचालित टेलफोन एक्सचेंज बनाने की योजना की क्रियान्विति में कठिनाइयां आ गई हैं और इस योजना की क्रियान्विति के कार्य में पिछले 4 वर्ष में कोई प्रगति नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो वे कठिनाइयां क्या हैं; और

(ग) इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है और इस योजना के पूरा होने में और कितना समय लगने की सम्भावना है?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख). अगरतला टेलीफोन केन्द्र (त्रिपुरा) को स्वचल टेलीफोन केन्द्र बनाने के लिए नई इमारत का निर्माण किया जाना है जिसके लिए केन्द्रीय स्थान पर एक उपयुक्त भूखण्ड की आवश्यकता है। स्थानीय सरकार की सहायता से इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त भूखंड प्राप्त करने के प्रयत्नों का कोई परिणाम नहीं निकला।

(ग) अन्य स्थान पर उपयुक्त खंड प्राप्त करने लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं। भूमि के अधिग्रहण के बाद शीघ्र ही प्रस्तावित टेलीफोन केन्द्र के निर्माण के लिए कारंवाई की जाएगी। भूमि के अधिग्रहण के बाद मुख्य स्वचल टेलीफोन केन्द्र को चालू करने में पांच से छः वर्ष तक का समय लगेगा।

त्रिपुरा के लिये माइक्रो-वेव प्रणाली

10278. श्री माणिक्य बहादुर : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माइक्रो-वेव प्रणाली से त्रिपुरा को शिलांग कलकत्ता और दिल्ली से जोड़ने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो उस योजना का ब्यौरा क्या है तथा इस पर कितनी लागत लगने का अनुमान है; और

(ग) इसे कब तक कार्य रूप दिया जायेगा ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां।

(ख) त्रिपुरा की राजधानी अगरतला को सिलचर और शिलांग के मार्ग से सूक्ष्मतरंग जाल से जोड़ने का प्रस्ताव है। यह कलकत्ता और शिलांग को पहले से ही जोड़ने वाली मूल कलकत्ता-असम सूक्ष्मतरंग प्रणाली के विस्तार की प्रायोजना का ही एक भाग है। कलकत्ता तथा आसनसोल के बीच एक सूक्ष्मतरंग प्रणाली और आसनसोल तथा दिल्ली के बीच एक सहधूरीय केबिल प्रणाली पहले से ही मौजूद है। इस प्रायोजना के पूरा होने पर अगरतला का शिलांग, कलकत्ता और दिल्ली से सूक्ष्मतरंग और सहधूरीय प्रणालियों द्वारा सम्बन्ध स्थापित हो जाएगा। इस योजना पर अनुमानित लागत 252 लाख रुपये है।

(ग) शिलांग से सिल्चर और अगरतला के लिए सूक्ष्मतरंग संचार व्यवस्था के विस्तार की योजना कार्यान्वित करने के लिए अभी हाल ही में उसे हाथ में लिया गया है और आशा है कि उसे पूरा करने में चार वर्ष का समय लग जाएगा ।

Industrial Establishments in Madhya Pradesh

10279. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item published in daily Swadesh of the 20th April, 1968 that there are 330 such Industrial establishments in Madhya Pradesh which have to pay a large amount of their contribution to the employees' provident fund at the end of last year;

(b) if so, the names of the said establishments;

(c) the amount of Provident Fund contribution to be paid by the said establishments, separately; and

(d) the steps proposed to be taken by Government to ensure that the contribution is made by them ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) to (d). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Employees' Provident Fund

10280. **Shri Hukum Chand Kachwai :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the amount of employers contribution to the Employees' Provident Fund outstanding against the textile mills in Rajnandgaon, Barhanpur, Indore, Ratlam, Mandsore, Ujjain, Devas, Bhopal and Gwalior and spinning mills in Bilaspur and Sanawad Districts of Madhya Pradesh, separately; and

(b) the action being taken by Government to realise from mill-owners the outstanding contribution to the Provident Fund?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi): (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of House.

Irrigation in Drought-Stricken Areas in Madhya Pradesh

10281. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the schemes formulated by the Central Government to provide irrigation facilities in the drought-stricken areas of Madhya Pradesh;

(b) the amount sanctioned for the implementation of these schemes; and

(c) when these schemes are likely to be implemented ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) The question of the implementation of suitable programmes of lasting benefit in scarcity frequented areas has been under the active consideration of the Government of India for some time past. Due to paucity of funds, it has now been decided to make a beginning by taking up pilot projects covering an area not larger than an average district in the "hard core" of the chronically drought affected area. Under this approach, it is proposed to take up investigation of groundwater

anderal resources, minor irrigation schemes, soil and water conservation works, afforestation and development of pastures. Concrete schemes on these items are to be drawn up by the State Governments under the guidance of a Central Team of Experts who would visit the areas concerned to make an on the spot assessment of the needs in each case. Guidelines for the preparation of such schemes have already been issued to State Governments. The Government of Madhya Pradesh have not yet identified their "hard core" area so far. No specific schemes have, therefore, formulated so far in respect of that State.

(b) and (c). Do not arise.

टेलीग्राफ मास्टरों और एल० एस० जी० टेलीग्राफ मास्टरों के कर्त्तव्य

10282. **श्री क० लकप्पा :**
श्री नम्बियार :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि टेलीग्राफ मास्टरों और एल० एस० जी० टेलीग्राफ मास्टरों के कर्त्तव्य एक जैसे है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन दोनों श्रेणियों के वेतनमानों में अन्तर है;

(ग) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इन दोनों संवर्गों के कर्त्तव्य एक समान हैं, वेतन मानों में विषमता दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ). इस पर कब निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) से (घ). 1959 तक हुई विभागीय प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम पर नियुक्त किये गये तार मास्टर 210—10—290—15—320—द० अ०—15—380 रुपये के वेतन-मान के हक़दार हैं। उस के बाद सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा लेना बन्द कर दिया गया और प्रवरता तथा योग्यता के आधार पर तार-संकेतकों को पदोन्नत करके निम्न-चुनाव पदक्रम के तार मास्टर बनाने का निश्चय किया गया। तार संकेतक निम्न-चुनाव पदक्रम के 210—10—290—15—320—द०अ०—15—350 रुपये के वेतन-मान में हैं। यह निम्न-चुनाव पदक्रम डाक-तार प्रचालक कार्यालयों में निम्न-चुनाव पदक्रम के सभी पदों के लिए है।

केन्द्रीय तारघर, नई दिल्ली के तार बाबू

10283. **श्री क० लकप्पा :**
श्री नम्बियार :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय तारघर, नई दिल्ली में काम करने वाले 23 वर्ष से अधिक अवधि की सेवा वाले तार बाबूओं को वरिष्ठता के आधार पर टेलीग्राफ मास्टरों के संवर्ग में उनकी पहली पदोन्नति भी नहीं की गई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि टेलीग्राफ विभाग में दिल्ली में वरिष्टता के आधार पर पहली पदोन्नति उन व्यक्तियों की, की गई है जिनका सेवाकाल तत्समान संवर्गों में 20 वर्ष से कम है; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली के तार बाबूओं के लिये पदोन्नति के अवसर प्रदान करने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :

(क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) निम्न चुनाव पदक्रम के तार मास्टरों के संवर्ग की समूची भर्ती तार संकेतकों की पदोन्नति द्वारा की जाती है और इसके लिये कोई सीधी भर्ती नहीं की जाती । इस समय मानकों और आवश्यकताओं के अनुसार सभी स्वीकृत पद भरे हुए हैं। स्पष्टतः अतिरिक्त पदों की मंजूरी जिनका कार्यभार के आधार पर कोई औचित्य नहीं है, केवल कर्मचारियों के लिए पदोन्नति की व्यवस्था करने के लिए नहीं दी जा सकती ।

विभिन्न शाखाओं अर्थात इंजीनियरी, तार परियात, रेल-डाक सेवा आदि के लिए भर्ती की शर्तें जैसे कि कार्य-समय, समयोपरि/प्रोत्साहन की राशि आदि बिल्कुल अलग-अलग है । अतः तार प्रचालकों और तार संकेतकों के बीच किसी प्रकार की तुलना उचित नहीं है ।

नई दिल्ली में बेयर्ड रोड तथा अतुलग्रोव में तार कर्मचारियों के क्वार्टर

10284. श्री क० लकप्पा :
श्री नम्बियार :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में बेयर्ड रोड और अतुलग्रोव में तार कर्मचारियों के क्वार्टरों की वर्गोन्नति की गई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस वर्ग की वर्गोन्नति के कारण ये क्वाटर धीरे-धीरे अराजपत्रित कर्मचारियों से लेकर राजपत्रित कर्मचारियों को दिये जा रहे हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि अराजपत्रित तार कर्मचारियों ने अभ्यावेदन किया है कि उन्हें ये क्वार्टर स्टैण्डर्ड किराये पर दिये जायें; और

(घ) यदि हां, तो अराजपत्रित तार कर्मचारियों को स्टैण्डर्ड किराये पर ये क्वार्टर देने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां । सरकार द्वारा निर्दिष्ट मितव्ययता के मानकों के अनुसार ही ऐसा किया गया है ।

(ख) क्वार्टर वेतन-वर्गों के आधार पर दिये जाते हैं और राजपत्रित तथा अराजपत्रित कर्मचारियों के बीच कोई भेद-भाव नहीं बरता जाता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

तार प्रशिक्षण केन्द्र

10285. **श्री क० लकप्पा :**
श्री नम्बियार :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 5 मार्च, 1968 को अखिल भारतीय तार यातायात कमचारी संघ के दिल्ली सर्किल के सम्मेलन का उद्घाटन करते समय संचार विभाग के राज्य मंत्री ने स्वीकार कर लिया था कि निकट भविष्य में दिल्ली अथवा सहारनपुर में तार मास्टरों के प्रशिक्षण के लिये एक तार प्रशिक्षण केन्द्र खोल दिया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) दिल्ली में तार मास्टरों के प्रशिक्षण के लिये प्रशिक्षण केन्द्र के कब तक खोले जाने की संभावना है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी नहीं। उन्होंने केवल यह सुझाव दिया था कि सहारनपुर में तार मास्टरों के लिए प्रशिक्षण कक्षा खोलने के प्रस्ताव की जांच की जायेगी।

(ख) तथा (ग).—इस प्रस्ताव की जांच की गई थी। पूरे भारत के लिए प्रशिक्षित किये जाने वाले प्रशिक्षणार्थियों की संख्या बहुत थोड़ी है। कलकत्ता और मद्रास में पहले से ही दो प्रशिक्षण केन्द्र चल रहे हैं। अतः इस प्रस्ताव को उस समय तक के लिये स्थगित कर दिया गया है जब तक कि प्रशिक्षित किये जाने वाले प्रशिक्षणार्थियों की संख्या अधिक न हो।

ईस्टर्न कोर्ट, नई दिल्ली में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का पूछ-ताछ कार्यालय

10286. **श्री नम्बियार** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोक निर्माण विभाग के डाक व तार विभाग के सिविल विभाग के साथ विलय हो जाने के बाद ईस्टर्न कोर्ट, नई दिल्ली के लोक निर्माण विभाग के पूछ-ताछ कार्यालय में रिपोर्टों पर ध्यान न दिये जाने अथवा विलम्ब से ध्यान दिये जाने की शिकायतें बहुत बढ़ गई हैं;

(ख) ईस्टर्न कोर्ट के पूछ-ताछ कार्यालय में वर्ष 1967-68 में इस प्रकार की कितनी शिकायतें आईं;

(ग) क्या इस क्षेत्र के निवासियों से इस बात की रसीद ली जाती है कि उनकी शिकायत को दूर कर दिया गया है; और

(घ) वर्ष 1967-68 में ऐसी शिकायतों की संख्या कितनी थी जिनको उसी दिन दूर कर दिया गया था जिस दिन वे दर्ज हुई थीं ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) ईस्टर्न कोर्ट पूछ-ताछ कार्यालय में 1967-68 के दौरान प्राप्त कुल शिकायतों की संख्या 2881 है ।

(ग) जी हां । इस क्षेत्र के निवासियों से उनकी शिकायतों पर कार्रवाई किये जाने के आशय से पावतियां प्राप्त की जाती हैं ।

(घ) 1967-68 के दौरान पूछ-ताछ कार्यालय में दर्ज कराई गई 2881 शिकायतों में से 2305 पर उसी दिन कार्रवाई की गई ।

शेष शिकायतों पर उनके दर्ज किये जाने के दो से तीन दिन के भीतर कार्रवाई की गई क्योंकि उनसे सम्बन्धित काम एक दिन में समाप्त नहीं किया जा सका ।

Mine Workers of Sarguja

10287. Shri Yashpal Singh : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that about 10,000 mine workers of District Sarguja, Madhya Pradesh have started their journey on foot alongwith their children from Bhopal to Delhi to present their demands to the Central Government; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) and (b): About 4,000 workers of the Jhagrakhand Collieries in District Sarguja were reported to have left on 15-4-1968 on their way to Delhi to press their demands. Meanwhile, representatives of the management and workers had been called to Delhi for a meeting on 22-4-1968. After prolonged discussions the parties signed an agreement before the Chief Labour Commissioner on 24-4-1968. The strike was called off in pursuance of this agreement.

श्रम मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति पर अनुभाग अधिकारी

10288. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री 4 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4617 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिनियुक्ति पर लिये गये इन अनुभाग अधिकारियों को उनके अपने अपने संवर्गों में वापस भेजने के लिये इस बीच कोई प्रयत्न किये गये हैं;

(ख) क्या इन अनुभाग अधिकारियों का प्रतिनियुक्ति पर काम करते रहना मंत्रालय के वरिष्ठ सहायकों के हितों के लिये हानिकारक ही है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर 'हां' हो तो वरिष्ठ सहायकों में व्याप्त असंतोष को दूर करने के लिये क्या प्रयत्न करने का विचार है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

पुनर्वास विभाग के सम्बन्ध में, अभी भी अस्थायी उधार के आधार पर काम करने वाले तीन अनुभाग-अधिकारियों में से एक को वापस भेजने के लिये संवर्ग प्राधिकरण को एक पत्र लिखा गया है ।

श्रम और रोजगार विभाग के सम्बन्ध में जैसे ही गृह-मंत्रालय द्वारा नियमित अनुभाग-अधिकारियों की सेवायें उपलब्ध कराई जायेंगी, उधार लिए गए अनुभाग अधिकारी अपने-अपने संवर्गों को वापस भेज दिये जायेंगे ।

(ख) जी, नहीं । उधार मांगे गये अनुभाग अधिकारी दीर्घ-कालीन पदों पर नियुक्त किये जाते हैं और ऐसे वरिष्ठ सहायक जो अभी तक 'प्रवर सूची' में सम्मिलित नहीं किये गये हैं, दीर्घ-कालीन आधार पर अनुभाग अधिकारी नियुक्त होने के पात्र नहीं हैं । परन्तु वरिष्ठ सहायक अल्पकालीन रिक्त स्थानों और छुट्टी जाने से रिक्त हुए स्थानों पर अनुभाग-अधिकारी पदोन्नत किये जाते हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

गुजरात में बेकरियां

10289. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस आशय के समाचारों की ओर दिलाया गया है कि गुजरात में बेकरियां गेहूं की कमी के कारण नुकसान उठा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1968 के पहले तीन महीनों के दौरान प्रत्येक महीने में गुजरात में बेकरियों को गेहूं की कितनी कम सप्लाई की गई थी; और

(ग) इस राज्य की बेकरियों को कोटा के अनुसार गेहूं सप्लाई करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). बेकरियों को गेहूं उत्पाद चाहिये न कि गेहूं । बेकरियों को गेहूं उत्पाद सप्लाई करने में कुछ कमी हुई है । मोटे तौर पर गत तीन महीनों में 50 प्रतिशत की कमी थी । गुजरात में रोलर आटा मिलों को गेहूं के आवंटित कोटे की सप्लाई सुनिश्चित करने हेतु पग उठाये गये हैं ताकि वे बेकरियों को गेहूं उत्पादों की सप्लाई में वृद्धि कर सकें ।

False Entries of Purchases by Tubewell Installation Department, Bulandshahr, U.P.

10290. Shri T. P. Shah : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the firms which are shown in the records of the Tubewell Installation Department of Bulandshahr and from whom quotations are called for purchasing materials from the market neither exist nor have been entered in the records of the Income-tax and Sales-tax Departments;

(b) if so, whether Government propose to hold an inquiry into these false purchases during the last five years in which no material was purchased but the amount was realised from the Department after making false entries in documents; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) The information is being collected and will on receipt, be laid on the Table of Sabha.

(b) and (c). Do not arise at this stage.

खाद्यान्न का उत्पादन

10292. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवीनतम अनुमानों के अनुसार देश में खाद्यान्नों का उत्पादन कितना होगा;

(ख) क्या यह उत्पादन पूर्व अनुमानित 950 लाख मीटरी टन के लक्ष्य से अधिक होगा;

(ग) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में देश से खाद्यान्नों का निर्यात करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) : चालू कृषि वर्ष (1967-68) के लिए खाद्यान्नों के उत्पादन के पक्के आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी, वर्तमान संकेतों के अनुसार, यह आशा की जाती है कि इस वर्ष कुल खाद्यान्नों का उत्पादन 9 करोड़ 50 लाख मीटरी टन से भी ऊपर हो सकता है।

(ग) और (घ) : जी हां। 1968-69 के दौरान खाद्यान्नों की निम्नलिखित मात्राओं को निर्यात करने का प्रस्ताव है :—

	मीटरी टन
(1) नेपाल के लिए निर्यातित गेहूं	10,000
(2) बासमती चावल	15,000
(3) दालें	10,000

पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित लोगों को नई दिल्ली में कालकाजी कालोनी में भूमि का आवंटन

10293. **श्री प्र० रं० ठाकुर :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में कालकाजी कालोनी में पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए विस्थापित व्यक्तियों को, जो दिल्ली में रोजगार में लगे हुए हैं, विभिन्न

आकार के लगभग 1500 प्लाटों का आवंटन किया गया है और इस आवंटन के लिये कोई कसौटी नहीं अपनाई गई;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस कालोनी में प्लाटों के आवंटन के मूल आवेदन पत्र में केवल प्लाटों के विभिन्न आकारों के बारे में स्वेच्छा व्यक्त करने के लिये आवेदकों से कहा गया था;

(ग) यदि हां, तो आवेदकों की स्वेच्छा पर बिल्कुल भी ध्यान न दिये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या कुछ व्यक्तियों को, जिन्होंने 500 वर्ग गज अथवा इसके आसपास आकार के प्लाट के लिये आवेदन-पत्र दिया था, केवल 233 वर्ग गज अथवा इससे भी कम आकार के प्लाट दिये गये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो क्या इन व्यक्तियों को, अभी आवंटन किये जाने वाले शेष प्लाटों में से 320 वर्ग गज अथवा इसके आसपास इसी आकार के प्लाट देने का सरकार का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) 9 और 10 मार्च, 1968 को 1365 प्लाटों के सम्बन्ध में लाटरी निकाली गई है। प्लाटों का आकार आवंटन समिति की सिफारिशों के आधार पर निश्चित किया गया है इसके साथ-साथ निम्नलिखित का भी ध्यान रखा गया है :—

(1) 8 वर्ष या उससे अधिक दिल्ली में रिहायश ।

(2) दिल्ली में लाभकारी रोजगार।

(3) व्यक्तिगत रूप में आर्थिक स्थिति ।

(4) मांगे गये प्लाट का आकार इत्यादि ।

(ख) आवेदन-पत्र में आवेदकों से यह बताने को कहा गया था कि उन्हें कितने आकार का प्लाट चाहिये और, यदि उस आकार का प्लाट उपलब्ध न हो तो, क्या किसी अन्य आकार का प्लाट अलाट किया जाये ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) जी, हां । उपलब्ध प्लाट्स केवल 320, 233 तथा 160 वर्ग गज के हैं।

(ङ) जी, नहीं ।

पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों का पश्चिम दिनाजपुर जिले में पुनर्वास

10294. **श्री प्र० रं० ठाकुर :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान से आये बहुत बड़ी संख्या में विस्थापित लोगों को पश्चिम बंगाल में पश्चिम दिनाजपुर जिले में इस्लामपुर में बसाया गया है;

(ख) यदि हां, तो वहां अब तक बसाये गये परिवारों और लोगों की संख्या कितनी है तथा वे किस-किस वर्ष में बसाये गये थे;

(ग) केन्द्र में स्थापित की गई बस्तियों की संख्या कितनी है तथा उनके नाम क्या-क्या हैं तथा उनका क्षेत्रफल कितना है;

(घ) प्रत्येक परिवार को कितनी और किस किसम की सहायता देने का बचन दिया गया था;

(ङ) क्या यह सच है कि वास्तविक सहायता उस सहायता के निकट भी नहीं है; और

(च) क्या निकट भविष्य में उनकी स्थिति के बारे में नये सिरे से विचार किये जाने की संभावना है?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी हां।

(ख) जैसा कि राज्य सरकार ने सूचित किया है, 587 परिवार (2772 व्यक्ति) इसलामाबाद में बसाये गये थे। जिनजिन वर्षों में उन्हें बसाया गया है इस सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित की जा रही है।

(ग)	बस्ती का नाम	क्षेत्र एकड़ों में
1.	स्टेट फार्म कालौनी .	588
2.	अजीतेश कालौनी .	574
3.	श्री कृष्णापुर कालौनी .	616
4.	अब्राहमनगौर कालौनी .	511
5.	शिव नगर कालौनी .	533
6.	ठाकुर नगर कालौनी .	511
7.	रमेशपुर कालौनी .	231
8.	निरापदा नगर कालौनी	91
9.	गैशाल कालौनी	455
	योग	4110

(घ) से (च) : जानकारी एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्ति

10295. श्री प्र० रं० ठाकुर : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के पश्चिम दिनाजपुर जिले में इसलामपुर में बसाये गये पूर्वी पाकिस्तान से आये अधिकतर विस्थापित व्यक्ति काश्तकार हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है तथा उस केन्द्र में बसाये गये कुल व्यक्तियों की तुलना में उनकी प्रतिशतता कितनी है;

(ग) उन्हें अब तक दी गई कृषि सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह भी सच है कि ऐसे अधिकतर परिवारों को वचन दी गई सहायता नहीं दी गई और उन्हें केवल आरम्भ में खेती के लिये ऊंची भूमि ही दी गई है;

(ङ) उन्हें दी गई भूमि को तैयार करने और उसका विकास करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ताकि वह भूमि खेती के उपयुक्त बनाई जा सके; और

(च) क्या वहां बसे हुए लोगों को अभी तक खेती के लिये और पीने के लिये पानी की बड़ी भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है ।

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) से (च) : जानकारी एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली में दुकानों के खुलने और बन्द होने का समय

10296. श्री यशपाल सिंह : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम समिति के अनुरोध पर दिल्ली में दुकानों के बन्द होने का समय शाम के 8 बजे से घटा कर 7–30 बजे म० प० कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो सब्जी मण्डी, दिल्ली के फलों के आढ़तियों की दुकानों के बन्द होने के समय को कम न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) दुकानों के निरीक्षक ने जनवरी, 1968 से अप्रैल, 1968 तक कितनी बार इन्दिरा मार्केट का निरीक्षण किया और दोषी दुकानदारों पर किये गये जुर्माने तथा उनके विरुद्ध की गई अन्य कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सब्जी मण्डी के फलों के आढ़तियों की दुकानों के खुलने और बन्द होने के समय भिन्न हैं, क्योंकि वे ऐसी वस्तुओं का व्यापार करते हैं जो खराब हो जाती हैं, उनकी दुकानों के बन्द होने के समय में इस प्रकार का कोई परिवर्तन आवश्यक नहीं समझा गया ।

(ग) दुकानों के निरीक्षक ने 29 बार बाजार निरीक्षण किया । इस समयावधि के दौरान छः मुकदमे चलाए गए । चार मामलों का निपटारा न्यायालयों द्वारा किया गया, जिनमें 230 रुपये जुर्माना हुआ ।

कोयला खानों में श्रम विधियों का उल्लंघन

10297. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि 'अमलगामेटड कोल फील्ड्स लिमिटेड' 'बंगाल कोल कम्पनी लिमिटेड' और 'चचंनी एण्ड वोराह (प्राइवेट) लिमिटेड', धनबाद की कोयला खानों में विभिन्न श्रम विधियों और खान नियमों का उल्लंघन किया गया, है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली में दुकानों तथा संस्थान अधिनियम का उल्लंघन

10298. **श्री अर्जुन सिंह भदोरिया :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की
श्री काशीनाथ पांडेय : कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रम विभाग के दुकान निरीक्षकों और अन्य कर्मचारियों की सहायता से दिल्ली में इन्दिरा मार्केट के फलों के आढ़ती दुकान तथा संस्थान अधिनियम के सब उपबन्धों का उल्लंघन करते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इनकी दुकानें 24 घंटे खुली रहती हैं और कर्मचारियों का कोई रजिस्टर नहीं रखा जाता;

(ग) क्या सरकार को पता है कि एस० सी० शर्मा बनाम सरकार नामक मुकदमे में न्यायालय ने यह विनिर्णय दिया था कि कोई भी व्यक्ति यहां तक कि नैमित्तिक श्रमिक और ठेके पर रखे गये श्रमिक भी दुकानों के बन्द होने के समय के बाद उनमें नहीं रुक सकता; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस मामले में दिल्ली के सतर्कता विभाग से कोई जांच कराने का है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) सरकार के पास इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है ।

(ग) निर्णय का पता लगाने के लिये पर्याप्त ब्यौरे की अनुपस्थिति में न्यायालय की कथित टिप्पणी की पुष्टि करना सम्भव नहीं है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Envelope sent to Government Hindi Training College, Tiruvanantpuram

10299. **Shri Shiv Kumar Shastri :**
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Raghuvir Singh Shastri :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an envelope sent by the Hindi Sahitya Sammelan, Prayag to the Government Hindi Training College, Tiruvanantpuram was returned with the remarks that the address should be written in English ;

(b) whether it is also a fact that there are no Hindi-knowing persons in the said Post Office ;

(c) if so, how the letter reached back Allahabad; and

(d) the policy of the Department of Communications in this regard ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Yes.

(b) No. The S.P.M. incharge of the Post Office is reported to be proficient in Hindi.

(c) The matter is under investigation.

(d) If an article is addressed in an Indian Language known to the office of posting but intended for delivery at a place where the language is not commonly known, the full address has to be transcribed into English.

जम्मू तथा काश्मीर में खाद्यान्नों के मूल्य

10300. **श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू तथा काश्मीर राज्य में काश्मीरियों को गेहूं तथा चावल उन अन्य भारतीयों की अपेक्षा जो वहां कई वर्षों से लगातार रह रहे हैं काफी सस्ते दामों पर मिलते हैं;

(ख) यदि हां, तो काश्मीरियों तथा गैर-काश्मीरियों को ये वस्तुएं किन-किन कीमतों पर दी जाती हैं; और

(ग) गैर-काश्मीरियों के लिये ऐसे भेद-भाव पूर्ण मूल्य रखे जाने के क्या कारण हैं और खाद्यान्नों की सप्लाई के मामले में उपरोक्त राज्य में सभी भारतीयों के प्रति समानता का व्यवहार करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार किया जा रहा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग) राज्य सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे सभा के पटल पर रख दिया जायेगा ।

Import of Soyabean

10302. Shri Shri Gopal Saboo. Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the total quantity of soyabean imported so far has been consumed;

(b) if not, the total quantity thereof lying in the stock;

(c) the basis on which the prices of imported soyabean are fixed;

(d) whether at the time of fixing the prices, it is ensured that the farmers are not put to any loss as the prices of groundnut oil depend on the prices of soyabean oil; and

(e) the action taken by Government to ensure that the prices of groundnut oil do not fall so low as to put the farmers to any loss ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib P. Shinde) : (a) and (b) 12 tonnes of soyabean seed were

imported during 1967 from U.S.A. by U.P. Agricultural University, Pantnagar purely for seed multiplication purposes and not for consumption.

(c) Does not arise.

(d) Does not arise.

(e) The Government is keeping a watch over the price situation and will not allow prices of groundnut and groundnut oil to fall below the levels considered remunerative to the farmers.

एपीजे शिपिंग कम्पनी

10303. श्री सेक्वीरा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री 11 अप्रैल, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 1174 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्री द्वारा फाइल देख ली जाने के बाद क्या कार्यवाही की गई;

(ख) क्या उस फर्म से कोई स्पष्टीकरण मांगा गया था;

(ग) क्या उस फर्म को दिया गया ठेका अथवा करार समाप्त किया गया है;

(घ) क्या इस फर्म का नाम काली सूची में दर्ज किया गया है;

(ङ) क्या इस फर्म के विरुद्ध धोखा-धड़ी के आरोप में मुकदमा चलाया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो उपरोक्त भाग (ख) से (ङ) तक में उल्लिखित कार्यवाही न की जाने का क्या कारण है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) खाद्य विभाग में जो कार्यवाही पहले की जा रही थी वह चलती रही ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) जी उस समय नहीं ।

(च) जैसा कि सदन में पहले ही स्पष्ट किया गया है कि एपीजे के विरुद्ध अन्य कोई कार्यवाही करने के बारे में स्पष्टत: 1962 में विचार नहीं किया गया था क्योंकि सरकार को धोखा देने के कथित प्रयत्न को विफल करने हेतु कार्यवाही की गई थी और इस कारण से भी कि रंगून स्थित भारतीय दूतावास में खाद्य अटैची ने अपने दिनांक 12 अप्रैल, 1962 के पत्र में कहा था कि ऐसी कार्यवाही करने से सूचना देने वाले के लिए परेशानी हो सकती है । जब दिनांक 7 मार्च, 1962 के गुप्त परिपत्र की एक प्रति जिसे एपीजे शिपिंग लाइन्स द्वारा अपने जहाजों के कप्तानों को जारी किया गया बताया जाता है, को स्वर्गीय डा० राम मनोहर लोहिया द्वारा 2 सितम्बर, 1966 को लोक सभा के पटल पर रखा गया तब ऊपर बाद में कथित तथ्य का कोई महत्व नहीं रह गया था ।

ऐपीजे शिपिंग कम्पनी

10304. **श्री सेश्वीरा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री निदेशक (पत्तनों और डिपुओं) द्वारा एपीजे सम्बन्धी फाइल को खाद्य महानिदेशक के समक्ष प्रस्तुत किये जाने से सम्बन्धित 14 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3969 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानिदेशक द्वारा की गई टिप्पणी को सरकार एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा एक ऐसे मामले में जिसमें सरकार के साथ करार करने वाले एक ठेकेदार या एक पक्ष द्वारा सरकार को धोखा देने का प्रयास किया गया हो जिम्मेदारी पूरी न करने का एक उदाहरण समझती है;

(ख) क्या प्रादेशिक खाद्य निदेशक, मद्रास द्वारा एक उपनिदेशक कोचीन भेजने के लिये दिये गये सुझाव पर अमल किया गया था;

(ग) क्या कोई उपनिदेशक कोचीन गया था;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण थे; और

(ङ) यदि यह वहां गया था और उनेस कोई रिपोर्ट दी थी तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) 15 मई, 1962 को उपनिदेशक (खाद्य) कोचीन गये थे। उन्होंने सूचित किया कि खाद्य सहचारी द्वारा रंगून में एपीजे रीटा जहाज पर पाये गये खाली बोरों को कोचीन में रंगून में स्थित खाद्य सहचारी से प्राप्त सूची में दिये गये निशानों के आधार पर निरीक्षण कर, प्राप्त कर लिया गया था। उप-निदेशक ने यह भी सूचित किया था कि उन के पास ऐसे कोई दस्तावेजी या अन्य प्रमाण नहीं थे जिनसे यह साबित हो सके कि ऐपीजे रीटा अपनी पिछली समुद्री यात्रा के दौरान ये बोरे कोचीन से रंगून ले गया था।

ऐपीजे शिपिंग कम्पनी

10305. **श्री सेक्वीरा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री 14 मार्च, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 631 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एपीजे शिपिंग लाइन्स से कोई स्पष्टीकरण न मांगे जाने के क्या कारण हैं जब कि उस कम्पनी द्वारा जहाजों के कप्तानों को भेजे गये परिपत्र से यह पता चलता है कि वह कम्पनी सरकार को धोखा देना चाहती थी;

(ख) क्या इस का अर्थ यह है कि यदि कोई पार्टी/ठेकेदार काफी शक्ति शाली तथा प्रभावशाली हो तो उससे सामान्यतया कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा जाता, चाहे वह सरकार को धोखा देने का प्रयत्न करे जैसा कि लोक लेखा समिति के भूतपूर्व प्रधान श्री मोरारका ने अगस्त, 1966 में लोक सभा में कहा था कि अमीचन्द प्यारेलाल बहुत प्रभावशाली हैं; और

(ग) यदि यह सामान्य पद्धति नहीं है, तो क्या सरकार का विचार उस अधिकारी को जिसका कर्तव्य उस फाइल का निपटारा करने का था, तथा जो यह बुनियादी कार्यवाही करने में विफल रहा, मुअत्तिल करने या पदावनत करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस मामले में कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) यह बात सही नहीं है कि किसी पार्टी/ठेकेदार चाहे वह कितना ही शक्तिशाली व प्रभावशाली हो अथवा न हो, से यदि वह सरकार को धोखा देता है तो स्पष्टीकरण नहीं मांगा जाता है। तथापि इस विशेष मामले में जैसा कि पहले ही सदन में स्पष्ट किया जा चुका है कि ऐपीजे लाइन्स के विरुद्ध कोई अन्य कार्यवाही, जिसमें अभिकथित परिपत्र के बारे में स्पष्टीकरण मांगना भी शामिल है, करने का स्पष्टतः विचार नहीं किया गया था। क्योंकि ऐसे किसी भी प्रयत्न को विफल बनाने हेतु कार्यवाही की गयी थी और क्योंकि रंगून में स्थित भारतीय दूतावास के खाद्य सहचारी ने अपने दिनांक 12 अप्रैल, 1962 के पत्र में कहा था कि यदि कोई ऐसी कार्यवाही की जाती है तो इससे सूचना देने वाले को परेशानी हो सकती है। जब दिनांक 7 मार्च, 1962 के गोपनीय परिपत्र, जिसको जहाजों के सभी कप्तानों को ऐपीजे शिपिंग लाइन्स द्वारा जारी किया गया बताया जाता है, की एक प्रति 2-9-1966 को स्वर्गीय डा० राम मनोहर लोहिया ने लोक सभा के पटल पर रखी थी, तब ऊपर बाद में कथित तथ्य का कोई महत्व नहीं रह गया था। तथापि रंगून में स्थित भारतीय दूतावास में खाद्य सहचारी ने ऐपीजे रीटा जहाज़ पर खाली बोरों की मौजूदगी के बारे में ऐपीजे शिपिंग लाइन्स के स्थानीय एजेन्टों से स्पष्टीकरण मांगा था।

(ग) और (घ): ऊपर (क) और (ख) भागों में दिये गये उत्तर को देखते हुये ये प्रश्न ही नहीं उठते।

ऐपीजे शिपिंग कम्पनी

10306. श्री सेक्वीरा : क्या खाद्य, तथा कृषि मंत्री 14 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3981 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निदेशक (पत्तन तथा डिपो) द्वारा कोचीन में की गई जांच पड़ताल के परिणामों के बारे में अपने वरिष्ठ अधिकारियों को कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत न किये जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार उस अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का है क्योंकि वह प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के अपने कर्तव्य पालन में चूका है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) हालांकि प्रादेशिक निदेशक (खाद्य), मद्रास को कोचीन में इस मामले की जांच करने हेतु एक उप-निदेशक भेजने के लिए निदेशक (पत्तन व डिपो) के अधीन ब्रांच से अनुदेश जारी किए गए थे तो भी प्राप्त रिपोर्ट पर आयात ब्रांच में कार्यवाही की गई थी और उस ब्रांच के श्रेष्ठ अधिकारियों द्वारा उस पर विधिवत् विचार किया गया था।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

ऐपीजे शिपिंग कम्पनी

10307. श्री सेक्वीरा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब ऐपीजे शिपिंग लाइन्स के धोखा देने वाले परिपत्र का पता खाद्य विभाग को लगा था, तब उनके मंत्रालय से सम्बद्ध सतर्कता अधिकारी की ड्यूटी क्या थी ;

(ख) क्या उप-सचिव ने, अथवा जो भी अधिकारी उसके स्तर पर उस मामले पर कार्यवाही कर रहा था, उसने कभी यह मामला सतर्कता अधिकारी के समक्ष रखा था; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) इस सम्बन्ध में दिनांक 12 दिसम्बर, 1967 को श्री मधुलिमये द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 3834 के इस सभा में दिए गये उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्राम्य प्रायोगिक केन्द्र योजनायें

10308. श्री राजदेव सिंह: क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्राम्य प्रायोगिक केन्द्र योजनाओं के कार्यकरण का ब्यौरा अन्तिम रूप में तैयार कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या निकट भविष्य में कुछ प्रायोगिक केन्द्र खोलने का विचार है;

(ग) क्या सरकार को पता है कि किसान अनौपचारिक तरीके से ऋण लेने के अभ्यस्त हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या उनको ऋण देने की प्रक्रियाओं को सरल बनाने का सरकार का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) : ग्राम्य प्रयोगिक केन्द्रों की योजना को स्टेट बैंक आफ इण्डिया ने तैयार किया था ताकि :—

(1) बैंक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण ऋण की व्यवस्था करने के बारे में अधिक से अधिक प्रभावशाली ढंग से कार्य कर सके ; और

(2) वर्तमान ऋण देने वाली संस्थाओं के कार्यकलापों के बारे में उत्पन्न होने वाले खाली स्थान को प्रयोगात्मक आधार पर पूरा किया जा सके व उनकी त्रुटियों को दूर किया जा सके ।

जहां तक कृषि के लिए धन की व्यवस्था करने की योजना का सम्बन्ध है, अभी तक ब्यौरे को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है और विकास की उन नई प्रवृत्तियों के विचार से जिन्होंने सामान्य रूप में व्यापारिक बैंकों के कार्यों में योगदान दिया है स्टेट बैंक आफ इण्डिया योजना को अन्तिम रूप दे रहा है । स्टेट बैंक आफ इण्डिया का प्रस्ताव है कि प्रत्येक राज्य में 2 या 3 ग्रामीण प्रयोगात्मक केन्द्रों से शूरुआत की जाये ताकि समस्त देश में ऐसे केन्द्रों की संख्या 40 या 50 हो जाये ।

(ख) और (ग) : कृषकों को पर्याप्त तथा सामयिक ऋणों की आवश्यकता पड़ेगी । उस दृष्टि से कुछ कार्यपद्धतियों को अपनाना पड़ेगा । सस्य ऋण पद्धति को लागू करके सहकारी संस्थाओं ने कार्यप्रणाली को सुदृढ़ व आसान बना दिया है ।

भारत-नार्वे परियोजना के जलयान

10309. श्री राजदेव सिंह : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारत नार्वे परियोजना के कुछ जलयानों को चलाने के लिये पर्याप्त और योग्य कर्मचारी नहीं रखे गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस कमी को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) भारत-नार्वे परियोजना की स्थायी समिति द्वारा सरकार के नोटिस में यह बात लाई गई है कि अच्छी कार्य-कुशलता के लिये कुछ छोटे जलयानों के कर्मचारियों की संख्या में संबोधन करने की आवश्यकता है ।

(ख) कर्मचारियों की संख्या में संशोधन करने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं ।

उर्वरकों का विपणन और वितरण

10310. श्री राजदेव सिंह : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उर्वरकों के विपणन और वितरण का कार्य या तो किसी विपणन निगम को, जिसकी सिफारिश उर्वरक वितरण जांच समिति ने 1960 में की थी या उर्वरक संबंधित निगम को जिसकी सिफारिश उर्वरक समिति ने 1965 में की थी सौंप दिया है; और

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) उर्वरक उत्पादकों के विपणन और वितरण के लिये दी गयी स्वतन्त्रता के संदर्भ में एक विपणन निगम की स्थापना आवश्यक नहीं होगी । आर्थिक साधनों की कमी के कारण एक उर्वरक सम्बन्धी निगम की स्थापना के लिये प्रस्ताव को पेश नहीं किया गया है ।

मछली डिम खोज दलों द्वारा सर्वेक्षण

10311. श्री राजदेव सिंह : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मछली डिम खोज दलों द्वारा जो विभिन्न डिम उत्पादक नदी क्षेत्रों की क्षमता के बारे में सर्वेक्षण कर रहे थे, किये जा रहे अध्ययन पूरे हो चुके हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सर्वेक्षणों से निकाले गये निष्कर्षों का उपयोग उन नदियों में मत्स्य संसाधनों की समुचित खोज के लिये किया जायेगा जिन का सर्वेक्षण पहले किया जा चुका है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) प्राय: कर बड़ी नदियों तथा उनकी सहायक नदियों में मछली डिम की उपलब्धि पर अध्ययन किये जा रहे हैं । यमुना, सोन, कोसी, कावेरी, भवानी, गोदावरी, तुंगभद्रा, बेढावती, सतलुज, ब्यास, बानस और चम्बल नदियों पर केन्द्रीय अन्तर्देशीय मत्स्य संस्थान बैरकपुर ने कुछ क्षेत्र खोजे हैं। मत्स्यपालन के राज्य निदेशालय उड़ीसा ने, महानी ब्रह्मानी और सुवर्ण रेखा के क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया है । मत्स्य पालन निदेशालय, बिहार ने आंशिक रूप से सोन नदी का सर्वेक्षण कर लिया है; मत्स्य-पालन निदेशालय, उत्तर प्रदेश ने गंगा पर अनेक स्थानों पर डिम संसाधनों का सर्वेक्षण किया है। उसी प्रकार मत्स्यपालन निदेशालय मध्य प्रदेश ने नर्मदा एवं चम्बल में डिम संसाधनों का अध्ययन किया है । मत्स्यपालन निदेशालय, आन्ध्रप्रदेश ने कृष्णा एवं गोदावरी के भागों का सर्वेक्षण किया है । मत्स्यपालन निदेशालय, मद्रास ने कावेरी एवं भवानी के कुछ क्षेत्रों का अध्ययन किया है । डिम की खोज करने का कार्य लगातार चल रहा है और नदीय क्षेत्र उत्तरोत्तर आवरित किये जा रहे हैं।

(ख) नदी से एकत्रित होने वाले डिम को मछली संवर्धन के लिये प्रयोग किया जाता है और उपलब्ध डिम की मात्रा, नदियों के मत्स्यपालन साधनों पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं डालती । राज्य सरकारें मछली बीज प्राप्त करने के लिये सर्वेक्षित क्षेत्रों से लाभ उठाती है और डिम के संग्रह करने के केन्द्रों की स्थापना के लिये केन्द्रीय दलों ने जांच के परिणाम पहले ही राज्य सरकारों को उपलब्ध कर दिये हैं । अनेक सर्वेक्षणों कार्यवाहियों के फलस्वरूप जो प्रश्न के (क) भाग में उल्लेखित हैं डिम से लाभ उठाने में चतुर्मुखी प्रगति हुई है ।

खाद्यान्नों की वसूली के लक्ष्य

10312. श्री अदिचन : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन सी राज्य सरकारें अनाज की वसूली के लक्ष्य पूरे नहीं कर सकी हैं तथा किस सीमा तक; और

(ख) इस के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे): (क) हालांकि कुछ राज्यों में अधिप्राप्ति की प्रगति आशानुकूल नहीं है तो भी इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि चालू खरीफ फसल से अधिप्राप्त अक्तूबर, 1968 तक और चालू रबी फसल से मार्च, 1969 तक की जानी है, अतः इस समय किसी भी राज्य के लिये यह कहा नहीं जा सकता है कि वे लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रहे हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

निष्क्रांत सम्पत्ति अभिरक्षक, बम्बई

10313. श्री इन्द्रजित मल्होत्रा : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 1952 में अथवा उसके आस पास "अहमद अब्दुल करीम ब्रदर्स लि०" नाम की निष्क्रान्त फर्म के व्यापार की देखभाल और उसका प्रबन्ध करने के लिए निष्क्रांत सम्पत्ति अभिरक्षक, बम्बई ने श्री राजनाथ नामक व्यक्ति को इसका प्रबन्धक नियुक्त किया था और उसको इस फर्म के बैंक के लेख को चलाने और इसकी नगद राशि को सम्भालने आदि का अधिकार भी दिया गया था और यदि हां, तो वह कितने समय के लिये नियुक्त किया गया था;

(ख) 30 अगस्त, 1952 को जब कि निष्क्रांत मिल्स श्री अमरनाथ मिल्स कार्पोरेशन को जिसका प्रबन्धक और प्रतिनिधि श्री राजनाथ था पट्टे पर दिये गये थे, इस फर्म के पास कुल कितनी शेष नकद राशि थी और बैंक में कितनी राशि शेष जमा थी;

(ग) क्या यह नकद राशि और बैंक में जमा राशि इसके प्रबन्धक श्री राजनाथ से अभिरक्षक ने 30 अगस्त, 1952 को प्राप्त करके अपने कब्ज़े में ले ली थी; और

(घ) अभिरक्षक को यह राशि श्री राजनाथ से वास्तव में कब मिली ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) मैसर्स अमरनाथ वूल्लन मिल्स लिमिटेड, जिसका निरूपण श्री राजनाथ तथा तीन अन्य व्यक्ति करते थे, "मैसर्स अब्दुल करीम ब्रदर्स" नाम की निष्क्रान्त फर्म की देख भाल के लिये अभिरक्षक द्वारा 17-9-1951 से प्रबन्धक नियुक्त किये गये थे। केवल श्री राज नाथ को फर्म के बैंक के लेखे को चलाने का अधिकार दिया गया था। वे 30-8-1952 तक प्रबन्धक रहे उसके पश्चात सम्पत्ति श्री अमरनाथ मिल्स कारपोरेशन को पट्टे पर दे दी गई थी।

(ख) 30-8-1952 को बैंक के पास शेष 69,998 रुपये, 13 आने, 10 पाई थी।

(ग) और (घ). अभिरक्षक ने यह राशि वास्तव में 5-12-1953 और 12-12-1953 को वसूल की थी।

बम्बई की गोदियों में पड़े उर्वरक

10314. श्री जार्ज फरनेंडिज : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई लाख रुपये के मूल्य के उर्वरक बम्बई की गोदियों में पड़े हुए हैं तथा संबंधित कर्मचारियों द्वारा लापरवाही से उठाये जाने के कारण वे बेकार हो गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था

10315. श्री सुरेन्द्र रेड्डी : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि वैज्ञानिक नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था में उस समय काम करने की स्थिति से संतुष्ट नहीं है;

(ख) यदि हां, तो कितने वैज्ञानिकों ने गत पांच वर्षों में इस संस्था में विभिन्न पदों के लिए किये गये अनुचित चयनों के बारे में सरकार के विभिन्न अभिकरणों को अभ्यावेदन दिये हैं;

(ग) क्या हाल के वर्षों में ऐसे अभ्यावेदनों की संख्या बढ़ गई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) विभागों में सेवा करने के लिए वास्तविकता प्राप्त कितने वैज्ञानिकों का सेवा काल बढ़ाया गया है, विशेषकर जबकि युवक और योग्य शिक्षा प्राप्त वैज्ञानिक नौकरी की प्रतीक्षा में बैठे हैं?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) समय-समय पर शिकायत आती रहती है कि भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान में काम करने वाले कृषि वैज्ञानिकों को वही वेतनमान नहीं मिलता जो अन्य वैज्ञानिक संगठनों में कार्य करने वाले वैज्ञानिकों को मिलता है। रहने की जगह, प्रयोगशाला स्थान आदि में बेहतर सुविधाओं के लिए भी आवेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग). 1-4-1966 से पहले भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में श्रेणी I एवं 2 पदों की भर्ती संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से होती थी। संस्थान, भारतीय

कृषि अनुसंधान परिषद के पुनर्गठन के बाद 1-4-1966 को इसका अंग हो गया और उस के बाद विभिन्न पदों के लिए चयन परिषद को सौंप दिया गया और परिषद के उप-कानूनों के उपबन्धों से नियमित होता है । तब से, वैज्ञानिक पदों के लिए चयन अखिल भारतीय आधार पर ठीक तरह से निर्मित चयन समितियों द्वारा, जिनके साथ बाहर के विशेषज्ञ सम्बन्धित होते हैं, किया जाता है । कुछ अज्ञ विरोधपत्र इन चयनों के विरुद्ध प्राप्त हुए हैं । इन विरोधपत्रों की सावधानी से समुचित स्तर पर परीक्षा की जाती है ।

(घ) 1-4-1966 के बाद लोक सेवा के हित में पाये वरिष्ठ वैज्ञानिकों की सेवा विधि को सेवा निवृति की आयु से आगे बढ़ाया गया है ।

छोटी सिंचाई योजनाओं के लिए मद्रास सरकार को वित्तीय सहायता

10316. **श्री किरूतिरून : क्या खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थामिजगा अरासु (मद्रास सरकार) ने विशेष छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये 425 लाख रुपये की वित्तीय सहायता के बारे में केन्द्र से पुनः प्रार्थना की है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) वर्ष 1968-69 के लिए सरकार ने पहले ही कुल कितनी राशि मंजूर करने का प्रस्ताव किया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग) . मद्रास सरकार ने लघु सिंचाई कार्यक्रम के लिए 1967-68 में भारत सरकार से उस वर्ष की राज्य की योजनाओं के लिये निश्चित राशि से अधिक अतिरिक्त राशि के नियतन की प्रार्थना की थी । सभी राज्य सरकारों की लघु सिंचाई योजनाओं के लिये अतिरिक्त राशि के एक समेकित प्रस्ताव पर विचार किया गया जिसमें कि 425 लाख रुपये मद्रास सरकार के लिए भी सम्मिलित थे, किन्तु संसाधनों के अति अभाव के कारण इस वर्ष अतिरिक्त राशि का नियतन सम्भव न हो सका । मद्रास सरकार को तदनुकूल सूचित कर दिया गया था, और साथ ही यह परामर्श दिया गया था कि लघु-सिंचाई कार्य-क्रम के लिये अतिरिक्त राशि गैर-योजना प्रभाग की एजेंसियों से, जैसे भूमि बन्धक बैंकों, कृषि उद्योग निगमों, एग्रीकल्चरल रिफाइनेन्स निगमों, आदि से, जुटाई जायें ।

राज्य सरकार के 1968-69 के वार्षिक योजना प्रस्ताव पर, जिसमें लघु सिंचाई के लिए 9960.15 लाख रुपये की राशि थी, खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय के केन्द्रीय कार्यवाही दल में परामर्श किया गया जिसकी सिफारिशों पर योजना आयोग द्वारा विचार किया गया था और राज्य के 1968-69 के लघु सिंचाई कार्यक्रम के लिए योजना आयोग द्वारा 500 लाख रुपये की राशि अनुमोदित की गयी थी ।

मद्रास सरकार से वर्तमान वित्तीय वर्ष में अभी तक किसी विशेष लघु सिचाई कार्य-क्रम के लिए अतिरिक्त राशि की मांग प्राप्त नहीं हुई है ।

तमिलनाड़ (मद्रास राज्य) में टेलीफोन ऐक्सचेंज

10317. **श्री किरुतिनन** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : 1968-69 में तमिलनाड़ (मद्रास राज्य) में किन-किन स्थानों में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का विचार है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : जी हां । 1968-69 के दौरान मद्रास राज्य में निम्नलिखित स्थानों पर नये टेलीफोन केन्द्रों की व्यवस्था किये जाने का प्रस्ताव है :—

1. अलवर-थिरु-नगरी
2. आरनी (चेंगलपुट)
3. अरूमाना
4. अवलूरपेट
5. चेक्कानूरानी
6. चेय्यूर
7. एमराल्ड
8. इरिसिनमपट्टी
9. कालीगुडी
10. काल्लूपट्टी
11. कामुधी
12. कारीमंगलम
13. कट्टूपुथुर
14. कोडूवाई
15. कुंडाडम
16. मल्लूर
17. मिंजूर
18. मुट्टम
19. ओडूगट्टूर
20. वालयम कोट्टाई
21. पम्बन
22. रसिंगपुरम
23. सिवागिरि
24. सावयेरपुरम
25. शोलायारनगर
26. थार्थैयांगरपेट
27. थुक्कानैकेनपलयम
28. तिरुकट्टुपल्ली
29. थिरुवेंगडू
30. टिट्टाकुडी
31. उथंगराई

सहकारी समितियों को उर्वरकों का आवंटन

10318. **श्री किरूतिनन** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास राज्य में सहकारी समितियों को उर्वरकों की मांग का केवल 20 प्रतिशत भाग और गैर-सरकारी व्यापारियों को 80 प्रतिशत भाग का आवंटन किया गया है जब कि मद्रास राज्य में पिछले वर्षों में 50 प्रतिशत भाग का आवंटन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या अथामियात्रा अरासू (मद्रास सरकार) ने प्रार्थना की है कि सहकारी समितियों को 80 प्रतिशत उर्वरक का आवंटन किया जाय; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं । उर्वरकों का आवंटन राज्य सरकार को कर दिया जाता है और वे सहकारी संस्थाओं या अपनी इच्छानुसार अन्य निकायों के

माध्यम से उसका वितरण करती ह । केन्द्रीय सरकार के पास ऐसी जानकारी नहीं है जिससे यह पता चल सके कि राज्य सरकार ने सहकारी संस्थाओं को किस अनुपात में उर्वरक दिया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता ।

भारतीय बस्तियां

10319. **श्री चेंगलराय नायडू** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान में स्थित भारतीय बस्तियों के पाकिस्तान को दिये जाने से प्रभावित हुए भारतीय राष्ट्रजनों की सहायता और उनके पुनर्वास के लिये सरकार ने कोई उपाय किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनका व्यौरा क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) और (ख). पूर्वी पाकिस्तान से आये नये प्रव्रजकों के लिये सहायता तथा पुनर्वास सहायता के आकार तथा पैमानों, जो स्वीकार्य हैं, के आधार पर उचित मामलों में प्रभावित परिवारों को सहायता तथा पुनर्वास सहायता देना प्रस्तावित किया गया है । योजना बनाई जा रही है ।

खानों का राष्ट्रीयकरण

10320. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से नियोजकों ने कोयला तथा अन्य खनिज उद्योगों सम्बन्धी मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है; और

(ग) क्या यह सच है कि भारतीय राष्ट्रीय खान कर्मचारी महासंघ ने खानों के राष्ट्रीयकरण की मांग की है और यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी): (क) एक विवरण, जिसमें स्थिति दर्शाई गई है, सभा की मेज पर रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 1266/68 ।]

(ख) दोषी प्रबन्धकों को यह समझाने के लिए कि वे सिफारिशों को क्रियान्वित करें प्रयास जारी है ।

(ग) सरकार की इस प्रकार की कोई मांग प्राप्त नहीं हुई हैं ।

पश्चिम बंगाल में सरकारी खास भूमि

10320-क. श्री के० कृ० दासचौधरी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बादल चन्द्र गुहा राय और रति कान्त सरकार ने अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर लगभग 15-16 वर्षों से पश्चिम बंगाल में कूच-बिहार नगर के बिल्कुल मध्य में कदमतला में सरकारी खास भूमि पर कब्जा कर रखा है ;

(ख) क्या उन लोगों ने अन्य लोगों के साथ-साथ भूमि के अस्थायी बंदोबस्त के लिये प्रार्थना की है और कुछ अन्य लोगों को तो अस्थायी बन्दोबस्त के लिये मंजूरी दे दी गई है परन्तु इन लोगों को मंजूरी नहीं दी गई है;

(ग) क्या यह सच है कि अस्थायी बन्दोवस्त के लिये उनकी प्रार्थना को दबाते हुए कूच-विहार के अज्ञात क्लब के पक्ष में एक गलत लाइसेंस दस्तावेज पंजीबद्ध किया गया था जिसे न्यायालय ने प्रभावहीन घोषित कर दिया था; और

(घ) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) और (ख). कूच बिहार के ज़िला अधिकारियों के अभिलेखों से यह प्रदर्शित नहीं होता है कि श्री बादल चन्द्र गुहा राय और रति कान्त साहा ने लगभग 15 या 16 वर्षों से कदमतला में सरकारी खास भूमि पर कब्ज़ा कर रखा है। इसके प्रतिकूल कूच बिहार के मौजा साहर में सरकारी खास भूमि का प्लाट नं० 924 काफी समय तक श्री कृष्णादास बनिक के कब्ज़े में रहा है और इस कारण राजस्व अभिलेखों में उनका नाम अनाधिकृत कब्ज़दार के रूप में दर्ज किया गया था। श्री बादल चन्द्र गुहा राय तथा श्री कान्त साहा उस भूमि पर बने एक शैंड में अपना कारोबार चलाते रहे, जिसे उक्त श्री कृष्णदास बनिक ने अपने कब्ज़े में रखा था। श्री रति कान्त साहा और बादल चन्द्र गुहा राय व श्री कृष्णदास बनिक ने अनाधिकृत रूप से कब्जाई हुई भूमि के बन्दोबस्त के लिए अभ्यावेदन भेजे थे। इन अभ्यावेदनों पर अच्छी तरह से विचार किया गया और पश्चिम बंगाल के राजस्व मण्डल की अनुमति से भूमि के कुछ भाग का बन्दोबस्त श्री कृष्णदास के हक में कर दिया गया था। अभिलेखों के अनुसार श्री कृष्णदास बनिक का कब्ज़ा बहुत अधिक समय से उस भूमि पर था अतः उन्हें प्रायमिकता दी गई।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता।

Annual Reports of Ministries in Hindi

10320-B. Shri N. S. Sharma : Will the Minister of Parliamentary Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Hindi version of the Annual Reports of different Ministries is laid on the Table much after its English version; and

(b) if so, whether Government propose to arrange to place Hindi and English version of Annual Reports simultaneously on the Table in future ?

The Minister of Parliamentary Affairs (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) and (b). The Annual Reports of Ministries/Departments are not laid on the Table of the House, but are circulated to Members through the two Secretariats of Parliament. As far as practicable, both the English and Hindi versions of the Annual Reports are made available to the Members either simultaneously, or with the minimum interval of time, care being taken to see that they are made available before the Demands for Grants come up for discussion.

कोचीन बन्दरगाह में जहाज खड़ा करने की सुविधाएं

10320-ग. श्री श्रीनिवास मिश्र :

श्री महन्त दिग्विजय नाथ :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चार जहाज जिनमें चावल तथा गेहूं लदा हुआ है बन्दरगाह पर खड़े होने की सुविधायें न होने के कारण लगभग एक सप्ताह से कोचीन बन्दरगाह के बाहर खड़े हैं;

(ख) जहाज खड़े करने की सुविधायें कम होने के क्या कारण हैं; और

(ग) उन जहाजों के लिए खड़ा होने की तुरन्त व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ताकि उनसे माल उतारा जा सके ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं। फिलहाल, चावल ला रहे केवल 2 जहाज जिनमें से एक 3 मई से और दूसरा 5 मई से खड़े होने की सुविधा के लिये प्रतीक्षा कर रहे हैं । गेहूं से लदा कोई भी जहाज खड़े होने की सुविधा हेतु प्रतीक्षा नहीं कर रहा है ।

(ख) कोचीन बंदरगाह के कुल 8 बर्थ्स में से तीन को सामान्यत: सुरक्षित रक्खा जाता है और वे खाद्य जहाजों के लिए उपलब्ध किए जाते हैं । साधारणतया ये सुविधायें पर्याप्त हैं ।

(ग) हाल के जमाव को ध्यान में रखते हुये एक अतिरिक्त बर्थ सुलभ किया गया है और इस समय 4 खाद्य जहाजों से माल की उतराई हो रही है ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

पाकिस्तान द्वारा पेशावर में अमरीकी इलेक्ट्रानिक अड्डे का भारत में जासूसी के लिये प्रयोग किया जाना

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़): मैं वैदेशिक-कार्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाती हूं और उनसे प्रार्थना करती हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"पाकिस्तान द्वारा पेशावर में अमरीकी इलेक्ट्रानिक अड्डे का भारत में जासूसी के लिये प्रयोग किया जाना "

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री : (श्री ब० रा० भगत) : हमने समाचार पत्रों में यह समाचार पढ़े हैं कि पाकिस्तान पेशावर में स्थित अमरीकी इलेक्ट्रानिक अड्डे का भारत में जासूसी करने के लिये प्रयोग कर रहा है। इस प्रकार के समाचार पहले भी प्रकाशित हुए हैं परन्तु कठिनाई यह है कि यह गोपनीय संस्थान है, और इस से सम्बन्धित समाचारों का सत्यापन करना कठिन है। यह स्वाभाविक ही है कि पाकिस्तान और अमरीका इस संस्थान की गतिविधियों के सम्बन्ध में सूचना पर अन्य लोगों से सहमत नहीं होंगे।

फिर भी यह सर्वविदित है कि यह अड्डा अमरीकी वायु सेना संचार के 'ग्रुप अड्डा' नाम से प्रसिद्ध है और वर्ष 1959 से पेशावर के निकट बडबेर में स्थित है। यह अड्डा 'सेंटो' या 'सीआटो' के किसी अंग के रूप में नहीं, बल्कि अमरीका और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय करार के अधीन स्थापित किया गया था। इस अड्डे के आस पास कंटीले तार लगे हैं और पाकिस्तान के राष्ट्रजन भी उसके अन्दर नहीं जा सकते। इस अड्डे का पट्टा 1 जुलाई, 1969 में समाप्त होने वाला है, इसके नवीकरण का निर्णय इस वर्ष 1 जुलाई तक किया जाना है। ऐसा पता चला है कि अमरीका और पाकिस्तान के बीच इस सम्बन्ध में बातचीत चल रही है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : वर्ष 1959 के बाद यह अड्डा तकनीकी दृष्टि से इलेक्ट्रानिक कार्यवाही के लिये अत्याधिक विकसित हो चुका है। इस विचार से तथा इस विचार से कि अणुशस्त्रों के फैलाव को रोकने से सम्बन्धित संधि पर हस्ताक्षर करने के लिये अमरीका और रूस भारत पर दबाव डाल रहे हैं, क्या मैं पूछ सकती हूं कि क्या सरकार अमरीका के साथ ही नहीं बल्कि रूस के साथ भी उच्चतम स्तर पर बातचीत करेंगे और उनको बतायेंगे कि जब तक यह अड्डा समाप्त नहीं किया जाता तब तक हम इस प्रस्ताव पर विचार भी नहीं कर सकते? क्या सरकार इन दो महीनों में गम्भीरतापूर्वक इस विषय पर बातचीत करेगी क्योंकि ऐसा लगता है कि सरकार ने यह मामला भारतीय दूतावास पर छोड़ रखा है। मंत्री महोदय को उच्चतम स्तर पर बातचीत की व्यवस्था करनी चाहिये और राजनयिक गतिविधियां बढ़ा कर यह प्रयत्न करना चाहिये कि यह अड्डा समाप्त हो जाये और नये समझौते पर हस्ताक्षर न हो।

श्री ब० रा० भगत : हमारी आपत्ति अड्डा रखने पर नहीं बल्कि हमारी आपत्ति अड्डे के प्रयोग के बारे में है। यह अड्डा गत 10 वर्षों से बना हुआ है और वह इलेक्ट्रानिक यंत्रों के कारण भारत के सम्बन्ध में ही नहीं बल्कि चीन, केन्द्रीय एशिया तथा रूस के सम्बन्ध में भी संकेत प्राप्त कर सकता है। जहां तक अड्डा हटाये जाने का सम्बन्ध है, इस बारे में रूस को अधिक चिन्ता होनी चाहिये क्योंकि यह उनके विरुद्ध है अथवा चीन और पाकिस्तान को इस सम्बन्ध में कुछ निर्णय करना होगा। यह बातें मैं इसलिये कह रहा हूं कि इस प्रश्न को परमाणु शस्त्रों के प्रसार को रोकने से सम्बन्धित संधि के साथ जोड़ा गया है। हमने अमरीका के साथ उच्चतम स्तर पर बातचीत की है परन्तु उन का कहना है कि इस अड्डे का प्रयोग भारत के विरुद्ध नहीं किया जा रहा है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : प्रश्न यह है कि यदि यह अड्डा रहता है तो भारत सरकार पाकिस्तान द्वारा जासूसी के कार्य को रोका नहीं जा सकता।

L31LSS(CP)/68—9

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : चाहे अमरीका का पेशावर स्थित अड्डा हटा भी दिया जाये तब भी हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि वह उपरोक्त करार पर हस्ताक्षर न करे। पाकिस्तान का शत्रुता का रवैया अभी बना हुआ है। उपरोक्त इलेक्ट्रानिक अड्डा रूस की जासूसी करने के लिए स्थापित किया गया था, फिर भी जब हम अपने मित्र देशों को संदेश भेजते हैं तो पाकिस्तान को इस अड्डे से उनकी सूचना मिल जाती है जो हमारे लिये ख़तरनाक बात है। अतः मैं यह पूछना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने पाकिस्तान के साथ इस सम्बन्ध में कोई बातचीत क्यों नहीं की ? सरकार को जासूसी करने वाले यंत्र को हटाने के लिये अमरीका तथा पाकिस्तान को रोषपत्र भेजने चाहिये।

श्री ब० रा० भगत : इस प्रकार का अड्डा स्थापित करने के हम विरुद्ध है इस सम्बन्ध में हमारी नीति बिल्कुल स्पष्ट है। परन्तु यदि हम पाकिस्तान से इस विषय में कुछ कहते हैं तो हमें वर्तमान सम्बन्धों का ध्यान रखते हुए इस बात का पता है कि उसकी इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया होगी।

श्री हेम बरुआ : मंत्री महोदय का कहना है कि पाकिस्तान का रवैया शत्रुतापूर्ण है। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि पाकिस्तान को मज़बूत बनने दें।

श्री रा० कृ० सिंह (फ़ैजाबाद): जासूसी का यह अड्डा पाकिस्तान में वर्ष 1959 से है। इसका अर्थ यह है कि इसका प्रयोग वर्ष 1965 के आक्रमण में भी किया होगा। मंत्री महोदय को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या पाकिस्तान भारत में घुसपैठ करने के लिये इस अड्डे का प्रयोग करता रहेगा।

अमरीका जासूसी करने की कला में दक्ष है। पाकिस्तान को अमरीका और चीन से काफी युद्ध सामग्री प्राप्त हो रही है। इस अड्डे का प्रयोग अफगानिस्तान तथा पख़तूनों के भी विरुद्ध किया जाता है, अतः मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, कि क्या वह अफ़गानिस्तान से मिल कर इस प्रचार को रोकने के लिये कोई नीति बनायेगी ?

श्री ब० रा० भगत : मैं माननीय सदस्य के प्रश्न को समझ नहीं सका। परन्तु मैं इतना कह सकता हूं, हम इस अड्डे के विरुद्ध हैं।

श्री दिनकर देसाई (कनारा) : क्या सरकार ने उस समय अमरीका को रोषपत्र भेजा था, जब यह अड्डा स्थापित किया गया था और क्या सरकार ने अमरीका से कहा था कि भारत के बिल्कुल पास ऐसा अड्डा बनाना अमैत्रीपूर्ण कार्यवाही समझी जायेगी, और यदि इस आशय का रोषपत्र नहीं भेजा गया था तो उस का कारण क्या था ?

क्या सरकार को वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास से यह जानकारी प्राप्त हो गयी है कि इस अड्डे का प्रयोग जासूसी के लिये किया जा रहा है या नहीं ?

जब यह अड्डा स्थापित किया गया था तो अमरीका ने पाकिस्तान को कई रिआयतें दी थीं। अब इस करार के नवीकरण के अवसर पर वह अमरीका से कई रिआयतें मांगेगा। म यह पूछना चाहता हूं कि इस ख़तरे से बचने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री ब० रा० भगत : पाकिस्तान अवसरवादी है और उसने चीन और अमरीका से इसी प्रकार शस्त्रास्त्र प्राप्त किये हैं। इस अड्डे के नवीकरण के अवसर का भी वह इसी उद्देश्य के लिये प्रयोग कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में हमने अपने विचार अमरीका सरकार को बता दिये हैं।

अमरीका सरकार ने हमें बताया है कि यह अड्डा उनके विश्व के साथ संचार साधनों का एक अंग है और उन्होंने बताया कि इसका नियंत्रण उनके हाथ में है, पाकिस्तानियों के हाथ में नहीं । उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने इसका प्रयोग भारत के विरुद्ध कभी नहीं किया और न करेंगे ।

श्री दिनकर देसाई : मेरे प्रश्न का पहला भाग यह था कि जब यह अड्डा स्थापित किया गया था, तब भारत सरकार ने अमरीका को रोषपत्र क्यों नहीं भेजा था ?

श्री ब० रा० भगत : इस सम्बन्ध में हमारे विचार सर्वविदित हैं । हमने कहा है कि इस प्रकार के कार्य से संसार में और विशेषकर इस क्षेत्र में तनाव बढ़ जायेगा । फिर यह अड्डा एक अन्य देश में स्थापित किया गया है और वह इसके बदले अमरीका से काफ़ी धन प्राप्त कर रहा है ।

सभा में दिये गये सरकारी वक्तव्य और न्यायालय में भरे गये शपथ-पत्र में अन्तर के बारे में निर्णय ।

RULING *RE:* QUESTION OF DISCREPANCY BETWEEN GOVERNMENT STATEMENT IN THE HOUSE AND AFFIDAVIT FILED IN COURT

अध्यक्ष महोदय : मैं ने सरकारी वक्तव्य और न्यायालय में भरे गये शपथ पत्र में अन्तर के बारे में माननीय सदस्यों तथा विधि मंत्री के विचारों को 6 मई, 1968 को हुई इस विषय की चर्चा के दौरान सुना था । अब मेरे समक्ष तीन प्रश्न हैं जिनके सम्बन्ध में मुझे अपना निर्णय देना है; अर्थात

(क) क्या एक पत्र या वाद-पत्र सहित कोई दस्तावेज़, लिखित वक्तव्य, शपथ-पत्र या किसी न्यायालय में सरकार द्वारा दायर याचिका को सभा-पटल पर रखा जा सकता है;

(ख) क्या शपथ-पत्र की एक प्रति, जिसे बताया जाता है कि भारत सरकार की ओर से एक अवर सचिव द्वारा दिल्ली के उच्च न्यायालय में दायर किया गया और जिस सभा-पटल पर रखने की श्री मधु लिमये ने मांग की थी, उसे सभा-पटल पर रखे जाने की अनुमति दी जाये ;

(ग) क्या निम्नलिखित प्रस्ताव को, जिसकी सूचना श्री मधु लिमये द्वारा दी गयी है और जो 7 मई को कार्यसूची में था, स्वीकार किया जाये और सभा में उस पर विचार विमर्श करने की अनुमति दी जाये ।

प्रस्ताव

"कि यह सभा वदेशिक कार्य मंत्रालय के अवर सचिव श्री रंगानाथन, द्वारा दिये गये वक्तव्यों का, जो उन्होंने 21 अप्रैल, 1968 को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष भारत सरकार की ओर से विरोध में अपने शपथ-पत्र में दिये थ और जो कच्छ पंचाट के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में 28 फरवरी, 1968 को गृह-कार्य मंत्री द्वारा सभा में दिये गये वक्तव्यों के प्रतिकूल हैं, निरनुमोदन करती है ।

जहां तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है, कोई दस्तावेज़ या पत्र सभा पटल पर सदस्यों की जानकारी के लिये तथा सभा म वाद-विवाद तथा चर्चा में उनकी सहायता के लिये रखा जाता है। सभा पटल पर रखा गया पत्र या दस्तावेज़ सभा-पटल पर रखे जाने के बाद मार्वजनिक वन जाता है। जहां तक सरकार द्वारा या सरकार की ओर से किसी न्यायालय में दायर वाद-पत्रों सहित दस्तावेज़ों या पत्रों, लिखित वक्तव्यों, शपथ पत्रों तथा याचिकाओं का सम्बन्ध है, वे सरकारी दस्तावेज़ कदाचित नहीं हैं। साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत गैर-मरकारी दस्तावेज़ के रूप में दस्तावेज़ों का वर्गीकरण सभा के समक्ष उन्हें पेश करने से सरकार को नहीं रोकता। इस वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य यह है कि उन्हें न्यायालय में पेश किया जा सके। सरकार और संसद् के सम्बन्ध संविधान पर आधारित हैं और मेरी राय यह है कि संविधान में या लोक-सभा के प्रक्रिया नियमों या साक्ष्य अधिनियम में ऐसी कोई बात नहीं है जिसके द्वारा सभा में ऐसा कोई पत्र पेश करने पर सरकार पर रोक लगाई गयी हो जिसके लिये सरकार ज़िम्मेदार है। बल्कि सरकार को सभा से ऐसा कोई पत्र नहीं छिपाना चाहिये जो किसी न्यायालय में दायर किया गया हो। यदि कोई दस्तावेज़ लोकहित में सभा-पटल पर रखना उचित न हो तो कोई मंत्री किसी पत्र या दस्तावेज़ को सभा-पटल पर रखने से इन्कार कर सकता है। अध्यक्ष महोदय इस प्रकार के दस्तावेज़ को सभा-पटल पर रखने के लिये सम्बन्धित मंत्री को बाध्य नहीं कर सकते। परन्तु सभा के पास इस समस्या के समाधान के लिये पर्याप्त साधन हैं।

जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं अपने उपरोक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए श्री मधुलिमये को प्रस्तावित शपथ-पत्र की एक प्रति सभा-पटल पर रखने की अनुमति इस शर्त पर देता हूं कि वह सभा-पटल पर गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा दस्तावेज़ों के रखने के लिये नियमों के अधीन अन्य अपेक्षित बातों का पालन करते हों।

तीसरे प्रश्न के सम्बन्ध में, अर्थात् क्या उस प्रस्ताव को, जो ऐसे मामलों के सम्बन्ध में है जो न्यायालय के विचाराधीन है, स्वीकार किया जाय या सभा में चर्चा की जाय, इसी की निश्चित रूप से व्याख्या करनी होगी। अध्यक्ष को एक ओर तो इस बात को देखना है कि सभा में कोई चर्चा न्याय के विपरीत न हो और दूसरी ओर यह भी देखना है कि सभा को केवल इस आधार पर किसी अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा करने मे न रोका जाये कि वह मामला अथवा उससे सम्बद्ध मामला न्यायालय के विचाराधीन है। मेरी राय के अनुसार न्यायाधीन मामले की जांच यह होनी चाहिये कि जिस मामले को सभा में उठाने की मांग की गयी है, वह उस मामले से काफ़ी मेल खाता हो जिसका निर्णय न्यायालय को करना है। यदि अध्यक्ष की राय में कोई मामला न्यायाधीन है तो इस विनिर्णय का प्रभाव यह होगा कि उस मामले पर चर्चा तब तक स्थगित रखी जायेगी जब तक उस मामले में न्यायालय द्वारा निर्णय नहीं दे दिया जाता। यदि वह मामला किसी उच्चतर न्यायालय में अपील करने पर पुनः न्यायाधीन नहीं हो जाता तो उसके बाद न्यायाधीन की रोक लागू नहीं होगी। श्री मधुलिमये के प्रस्ताव की प्रस्तुत सूचना पर इन दो कसौटियों को लागू करने पर मैं यह महसूस करता हूं कि विधि मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए कि "यह प्रश्न कि अवर सचिव द्वारा दायर किया गया शपथ-पत्र उस बात से कुछ भिन्न है जो गृह-मंत्री ने कही है इस मामले को न्यायालय में उठाया गया है और न्यायालय के विचाराधीन है"। वही मामला जिसे उठाने के लिये

सदस्य द्वारा मांग की गयी है, न्यायालय के विचाराधीन है। अतः मेरी राय में प्रस्ताव की सूचना पर चर्चा को तब तक स्थगित रखा जाये जब तक न्यायालय अपना निर्णय नहीं देता। फिर भी यह स्पष्ट है कि यह लोक महत्व का मामला है जिस पर सभा में विचार विमर्श होना चाहिये और यदि इस मामले की न्यायालय द्वारा निर्णय लेने तक सभा प्रतीक्षा करे तो उसका महत्व समाप्त नहीं होगा।

Shri Madhu Limaye : I don't say anything on your ruling but I want to say that you have based your ruling on the objection raised by the Minister of Law.

अध्यक्ष महोदय : वह मामला समाप्त हो गया है।

Shri Madhu Limaye : But my second notice is lying with you and that relates to privileages alongwith which there cannot be any case of subjudice. You are going to adjourn tomorrow. You please give me five minutes.

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर्स लिमिटेड, मद्रास का वार्षिक प्रतिवेदन

संसद् कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड, मद्रास के 1966-67 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1237]।**

(2) निम्नलिखित विवरण, जिनमें लोक-सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान जो प्रत्येक के सामने दिखाये गये हैं, मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दिखाई गई है :—

(एक) अनुपूरक विवरण संख्या 1 और 2	चौथा सत्र, 1968 (चौथी लोक-सभा)
(दो) अनुपूरक विवरण संख्या 5	तीसरा सत्र 1967 (चौथी लोक-सभा)
(तीन) अनुपूरक विवरण संख्या 13	दूसरा सत्र, 1967 (चौथी लोक-सभा)
(चार) अनुपूरक विवरण संख्या 13	सोलहवां सत्र, 1966 (तीसरी लोक-सभा)
(पांच) अनुपूरक विवरण संख्या 14	पन्द्रहवां सत्र, 1966 (तीसरी लोक-सभा)
(छः) अनुपूरक विवरण संख्या 15	तेहरवां सत्र, 1965 (तीसरी लोक-सभा)

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1238]।

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन अधिसूचनाएं

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) अन्तर्क्षेत्रीय गेहूं तथा गेहूं उत्पादन (वहन नियन्त्रण) (तीसरा संशोधन) आदेश, 1968 जो दिनांक 25 अप्रैल, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 781 में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) जी० एस० आर० 829 जो दिनांक 1 मई, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा मध्य प्रदेश तियोरा आटा वेसन (निर्यात नियन्त्रण) आदेश, 1968 का विखण्डन किया गया । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1239]**

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और लवण अधिनियम आदि के अधीन अधिसूचनायें

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : मैं सभा-पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :

(एक) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (पहला संशोधन) अधिनियम, 1968 जो दिनांक 20 अप्रैल, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 742 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (दूसरा संशोधन) नियम, 1968 जो दिनांक 27 अप्रैल, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 763 में प्रकाशित हुए थे । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1240]** ।

(एक) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1968 की धारा के उपधारा (3) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विक्रय कर (संशोधन) अधिनियम, 1968 (1968 का राष्ट्रपति का अधिनियम, संख्या 11) की एक प्रति जो दिनांक 6 अप्रैल, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था । (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण)

(दो) ऊपर उल्लिखित अधिनियम को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण । (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) **[पुस्तकालय में रखा गया : देखिये संख्या एल० टी० 1241]** ।

औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री स० चु० जमीर) : मैं सभा-पटल पर निम्नलिखित पत्र रखना चहता हूं :

(एक) पश्चिमी बंगाल राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 1968 को जारी की गए उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 40 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 1300-आई० आर०/आई० आर०/1ए+1(ए)/64—पी०टी०

दिनांक 2 मार्च 1968 की एक प्रति जो कलकत्ता राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में कतिपय उद्योग शामिल किये गये ।

(दो) ऊपर की अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण । **[पस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1242]** ।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 40 की उपधारा के अन्तर्गत **अधिसूचना** संख्या एस० ओ० 1471 की एक प्रति जो दिनांक 27 अप्रैल, **1968** के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा, उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में 'यूरेनियम उद्योग में सेवा' जोड़ी गई । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1243]** ।

(एक) पश्चिमी बंगाल राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 1968 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 38 की उपधारा (4) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 3089-आई० आर०/आई० आर०/1 आर-4165 की एक प्रति जो दिनांक 21 सितम्बर, 1967 के कलकत्ता राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा पश्चिमी बंगाल औद्योगिक विवाद नियम 1958 में कतिपय संशोधन किए गए ।

(दो) ऊपर की अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1244]**।

सरकारी बचत-पत्र अधियम के अधीन अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं सभा-पटल पर निम्नलिखित **पत्र रखता** हूं :

सरकारी बचत पत्र अधिनियम 1959 की धारा 12 की उपधारा (3) के अन्तर्गत **डाक घर** बचत पत्र (तीसरा संशोधन) नियम 1968 की एक प्रति जो दिनांक 27 अप्रैल, 1968 के भारत के राज-पत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 821 में प्रकाशित हुए थे । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1245]** ।

विशेषाधिकार प्रश्न के बारे में

RE : QUESTION OF PRIVILEGE

श्री रंगा : क्या हमें यह आश्वासन मिलेगा । कि आप कल किसी समय यह निर्णय करेंगे कि विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जाये अथवा नहीं क्योंकि आपने कहा है कि आप सत्र का अवसान कल करना चाहेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में सभा में गारंटी नहीं दे सकता ।

श्री रंगा : यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है और सदन को इस बारे में आप से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है; अन्यथा यह नियमोलंघन होगा ।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : आपने स्वयं स्वीकार किया है कि यह एक शीघ्र ही उठाने योग्य सार्वजनिक महत्व का मामला है और आपने स्वयं इसे किसी अन्य दिन के लिये स्थगित किया था । विशेषाधिकार का यह प्रश्न सभा के सत्रावसान से पूर्व अवश्य उठाया जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : यह आप मुझ पर छोड़ दीजिये (**व्यवधान**) श्री रंगा के सुझावानुसार मैं कल इस बारे में निर्णय दूंगा मैं इस पर विवाद करने को तैयार नहीं हूं ।

Shri Madhu Limaye : On what grounds are you rejecting it ? There is nothing like subjudice in it. You please hear me. It refers to the whole country, however. I want to read out Rule 224.

अध्यक्ष महोदय : मैं एक दम निणय नहीं दे सकता । इस बारे में कल निर्णय दूंगा में यह भी गारंटी नहीं कर सकता कि इसे स्वीकार कर लूंगा । अब सचिव महोदय!

राज्य-सभा से सन्देश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव महोदय : श्रीमन्, मुझे राज्य-सभा से प्राप्त निम्नलिखित सन्देश की सूचना देनी है :

(एक) कि राज्य सभा ने अपनी 20 अप्रैल, 1968 की बैठक में लोक-सभा की इस सिफारिश से सहमति प्रकट की है कि 1 मई, 1968 से आरम्भ होने वाली और 30 अप्रैल, 1969 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये लोक-सभा की सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के साथ सहयोजित करने के लिए राज्य-सभा के पांच सदस्यों को नामनिर्देशित किया जाये और उक्त समिति में चुने गये राज्य-सभा के निम्नलिखित सदस्यों के नाम सूचित भी किये हैं :—

(1) श्री नन्द किशोर भट्ट

(2) कुमारी एम० एल० मेरी नायडू

(3) श्री गोड़े मुराहरि

(4) श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह

(5) श्री दत्तोपन्त थेंगड़ी

(दो) कि लोक-सभा द्वारा 1 मई, 1968 को पास किये गये वित्त-विधेयक, 1968 के बारे में राज्य-सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करना है ।

सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS

छठा प्रतिवेदन

श्री तिरुमल राव (काकिनाडा) : मैं सभा की बैठकों में सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का छठा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति

JOINT COMMITTEE ON OFFICE OF PROFIT

तीसरा प्रतिवेदन

श्री राणे (बुलडाना) : मैं लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति का तीसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, I am not going to wait any more. You can not over rule it. It involves country's prestige and self respect. we want your ruling. I will not permit the House to proceed you hear me.

लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक

LOKPAL AND LOKAYUKTAS

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं, सरकार द्वारा अथवा उसकी ओर से, या किन्हीं सरकारी प्राधिकरणों द्वारा किन्हीं मामलों में की गई प्रशासनिक कार्यवाही तथा अन्य सम्बन्धित मामलों की जांच के लिये, किन्हीं प्राधिकारियों की नियुक्तियों और कार्यकलापों हेतु, श्री यशवन्त राव चव्हाण की ओर से, एक विधेयक पेश करने की अनुमति चाहता हूं ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं विधेयक पेश करता हूं ।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, you please hear me. I will not keep sitting like that. I will not the proceedings to go on Rule 224 is as under :

"The right to raise a question of privilege shall be governed by the following conditions, namely :—

(*i*) not more than one question shall be raised at the same sitting;

(*ii*) the question shall be restricted to a specific matter of recent occurrence;

(*iii*) the matter requires the intervention of the House."

सीमा सुरक्षा बल विधेयक
BORDER SECURITY FORCE BILL

श्री विद्याचरण शुक्ल: मैं, श्री यशवन्त राव चव्हाण की ओर से भारत की सीमाओं की सुरक्षा तथा इससे सम्बन्धित मामलों के लिये, संघ के एक सशस्त्र बल के गठन और संचालन हेतु एक विधेयक पेश करने की अनुमति का प्रस्ताव करता हूं।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

Motion was adopted.

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं विधेयक पेश करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : सभा की बैठक दो बजे तक के लिये स्थगित होती है।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न-भोजन के लिये 2 बजे म० 40 तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha, then adjourned for lunch till Fourteen of the Clock.

मध्याह्न-भोजन के पश्चात् लोक-सभा 2 बजे म० प० पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha re-assembled after lunch at Fourteen of the Clock.

उपाध्यक्ष महोदय : पीठासीन हुए

Mr. Deputy Speaker *in the chair*

विशेषाधिकार प्रश्न के बारे में
RE: QUESTION OF PRIVILEGE

Shri Madhu Limaye : Before lunch break, I was talking under Rule 224 ...... you please hear me.

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष महोदय इसे निपटा चुके हैं। कह चुके हैं कि वह कल इस बारे में अपना निर्णय देंगे। अब मैं इस बारे में और विचार नहीं कर सकता।

श्री मधु लिमये : उन्होंने नहीं निपटाया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सुन लूंगा, मगर कोई शोर-गुल नहीं होना चाहिये।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker gave his ruling in two parts one of which had wanted me to place the documents on Table of the House after authenticating them; and I have done that.

Secondly, on my motion under Rule 184, he pointed out that it had been objected to by the Law Minister; but as far as I believe he said nothing final. He said he shall have to decide about it. I am not prepared to accept that the Lok Sabha has got not right to discuss matters of public importance.......

उपाध्यक्ष महोदय : हम अध्यक्ष महोदय के निर्णय का पालन करें। हम उसे चुनौती नहीं दे सकते।

Shri Madhu Limaye : I am not challenging his ruling. It is question of the motherland. I am submitting that Mr. Speaker never said of rejecting the motion, but he said that I was the Speaker to decide whether certain matters are with the courts, or not. He had given a ruling about the postponement (*interruptions*).

श्री शिव नारायण : माननीय सदस्य अध्यक्ष की अवज्ञा कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा की कार्यवाही को शान्ति से चलाने में आप मेरा सहयोग करें।

Shri K. N. Tiwary : If the hon. Member says that he is not challenging the Speaker's ruling then you hear him and give your own ruling.

उपाध्यक्ष महोदय : आप यह मत भूलिये कि जब तक उच्च न्यायालय का फैसला घोषित नहीं हो जाता तब तक हम उसको चुनौती नहीं दे सकते।

श्री नाथ पाई : हम आपके निर्णय से सहमत नहीं हैं परन्तु हम इसे स्वीकार करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : निजी रूप से आप कुछ भी अनुभव करें परन्तु सार्वजनिक रूप से अध्यक्ष के निर्णय का आप अनुसरण करेंगे।

Shri Madhu Limaye : I have nothing to say against your ruling although I don't agree to it. But there is a great difference between Rule 186 and Rule 224; and my second motion under Rule 224 is lying with Mr. Speaker.

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे ज्ञात है तथा अध्यक्ष महोदय ने उस पर अपना निर्णय रोक लिया है। अतः मैं उस पर विचार नहीं कर सकता।

Shri Madhu Limaye : You please hear me. My motion is under Rule 224 and there is no question of subjudice in it. It has been decided in the House several times that while discussing on the issues of Privileges this House acts as a supreme judicial authority. Therefore speaker's ruling cannot be effective on motion of breach of privileges. You will agree with this at least.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उनसे बिल्कुल सहमत नहीं परन्तु फिर मैं उनकी बात सुनने को तैयार हूं।

Shri Madhu Limaye : My point is that when the affidavit saying that the area given to Pakistan by the Tribunal had never been a part of Gujarat, it should be put to discussion. If you want that the proceedings should go peacefully. I shall finish it within five minutes. The courts have nothing to do with the privilege motion and this House is the highest court.

उपाध्यक्ष महोदय : विशेषाधिकार का प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय के पास है और मैं इस बारे में कुछ नहीं कर रहा हूं। निजी तौर पर मैं कहूंगा कि माननीय सदस्य निर्णय का उल्लंघन कर रहे हैं तथा इससे अदालती निर्णय पर कुप्रभाव पड़ता है। कई प्रसिद्ध वकील भी माननीय सदस्य का समर्थन कर रहे हैं जिनमें श्री नाथ पाई भी हैं।

श्री मधु लिमये : अशोक सेन भी हैं। उनको भी कहने दीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय वह यहां नहीं हैं। दी० ना० मुकर्जी भी सुन लें। मुख्य प्रश्न यह है कि इसके कारण अदालती निर्णय पर प्रभाव पड़ेगा। इस विशेष मामले में मेरा निर्णय यह है कि जिस मामले से अदालत के निर्णय पर कुप्रभाव पड़ता है उसे रोक देना चाहिये।

श्री दी० ना० मुकर्जी : अध्यक्ष महोदय के इस निर्णय से हम पूरी तरह सहमत हैं कि विशेषाधिकार के प्रश्न को कल पर छोड़ दिया जाये। क्योंकि इस मामले से कई महत्वपूर्ण बातें सम्बन्धित हैं तो यह स्पष्ट किया जाये कि कल इस मामले को अवश्य विचारार्थ ले लिया जायेगा। आप इस बात को दोहरा दीजिये कि यह मामला कल अवश्य ही विचार के लिये उठाया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नहीं कह सकता। इसका निर्णय तो अध्यक्ष महोदय करेंगे।

श्री दी० ना० मुकर्जी : तब तो हमारे लिये मुश्किल है।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें मामले का ज्ञान है। यदि यह मामला मेरे सामने उठा होता तो मैं निर्णय कर लेता। आप लोग अध्यक्ष महोदय को मनाइये। मैं तो यह मानता हूं कि अध्यक्ष के निर्णय से कई पेचीदगियां उत्पन्न होंगी। इससे अधिक मुझे कुछ नहीं कहना है। अब उस पर विवाद करने और समय नष्ट करने से क्या लाभ ?

श्री दी० ना० मुकर्जी : यदि अध्यक्ष ने अपना कोई भी निर्णय दे दिया होता तो बात अलग थी परन्तु उन्होंने कहा कि इस बारे में कल विचार करेंगे और आपने भी यही कहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि वह ऐसा निर्णय करते हैं तो।

श्री दी० ना० मुकर्जी : परन्तु इस समय तो आपके पास भी अध्यक्ष के पूरे अधिकार हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : स्पष्ट रूप से बात यह है कि अध्यक्ष महोदय को मामले का पूरा ज्ञान है तथा इस सम्बन्ध में वे अपना मस्तिष्क प्रयोग कर रहे हैं। इस मामले को छोड़ कर आप मुझ से अन्य किसी मामले पर निर्णय करा लीजिये।

श्री नाथ पाई : मुझे इससे कुछ परेशानी हुई है कि आपने मेरा एक प्रसिद्ध वकील के रूप में हवाला दिया है। मैं इस प्रकार का कोई ढोंग नहीं करता। परन्तु स्पष्ट मामला यह है कि जो प्रश्न श्री लिमये ने उठाया था उस पर अध्यक्ष द्वारा निर्णय दे दिया गया है। मैं उस निर्णय से सहमत तो नहीं हूं परन्तु मैं उसका आदर करता हूं। श्री लिमये और श्री दी० ना० मुकर्जी द्वारा दोहराया गया वह मामला तो अब समाप्त हो गया।

परन्तु जिस मामले में हम आपका मार्ग-दर्शन और सहायता चाहते हैं वह इससे भिन्न है।

यह विशेष प्रस्ताव जो आपके सम्मुख है तीन दिन से भी अधिक समय से अध्यक्ष महोदय के विनिर्णय के लिए पड़ा हुआ है। जहां तक विशेषाधिकार का सम्बन्ध है, चाहे न्यायालयों में कुछ भी हो रहा हो यह प्रभुत्व सम्पन्न संस्था है और इस सभा के विशेषाधिकार के प्रस्ताव पर चर्चा करने के अधिकार को कम नहीं किया जा सकता और उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में लेख-याचिकायें की जाएं लेकिन संसद् को विशेषाधिकार के प्रस्ताव पर चर्चा करने से रोका नहीं जा सकता। इसे सर्वोच्च प्राधिकार प्राप्त है। विशेषाधिकार का प्रस्ताव आपके सम्मुख है।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे सामने नहीं, आपको इसमें भेद करना चाहिए।

श्री नाथ पाई : जब आप पीठासीन हैं तो आप हम सब के लिए सभी कार्यों के लिए अध्यक्ष हैं, आप पीठासीन अधिकारी हैं। मैं आपकी विनम्रता की सराहना करता हूं

लेकिन जब आप पीठासीन हैं तो सभा के सारे प्राधिकार आपको प्राप्त हैं, अगर हम इस प्रस्ताव को प्राथमिकता देने के लिए कहते हैं तो यह कोई गलत बात नहीं है क्योंकि इसके लिए पहले ही काफी देरी हो चुकी है। बड़ी आश्चर्य की बात है कि इसे जितना महत्व मिलना चाहिये था, उतना क्यों नहीं मिला। यह आपका अन्तर्निहित अधिकार है कि हमें ऐसा आश्वासन दें कि इस विषय को आज ही लिया जायेगा। मैं कल के लिए भी प्रस्तुत हूं लेकिन अगर आज ही इस पर चर्चा हो तो अच्छा होगा।

उपाध्यक्ष महोदय ! इसका निर्णय कल होगा। मैं नहीं कह सकता कि इस पर सभा में चर्चा होगी कि नहीं।

श्री नाथ पाई : इस पर सभा में चर्चा होनी चाहिए। हमें इस पर बोलने के लिए अवसर मिलना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर निर्णय लेना बड़ा कठिन है। अध्यक्ष महोदय ने इसे अपने विचारार्थ रखा है क्योंकि वे इसमें अन्तर्निहित बातों का अध्ययन करना चाहते हैं। वे कल निर्णय देंगे। हमें कल तक प्रतीक्षा करनी चाहिये।

श्री नाथ पाई : क्या इसका निबटान बिना हमारी बात सुने कर दिया जायेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कैसे कह सकता हूं ?

श्री नाथपाई : हम अपने विचारों को प्रकट करना चाहते हैं। वे सर्वोच्च प्राधिकारी हैं जो अपने सम्मुख अनीर्णित विषय पर निर्णय दे सकते हैं। हमें अपनी बात समझाने के लिए अवसर दिया जाना चाहिए। ऐसा आश्वासन आप दे सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि मैंने रुलिंग के आशय को समझ लिया है तो मैं नहीं जानता कि इस समय इस प्रश्न से सम्बन्धित कोई बात सभा में उठायी जा सकती है। मेरा विचार है कि ऐसा नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका निर्णय अध्यक्ष महोदय को करना है।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Let me speak what I want to say. It may be that your mind may change after hearing me and a unanimous course may come out.

उपाध्यक्ष महोदय : तब हम इसे कल के लिए छोड़ते हैं। मैं आपको बोलने का अवसर देने के लिए तैयार हूं। अब हम कीटनाशी विधेयक को लेंगे।

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : सीमित प्रश्न यह है। श्री मधु लिमये को शपथ-पत्र सभा-पटल पर रखने की अनुमति देने के पश्चात् अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इस विषय को कल लेंगे। अब उनके ऐसा कहने के पश्चात् मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य अब आपसे इस विषय को अभी ,उठाने की अनुमति दिये जाने के लिए कैसे कह रहे हैं, सीमित प्रश्न यह है कि क्या आप अध्यक्ष महोदय के ऐसा कहने के बाद और यह जानते हुए कि शपथ-पत्र सभा, पटल पर है उनको इस विषय को उठाने की अनुमति दे सकते हैं। आपको इसका निर्णय करना है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कह चुका हूं कि विशेषाधिकार से सम्बन्धित कोई भी मामला जो कि अध्यक्ष महोदय के विचाराधीन है, मैं उस पर निर्णय नहीं दे सकता हूं।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) ; The hon. Speaker has given his ruling about the motion put by Shri Madhu Limaye. He has stated that that may be postponed till the matter is in the court and the decision is not taken there.

[Shri Kanwar Lal Gupta]

Secondly thing is that Shri Limaye wants that his views on the issue of privilege should be heard and Mr. speaker should give his decision whether this matter should be referred to Privilege Committee or not. The Speaker has all the powers. He may refer any question of privilege to the Committee of Privileges for examination, investigation or report. Shri Madhu Limaye should be allowed to speak. You should take it as new privilege motion.

उपाध्यक्ष महोदय : पिछले तीन दिन से इस विषय पर अध्यक्ष महोदय के सम्मुख चर्चा हो रही थी। यदि अंशतः चर्चित मामला हस्तान्तरित किया जाता है तो इसमें थोड़ा समय लगता है। क्योंकि इस मामले पर अध्यक्ष महोदय के सामने चर्चा हुई थी और कोई निर्णय नहीं लिया जा सका अतः यह कहने को अनुमति नहीं है कि "आप निर्णय कीजिये"।

श्री एम० नारायण रेड्डी (निजामाबाद) : यदि विशेषाधिकार प्रस्ताव अथवा किसी अन्य प्रस्ताव के आवरण में माननीय सदस्य शपथ-पत्र में उल्लिखित विषय को दुबारा उठाना चाहते हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि इस पर रोक है, उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय के केश द्वारा नहीं बल्कि आज प्रातः अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये विनिर्णय द्वारा ।

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : विशेषाधिकार के प्रस्ताव के सम्बन्ध में नियम के अन्तर्गत ऐसी व्यवस्था है कि अध्यक्ष महोदय की सम्मति से कोई भी सदस्य सभा में विशेषाधिकार का प्रश्न उठा सकता है। 'अध्यक्ष' शब्द में 'उपाध्यक्ष' भी आ जाता है। विशेषाधिकार प्रस्ताव की तीन अवस्थायें होती हैं। सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय को प्रस्ताव की ग्राह्यता पर विचार करना चाहिये। तब इसके बाद सभा से सहमति की अवस्था आती है अगर 25 सदस्य या इससे अधिक ऐसे प्रस्ताव का समर्थन करते हैं तो तब प्रश्न उठता है कि क्या इसे विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जाय अथवा सभा को स्वयं इस पर चर्चा करनी चाहिए और इसका निर्णय करना चाहिए । ये अवस्थाएं बाद में आती हैं । चर्चा अथवा व्याख्या पहली अवस्था की समाप्ति के बाद होती है अर्थात् जब अध्यक्ष महोदय सदस्य को प्रस्ताव पेश करने और उस पर बोलने की सम्मति देते हैं। हमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। दोनों ही अध्यक्ष हैं । प्रातः अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इस पर विचार किया जायेगा। अतः वे इस पर विचार करें कि यह ग्राह्य है अथवा नहीं। यदि वे इसे ग्राह्य समझते हैं तो तब यह सभा का कार्य है कि वह यह देखे कि क्या इसे स्वीकार किया जाना चाहिये तथा क्या इसके पक्ष में कम से कम 25 सदस्य हैं। श्री लिमये का विवरण केवल तभी आयेगा जब अध्यक्ष महोदय अनुमति देंगे कि इसे सभा में पेश किया जाय। इस समय श्री लिमये को इस विषय में कुछ भी कहने की अनुमति नहीं दी जा सकती ।

जो प्रस्ताव नियम 184 के अन्तर्गत पेश किया गया है उसकी अनुमति दी गयी है। अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि इस पर चर्चा होगी। उस पर चर्चा करने के लिए शपथ-पत्र की आवश्यकता है। अतः अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इसे सभा-पटल पर रखा जाय । श्री लिमये ने कहा है कि न्यायाधीन सम्बन्धी नियम का विशेषाधिकार प्रस्ताव पर कोई असर नहीं पड़ता। मेरे विचार से यह गलत है। अध्यक्ष महोदय द्वारा इसके लिये जाने की स्वीकृति दी जाने पर ही माननीय सदस्य इस पर बोल सकते हैं ।

श्री उमानाथ : श्री मधु लिमये का अनुरोध यह है कि जब आप इसकी ग्राह्यता के सम्बन्ध में निर्णय करने के लिए विचार करते हैं तो आप उनको सुनें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने यह निर्णय दिया है कि मैं प्रस्ताव की ग्राह्यता पर विचार कर रहा हूं कि क्या इसे सभा में पेश किया जाय अथवा नहीं और मैं अपने निर्णय की घोषणा कल करूंगा। यदि आप विधि मंत्री के तर्कों को स्वीकार करते हैं तो यही मेरा निर्णय है।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : The basic question which has caused angre among the members, in the house and in the country is that in the affidavit which is being discussed there is detail of that point of view of the Ministry of External Affairs that the areas about which the Government till yesterday stated that those are theirs, now they have refused to call some of those areas as their own. It is an important question and cannot be evaded. There should be a statement in this respect by the Minister of External Affairs and after that the hon. Speaker should give his decision. This is the middle course.

Shri S. M. Joshi (Poona) : It is this right of this Parliament to raise the issue of privilege. There should be no difficulty in its discussion.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : On Saturday I gave against the Home Minister a notice of a question of contravention of a privilege, and I stated that the Home Minister have contravened the privileges of the Parliament by informing the house because the Home Minister was stating in the House that they are worried for the land that has gone out of their possession. The Statements of the Prime Minister, Deputy Prime Minister and the Home Minister and the affidavit produced in the Delhi High Court are contrasting. If you do not allow dicussion on the affidavit then you should admit the motion against the Ministers regarding the contravention of the privilege because they have intentionally mislead the Parliament. This is a question of the solidarity of the country. Therefore the seriousness of the question cannot be put off. You should consider the motion put by Shri Madhue Limaye but should also state that what happened to my motion put earlier to it.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रातः अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि यह विचाराधीन है। इसका अर्थ यह हुआ कि विशेषाधिकार के सभी प्रस्ताव विचाराधीन है।

Shri K. N. Tiwary (Bettiah) : We should also be given opportunity to go through the affidavit laid on the Table of the House by Shri Madhu Limaye. This should be circulated. It is a question of the country. I appeal that so long the speaker does not give his decision tomorrow it should be adjourned till then.

Shri Madhu Limaye : If none interrupts me I require only six minister to speak.

उपाध्यक्ष महोदय: छः मिनट के बाद हम दूसरी बात पर चर्चा करेगें ।

Shri Sheo Narain (Basti) : I move that the House should be adjourned.

उपाध्य महोदय : मैं श्री लिमये जी को केवल 5 या 6 मिनट देता हूं। लेकिन उनको कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिससे अध्यक्ष महोदय के विनिर्णय का उलंघन हो।

Shri Madhu Limaye : This is a most important motion from the point of view of our country. I am speaking on behalf of the whole country. The Affidavit which I laid on the Table of the House has become a public document. I want to quote two sentences from that. I am not speaking against the ruling of the speaker.

"इससे भी इन्कार किया जाता है कि वह राज्य-क्षेत्र, जिसके बारे में न्यायाधिकरण ने राय दी है कि यह सीमा पर पाकिस्तान की ओर स्थित है, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 के अधीन गुजरात राज्य के कच्छ जिले में था या इसे भारतीय संविधान द्वारा भारतीय राज्य क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गयी थी। किसी ऐसे क्षेत्र पर गलत दावा करने से जो भारत के अधिकार में नहीं है वह क्षेत्र भारत के अधिकार में नहीं लाया जा सकता है और वास्तविक सीमा निर्धारित करने का अर्थ यह नहीं है कि देश का राज्य क्षेत्र किसी दूसरे देश को दिया जा रहा है।"

[**Shri Madhu Limaye**]

स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री ने 11 मई, 1965 को सदन में कहा था कि :

"कंजरकोट, बियारबेट और छाद बेट के बारे में हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट और सुनिश्चित है तथा ये स्थान कच्छ के अविभाज्य अंग हैं, हम अपने इस दृष्टिकोण में फेरबदल करने को तैयार नहीं हैं।"

आगे "पाकिस्तान वान्टन एटैक आन कच्छ" नामक पुस्तक में कहा गया है :—

"भारत सरकार ने इस सीमावर्ती क्षेत्र के बारे में कभी कोई विवाद स्वीकार नहीं किया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने यह स्वयं स्वीकार किया कि जिस क्षेत्र के बारे में पाकिस्तान दावा कर रहा है वह भारत के अधिकार में रहा है। यह अधिकार स्वाभाविक ही है क्योंकि यह क्षेत्र हमेशा ही कच्छ राज्य के अधिकार में रहा है।"

इस प्रकार श्री रंगानाथन ने न्यायालय में जो वक्तव्य दिया है वह सरकारी दस्तावेजों में बनाई गई स्थिति के विरुद्ध है और उसका हमारे राष्ट्रीय सम्मान पर बुरा असर पड़ता है।"

कीट-नाशी विधेयक—जारी

INSECTICIDES BILL—*Contd.*

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब कीटनाशी विधेयक पर खण्डवार चर्चा करेगी।

श्री नीतिराजसिह चौधरी (होशंगाबाद) : मैं अपने संशोधन संख्या 11 से 15 प्रस्तुत कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं खण्ड 2 की संशोधन संख्या 11 को सभा के मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं।

श्री नी० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : वे केवल खण्ड 2 के लिए संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : मेरी संशोधन संख्या 11 खण्ड 2 के लिए नहीं है, बल्कि यह खण्ड 3 के लिए है।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा विदित हो रहा है कि संशोधन संख्या 11 का सम्बन्ध खण्ड 3 से है। अतः खण्ड 2 के लिए कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है "कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ा गया :

Clause 2 was added to the Bill

खण्ड 3—(परिभाषाएं)

Clause 3—(Definitions)

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : मैं अपने संशोधन संख्या 11, 12, 13 प्रस्तुत करता हूं।

श्री नी० श्रीकान्तन नायर : मैं संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत करता हूं।

श्री श्री निवास मिश्र (कटक) : मैं संशोधन संख्या 31 प्रस्तुत करता हूं।

श्री नी० कान्तन नायर : कीटनाशी दवाईयों के विषैलेपन के बारे में अगर हमें ज्ञान नहीं है तो इससे दो खतरे हो सकते हैं। एक तो यह कि कीड़ा नहीं मरेगा और दूसरा यह कि जो व्यक्ति इसका प्रयोग कर रहा है वह भी मर सकता है। इसलिए किसी भी कीटनाशी दवाई के बारे में विषैलेपन की स्पष्ट जानकारी दी जानी चाहिए। यह बड़ा अहम मामला है और सरकार को इस पर गौर करना चाहिये, नहीं तो सारे प्रयत्न असफल होंगे और किसानों को फसलों के कीड़ों को नाश करने में कोई सहायता नहीं मिलेगी, अत: विषैलेपन की व्याख्या करने के प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिये और इस सम्बन्ध में हमारे संशोधन स्वीकार किये जाने चाहिये।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : यह विधेयक कृषिजन्य विषाक्त पदार्थ अधिनियम तथा कीटनाशी अधिनियम पर आधारित है। उक्त अधिनियमों में से किसी में भी "विषैलापन" शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अत: "विषैलापन" शब्द को निकाल दिया जाना चाहिए और जैसा कि संशोधन में सुझाया गया है मंत्री महोदय को उक्त शब्द के स्थान पर 'सक्रिय अंश' शब्दों को रखना चाहिये। इससे समस्या हल हो जायेगी। नहीं तो कई कठिनाइयां पैदा होंगी।

श्री श्रीनिवास मिश्र: इस विधेयक के खण्ड 3 (ट) (4) के अधीन दवाइयों का गलत नाम रखना भी एक अपराध है। यदि दवाई के अन्य विवरणों की भांति दवाई का नाम भी साफ-2 नहीं लिखा होगा तो उसे भी गलत नाम ही समझा जायेगा। किन्तु इस बात का निर्णय कौन करेगा कि दवाई के ऊपर स्पष्ट अक्षरों में क्या नाम लिखा जाये? नियम बनाने वाले अधिकारी को दवाई के नाम के अक्षरों के आकार आदि के बारे में नियम निर्धारित करने चाहिये और व्यापारी तथा निर्माताओं को उन नियमों का पालन करना चाहिये। यह बात किसी निरीक्षक के स्वविवेक पर नहीं छोड़ी जानी चाहिये।

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : मैं कह चुका हूं कि रजिस्ट्रेशन समिति 'विषैलापन' तथा अन्य आवश्यक बातों का ध्यान रखेगी। मैं इन संशोधनों को स्वीकार नहीं कर सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं इन सभी संशोधनों को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिये रखे गए और अस्वीकृत हुए।

The amendments were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ा गया।

Clause 3 was added to the Bill

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ा गया।

Clause 4 was added to the Bill

खण्ड 5

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : मैं संशोधन संख्या 14 प्रस्तुत करता हूं।

श्री श्रीनिवास मिश्र : मैं संशोधन संख्या 32 प्रस्तुत करता हूं।

श्री ब० सू० मूर्ति : मुझे ये संशोधन स्वीकार नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं संशोधन संख्या 14 और 32 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

The amendments were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 5 विधेयक में जोड़ा गया

Clause 5 was added to the Bill

खण्ड 6 से लेकर 9 तक विधेयक में जोड़े गये

Clauses 6 to 9 were added to the Bill

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 10 के लिए भी कुछ संशोधन हैं।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : मैं संशोधन संख्या 15, 16 प्रस्तुत करता हू ।

श्री ब० सू० मूर्ति : मुझे ये स्वीकार नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : द्वारा संशोधन संख्या 15 और 16 सभा के मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

The amendments were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 10 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 10 was added to the Bill

खण्ड 11 से 17 तक विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 11 to 17 were added to the Bill

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : मैं संशोधन संख्या 33 और 34 प्रस्तुत करता हूं।

[श्री तिरुमल राव पीठासीन हुये]
[Shri Thirumala Rao *in the Chair*]

पृष्ठ 11, पंक्ति 17 में 'परिवहन' शब्द के बाद 'वितरण अथवा बिक्री के लिये' शब्द जोड़ दिये जाने चाहिये। क्योंकि इसके बिना 'परिवहन' का अर्थ स्पष्ट नहीं होता।

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री श्री ब० सू० मूर्ति) : मैं इनमें से किसी संशोधन को भी स्वीकार नहीं कर सकता।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 33 और 34 सभा के मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The amendments were put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 18 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

खण्ड 18 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 18 was added to the Bill

खण्ड 19 और 20 विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 19 and 20 were added to the Bill

खण्ड 21:—कीटनाशी इन्सपेक्टरों के अधिकार

Clause 21 Powers of Insecticide Inspectors

श्रीनिवास मिश्र : मैं संशोधन संख्या 35, 36 और 37 प्रस्तुत करता हूं। खण्ड 18 में कीटनाशी इन्सपेक्टरों को कुछ अधिकार दिये गये हैं। डा० प्रधान का कहना है कि इस विधेयक में ऐसे खाद्य पदार्थों के प्रयोग पर नियन्त्रण की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है जिनपर कीटनाशक औषधियाँ प्रयुक्त की जाती है। मैंने जो पहला संशोधन प्रस्तुत किया है उसके अनुसार इन्सपेक्टर ऐसे खाद्य पदार्थों के वितरण बिक्री तथा प्रयोग आदि को रोक देगा।

श्री ब० सू० मूर्ति : इस खण्ड का प्रयोजन इन्सपेक्टर को यह अधिकार देना है कि वह वस्तुएं बनाये जाने वाले स्थान पर जा कर देख सकता है कि विनियमों के अनुसार सफाई रखी जाती है या नहीं। अतः हम ये संशोधन स्वीकार नहीं कर सकते।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 35, 36 और 37 सभा के मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The amendments were put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 21 विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 21 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 21 was added to the Bill

खण्ड 22 से 35 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 22 to 35 were added to the Bill

खण्ड 36 (केन्द्रीय सरकार के नियम बनाने के अधिकार)

Clause 36—(Power of Central Government to make rules)

श्री देवराव पाटिल (यवतमाल) : मैं संशोधन संख्या 26 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री श्रीनिवास मिश्र : मैं संशोधन संख्या 38 और 39 प्रस्तुत करता हूं ।

Shri D. S. Patil : My amendments relates to the training of workers. This Bill is meant for the safeguard of human beings and crops. It has been stated in the Bill that "Nothing in this Act shall apply to the use of any insecticide for any person for his own household purposes or kitchen garden or in respect of any land under his cultivation". It shows that if a cultivator or owner himself uses insecticides, he is exempted but if he uses them through a servant he is not exempted. It would be a dangerous venture. I have, therefore, moved this amendment.

Second thing is that it will be safe to train the cultivators alongwith the workers therefore the word cultivator should also be added.

श्री श्रीनिवास मिश्र : हमारी सरकार समझती है कि देश में केवल कर्मचारी वर्ग है । वास्तव में इस देश में किसान का अधिक महत्त्व है । अत: कर्मचारियों के साथ साथ किसानों को भी कीटनाशी औषधियों के प्रयोग का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये । फिर औषधियों के प्रयोग के भी नियम बनाये जाने चाहिये ।

श्री ब० सू० मूर्ति : हम यह आशा करते हैं कि खेतिहर इनका प्रयोग जानता है । और यदि वह अचानक ही किसी कर्मचारी को अपने काम के लिये रखता है और यदि वह कर्मचारी इनके प्रयोग के बारे में कुछ नहीं जानता तो स्थिति ख़तरनाक बन जायेगी । इसी लिये यहां 'कर्मचारी' के प्रशिक्षण की बात कही गयी है । अत: मैं ये संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 26, 38 और 39 सभा के मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

The amendments were put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 36 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 36 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 36 was added to the Bill

खण्ड 37 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 37 was added to the Bill

खण्ड—38

Clause 38

श्री देवराव पाटिल : मैं संशोधन संख्या 27, 28, 29 और 30 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री श्रीनिवास मिश्र : मैं संशोधन संख्या 40 प्रस्तुत करता हूं ।

इस विधेयक में यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने घर में, घरेलू बगीचे में या अपने खेत में कीटनाशी औषधियों का प्रयोग कर सकता है। इसके साथ साथ यह भी जोड़ देना चाहिये कि बशर्ते कि वे पदार्थ जनता में वितरण अथवा बिक्री के लिये न हों। यह बात विशेष रूप से सब्जियों के सम्बन्ध में लागू होती है क्योंकि उनका कोई परीक्षण नहीं होता। अतः मंत्री महोदय को मेरा यह संशोधन स्वीकार कर लेना चाहिये।

श्री ब० सू० मूर्ति : यह बात विधेयक म पहले से उल्लिखित है। वास्तव में यह व्यवस्था वगैर खेतिहरों को राहत देने के लिये की गयी है। यदि यह व्यवस्था न हो तो अधिक कठिनाई होगी क्योंकि यदि कोई व्यक्ति अपने बगीचे के लिये कीटनाशी औषधि खरीदेगा तो यह सम्भव है कि इन्सपेक्टर उसका परीक्षण करने के लिये उसके पीछे पीछे चल दें।

सभापति द्वारा संशोधन संख्या 27, 28, 29, 30 और 40 सभा के मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The amendments were put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 38 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

Tne motion was adopted

खण्ड 38 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 38 was added to the Bill

सभापति महोदय : अनुसूची के सम्बन्ध में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अनुसूची को विधेयक में जोड़ दिया गया।

The Schedule was added to the Bill

सभापति महोदय : अब सरकारी संशोधन संख्या 42 पर चर्चा होगी।

श्री ब० सू० मूर्ति : मैं प्रस्ताव करता हूं पृष्ठ 1, पंक्ति 3—"1967" के स्थान पर "1968" पढ़ा जाये। (42)

सभापति महोदय : मैं संशोधन संख्या 42 सभा के मतदान के लिये रखूंगा। प्रश्न यह है :

पृष्ठ 1, पंक्ति 3. . . .

"1967" के स्थान पर "1968" पढ़ा जाये (42)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The amendment was made

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 1 as amended, was added to the bill

सभापति महोदय : संशोधन संख्या 41 ।

श्री ब० सू० मूर्ति : मैं प्रस्ताव करता हूँ : कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1

"अठरहवां" के स्थान पर "उन्नीसवां" पढ़ा जाये ।

श्री श्रीनिवास मिश्र : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । क्या मंत्री महोदय ने आपकी अनुमति ली है कि विधेयक पारित किया जाये ।

सभापति महोदय : उचित समय आने पर आप इस प्रश्न को उठा सकते हैं । अब मैं अधिनियमन सूत्र के सम्बन्ध में संशोधन संख्या 41 को सभा के मतदान के लिये रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1

"अठरहवां" के स्थान पर "उन्नीसवां" पढ़ा जाये ।

प्रस्ताव पारित हुआ

The motion was adopted

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

The Title was added to the Bill

श्री ब० सू० मूर्ति : मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

Mr. Deputy-Speaker *in the Chair.*

श्री श्रीनिवास मिश्र : नियम यह है कि यदि खण्ड संशोधित रूप में पारित होते हैं तो बिना अध्यक्ष की अनुमति के यह प्रस्ताव नहीं रखा जा सकता कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये । अतः उन्हें अध्यक्ष की अनुमति लेनी चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने नियम पढ़े हैं। यदि कोई ऐसे गम्भीर अर्थ वाले संशोधन हों तो इस प्रकार की अनुमति की आवश्यकता है। ये संशोधन औपचारिक मात्र है। अतः मेरे विचार में ऐसी अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

केन्द्रीय विधियां (जम्मू तथा कश्मीर पर विस्तारण) विधेयक—जारी

CENTRAL LAWS (EXTENSION TO JAMMU AND KASHMIR)—contd.

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : यह कहा गया कि इन तीन विधेयकों या अधिनियमों के लिये, जिनके जम्मू तथा कश्मीर पर विस्तारण की अनुमति मांगी जा रही है, वित्तीय ज्ञापन की आवश्यकता है। हमने पहले भी विधि मंत्रालय से सलाह ली थी और अब भी हमारा यही विचार है कि वित्तीय ज्ञापन की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इनकी इन अधिनियमों के उस क्षेत्र पर विस्तारण से कोई अतिरिक्त खर्च नहीं होगा। इस सम्बन्ध में मैंने पहले ही ब्यौरा बता दिया है।

एक अन्य बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो सदस्य इस प्रकार के व्यवस्था के प्रश्न उठाये, वह इस मामले को गम्भीरता से ले और वह इस बात को सिद्ध करे कि अमुक विधेयक के साथ वित्तीय ज्ञापन होना अनिवार्य है। इस प्रकार के गैर-जिम्मेदार व्यवस्था के प्रश्न न उठाये जायें। यह सिद्ध करने के लिये कि वित्तीय ज्ञापन की अमुक विधेयक के लिये आवश्यकता है, माननीय सदस्य को अध्यक्ष महोदय को सम्बन्द्ध जानकारी देनी चाहिये जो यह सिद्ध करे कि उठाये गये मामले में प्रत्यक्ष व्यवस्था का प्रश्न विद्यमान है।

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था और आपने उसे मान लिया था। मंत्री महोदय ने भी विधेयक का पुनः अध्ययन करके वक्तव्य देने का आश्वासन दिया था। केवल यह कहना तो काफी नहीं है कि उससे कोई खर्च अन्तग्रस्त नहीं है यह कैसे हो सकता है कि केन्द्रीय सरकार का नोटारी अधिनियम जम्मू तथा काश्मीर पर लागू किया जाये और उससे केन्द्रीय सरकार का खर्च न बढ़े। खान अधिनियम, 1952, जैसे केन्द्रीय अधिनियमों को जम्मू तथा काश्मीर पर लागू करने वाले विधेयक के साथ वित्तीय ज्ञापन दिया गया था। परन्तु उक्त विधेयक के साथ ज्ञापन नहीं दिया गया। मेरे विचार से इस में खर्च सन्नहित है। दूसरे मंत्री महोदय को यह नहीं कहना चाहिये कि इस प्रकार का व्यवस्था का प्रश्न उठाने वाले सदस्य को सिद्ध करने के लिये सबूत देना होगा।

श्री विद्याचरण शुक्ल : आपके आदेशानुसार मैंने सम्पूर्ण मामले का पुनः अध्ययन किया और यह पाया है कि उसमें खर्च का कई प्रश्न नहीं है।

श्री दिनकर देसाई (कनारा) : हम व्यवस्था के प्रश्न पूर्ण जिम्मेदारी के साथ उठाते हैं। मंत्री महोदय को अपने यह शब्द वापस लेने चाहियें कि सदस्य गैर-जिम्मेदार ढंग से व्यवस्था के प्रश्न उठाते हैं।

श्री तेनेट्टि विश्वनाथन (विशाखापतनम्) : माननीय मंत्री को सदस्यों के लिये "गैर-जिम्मेदार" शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिये था।

श्री विक्रम चन्द महाजन (चंबा) : माननीय सदस्य को यह समझ लेना चाहिये कि नोटारी केवल टिकटें बेचते हैं और वे सरकारी कर्मचारी नहीं होते। वे तो उल्टे सरकार को भुगतान करते हैं। इसलिये वहां पर पब्लिक नोटारियों के नियुक्त किये जाने पर सरकार का खर्च नहीं बढ़ेगा बल्कि उससे सरकार कि आय बढ़ेगी। दूसरे कम्पनी अधिनियम के जम्मू तथा काश्मीर में लागू करने से भी सरकार का खर्च नहीं बढ़ेगा। अतः मंत्री महोदय का कथन ठीक है कि उक्त विधेयक के साथ वित्तीय ज्ञापन जोड़ने की आवश्यकता नहीं है।

श्री उमानाथ (पुदुकोटे) : मंत्री महोदय ने "गैर-जिम्मेदार" शब्द का प्रयोग करके न केवल सम्बन्धित सदस्य का बल्कि सभा और सभापति का भी निरादर किया है। जब अध्यक्ष महोदय ने विचाराधीन व्यवस्था के प्रश्न को मान लिया था तो मंत्री महोदय को इस प्रकार की बातें करने की क्या आवश्यकता थी।

उपाध्यक्ष महोदय : यह अभिव्यक्ति का सुन्दर ढंग नहीं है। "गैर-जिम्मेदार" शब्द का प्रयोग इस संदर्भ में शिष्ट नहीं है। चूंकि सदस्यों के पास प्रशासनिक कर्मचारीतंत्र नहीं होता जिससे उन्हें ठीक जानकारी प्राप्त हो। इस प्रकार से व्यवस्था के प्रश्न उठाने के अतिरिक्त उनके पास और कोई चारा नहीं है। धन सम्बन्धी मामलों में उन्हें जागरूक रहना ही पड़ता है और रहना भी चाहिये क्योंकि इस सभा का काम वित्त पर नियंत्रण रखना भी है। यह तो ठीक था कि मंत्री महोदय ने उस विधेयक पर दुबारा विचार करने की बात मानी और पुनः विचार करने के बाद भी वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि विधेयक के लिये वित्तीय ज्ञापन की आवश्यकता नहीं है। फिर भी इस प्रकार की अभिव्यक्तियों से बचना ही चाहिये। यदि कोई व्यवस्था का प्रश्न केवल इसलिये उठाया जाता है कि उससे सभा की कार्यवाही में बाधा पड़े, तो इस बारे में पीठासीन अधिकारी को अधिक जागरूक रहने की आवश्यकता है।

श्री श्रीनिवास मिश्र : मंत्री महोदय को यह शब्द वापस लेना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 4,—

12. पंक्ति 30 के पश्चात् निम्नलिखित शब्द जोड़े जायें—

The chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949).

['चार्टर्ड एकाउंटैंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38)']

धारा 1—उप-धारा (2) में से

"except the state of Jammu and Kashmir"

["जम्मू तथा काश्मीर राज्य के अतिरिक्त"] शब्द निकाल दिये जायें।

पृष्ठ 5,—

13. पंक्ति 12 के पश्चात् निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायें—

'The notaries Act 1952 (53 of 1952)'

['नोटारी अधिनियम, 1952 (1952 का 53)']

धारा 1—उप धारा (2) में से—

"except the State of Jammu and Kashmir"

["जम्मू तथा काश्मीर राज्य के अतिरिक्त"] शब्द निकाल दिये जायें।

धारा 2—(क) खंड (क) को निकाल दिया जाये।

(ख) खंड (घ) के परन्तुक—

(एक) either under (आइदर अण्डर) के स्थान पर under (अण्डर) रखा जाये।

(दो) "or by the Master of Faculties in England." ["इंगलैंड में मास्टर आफ फेकलल्टीज द्वारा या"] शब्द निकाल दिये जायें।

(तीन) "Any part of India" (भारत का कोई भाग) के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायें—

"any part of India :

Provided further that in relation to the State of Jammu and Kashmir the said period of two years shall be computed from the date on which this Act comes into force in that State;"

["भारत का कोई भाग :

परन्तु यह और भी कि जम्मू तथा काश्मीर राज्य के सम्बन्ध में दो वर्ष की तथाकथित अवधि उस दिन से गिनी जायेगी, जिस दिन यह अधिनियम उस राज्य पर लागू होगा;"]

धारा 9—उप धारा (2) में निम्नलिखित पंक्तियां जोड़ दी जायें—

"Provided that in relation to the State of Jammu and Kashmir the said period of two years shall be computed from the date on which this Act comes into force in that State."

["परन्तु जम्मू तथा काश्मीर राज्य के सम्बन्ध में दो वर्ष की तथाकथित अवधि उस दिन से गिनी जायेगी, जिस दिन यह अधिनियम उस राज्य पर लागू होगा।"]

पृष्ठ 5, पंक्ति 25,—

14. "1967" के स्थान पर "1968" रख दिया जाये।

पृष्ठ 5, पंक्ति 32,—

15. "1967" के स्थान पर "1968" रख दिया जाये।

पृष्ठ 5, पंक्ति 40,—

16. "1967" के स्थान पर "1968" रख दिया जाये।

पृष्ठ 5,—

17. पंक्ति 40 के पश्चात् निम्नलिखित शब्द रख दिये जायें —

"The cost and works Accountants Act 1959 (23 of 1959)"

[कोस्ट एण्ड वर्क्स एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1959 (1959 का 23)]

धारा 1—उपधारा (2) में से "except the Jammu and Kashmir state" (जम्मू तथा काश्मीर राज्य के अतिरिक्त) शब्द निकाल दिये जायें।

पृष्ठ 6, पंक्ति 15,—

18. "1967" के स्थान पर "1968" रख दिया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ी गई।

The Schedule, as amended, was added to the Bill

उपाध्यक्ष महोदय : खंड 1 के लिये एक संशोधन है।

संशोधन किया गया : पृष्ठ 1, पंक्ति 4,—

11. "1967" के स्थान पर "1968" रखा जाये।

(श्री विद्याचरण शुक्ल)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 1, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 1, as amended, was added to the Bill

उपाध्यक्ष महोदय : अधिनियम सूत्र में भी एक संशोधन है।

संशोधन किया गया : पृष्ठ 1, पंक्ति 1,—

10, "18वें" के स्थान पर "19वां" रखा जाये।

(श्री विद्याचरण शुक्ल)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ा गया। शीर्षक विधेयक में जोड़ा गया।

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill

The Title was added to the Bill

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

संपदा शुल्क (संशोधन) विधेयक

ESTATE DUTY (AMDT.) BILL

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि सम्पदा शुल्क अधिनियम, 1953 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

इस विधेयक का उद्देश्य सीमित है और उद्देश्य यह है कि आपातकालीन स्थिति में संसद द्वारा सम्पदा शुल्क अधिनियम में जो संशोधन किये गये हैं, वे आपातकालीन स्थिति के समाप्त होने के छः महीने बाद भी राज्यों में कृषि भूमि पर सम्पदा शुल्क के सम्बन्ध में लागू होते रहें। वैसे तो कृषि का विषय राज्य सूची का विषय है परन्तु संविधान के अनुच्छेद 252(1) के अनुसार संसद उन राज्यों के लिये ऐसा विधान बना सकती है जिनके विधान मंडल इस आशय का एक संकल्प पारित करें। बम्बई मध्य प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों द्वारा संकल्प पास किये जाने पर सम्पदा शुल्क 1953 पारित किया गया था। आपातकालीन स्थिति में ऐसे संकल्पों के बिना ही संसद को उन विषयों पर भी विधान बनाने का अधिकार होता है जो सामान्यतः उसकी विधायनी शक्ति के बाहर होते हैं। अतः आपातकालीन स्थिति में जो संशोधन उपरोक्त विधेयक में किये गये हैं, उन्हें विधेयक में स्थायी रूप से जोड़ने के लिए यह विधेयक लाया गया है। इसके पारित होने पर ये संशोधन उन सब राज्यों में लागू रहेंगे जिनके लिये मूल अधिनियम बनाया गया था अथवा जिन्होंने इसे संकल्प पारित करके स्वीकार कर लिया था। राज्य सरकारों को सलाह दी गई थी कि वे अपने यहां इस आशय के संकल्प पारित करके केन्द्रीय सरकार के पास भेजें। गुजरात, मद्रास, महाराष्ट्र के विधानमंडलों के अनुच्छेद 252(1) के अन्तर्गत ऐसे संकल्प पारित करके हमारे पास भेज दिये हैं।

[श्री रा० धो० भण्डारे पीठासीन हुए]

Shri R. D. Bhandare *in the chair*

संसद द्वारा सम्पदा शुल्क अधिनियम में आपातकाल में किये गये महत्वपूर्ण संशोधनों का सारांश मैंने सब माननीय सदस्यों की जानकारी हेतु परिचालित करवा दिया है। मैं आशा करता हूं कि इस विधेयक का सभा में समर्थन किया जायेगा।

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : सभापति महोदय, जो विधेयक लाया गया है, उसके बारे में तो मुझे कोई आपत्ति नहीं परन्तु मुझे ऐसा लगता है जैसा कि इस विधेयक के साथ एक अनावश्यक शर्त जोड़ दी गई है, जो संविधान के भी प्रतिकूल है: संविधान के अन्तर्गत यह उपबन्ध है कि विधेयक के पारित हो जाने के बाद, यदि कोई राज्य विधान-मंडल उसे स्वीकार करने के लिये संकल्प पारित करता है, तो उस राज्य में वह विधेयक स्वतः ही लागू हो जायेगा। इस विधेयक में यह उपबन्ध है कि यह गुजरात, मद्रास, महाराष्ट्र और राजस्थान में लागू होगा। क्योंकि उन्होंने अनुच्छेद 252 के अन्तर्गत पहले से ही संकल्प पारित कर रखा है। विधेयक में यह भी उपबन्ध है कि यह अधिनियम उन राज्यों में भी लागू होगा जिनके विधान मंडल इस सम्बन्ध में संकल्प पारित करेंगे और तत्पश्चात जिनके सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार सरकारी अधिसूचना में अधिसूचित करेगी। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि उक्त अधिनियम केवल राज्यों के विधान मंडलों द्वारा संकल्प पारित करने मात्र से ही उन राज्यों में लागू नहीं होगा, बल्कि केन्द्रीय सरकार द्वारा इस आशय की अधिसूचना जारी किये जाने के बाद होगा। अतः इसमें उपयुक्त संशोधन किया जाये।

श्री रामचन्द्र ज० अमीन (मेहसाना) : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। हमारे देश में कृषि उत्पादन बहुत कम होता है। कृषि उत्पादन मुख्य रूप से अन्न का उत्पादन बढ़ाने के लिये हमें किसानों को सभी आवश्यक सुविधाएं देनी चाहियें न कि उन पर सम्पदा शुल्क के माध्यम से कर लगा दिया जाये। इस विधेयक के द्वारा कृषि भूमि पर सम्पदा शुल्क लगाया जा रहा है। वस्तुतः उन्हें वे सब सुविधाएं दी जानी चाहियें जिनसे कृषि उत्पादन बढ़े और देश अन्न के मामले में आत्मनिर्भर हो।

इन्हीं आधारों पर मैं इसका विरोध करता हूं। यदि आप कृषि, कृषक को प्रोत्साहन देना चाहते हैं तो कृषि पर सम्पदा शुल्क न लगाइये। खाद्यान्न के बारे में देश की वर्तमान स्थिति को दृष्टि में रखते हुए कृषि पर सम्पदा शुल्क लगाना अवांछित है।

Shri Tulshidas Jadhav (Baramati). From the introduction of this Estate duty (Amendment) Bill, 1968, it appears as if it has been introduced to regularise certain amendments which were incorporated in such a Bill of 1953 during Emergency. India's main industry at present, is agriculture and our main moto is to shoot up agricultural production. But we are not getting the desired production from the small pieces of land owing to non-availability of other resources and equipments. Whereas we have been propagating a lot for production increase, what will it mean if we levy duties on agricultural production or estate on the other hand ? It is true that when the states are prepared to impose this duty, when the Centre then can do, but we have to increase production in the country and for that we want to encourage the cultivators enabling them to have at least the preliminary and essential facilities for a happy life. We should not therefore ignore the impact of this duty on the agricultural land. It would certainly result in discouraging the cultivators and farmers whom you expect to strive his most to increase production. Govt. therefore, should reconsider it and should not levy the estate Duty on rural estates.

It is a different matter and understandable also if this levy is imposed on well-to-do agriculturists or on the areas where there are certain factories, mills etc. In urban areas people doctors, lawyers etc. having estates, are well up but rural people and particularly the farmers can put their body and soul together only after putting in very hard work. That is their hard earned money. And still they are unable to meet their essential and urgent requirements eg. the education of their children, proper diet and clothing etc. It

is therefore quite unfair to impose the Estate Duty in the rural areas. I would request the central Govt. to request those four states also to withdrawn this levy on agricultural lands.

The general condition of farmers is very bad. The cultivor is much burdened in these hard days. He should not, therefore, re-put under more burden. The Bill should, hence, be rejected.

श्री बेणी शंकर शर्मा (बांका) : संशोधनों के पक्ष और विपक्ष में तो अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता परन्तु इस विधेयक के लागू करने में त्रुटियां अवश्य होंगी। यदि यह विधेयक पारित हो जाता है तो इसके उपबन्धों को लागू करने की जिम्मेदारी केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर-ब्रोर्ड पर आयेगी। वर्ष 1963 में केवल एक ही केन्द्रीय कर-बोर्ड था परन्तु इसके बाद इसके दो बोर्ड बन गये और प्रशासन सम्बन्धी खर्च बढ़ता गया जबकि वित्त मंत्री ने समय-समय पर ऐसे व्यय को घटाने का प्रयत्न करने को घोषणा की थी। जिस प्रकार यह बोर्ड इस समय गठित है वह इस विधेयक को लागू करने में कुछ योगदान न देगा। इस वोर्ड का कार्य जहां नीतियां बनाना और निर्देश जारी करना है वहां इसके सदस्य-गण, अधीनस्थ कर्मचारियों के दैनिक कार्य की देख-भाल और जांच करने के वहाने उनके नित्य के काम में बाधायें उपस्थित करते हैं तथा यथासमय निर्णय लेने की कर्मचारियों की क्षमता समाप्त कर देते हैं। इस प्रकार इन अधीनस्थ कर्मचारियों का सामान्य योग्यता और कार्य करने के अभिप्राय तथा स्तर घट जाते हैं। कर-बोर्ड में इतने सदस्यों की कोई आवश्यकता नहीं। मैं यह भी विनय करना चाहता हूं कि यह सम्पदा-शुल्क भी चार प्रत्यक्ष करों में से एक है तथा आय-कर सम्पत्ति-कर तथा उपहार-कर से सम्बन्धित है। इन करों के विधेयकों का प्रशासन करने वाले भी वही अधिकारी हैं। फिर यह समझ नहीं आता कि उनको अन्य नाम देने से क्या अभिप्राय है। इस शुल्क से सम्बन्धित कार्यवाहीं करने वाले पदाधिकारियों के पदों के नाम गुमराह करने वाले हैं तथा निर्धारितियों (assessees) के मनों में भ्रम उत्पन्न करने वाले हैं और इन अधिकारियों को नियंत्रक सहायक नियंत्रक तथा उप-नियंत्रक आदि के पदनाम देने से कोई लाभ नहीं है। अतः जो अधिकारी आय-कर सम्पत्ति-कर, उपहार-कर की तरह इस कर से भी सम्बन्धित अधिनियमों का प्रशासन-कार्य करते हैं उन्हें भी सम्पदा शुल्क अधिकारी, सम्पदा शुल्क सहायक आयुक्त तथा सम्पदा शुल्क आयुक्त के पदनाम दिये जाने चाहियें। इस से कार्य-प्रणाली में काफी सरलीकरण हो सकेगा।

जहां तक इन चार करों का सम्बन्ध है कृषि-आय तथा कृषि सम्पदा के मामले में इनमें कुछ अन्तर है। जबकि कृषि-आय पर कर नहीं लगता और कृषि-भूमि सम्पत्ति-कर अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आती, तो वे उपहार-कर तथा सम्पदा-शुल्क अधिनियमों के अन्तर्गत अवश्य आती है जो कि मेरे ।वचार से अनुतित है। कृषि-भूमि के सम्बन्ध में सम्पदा-शुल्क और उपहार-कर अधिनियमों का लागू होना अनुचित है। किसी व्यवसायिक व्यक्ति पर जिसके पास कृषि-भूमि भी है, यदि कर लगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है परन्तु सिर्फ कृषि करने वाले व्यक्ति पर, जिसके पास अन्य कोई कर-योग्य सम्पत्ति नहीं है, कर लगाना श्रेयकर न होगा। माना कि कृषि-कार्य से अधिक आय हो रही है परन्तु यदि कृषि-भूमि पर सम्पदा शुल्क

[श्री बेणी शंकर शर्मा]

लगा दिया गया तो इस से हमारे कृषि-उत्पादन पर भारी कुप्रभाव पड़ेगा। जिस कृषक के पास आयकर के अन्तर्गत कर देने योग्य अन्य कोई सम्पत्ति नहीं है तो उसकी कृषि-भूमि पर यदि सम्पदा-कर लगाया जाय तो कृषि-उत्पादन पर निश्चय ही बुरा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि यह सम्पदा-कर देने के लिए उसे अपनी भूमि का एक भाग बेचना पड़ेगा।

आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत और सम्पदा-शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत भी कर-अदायगी सम्बन्धी अनेक मामले रुके पड़े हैं। जहां हमने उस दिन वित्त-बिल में यह निश्चय किया था कि वर्ष 1968-69 के बाद के कर सम्बन्धी मामलों को दो वर्ष के अन्दर-अन्दर निपटाया जाये तथा इससे पूर्व के मामलों को तीन साल के भीतर ही; तो सम्पदा-शुल्क अधिनियम में भी इसी प्रकार के अभिप्राय के उपबन्ध रखे जायं ताकि ऐसे मामलों की संख्या कम हो सके। दुर्भाग्य से सम्पत्तिकर अधिनियम के अन्तर्गत "धन छुपाने" के शब्द के हम गलत अर्थ निकालते हैं और यद्यपि यह परिभाषा सम्पदा-शुल्क अधिनियम में नहीं आ पाई है परन्तु मुझे भय है कि सम्पदा-शुल्क अधिकारी भी इस संशोधन से प्रोत्साहित हो कर इस शब्द के गलत अर्थ निकालेंगे। सम्पदा के मूल्यांकन के बारे में सदा मतभेद बना रहता है। मृत व्यक्ति की अस्तियों का मूल्यांकन करने के लिये जबकि वह किसी फर्म का साझेदार है, तो उस की साख का भी मूल्यांकन किया जाता है। ऐसी साख का मूल्यांकन चार-पांच वर्ष के लाभ को ध्यान में रख कर कि फार्मूले के अन्तर्गत किया जाता है। तथा उसी आधार पर शुल्क तय किया जाता है। इससे निर्धारितियों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनको उस सम्पत्ति के लिये भी पैसा देना पड़ता है जो कि उनके किसी लाभ की नहीं है। उसके सम्बन्ध में उन के पास कोई अचल सम्पत्तियां नहीं होतीं।

अतः मेरी प्रार्थना है कि वित्त मंत्री इस पहलू पर भी विचार करें।

श्री विक्रम चन्द महाजन (चम्बा) : मैं विधयक का समर्थन करता हूं। इस सम्बन्ध में जो संशोधन पेश किये जा रहे हैं वे सरल और सीधे हैं तथा उन्हें विवाद का विषय नहीं बनाया जाना चाहिये जब हम कृषि-भूमि पर शुल्क नहीं लगाते तो हम नगरीय क्षेत्र स्थित भूमि के बारे में भेद-भाव बरतते हैं क्योंकि जब नगरीय क्षेत्रों में भूमि पर शुल्क लगाया जाता है तो कृषि-भूमि पर भी क्यों न लगाया जाय? नगरीय-भूमि पर हमने 30,000 रुपये से ऊपर के मूल्य की हर भूमि पर शुल्क लगाया है तथा भूमि के ऊंचे मूल्य के हिसाब से शुल्क का प्रतिशत निश्चित होता है। सम्पदा शुल्क इस सिद्धान्त को लेकर लगाया गया है ताकि धनिक अधिक धनी न होते चले जायें तथा निर्धन सदैव निर्धन ही न बनें रहें। इस प्रकार के अन्तर को दूर करने के लिये सम्पदा-शुल्क ही एक-मात्र उपाय है। और यही आधारभूत कारण है कि सम्पदा शुल्क लगाया जाना है।

दूसरा कारण यह है कि अपनी अर्थ व्यवस्था को उन्नति की ओर ले जाने के लिये हमें आर्थिक साधनों और स्रोतों की आवश्यकता है क्योंकि एक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने के लिये धन की बड़ी आवश्यकता होती है। कई उदाहरण हमारे सामने

हैं कि जिन लोगों के पास नगरीय क्षेत्र में सम्पत्ति है उन्होंने कई राज्यों में जाकर कृषि-भूमि पर पैसा लगा रखा है। उनके लिये कानून के अन्तर्गत कोई सीमा निश्चित नहीं है : अतः ऐसा कोई कारण नहीं दिखता कि किसी निश्चित सीमा से ऊपर कृषि भूमि पर भी यह शुल्क न लगाया जाये अथवा इसे छूट दी जाये। या तो आप शुल्क लगाइये ही नहीं और नहीं तो फिर किसी सीमा के ऊपर जाकर कृषि भूमि पर भी अवश्य लगाइये। यह कोई दलील नहीं कि 50,000 की नगरीय सम्पत्ति पर तो कर लगे परन्तु उतने ही मूल्य की कृषि भूमि को न लगे। हां, यदि इस सीमा को शुद्ध कृषि भूमि के बारे में 50,000 रु० की जगह अगर 75,000 के मूल्य तक छूट दी जाये तो, मुझे कोई आपत्ति नहीं यदि उसके स्वामी के पास कोई नगरीय सम्पत्ति नहीं है। परन्तु यह नहीं समझ में आता कि कृषि भूमि पर कर बिलकुल ही क्यों नहीं लगाया जाये।

एक और बात उठाई गई है कि विधेयक को अधिनियम बनाने से पूर्व राज्य सरकारों की सहमति प्राप्त की जाये। सो यह कार्य बाद में हो चाहे पहले इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता क्योंकि संविधान के अन्तर्गत इसके बारे में कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

यह भी कहा गया है कि यह सम्पदा शुल्क लगाते समय किसी व्यक्ति की अथवा व्यवसाय की साख का मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिये। सब जानते हैं कि मार्केट में साख का क्या मूल्य है। बिक्री के समय साख का अलग ही महत्व होता है और उसका अलग से मूल्य मिलता है। साख के नाम पर तो करोड़ों रुपये का लाभ हो जाता है। अतः कोई कारण नहीं है कि साख पर भी शुल्क न लगाया जाय जब कि यह भी उत्तराधिकार में प्राप्त होती है।

मंत्री महोदय का ध्यान मैं शुल्क वसूल करने की प्रणाली की ओर दिलाना चाहता हूं। यह बड़ी जटिल है तथा इसे सरल किया जाना चाहिये। मतभेद के समय, निर्धारितियों की अपील के लिये केवल एक ही प्राधिकरण हो तो अच्छा हो। जैसे सहायक नियन्त्रक के पश्चात् यदि आवश्यकता हो, तो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय। इस प्रकार सरकार का कर्मचारी वृन्द पर होने वाला खर्च भी कम होगा तथा निर्धारितियों को न्याय भी सुविधा से तुरन्त प्राप्त हो सकेगा।

यह भी बात कही गई थी कि उपहारों की प्रणाली द्वारा सम्पदा शुल्क से लोग बच जाते हैं। प्रति वर्ष 10,000 रुपये तक के उपहार पर कोई कर नहीं है और लोग हर वर्ष 10,000 रुपये तक उपहार दिखाकर उपहार कर से बच जाते हैं। मेरे विचार से उपहारों की कुल संख्या को सामने रख कर, मूल्यांकन करके, उस पर सम्पदा शुल्क लगाया जाये ताकि उपहारों द्वारा कोई सम्पदा शुल्क से न बच सके।

अन्त में मैं कहूंगा कि कर निर्धारण के लिये कोई समय का प्रतिबन्ध न लगाया जाये। इससे कर देने वाले को हानि पहुंचती है क्योंकि उसे नहीं मालूम कि वह कब मृत्यु को प्राप्त हो जाये। प्रायः वह कानूनी प्रतिनिधियों को ठीक ठीक ब्योरा नहीं देता और इसलिये उन्हें उचित मूल्यांकन के लिये कई स्रोतों का सहारा लेना पड़ता है। और उसमें समय तो अवश्य ही लगता है। अतः जल्दबाजी से किये गये कार्य में निर्धारितियों व आस्तियों दोनों को हानि पहुंचती है। इन शब्दों से मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री तेन्नेट्टि विश्वनाथन (विशाखापत्तनम्) : जब राज्यों ने स्वयं ही एक संकल्प इस संदर्भ में पारित कर लिया है तो आज प्रस्तुत किया गया विधेयक तो स्वतः ही लागू हो जाता है । इस बारे में यह अधिसूचना केवल अनावश्यक ही नहीं बल्कि संविधान के विरुद्ध भी है। और इस अधिसूचना का दिया जाना अधिनियम की सीमाओं का उल्लंघन है ।

मेरा दूसरा प्रश्न है कि इस समय इस विधेयक की आवश्यकता ही क्या है ? जब कि राज्यों के पास इस बारे में कानून बनाने की शक्ति है तो वह इसके लिये केन्द्र सरकार को क्यों कहती है । सम्पदा-शुल्क के लिये संसद द्वारा कानून बनाने की क्या आवश्यकता है ? बल्कि उनके लिये तो यही कठिनाई उत्पन्न हो जायेगी कि यदि यह अधिनियम किन्हीं चार राज्यों के लिये पारित होता है और उन्हें इसके अन्तर्गत कुछ अधिकार दिये जाते हैं तो अन्य राज्य इसे अपने लिये स्वीकार कर सकते हैं परन्तु अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इसमें परिवर्तन अथवा संशोधन नहीं कर सकते । यह कठिनाई इस लिये उत्पन्न होगी कि कोई राज्य कोई दर चाहता है तो अन्य दूसरी दर के पक्ष में है। अतः इस दृष्टि से यह अधिनियम विधेयक बन जाने पर सब राज्यों के लिये सुविधाजनक सिद्ध न होगा। इस बारे में हमें स्पष्टीकरण की आवश्यकता है ।

श्री जी० विश्वनाथन (वंडीवाश) : सम्पदा-शुल्क जिसे मृत्यु-शुल्क भी कहते हैं, इसलिये लगाया गया था कि देश में समाजवाद आये । और अब इस शुल्क को कृषि भूमि पर भी लगाये जाने की व्यवस्था की जा रही है । इसका विरोध इस लिये किया गया है क्योंकि इस से किसान को हानि पहुंचेगी । जब कि सरकार किसानों को हर प्रकार का प्रोत्साहन देने के बात कहती है तो इस विधेयक को लागू करने से तो किसान को असुविधा और अलाभ ही होगा। वास्तव में पिछले 20 वर्षों में भी सरकार ने किसानों की सहायता करने के लिये कुछ भी नहीं किया है।

केन्द्र सरकार की नीति ऐसे है कि उससे न केवल किसानों को ही कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता बल्कि वह राज्यों को किसानों की सहायता नहीं करने देती । हमारी मद्रास सरकार किसानों को प्रोत्साहन देने के लिये उन्हें कुएं खोदने पम्प-सेट लगाने तथा अन्य कृषि-उपाय जुटाने के लिये कई प्रकार के ऋण दे रही है, परन्तु केन्द्र सरकार इस कार्य में राज्य की सहायता नहीं करती । मद्रास में पीछे भी उस समय की कांग्रेस सरकार ने यह आश्वासन दिये थे कि भूमि-कर हटा दिया जायेगा परन्तु ये आश्वासन कभी पूरे न किये। बल्कि अब की डी० एम० के० सरकार किसानों के प्रति बड़ी उदार है तथा उन्हें सिंचाई आदि के लिये हर प्रकार की ऋण आदि की सुविधा दे रही है। परन्तु केन्द्र सरकार राज्य सरकार को सहयोग नहीं देती । अतः केन्द्र सरकार को इस कार्य में राज्य सरकारों को बढ़ावा देना चाहिये क्योंकि यह एक अच्छा कार्य है।

हमारे संविधान में यह व्यवस्था है कि यदि राज्य-विधान मंडल ने कोई संकल्प पारित किया है तो केन्द्र सरकार को इस बारे में अधिसूचना जारी करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है ।

इसके अतिरिक्त उद्देश्यों और कारणों के ब्योरे में सरकार ने स्वयं कहा है कि राज्य सरकारों को यह अधिकार है कि वह कृषि भूमि पर सम्पदा-शुल्क लगाये। हां,

आपातकालीन स्थिति की घोषणा के समय केन्द्र सरकार इस बारे में कानून बनायेगी। परन्तु अब क्योंकि आपातकालीन स्थिति तो समाप्त हो गई है, इसलिये ये अधिकार स्वतः ही राज्य सरकारों को पुनः प्राप्त हो जाते हैं। फिर यह समझ में नहीं आता कि केन्द्र सरकार क्यों यह जिम्मेवारी अपने पर लेना चाहती है। वास्तव में केन्द्र को राज्यों के अधिकार छीनने नहीं चाहिये बल्कि उन्हें और अधिक अधिकार देने चाहिये

शुल्क के बारे में तो मेरा कोई विरोध नहीं है क्योंकि इससे छोटे भूमि-पतियों को कोई हानि नहीं पहुंचती। केवल बड़े-बड़े भू-स्वामियों पर ही प्रभाव पड़ता है। परन्तु केन्द्र सरकार को राज्यों के अधिकारों को नहीं छीनना चाहिये।

श्री डी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : सम्पत्ति-कर, सम्पदा-शुल्क तथा उपहार कर अधिनियमों में मैंने बड़ी रुचि ली थी क्योंकि मुझे आशा थी कि इन अधिनियमों के लागू होने पर अमीर और गरीब के भेद को दूर करने में बड़ी सहायता मिलेगी तथा और यह एक अच्छी बात होगी कि अमीर और अधिक अमीर न होता जायेगा और गरीब और अधिक गरीब न होगा। परन्तु मुझे बड़ी निराशा हुई क्योंकि ये सारे अधिनियम अपनी त्रुटियों के कारण बड़े अशक्त और निष्प्रभाव सिद्ध हुए तथा इनसे अपेक्षित उपलब्धियां नहीं हुईं।

वास्तव में अधिनियम बनाने के बाद उसके प्रशासन को बड़े प्रभावपूर्ण ढंग से लागू करने की आवश्यकता होती है। उसमें ऐसी सुदृढ़ व्यवस्था होनी चाहिये कि शुल्क देने वाले को बच निकलने का अवसर न मिल सके। परन्तु कठिनाई यही सामने आती है कि प्रत्येक अधिनियम में त्रुटियां रहती हैं और जिनको शुल्क देनी चाहिये वे उन त्रुटियों का लाभ उठाकर शुल्क देने से बच जाते हैं। अतः यदि हम अधिनियम बनाकर उनको प्रभाव पूर्ण ढंग से लागू नहीं कर सकते तो फिर ऐसे अधिनियम बनाकर अलमारी में रख छोड़ने से क्या लाभ ?

मेरे कुछ मित्रों ने खेतीहरों की बात कही। वास्तव में, ऐसे भी किसान हैं जिनके बड़े-बड़े फलोद्यान और बाग हैं।

सम्पदा शुल्क अधिनियम केवल उन किसानों पर ही लागू किया जाना चाहिये जिनकी आय 50,000 रु० से अधिक हो। छोटे-छोटे किसानों और खेतिहर मज़दूरों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिये। उन्हें तो आज प्रोत्साहन और सहायता देने की आवश्यकता है। यह शुल्क तो उन बड़े किसानों पर लगाया जाना चाहिये जिनके बड़े-बड़े बाग और फलोद्यान हैं तथा जो अपने उत्पाद को जमा करके कीमतें बढ़ने पर बेचते हैं।

इसके अतिरिक सरकार इस बात का निश्चय करे कि यह विधेयक नौकरशाही के लिये एक अवांछित साधन न बने तथा प्रत्यक्ष और परोक्ष करों के प्रशासन पर संगठन और प्रणाली एकक द्वारा समय-समय पर विचार होता रहे। अन्यथा यह अधिनियम भी पहले जैसे अधिनियमों की भांति असफल रहेगा।

अन्त में मैं फिर इस विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि इससे देश में समाजवाद का उद्देश्य प्राप्त करने में सहायता मिल सकती है।

Shri K. M. Madhukar (Kesaria) : I support this Bill but not with the hope that it will bring socialism in the country, or it will cause economical equality, or it will bridge the gap between the rich and the poor. This Bill has been introduced by that Government

[Shri K. M. Madhukar]

who cherishes capitalism. I am supporting this Bill only because it will, more or less, effect the richer section of society; and besides this, I want more and more of such Bills for this purpose.

Some hon. Members have said this measure would prove an obstacle in the agricultural increase. It is not true. Agricultural produce cannot be increased just by exempting the rich people from duty. What was required for agricultural development is the basic land reforms, and not that we should not tax the rich agriculturists. It is, therefore, wrong to oppose the Bill in the name of agricultural development.

It is expressed here that these measures are not implemented effectively. Many loopholes are left out with the result that these duties prove not more than a legislation on paper only. The implementation of these Acts should, therefore, be made quite effective; otherwise the rich, unscrupulous people would evade the provision. I hence, support this Bill since it will cast some effect on the rich people.

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : माननीय सदस्यों में से कुछ के मन में यह भावना व्याप्त है कि यह विधेयक कृषि-भूमि पर ही मृत सम्पत्ति-शुल्क लगाने के लिये लाया गया है। परन्तु यह सच नहीं है। वास्तव में सम्पत्ति-शुल्क अधिनियम तो संसद में वर्ष 1953 में ही पारित हो गया था। अतएव यदि यह विधेयक स्वीकृत भी न हो तो भी कृषि योग्य भूमि पर सम्पदा शुल्क अवश्य लगेगा। वास्तव में वस्तु स्थिति यह है कि आपातकालीन स्थिति के दौरान जब संसद को राज्यों के विधायक मन्डलों की ओर से नियम बनाने का अधिकार प्राप्त था, उस समय उस अधिनियम में कुछ संशोधन किये गये थे। इससे पहले केन्द्र सरकार को यह अधिकार प्राप्त नहीं कि वह देश के राज्यों में कृषि योग्य भूमि पर मृत सम्पत्ति-शुल्क सम्बन्धी कोई अधिनियम बना सके। इसके लिये सर्व प्रथम राज्य विधान मन्डलों द्वारा इस सम्बन्ध में एक संकल्प पारित होना अनिवार्य होता था।

परन्तु आपातकालीन के दौरान राज्यों द्वारा संकल्प को पारित किये जाने से पूर्व ही उस अधिनियम में कुछ संशोधन किए गये थे और जब आपातकालीन स्थिति समाप्त हो गई तो यह प्रश्न पैदा हुआ कि आपातकालीन स्थिति के समाप्त होने के छः माह बाद इन संशोधनों को कैसे चालू रखा जायेगा। क्योंकि छः माह पश्चात् तो ये संशोधन व्यपगत हो जायेंगे। और प्रश्न यह उठा कि यदि राज्य सरकारें इन संशोधनों को अपनाना चाहें तो क्या हमें उन्हें ऐसा नहीं करने देना चाहिये। अब क्योंकि इन संशोधनों का अभिप्राय शुल्क दरों में वृद्धि था अतः इससे राज्यों का राजस्व बढ़ेगा।

इस सम्पदा शुल्क से तो राज्यों को ही लाभ होता है क्योंकि प्रायः सारी आय राज्यों को ही प्राप्त होती है। केन्द्र तो केवल प्रशासन आदि के लिए इस आय का कुछ भाग लेता है। अतः अब तो संसद ने यह सोचना और निर्णय करना है आयाकि राज्यों को इन संशोधनों का लाभ उठाने दिया जाये अथवा नहीं। यही इस विधेयक में निहित है। इस विधेयक का अर्थ अब कृषि-भूमि पर लगाने का नहीं है और न ही इसके द्वारा राज्यों पर ही कुछ ठूंसा जा रहा है। यह तो उनकी अपनी इच्छा पर है कि यदि वे चाहें तो संकल्प पारित करके इसका लाभ उठा सकते हैं।

आपातकाल के समाप्त होने के पश्चात् यह समस्या उत्पन्न हुई और हमने सारे राज्य सरकारों से पूछा कि वे क्या करना चाहते हैं। चार राज्यों ने ऐसे संकल्प पारित कर दिये हैं। हमारे इरादे इतने बुरे नहीं हैं जितना कि श्री विश्वनाथन जी सोचते हैं।

क्योंकि राज्य इसका उपयोग करना चाहते थे इसलिए उन्होंने इन संकल्पों को अपनाया है। हम तो केवल उनको इस योग्य बना रहे हैं कि जो शुल्क हम लगा रहे हैं उसका कुछ अंश वे प्राप्त करें।

मैं इस गलत धारणा को भी दूर करना चाहता हूं कि इस विधेयक से किसानों पर कुछ न कुछ कुप्रभाव पड़ेगा। वास्तव में यह चर्चा इस विधेयक के बाहर की बात है। मूल अधिनियम में भी यह कहा गया है कि कृषि-भूमि पर भी सम्पदा-शुल्क लगना चाहिए। सम्पदा-शुल्क 50,000 रुपये से अधिक मूल्य की सम्पदा पर लगता है और सम्पदा-शुल्क की दर धीरे-धीरे बढ़ती है। सम्पदा शुल्क के लिए हर प्रकार की सम्पत्ति को सम्पत्ति समझा जाना चाहिए। वस्तुतः इरादा यह है कि सम्पदा शुल्क लगाया जाय जिससे कि देश में सम्पदा के उत्तराधिकार को प्रोत्साहन न मिले। जैसे-जैसे सम्पत्ति में वृद्धि हो वैसे-वैसे उसमें से ले लिया जाय जिससे कि आने वाली सन्तति (पीढ़ी) पिछली सम्पदा पर निर्भर न रहे, हम ऐसे रवैये को बढ़ावा देना चाहते हैं। ऐसा करते समय हमें यह ध्यान में रखना चाहिये कि भूमि एक दूसरी प्रकार की पूंजी है चाहे यह शहरी भूमि हो अथवा कृषि की। हमें तरह-तरह की सम्पत्ति में अन्तर नहीं करना चाहिए क्योंकि सम्पदा-शुल्क से बचने के लिए पूंजी को एक रूप से दूसरे रूप में बदलने के लिए इससे प्रोत्साहन मिलता है।

50,000 रुपये की सीमा उचित है। 50,000 रुपये और एक लाख रुपये के बीच के मूल्य की सम्पदा पर चार प्रतिशत सम्पदा-शुल्क लगता है अर्थात् कुल 2000 रुपये, अतः यह कहना बिल्कुल गलत है कि कृषक को सम्पदा-शुल्क देने के लिए अपनी जमीन बेचनी पड़ेगी। 50,000 रुपये की सम्पदा से नीचे कोई सम्पदा-शुल्क नहीं है। सम्पदा-शुल्क से छोटे कृषकों को लाभ पहुंचेगा क्योंकि जो शुल्क राज्यों को प्राप्त होगा उसे वे उनके हित के लिए उपयोग में लाएंगे। कृषि-भूमि पर सम्पदा-शुल्क लगाने की बात कोई नई नहीं है। 1953 के अधिनियम में भी इस बात की व्यवस्था है। अतः इस विधेयक में गृह सम्पदा-शुल्क की व्यवस्था कोई नई चीज़ नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं प्रस्ताव को मतदान के लिए रखता हूं।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : हम मत विभाजन के लिए दबाव नहीं दे रहे हैं।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब, हम खण्डों को लेंगे।

खण्ड 2 (धारा 5क में संशोधन)

Clause 2 (Amendment of section 5A)

श्री तेन्नेटि विश्वनाथन (विशाखापत्तनम्): खण्ड 2 में, पहले यह प्रश्न उठाया गया था कि क्या शब्द "अधिसूचना द्वारा" अपने स्थान पर ठीक प्रयुक्त हुए हैं। अनुच्छेद 252 के अनुसार, यदि दूसरे राज्य संकल्प पारित करते हैं तो यह अधिनियम स्वतः उन पर लागू हो जायेगा, इसके लिए केन्द्रीय सरकार की अधिसूचना की आवश्यकता नहीं है। अनुच्छेद 252 के अन्तर्गत राज्यों की स्वायत्तता की सुरक्षा की गयी है। यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा

[श्री तेन्नेटि विश्वनाथन]

अधिसूचना जारी करने के बाद ही राज्यों पर यह अधिनियम लागू किया गया तो राज्यों को संविधान के अधीन दी गई शक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा समाप्त हो जायेगी। इसलिए सरकारी राजपत्र में 'अधिसूचना द्वारा' शब्द असंवैधानिक हैं। और यदि ये शब्द 1953 के अधिनियम में थे भी तो अब उन्हें समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

श्री रंगा: राज्य सरकारों को ऐसी शक्ति देना बहुत बुरा है कि वे बिना विधेयक पारित किये ही केवल संकल्प पारित करके ही इस अतिरिक्त कर को किसानों पर थोप दें। यदि यह संवैधानिक सुविधा भी उनको दे दी जाय कि उन्हें किसी भी स्थिति में केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता नहीं तो यह और अधिक दमनपूर्ण होगा। यदि सरकार 1953 की व्यवस्था को जारी रखना चाहती है तो ठीक है, लेकिन साथ ही केन्द्रीय सरकार को भी अधिसूचना जारी करने की शक्ति प्राप्त होनी चाहिए। अतः मैं संशोधन का समर्थन करने के लिए प्रस्तुत नहीं हूं बल्कि मैं इसका विरोध करता हूं और चाहता हूं कि यह खण्ड इसी तरह रहे।

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक): मंत्रालय द्वारा दिये गये विवरण में कहा गया है कि पहले वित्त अधिनियम 1964 के द्वारा यह अधिनियम उड़ीसा राज्य तक बढ़ाया गया था। इसका मतलब यह हुआ कि इससे पहले यह उड़ीसा राज्य में लागू नहीं था। उड़ीसा में कृषि भूमि पर सम्पदा-शुल्क नहीं था। लेकिन आपातकालीन स्थिति के आने पर केन्द्रीय सरकार ने अपनी आपातकालीन शक्तियों के अन्तर्गत इसे उड़ीसा पर भी लागू कर दिया।

संविधान में राज्य विधान मंडल को संकल्प पास करने का अधिकार है। ज्योंही राज्य विधान मंडल कोई संकल्प बहुमत से पास करता है वैसे ही वह लागू हो जाता है, केन्द्रीय सरकार बीच में कहां आती है? लेकिन अब केन्द्रीय सरकार यह शक्ति अपने हाथ में लेना चाहती है ताकि यह अधिनियम केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करने पर ही प्रभावी हो चाहे राज्य विधान मंडल इस अधिनियम के पक्ष में कोई संकल्प पास कर दे। यह राज्य विधान मंडल के अधिकार में हस्तक्षेप करना है। राज्य विधान मंडल द्वारा संकल्प पास हो जाने पर यह स्वतः उस सम्बन्धित राज्य पर लागू हो जाना चाहिए। केन्द्रीय सरकार को बीच में नहीं आना चाहिए।

श्री एम० नारायण रेड्डी (निजामाबाद) : यह केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी शक्ति को प्रयोग करने अथवा प्रयोग करने की इच्छा का प्रश्न नहीं है। यह कानून तथा संवैधानिक मामले का प्रश्न है। खण्ड 2(ख) में प्रस्तावित उपबन्ध अनुच्छेद 252 के विपरीत है। यदि किसी राज्य विधान मंडल के दोनों सदन संकल्प को पास करते हैं तो यह अधिनियम केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा कोई और अधिनियम बनाये बिना ही स्वतः लागू हो जायेगा। हमें संविधान के मूल उपबन्धों को कार्यान्वित करना है। यदि हम वर्तमान रूप में उपबन्धों को बनाये रखें तो यह अनुच्छेद 252 के विरुद्ध होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अधिसूचना जारी करने का उपबन्ध मात्र किस प्रकार राज्यों के अधिकारों पर हस्तक्षेप होगा ?

श्री एम० नारायण रेड्डी : यदि तुरन्त ही कोई राज्य विधान मंडल कोई विधेयक अथवा संकल्प पास करती है और यह तुरन्त ही लागू हो जाता है तो अधिसूचना के लिए कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। अधिसूचना केन्द्रीय सरकार की ओर से कुछ समय पश्चात् जारी हो

सकती है। संकल्प को स्वीकृत करने तथा अधिसूचना के जारी करने के बीच का अन्तराल शून्य नहीं हो सकता। जिस क्षण संकल्प पास होगा उसी समय अधिनियम कार्यान्वित हो जायेगा और लागू होने लगेगा। अधिसूचना जारी करना बेकार होगा और हमें संशोधित अधिनियम में फालतू खंड नहीं रखना चाहिए यह केवल फालतू ही नहीं है बल्कि यह राज्य की स्वायत्तता में हस्तक्षेप भी है और इसे कोई भी न्यायालय समाप्त कर देगा। खुली आंखों से हम ऐसा कानून पास नहीं कर सकते। अतः, इस खण्ड को निकाल देना चाहिए।

श्री ई० के० नायनार (पालघाट) : अधिसूचना जारी करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति राज्यों की शक्तियों में हस्तक्षेप है।

Shri Vibhuti Misra (Motihari): Today Ceiling on Land holdings Act has been imposed in all the States. Due to this it has become difficult to make both ends meet. Besides, the farmer pays land revenue. In Bihar agricultural income tax is in force. Cess has also been increased. Therefore the Central Government should not take the responsibility of imposing estate duty to a particular State. If there is shortage of revenue in any State they will themselves increase the agricultural rent, cess or agricultural income tax. This Bill is against the interest of the farmers. Therefore I oppose this Bill.

Shri Tulshidas Jadhav (Baramati) : It is right that Gujarat, Madras, Maharashtra and Rajasthan have passed resolutions in this respect and according to article 252 Central Government have also accorded its assent. The States which have imposed estate duty have been given assent it is understandable but the provision for the extension of the Act to other States which have not passed resolutions is not understandable. We talk much about farmers but do nothing in their interest. The Bill is against the interest of farmers.

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यह विधेयक कृषि भूमि पर सम्पदा शुल्क लागू करने के लिए नहीं है बल्कि इसका उद्देश्य यह है कि राज्य आपात काल में संसद द्वारा पारित किये गये संशोधन का लाभ उठा सकें, यदि इसकी संवैधानिकता पर कुछ सन्देह है तो इसका फैसला न्यायालयों को करना है।

ऐसी कुछ धारणा है कि केन्द्रीय सरकार राज्यों की शक्तियों में हस्तक्षेप कर रही है। मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि संकल्प पास करना राज्यों का काम है। यदि राज्य ऐसा सोचते हैं कि हम उनकी शक्तियों का उल्लंघन कर रहे हैं तो वे संकल्प पास नहीं करेंगे। हम उन पर कोई चीज थोपना नहीं चाहते। राज्य सरकारों के अनुरोध पर ही इस विधान का उन पर विस्तारण किया जा रहा है। अधिसूचना जारी करना इसलिए आवश्यक है कि लोगों को विदित हो जाये कि अमुक विधान मंडल ने संकल्प पास किया है। यदि अधिनियम केन्द्रीय सरकार करती है तो राज्य सरकार अधिसूचना जारी नहीं कर सकती। यह कहा गया है कि 1953 का अधिनियम आपातकाल के बाद उड़ीसा में लागू किया गया था। यह गलत है। क्योंकि यह आपातकाल से पहले लागू किया गया था। यह विशेष संशोधन निश्चय ही आपात की उद्घोषणा के बाद आया था।

यह कहा गया है कि 1953 की और 1968 की स्थिति में अन्तर आ गया है। लेकिन संविधान में तो परिवर्तन नहीं आया है, खण्ड 2 संविधान के उपबन्धों से असंगत नहीं है। विधि मंत्रालय ने इस पर विचार किया है और इस निर्णय पर पहुंची है। शब्द "अपने आप" इस 252 अनुच्छेद में नहीं है। जहां तक संकल्प पारित होने और अधिसूचना के बीच की अवधि का प्रश्न है हम अधिसूचना में ही उपबन्ध कर देंगे कि यह संकल्प की विधि से ही प्रभावी होगी।

[श्री कृष्ण चन्द्र पन्त]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ा गया ।

Clause 2 was added to the Bill.

खण्ड 1, अधिनि मन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़े गये ।

Clause 1, the Enacting Formula and the title were added to the Bill.

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि विधेयक पारित किया जाय ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि विधेयक पारित किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

प्रदीप-पत्तन न्यास (बोर्ड बैठकों में प्रक्रिया) नियमों में संशोधन के बारे में प्रस्ताव

MOTION *RE.* AMENDMENT TO PARADIP PORT TRUST (PROCEDURE AT BOARD MEETINGS)

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम श्री श्रीनिवास मिश्र द्वारा प्रस्तुत प्रदीप-पत्तन के बारे में प्रस्ताव लेते हैं।

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"यह सभा सिफ़ारिश करती है कि प्रदीप-पत्तन न्यास (बोर्ड की बैठकों में प्रक्रिया) नियम, 1967 में, जो कि दिनांक 31 अक्तूबर, 1967 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1669 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा 22 नवम्बर, 1967 को सभा-पटल पर रखे गये थे, निम्नलिखित संशोधन किया जाये, अर्थात् नियम 5 के साथ निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाये, अर्थात् :—

'परन्तु इस प्रकार जोड़ी गई मदों पर किये गये निर्णय बोर्ड की अगली बैठक द्वारा पुष्टि के अध्यधीन होंगे जो इस विषय पर विचार करेगी और किये गये निर्णय की पुष्टि कर सकेगी, उसे विखण्डित कर सकेगी, उसे बदल सकेगी अथवा उसमें रूपभेद कर सकेगी और उससे उत्पन्न सहायक विषयों के लिये उपबन्ध भी कर सकेगी'।"

मेरा यह प्रस्ताव प्रमुख पतन कहलाये जाने वाले प्रदीप-पत्तन के बारे में है। यद्यपि यह पत्तन अभी तक एक छोटा पत्तन है और न जाने कब तक एक छोड़ा पत्तन ही बना रहेगा। इस पत्तन में कोई नौभार नहीं है; न यहां कोई सड़क है। एक एक्सप्रेस राजपथ बनाया जाना था परन्तु उसका काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। भारत के पूर्वी तट पर रेलवे लाइन और प्रदीप-पत्तन के मध्य कोई सम्पर्क ही नहीं है यद्यपि वहां एक रेलवे लाईन का निर्माण करने की योजना है । यद्यपि राज्य सरकार ने इस पत्तन पर 1.8 करोड़ रुपया खर्च किया परन्तु यह धनराशि उसे वापस नहीं की गई।

बड़े पत्तन न्यास के अधिनियम 1963 के अन्तर्गत एक बोर्ड का गठन किया गया है। उसके अधिकार और शक्तियां व्यापक हैं। यह बोर्ड अध्यक्ष को भी शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकता है; पत्तन की सम्पत्ति के नाम पर धन भी उधार ले सकता है तथा नियम भी बना सकता और स्थान बनाने के लिये गैर सरकारी ठेकेदारों को काम का ठेका भी दे सकता है।

इस बारे में मैं अधिनियम की धारा 94 की ओर आपका ध्यान दिलाता हूं जिसमें कहा गया है कि सभापति धारा 93 का कोई ध्यान न रखते हुए, केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम राशि तक की लागत के किसी भी कार्य को करने का निर्देश दे सकता है; परन्तु इस निर्देश के बारे में उसे यथा-सम्भव शीघ्र ही बोर्ड को रिपोर्ट देनी होगी कि उसने अमुक निर्देश दिये हैं और अमुक कार्य का ठेका दिया है।

अतः इस अधिनियम में ही वर्णित है कि अध्यक्ष बोर्ड को रिपोर्ट देगा।

जबकि ऐसी महत्वपूर्ण और मूल्यवान शक्तियां बोर्ड को उपलब्ध हैं, तो नियमानुसार बैठकों में कोई निश्चित प्रक्रिया भी होती है इसके लिये एक कार्यवाही तैयार की जानी होती है, और उसे न्यास के सभी सदस्यों को भेजा जाना चाहिये। इसके बाद यदि सभापति यह अनुभव करे कि कार्यवाही में वर्णित विषयों के अतिरिक्त यदि कोई अन्य मामला इतना महत्वपूर्ण है कि उस पर चर्चा हो, तो वह बिना कार्यावली में रखे, वहां बैठक में ही कार्यावली में शामिल करके उस पर चर्चा कर सकता है।

कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कार्यावली में विशेष रुचिपूर्ण विषय नहीं होते और इस कारण कुछ सदस्य बोर्ड की बैठकों से अनुपस्थित हो जाते हैं। और जब सभापति देखता है कि जैसा निर्णय वह चाहते हैं उससे सहमत होने वाले कुछ सदस्य उपस्थित हैं तो वह कार्यावली में वही बात रख लेता है और उसे पारित कर लेता है। नियमों में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है कि पिछली बैठक में जो कुछ पारित हुआ है उसे अगली बैठक में रख कर उसकी पुष्टि कराई जाये।

यही सोचकर मैंने इस संशोधन की सूचना दी थी। ऐसी आशंका रहती है कि कार्यावली में कोई भी विषय शामिल करने की गुंजाईश होने से सभापति अपनी इस शक्ति का दुरुपयोग कर सकता है। सबसे पहली बैठक में सभापति ने एक मद रखी जो कि मूल कार्यावली में सम्मिलित नहीं थी और फिर उसके द्वारा, एक व्यक्ति श्री कुमार को अतिरिक्त कार्य करने के लिये 150 रुपये अतिरिक्त दे दिये गये। ऐसी ही 150 रुपये तक की धनराशि पत्तन के किसी भी अन्य महत्वपूर्ण कार्य के लिये नहीं प्रदान की गई। और न ही ऐसा कभी किसी अन्य पत्तन में हुआ। यह नियम और विनियमों का सरासर उल्लंघन था। इससे मेरी धारणा की पुष्टि हो गई। कार्यावली पत्रों के परिचालन सम्बन्धी नियम पर भी मुझे आपत्ति है। इसमें कहा गया है कि सामान्य बैठक के लिये कार्यावली बैठक की तिथि से कम से कम तीन दिन पहले तथा विशेष बैठक के लिये कम से कम एक दिन पहले परिचालत की जायेगी और विशिष्ट बैठक सहित किसी भी बैठक में सभापति कार्यावली से बाहर की मद की भी बैठक में चर्चा करा सकता है यदि वह यह समझे कि उक्त मद का विषय उसकी दृष्टि में पर्याप्त महत्वपूर्ण है। परन्तु उसकी दृष्टि में तो कुछ भी महत्वपूर्ण हो सकता है। और उसे बैठक में पेश करके अपने आदमियों से पास करा सकता है।

[श्री निवास मिश्र]

मैं मानता हूँ कि कई बार ऐसा अवसर भी आ सकता है कि सभापति को इस बारे में ऐसा निर्णय लेना पड़ता है परन्तु नियमों में ऐसा उपबन्ध होना चाहिये कि वह उस निर्णय को अगली बैठक में पुष्टि के लिये रखे और उस बैठक को यह अधिकार प्राप्त हो कि वह यदि चाहे तो उन नई मदों के बारे में किये गये निर्णय को स्वीकार करे, बदले, अस्वीकार करे या जो चाहे करे । यह व्यवस्था नियम 5 में होनी चाहिये । वहां तो यह भी व्यवस्था नहीं है कि पिछली बैठक के निर्णय पढ़कर सुनाये जायेंगे और उनकी पुष्टि कराई जायेगी ।

मंत्रालय ने दूसरे पत्तनों के लिये भी नियम निर्धारित किये हैं और वे नियम कुछ संशोधित हो कर प्रदीप-पत्तन के लिये भी लागू किये गये हैं । परन्तु इसका अर्थ क्या यह है कि जो त्रुटियां उन पत्तनों के लिये हो गई हैं उन्हें प्रदीप-पत्तन पर भी लागू किया जाये ?

जब आपने एक न्यासी बोर्ड का गठन किया है तो आप को उस पर विश्वास करना चाहिये । सभापति के निर्णय को यदि वह बोर्ड ठीक समझेगा तो अनुमोदिन कर देगा, यदि नहीं, तो अस्वीकार कर देगा अथवा संशोधन कर देगा । बोर्ड में निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, अतः उन पर विश्वास किया जाये । नियम द्वारा सारी ही शक्तियां सभापति को क्यों दी जाती हैं जिससे कि वह मनमानी कर सके ?

अतः मंत्री महोदय इस बारे में विचार करें । मैंने तो एक उपबन्ध का सुझाव दिया है जिससे कि कार्यावली में मूलतः न रखे गये और बैठक में ही सभापति द्वारा स्वीकृत मदों पर हुए निर्णयों की पुष्टि और अनुमोद या अन्यथा अगली बैठक में कराई जा सके । यह तो बड़ी साधारण सी बात है ।

श्री के० पी० सिंह देव (ढेंकानाल) : प्रथम लोकसभा की प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट में यह अनुभव किया गया था कि प्रदीप के स्थान पर एक गहन समुद्री पत्तन होनी चाहिये । वर्ष 1958 में इस पत्तन को छोटा पत्तन कहा गया । वर्ष 1961 में उड़ीसा सरकार ने प्रदीप पत्तन के लिये एक समन्वित योजना आयोजना आयोग के समक्ष रखी और अनेक परीक्षणों और विचार-विमर्शों के पश्चात् यह योजना तीसरी पंच-वर्षीय योजना में सम्मिलित कर ली गई । इसके पश्चात् यह प्रश्न खड़ा हुआ कि इसे बड़ा पत्तन माना जाये अथवा नहीं क्योंकि बड़े पत्तन के लिये रेलवे लाईन आदि का होना जरूरी होता है । प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन संख्या 70 तीसरी लोकसभा में प्रदीप-पत्तन के बारे में कहा गया था कि बड़े पत्तन की परिभाषा के अनुसार प्रदीप-पत्तन को केन्द्र सरकार द्वारा अपने अधीन लिया जाना चाहिये था और यह राज्य सरकार की जिम्मेवारी नहीं है । इस बारे में प्राक्कलन समिति की सिफ़ारिशें बिल्कुल स्पष्ट हैं और मैं बहुत आग्रह-पूर्वक निवेदन करूंगा कि प्रदीप-पत्तन के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति की सिफ़ारिशों को केन्द्र द्वारा तुरन्त लागू किया जाना चाहिए तथा उड़ीसा सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में व्यय किया गया भी उस सरकार को लौटाया जाना चाहिये जैसा कि सिफ़ारिश की गई है ।

माननीय सदस्य श्री श्रीनिवास मिश्र द्वारा प्रस्तावित संशोधन पर इसी दृष्टि से विचार किया जाना चाहिये । मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने बोर्ड के सभापति की शक्तियों को सीमित करने का प्रस्ताव किया है । प्रदीप-पत्तन उड़ीसा राज्य के लिये एक विशेष महत्व की

चीज है तथा यदि इसका समुच्चित विकास किया जाये तो उस क्षेत्र के आर्थिक उत्थान में बड़ी सहायता मिल सकती है। इससे रांची राऊरकेला तथा अन्य स्थानों में परस्पर सम्पर्क स्थापित हो सकता है।

नियमों में कहा गया है कि बैठक में कार्यावली में न सम्मिलित मदों पर भी विचार किया जा सकता है और सभापति महोदय स्वेच्छा से किसी मद को विचारार्थ बोर्ड की साधारण और विशिष्ठ बैठक में रखकर निर्णय ले सकते हैं। सभापति को ऐसे तानाशाह अधिकार देना उचित नहीं है।

इसके अतिरिक्त नियम 4(2) में व्यवस्था की गई है कि जब कभी बैठक होगी तो ऐसे पत्नक बैठक की तिथि से कम से कम एक दिन पहले परिचालित किये जायेंगे। परन्तु जबकि केवल एक दिन पूर्व बैठक की कार्यावली परिचालित की जा रही है तो फिर सभापति को यह अधिकार देने की क्या आवश्यकता है कि वह कार्यावली में उन मदों को भी शामिल करेंगे जो कि मूल कार्यावली में पहले शामिल नहीं किये गये थे।

मैं अपने माननीय मित्र श्री श्रीनिवास जी के इस विचार से पूरी तरह सहमत हूं कि मूल कार्यावली में सम्मिलित नई मदों पर किये गये निर्णय अगली बैठक में पुष्टि के लिये प्रस्तुत किये जाने चाहिए। मेरा सुझाव है कि मंत्री महोदय कृपया यह संशोधन स्वीकार कर लें।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथन (विशाखापतनम्) : नियम 3(ग) (7) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि वह किन्हीं हितों के प्रतिनिधियों को समिति के सदस्य नियुक्त कर सकती है। इसके लिये सरकार पत्तन के क्षेत्र के संसद् सदस्यों को नाम निर्दिष्ट कर सकती है। यह हमारी सरकार से प्रार्थना है।

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : मुझे बड़ा आश्चर्य है कि उड़ीसा के ही, तथा प्रदीप-पत्तन के विकास में मेरी ही भांति गहरी रूचि रखने वाले माननीय सदस्यों ने भी सभापति के अधिकार के बारे में भी ऐसी बात कही है कि वह तानाशाही अपना कर अपने कुछ मित्र सदस्यों की राय लेकर कुछ भी कर सकते हैं।

इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि पत्तन न्यास के सभापति की नियुक्ति उड़ीसा सरकार के परामर्श से हुई है तथा वह उड़ीसा सरकार सेवा का ही एक भारतीय प्रशासन सेवा से सम्बन्धित अधिकारी है।

प्रदीप-पत्तन की कई समस्यायें हैं। मैं मानता हूं कि यह पत्तन अभी विकसित ही हो रही है। वास्तव में वहां एक एक्सप्रेस राजपथ होना चाहिये। पिछले वर्ष उड़ीसा सरकार एक ऐक्सप्रेस राजपथ का शीघ्रातिशीघ्र निर्माण करने के लिये धनराशि दी गई थी परन्तु राज्य सरकार ने उस धन का प्रयोग किसी और मद में कर लिया। केन्द्र ने फिर से राज्य सरकार को यह एक्सप्रेस राजपथ पूरा करने के लिय कहा। रेलवे लाइन कदाचित दो अथवा तीन वर्ष में बनकर तैयार हो जायेगी। हम चाहते हैं कि लौह अयस्क का निर्यात जारी रहे और इसी लिये हमारी इच्छा है कि यह एक्सप्रेस राजपथ शीघ्रातिशीघ्र पूरा हो जाये। रेलवे लाईन की स्वीकृति प्राप्त हो गई है और उस दिशा मैं कार्य में कुछ प्रगति भी हुई है। प्रदीप-पत्तन एक सुन्दर बन्दरगाह है तथा इस में बहुत उत्तम गुण हैं तथा यह भारत के प्रथम श्रेणी के प्राकृतिक पत्तनों में से एक है।

[डा० वी० के० ग्रार० वी० राव]

इस सम्बन्ध में जानकारी मांगी गई थी कि पत्तन के सभापति ने कितनी बार अपने इन विशेषाधिकारों का प्रयोग किया। चार मामलों में से तीन मदें तो श्री मिश्र के मित्र विधायक श्री खुटिया के कहने पर कार्यावली में सम्मिलित की गई थी और केवल एक मद सभापति ने इस सम्बन्ध में सम्मिलित की थी कि कटक के मुआवजा आयुक्त ने श्री बी० सी० दास को 237.19 रुपया का मुआजवा देने का आदेश दिया था जो कि अपना कार्य करते हुए आहत हो गए थे और चिकित्सालय में दाखिल किये गये थे। उसमें बोर्ड से यह विनती की गई थी कि उस मुआवज़े के भुगतान की स्वीकृति प्रदान कर दी जाये। और बोर्ड ने इस बारे में विचार कर के श्री बी० सी० दास के मुआवजा दिये जाने के बारे में अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी थी। किसी श्री कुमार को अतिरिक्त 150 रुपये दिये जाने के बारे में मुझे कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। मेरा सुझाव है कि हमें राई का पहाड़ नहीं बनाना चाहिये। मैं समझता हूं कि प्रायः हर संख्या में सभापति को किसी विशेष महत्व या शीघ्रता के मामले में स्वविवेक से निर्णय करने का अधिकार प्राप्त होता है।

हां, यह बात मेरी समझ में आती है कि विशिष्ट बैठकों में सभापति को अपने विशेष अधिकार प्रयोग नहीं करने चाहिये। वास्तव में विशिष्ट बैठकों में तो केवल विशिष्ट मदों पर ही विचार किया जाता है। नई मदों को इन बैठकों में शामिल करना उचित नहीं जान पड़ता। इस सम्बन्ध में मैं श्री मिश्र द्वारा प्रस्तुत संशोधन पर विचार कर सकता हूं।

परन्तु यदि श्री मिश्र यह चाहते हैं कि प्रदीप-पत्तन का विकास हो, तो उन्हें इस बारे में इस नियम में प्रस्तावित संशोधन पर ज़ोर नहीं देना चाहिये। यह उचित न होगा।

प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापस ले लिया गया।

The motion was, by leave, withdrawn.

तद्पश्चात लोक-सभा, शुक्रवार 10 मई, 1968 के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हो गई।

The Lok Sabha, then, adjourned till the eleven of the clock Friday, the 10th of May, 1968.

M31LSS(CP)/68—600—31-12-68—GIPF.